सप्तम माला, खंड 10, अंक 11, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1980/11 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौथा सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 11, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1980/11 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 205, 206, 210 से 213 और 215	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—194
तारांकित प्रश्न संख्या : 208, 209, 214 और 216 से 224	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1993 से 2017, 2020 से 2034, 2036 से 2042, 2044 से 2050, 2052 से 2186 और 2188 से 2192	
तारांकित प्रश्न संख्या 944 दिनांक 12.8.1980 में शुद्धि करने वाला विवरण	194—195
सभा पटल पर रखे गए पत्र	195—197
लोक लेखा समिति के विवरण	197—198
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	198—204
मारवाड़ियों की हत्या, लूट और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बढ़ती हुई घटनाओं के समाचार	
श्री भीकू राम जैन	198
श्री योगेन्द्र मकवाना	198
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	204—208
सभापति तालिका के बारे में घोषणा	208—209
विधेयक पुरःस्थापित	209—210
(एक) वन संरक्षण विधेयक	209

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) कोयला खान श्रम कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 के बारे में विवरण 209—210

नियम 377 के अधीन मामले 210—213

(एक) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 210

(दो) महीदपुर रोड और जावरा चीनी फैक्टरी के कर्मचारियों और किसानों को बकाया राशि का भुगतान
श्री सत्यनारायण जटिया 210

(तीन) इलाइची कर्मकारों को पुनरीक्षित मजूरी दिया जाना
श्री कुमबुम एन० नटराजन 211

(चार) मेघनगर (मध्य प्रदेश) स्थित रॉक फासफेट फैक्टरी
श्री दिलीप सिंह भूरिया 211

(पांच) विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा भारतीय समुद्र-जल-सीमा का उल्लंघन
श्री एन० डेनिस 212

(छः) पश्चिमी बंगाल में सीमेंट की कमी
श्रीमती गीता मुखर्जी 212

(सात) केरल को चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई
श्री ई० के० इम्बीचीबावा 213

आरोविल (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प 214—274

तथा

आरोविल (आपात उपबन्ध) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एन० के० शेजवलकर 214
श्री एस० बी० चव्हाण 224

श्री राम विलास पासवान 232
श्री ईरा अनबारासु 234
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् 237
श्री जगन्नाथ राव 242
श्री ईरा मोहन 245
डा० कर्णसिंह 246
श्री मूलचन्द डागा 251
श्री एम० रामग्ना राय 257
श्री कृष्ण दत्त 258
श्री रतन सिंह राजदा 259
श्री सुन्दर सिंह 261
श्री भोगेन्द्र झा 263
श्री हरिकेश बहादुर 265

खंड 2 से 18 और 1 273
पारित किये जाने का प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 273

कार्य मंत्रणा समिति 274
नौवां प्रतिवेदन

Hindi Version
of
Lok Sabha Debates
Vol X
(Nos 11 – 15)
2nd – 8th Dec.
1980

287/5 H.C.

लोक सभा

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1980/11 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत संयंत्रों का 'प्लांट लोड फैक्टर'

*205. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि वर्ष 1978-79 में स्थापित किए गए सभी विद्युत संयंत्रों का औसत 'प्लान्ट लोड फैक्टर' स्वीकृत न्यूनतम 28 प्रतिशत की तुलना में केवल 17 प्रतिशत था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दोष का गहराई से अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या इसमें सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं। 1978-79 में स्थापित किए गए ताप विद्युत केन्द्रों में प्राप्त हुआ संयंत्र भार अनुपात 1979-80 के दोरान 21.4 प्रतिशत तथा 1980-81 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान 32 प्रतिशत था।

(ख) नए चालू किए गए यूनिटों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की गई है

तथा इनके कुछ असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारणों की भी गंभीरता से जांच की गई है। इन अध्ययनों के अनुसार इन यूनिटों के स्थिरीकरण में कुछ अधिक समय लग रहा है तथा कुछ आनुषंगिक उपस्कर भी संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ग) इन यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(1) उत्पादन यूनिटों को चालू करने के लिए समुचित तथा संयंत्र सुधार कार्यक्रम अपनाया;

(2) उपस्कर के अभिकल्प में कमियों का पता लगाना तथा इनको दूर करने के और बदलने के कार्यक्रम हाथ में लेना;

(3) ताप विद्युत संयन्त्र के प्रचालन और अनरक्षण में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(4) ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा में और वांछित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई;

(5) लम्बी अवधि से बन्द पड़ी विद्युत उत्पादन यूनिटों की मरम्मत करने/उन्हें पुनः चालू करने में विद्युत केन्द्रों को सहायता की व्यवस्था करना;

(6) अधुनातन अनुरक्षण तकनीकें लागू करना; इनमें सुरक्षात्मक अनुरक्षण पद्धतियां शामिल हैं;

(7) विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु विद्युत केन्द्रों में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था करना; और

(8) यूनिटों के निर्माण और उत्थापन दोनों ही के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में हमारे सभी संयन्त्रों का 'प्लांट लोड फैक्टर' 1976-77 में 56 प्रतिशत था। माननीय मन्त्री महोदय के विवरण से अनुसार 1979-80 में यह केवल 21.4 प्रतिशत था और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि 1980-81 में यह बढ़कर केवल 32.0 प्रतिशत हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य उपकरण के 'आउटेज' के कारण बिजली की कल उपलब्धता 74.65 प्रतिशत थी और बायलरों द्वारा इन 'आउटेज' का कुल योगदान 45.09 प्रतिशत था और टर्बाइन का योगदान 19.4 प्रतिशत और जैनरेटरों का योगदान 10.16 प्रतिशत तक था। उपकरणों में इन कठिनाइयों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हमारे देश में विद्युत सन्यन्त्रों की सभी समस्याओं

के बारे में जांच की है और क्या हम सरकार से आशा कर सकते हैं कि कम से कम आगामी वर्ष में यह 1976 के पूर्व के स्तर तक, जो 56 प्रतिशत तक था, पहुंच सकता है क्योंकि अन्य देशों जैसे सोवियत संघ में यह 62 प्रतिशत 'प्लांट लोड फैक्टर' है और हंगरी में यह 60 प्रतिशत है और जापान में 53 प्रतिशत है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न 2210 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में है जो 1978-79 में बनाई गई थी। मुख्य प्रश्न यह था। इनमें से क्षमता की बड़ी मात्रा 200/210 मेगावाट यूनिट की है जो कुल 1640 मेगावाट है। ये यूनिट वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में लागू किये गये थे और ये यूनिट अभी भी स्थिर हो रहे हैं। निर्धारित नामपट्ट उत्पादन देते हुए नये तापीय यूनिटों के लिए शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं है। संयन्त्र के कल-पुर्जों तथा आनुषंगिक उपस्करों के अनेक प्रारम्भिक कारणों से ऐसा होता है जिन्हें पूरे 'लोड' पर चलाये जा सकने से पूर्व समंजन करने की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन और अमरीका में भी सामान्य स्थिरीकरण का समय दो से तीन वर्ष का है। हमारी नई क्षमता के आयोजन में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी नये यूनिटों के स्थिरीकरण के लिए चार वर्ष की अवधि ले लेता है।

1978-79 में चालू किये गये यूनिटों का 'प्लांट लोट फैक्टर' 17 प्रतिशत नहीं था जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया था अपितु यह 1979-80 में 21.4 प्रतिशत था। 1980-81 में इसमें सुधार हो चुका है और यह 32 प्रतिशत तक है। इस वर्ष के नवम्बर में यह 42 प्रतिशत तक हुआ है। पूरी समस्या नये एककों के स्थिरीकरण की है और पूरे देश में इसमें समय लगता है और यहां पर भी इसमें समय लग रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, 1976-77 में हमारा 'प्लांट लोड फैक्टर' 56 प्रतिशत था। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता था कि गत 3-4 वर्षों में हमारा 'प्लांट लोड फैक्टर' 56 प्रतिशत से घटकर 21.4 प्रतिशत हो जाने के क्या कारण हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें सुधार हुआ है और यह 32 प्रतिशत तक है। लेकिन हम 56 प्रतिशत तक क्यों नहीं पहुंचे है ?

मेरा दूसरा प्रश्न जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सभी बड़े तापीय संयंत्रों की 200/210 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है और इन बड़े तापीय संयंत्रों में 68 तापीय संयंत्रों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये बायलर्स और उपकरणों के दोषयुक्त होने के कारण इनके 'प्लांट लोड फैक्टर' में सुधार नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी बातों का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इन सभी खामियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं। यह कम से कम 56 प्रतिशत 'प्लांट लोड फैक्टर' तक आनी चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : दिक्कतों का पता लगा लिया गया है और हम भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड और अन्य सप्लायरों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और यह जानना

चाहते हैं कि इन मामलों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि मैं इसे ठीक प्रकार से पूछ नहीं सका हूं तो आप पूछ सकते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर ले सकते हैं। इसमें क्या सुधार हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सदस्य को सन्तुष्ट कर सकते हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं केवल यह जानना चाहता था कि अब तक कितने मामलों की जांच की गई है क्योंकि मैं मंत्री महोदय की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में इन बातों की जांच की गई है और क्या सभी खामियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो इसका क्या हल ढूंढा गया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने कहा है कि हम भारत हैवी इलेक्ट्रोकल्स लिमिटेड और अन्य सप्लायरों से निरन्तर सम्पर्क रखे हुए हैं और जब कभी राज्य विद्युत बोर्डों से शिकायतें आती हैं तो हम उन्हें एक बैठक रखने और ऐसी खामियों का पता तथा उन्हें दूर करने के लिये प्रयास करने के लिये कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने ऐसा कुछ मामलों में किया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जी हां।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर देते हुए (चार) में उन्होंने कहा है कि कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये एक उपाय यह किया गया है कि ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा में और वांछित गणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई करना है। जहां तक विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन का सम्बन्ध है जब तक इस्पात मंत्रालय और कोयला तथा रेलवे मंत्रालय के बीच समन्वय नहीं होता तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है और उपरोक्त भाग (ग) (चार) के इस उत्तर के संदर्भ में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यदि कोयले की उचित किस्म और मात्रा सम्बन्धित तापीय संयंत्रों को भेजी जानी है तो क्या यह सच है कि हालांकि चार लाख वैगन हैं और सामान्यतया 10 से 15 प्रतिशत तक वैगन आम तौर पर खराब रहते हैं तथापि इसके बावजूद भी क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र रेलवे को आश्वस्त किये गये व्हील सेटों को देने की स्थिति में नहीं है जिसके परिणामस्वरूप निर्मित किये जा चुके बहुत से वैगन पूरी तरह से व्हील सेटों के बिना रुके रहे और इसके परिणामस्वरूप हम बहुत से तापीय संयंत्रों को कोयला नहीं ले जा सके हैं और यही कारण है कि कार्य-निष्पादन में बाधा पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इसमें आता है ?

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, यह इसमें पूर्णतया आता है। आप उनसे पूछ लें कि क्या यह

इसमें आता है अथवा नहीं । उन्हें इसकी स्वयं जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान्, यह इस प्रश्न की परिधि में आता है । कृपया उत्तर को पढ़ें । भाग ग (चार) कोयले को ले जाने के सम्बन्ध में है । कोयले को मेरे विचार से कंधों पर नहीं अपितु वैगनों के माध्यम से ले जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर आप ठीक हैं । लेकिन यह इस्पात का उत्पादन इसमें नहीं शामिल होता है ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान्, यह अत्यन्त संगत है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जब कभी किन्हीं राज्य विद्युत बोर्डों ने कोयले की किस्म के बारे में हमसे शिकायत की है, हमने उस पर तत्काल ध्यान दिया है ।

श्री निरेन घोष : जी नहीं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : अब इस प्रकार की व्यवस्था है । जब कभी कोई शिकायत होती है, राज्य विद्युत बोर्ड, रेलवे और कोयले के अधिकारी सम्पर्क स्थल पर जाते हैं और वे कोयले की किस्म के बारे में उनकी शिकायत का पता लगाते हैं और जो कुछ भी करना आवश्यक हो वे करते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने एक अत्यन्त विशिष्ट स्पष्ट प्रश्न पूछा था । वह वैगनों के जरिए तापीय संयंत्रों को कोयला ले जाना चाहते हैं और ये वैगन अवरुद्ध हैं क्योंकि इन्हें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से व्हील सैट नहीं मिल रहे हैं । मैंने उनसे एक विशेष प्रश्न पूछा था । उनके पास इस्पात, कोयला और रेलवे की एक समन्वय समिति है । यही कारण है कि उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ।

प्रो० मधु दंडवते : उनकी मेज पर एक पर्ची आ चुकी है । उन्हें वह पर्ची मुझे नहीं देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह पर्ची नहीं दे रहे हैं । वह सभी कल-पुर्जों को सम्पर्क स्थल पर ले गये हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : वह उत्तर देने के लिये इच्छुक हैं ।...... **(व्यवधान)**

श्री जगन्नाथ राव : तलचर तापीय संयंत्र पुराना है उस अर्थ में नहीं कि यह बहुत पुराना है । यह एक दशाब्दी से अधिक समय से कार्य कर रहा है । यह किस प्रकार है कि यह निर्धारित

क्षमता की बिजली उत्पादन नहीं कर सका है और टर्बाइन क्या हैं ? क्या वे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं और क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की प्रोद्योगिकी अद्यतन है और यह सुनिश्चित करने के लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि तलचर अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उत्पादन करे।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने कहा है भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की मशीनरी अद्यतन और आधुनिक है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है लेकिन हम उस पर दोबारा किस्म नियंत्रण लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूं और यह मानता हूं कि यदि यह नियंत्रण लागू किया जाता है तो भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स मिमिटेड के बारे में और शिकायतें नहीं होंगी।

कलकत्ता को बिजली की पूर्ति के संबंध में दामोदर घाटी निगम की संविदागत बाध्यता

*206. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम की संविदागत बाध्यता क्या है ;

(ख) 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष के दौरान प्रति माह, प्रातः और सांय के व्यस्ततापूर्ण घंटों में दामोदर घाटी निगम अधिकतम औसतन कितने मेगावाट बिजली की पूर्ति करता रहा है ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली को विभिन्न उपभोक्ताओं में आबंटित करने का आधार क्या है, और क्या इस प्रकार का नीति सम्बन्धी निर्णय दो भागीदार राज्य सरकारों से मंत्रणा करने के पश्चात् लिया गया था ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दामोदर घाटी निगम का सी. ई. एस. सी. को विद्युत सप्लाई करने का अधिकतम संविदात्मक दायित्व 105 एम० वी० ए० का है। संविदा के बाध्यकर स्थिति में अपनाए जाने वाले उपाय खण्ड में विद्युत उत्पादन के निम्न स्तरों पर निम्न आबंटन की अनुमति है।

(ख) अक्तूबर, 1979 से सितम्बर, 1980 तक 12 महीने की प्रत्येक माह की विद्युत की अधिकतम सप्लाई का औसत दिखाने वाला विवरण उपाबन्ध-1 के रुप मे संलग्न है। सवेरे और शाम के व्यस्तमकाल के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) दामोदर घाटी निगम के विभिन्न उपभोक्ताओं को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विद्युत की वास्तविक सप्लाई उन क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के अनुसार नियन्त्रित की जाती है जो

कम विद्युत उत्पादन की परिस्थितियों में बिजली के युक्तिसंगत और कारगर वितरण के लिए तैयार की गई हैं। ये प्राथमिकताएं बिहार और बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई हैं। विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर दामोदर घाटी निगम के विद्युत के वितरण के लिए हाल ही में सितम्बर में सरकार ने नए निदेश जारी किए हैं। ये उपाबन्ध-2 में देखे जा सकते हैं। सी०ई०एस०सी० को मिश्रित तथा अन्य भारों में शामिल किया गया है। रेलवे कर्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, जिस पर विद्युत उत्पादन के निम्न स्तरों पर भी कोई कटौती नहीं की गई है।

विवरण

महीना	अधिकतम औसत सप्लाई	
	एस०वी०ए०	एम०डब्ल्यू
अक्तूबर, 1979	55	46.5
नवम्बर, 1979	49	44 1
दिसम्बर, 1979	53	47.7
जनवरी, 1980	55	49.5
फरवरी, 1980	68	61.2
मार्च, 1980	58	52.2
अप्रैल, 1980	58	52.2
मई, 1980	50	45
जून, 1980	61	54.9
जुलाई, 1980	72	64.8
अगस्त, 1980	63	56.7
सितम्बर, 1980	67	60.3

विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर दामोदर घाटी निगम के विद्युत का आवंटन, जैसाकि मंत्रिमंडल सचिवालय में 4.9.1980 को निर्धारित किया गया है

1. सकल उत्पादन (मैगावाट)	450	500	550	600	650	700	750
2. वितरण के लिए उपलब्ध कुल विद्युत (एम०वी०ए०)	505	565	642	708	796	902	1043
3. क्षेत्रों को आवंटन							
(1) रेलवे (147 एम०वी०ए०)	120	120	120 (147)	120 (147)	120 (147)	120 (147)	120 (147)

(2) कोयला फीडर (273.5 एम०वी०ए०)	179	205	240 (188)	271 (188)	300 (210)	326 (220)	326 (276)
(3) इस्पात स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (270 एम०वी०ए०)	111	128	151	170	210	240	270
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (100 एम०वी०ए०)	20	24	28	31	35	46	70
अन्य इस्पात (52 एम०वी०ए०)	20	24	28	31	35	46	60
जोड़	151	176	207 (211)	282	280	332	400 (380)
4. मिश्रित तथा अन्य भार, कलकत्ता सहित (299 एम०वी०ए०)	55	64	75	85	96	124	197

टिप्पणी :—कालम (1) मे कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संविदात्मक मांग बताते हैं। कालम (4) से (8) में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नवम्बर, 1979 से पहले के आबंटन के आंकड़ें बताते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा प्रश्न दामोदर घाटी निगम की संविदागत बाध्यता और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को बिजली की सप्लाई से सम्बन्धित है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है :

"अक्तूबर, 1979 से सितम्बर, 1980 तक 12 महीने की प्रत्येक माह की विद्युत की अधिकतम सप्लाई का औसत दिखाने वाला विवरण उपाबन्ध-1 के रूप में संलग्न है।"

लेकिन पृष्ठ उलटने पर मुझे पता चला है कि सप्लाई के आंकड़ों की बजाए यहां पर संविदागत बाध्यता के आंकड़े दिये गये हैं। इसको देखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय मुझे बता सकते हैं कि क्या उनके मंत्रालय से टेलेक्स संदेश के सन्दर्भ में दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के महाप्रबंधक, श्रीमती शिप्रा मंडल, ने नवम्बर, 1980 में मंत्रालय को सूचित किया था कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को औसत बिजली की सप्लाई में कमी हुई है। मैं संविदागत बाध्यता और सप्लाई के आंकड़े दूंगी क्योंकि उन्होंने सप्लाई के आंकड़ों को नहीं दिया है। मैं दस्तावेज से आंकड़े उद्धृत कर रही हूं और इसे मैं सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। समय बचाने के लिए मैं केवल जनवरी से सितम्बर तक के आंकड़े उद्धृत करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई असंगति है तो सीधे पूछिये ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निम्नलिखित आंकड़े हैं :

महीना	संविदागत आंकड़े	सप्लाई
जनवरी	49.5	26.21
फरवरी	61.2	29.32
सितम्बर	60.3	25.60

समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि 21 नवम्बर को दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता कारपोरेशन को प्रातः केवल 5 मैगावाट और सायं को 16 मैगावाट बिजली सप्लाई की थी । अतः कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को बिजली की संविदागत बाध्यता और वास्तविक सप्लाई के बीच बहुत भारी असंगति है । मंत्री महोदय इसके बारे में क्या कर रहें है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : डी० वी० ए० क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन के आधार पर बिजली की वास्तविक सप्लाई कम उत्पादन की शर्तों के अधीन वितरण को युक्तिसंगत करने के लिए बनाये गये श्रेणीबद्ध प्राथमिकता के अनुसार विनियमित की जाती है । ये प्राथमिकतायें बिहार और पश्चिम बंगाल के स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशनों के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई हैं । स्वभावतया संविदागत बाध्यता का प्रश्न नहीं उत्पन्न हो सकता है ।

दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के बीच विभिन्न करार हुए हैं । 1 जनवरी, 1970 से लागू दिसम्बर, 1984 तक 105 मैगावाट की संविदागत मांग के लिए जून, 1978 में तीसरा करार कार्यान्वित किया गया था । कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को बिजली की सप्लाई अनिवार्य बाध्यता की शर्तों के अनुसार है । इसके अनुसार दामोदर घाटी निगम ने उत्पादन के विभिन्न वर्गों को बिजली के आबंटन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है । 800 मैगावाट के उत्पादन के स्तर की तुलना में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का पूरा हिस्सा पूरा किया जाता है ।

उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए चरणबद्ध आबंटन निम्न प्रकार है :

दामोदर घाटी निगम का उत्पादन	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का उत्पादन
600 मैगावाट	42 मैगावाट
650 मैगावाट	52 मैगावाट
700 मैगावाट	73 मैगावाट
750 मैगावाट	84 मैगावाट
800 मैगावाट	105 मैगावाट

उस विशेष समय में, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, हो सकता है कि दामोदर घाटी निगम का उत्पादन बहुत कम हो और इस प्रकार कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को करार के अनुसार अपना हिस्सा मिला हो। यहां पर मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि यदि उत्पादन 600 मेगावाट हो तो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को इतना कोयला, इतना इस्पात और रेलवे को इतनी मात्रा मिलेगी। यह व्यवस्था की गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस तथ्य को देखते हुए कि दामोदर घाटी निगम में उत्पादन बहुत कम है जैसा कि सप्लाई से देखा जा सकता है, मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 का एक पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या उन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि दामोदर घाटी निगम तीन घटकों से निर्मित है—केन्द्र, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और बिहार राज्य सरकार और कानूनी आवश्यकता है कि इन सभी घटकों की महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, यदि नहीं तो कम से कम प्रमुख निर्णय परिचालित किये जाने चाहिए लेकिन सच्चाई यह है कि अप्रैल से कोई बैठक नहीं हुई है और अध्यक्ष मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं ? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पत्र के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

इसी पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि दामोदर घाटी निगम में प्रबन्धकों और श्रमिकों के सहयोग के बारे में कठिन स्थिति को देखते हुए वह संघ के प्रतिनिधियों से मिलें ताकि श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग के क्षेत्र में मेल-मिलाप लाने के बारे में एक रास्ता ढूंढा जा सके। क्या मन्त्री महोदय सभी संघों—मान्यता प्राप्त पंजीकृत और अपंजीकृत संघों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : दामोदर घाटी निगम में उत्पादन में सुधार हुआ है। इस बारे में कोई शक नहीं है। मुझे न केवल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पत्र मिला है न केवल उन पत्रों अथवा पत्र का उत्तर दिया है अपितु मैं स्वयं मुख्यमन्त्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री से मिला हूं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूं। उसके अनुसार मैं एक ऊर्जा सचिव भेजने जा रहा हूं जो पूरी स्थिति का जायजा लेगा और सरकार मजबूती से निर्णय लेगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री को मैंने इसका संकेत कर दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह संघों के प्रतिनिधियों से कब मिलने जा रहे हैं ? इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जब संघों के नेता मुझे मिलने आते हैं मैं उन्हें मिलता हूं।

श्री सुशील भट्टाचार्य : दामोदर घाटी निगम के सदस्य कौन-कौन से हैं ? बोर्ड की बैठक कितनी बार हुई थी और वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान किन-किन विषयों पर

विचार-विमर्श हुआ था ? क्या इस मामले में राज्य सरकारों का कोई कहने का अधिकार है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : निश्चित रूप से इस मामले में उनका कहने का अधिकार है।

इस मामले में यह हुआ है कि अध्यक्ष के साथ होने वाली नियमित बैठकें नहीं हुई हैं। इस बारे में दो विवरण हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन-सा बयान स्वीकार किया जाये और कौन-सा बयाम अस्वीकार किया जाये। एक बयान यह है—अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री से एक तारीख लेनी चाही थी। दुर्भाग्यवश वे उन्हें तारीख नहीं दे सके। अतः कोई बैठक नहीं हुई थी। हमने वर्तमान अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री और बिहार के मुख्य मंत्री से उनके लिये सुविधाजनक तारीख पर मिलने के लिये सलाह दी है। वे इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।

ग्रासरूट तेल शोधक कारखानों की स्थापना

*210. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 90 लाख मी० टन की कुल क्षमता वाले दो ग्रासरूट तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिए भारी पूंजी निवेश करने संबंधी निर्णय लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार इस तेल शोधक कारखानों की स्थापना से पूर्व प्रत्येक राज्य में बेरोज-गारी की समस्या के पहलू पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त होने एवं उसकी जांच के पश्चात ही निवेश निर्णय लिया जायेगा।

(ख) मंगलौर के पास पश्चिम समुद्री तट पर 6 एम०टी०पी०ए० क्षमता वाली शोधन-शाला तथा करनाल के पास 3 एम०टी०पी०ए० क्षमता वाली शोधनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह शोधनशालाएं 1985-86 के दौरान कार्यरत होंगी।

(ग) समस्त तकनीकी-आर्थिक सोच विचार के पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दो शोधनशालाएं—एक मंगलौर में और एक करनाल में, स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1985-86 में यह शोधनशालाएं कार्यरत होंगी। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया है कि कुल निवेश कितना

होगा ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या निवेश 450 करोड़ रुपये तक होगा ?

श्री दलबीर सिंह : स्थान का चयन स्थल चयन समिति द्वारा किया जाना होता है। तत्पश्चात व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाई जाएगी। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर लेने के पश्चात, सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि इन शोधनशालाओं के 1985-86 के दौरान चालू होने की सम्भावना है और भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने बताया है कि "समस्त तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर सोच विचार के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।" मेरा प्रश्न यह है कि तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों की भर्ती के समय क्या स्थानीय लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

इन दो शोधनशालाओं में, यद्यपि आपने कहा है कि ये 1985-86 में चालू होंगी, अब भी आप निवेश के सम्बन्ध में बताने में असमर्थ हैं।

श्री दलबीर सिंह : शोधनशाला की स्थापना के सम्बन्ध में जिन पहलुओं पर सोच-विचार किया जाता है वे हैं—देश में तथा उस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की सीमा तथा स्वरूप, कच्चे तेल के परिवहन के लिए उपलब्ध सुविधाएं तथा भूमि, बिजली, पानी आदि जैसी अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता।

जहां तक शोधनशालाओं में व्यक्तियों को नियुक्त करने का सम्बन्ध है, समान्यता ऐसे सभी पदों पर नियुक्तियां जिन पर अधिकतम मासिक वेतन 800 रुपये से अधिक नहीं होता, स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। इससे अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : 800 रुपये से कम वाले पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय क्षेत्र के लोगों से की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इस बारे में बता चुके हैं। 800 रुपये तक का अर्थ है 800 रुपये से कम वेतन।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या करनाल (हरियाणा) में शोधनशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री दलबीर सिंह : श्रीमान् इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थल चयन समिति ने तीन स्थानों का चयन किया है और यह उनमें से एक है। करनाल सबसे प्रथम स्थान पर है। करनाल में आसपास शोधनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आज सदस्य अनुपस्थित क्यों हैं ? यह सदन में फिर से हो रहा है।

लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थान

*211. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा, राज्य सभा और विभिन्न राज्य विधान सभाओं में कितने-कितने स्थान रिक्त हैं और वे कब से रिक्त हैं;

(ख) क्या इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप-निर्वाचन करवाने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक विवरण जिसमें लोक सभा/राज्य सभा तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थानों का ब्यौरा दिया गया है, सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने अभी तक इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में रिक्त स्थानों का ब्यौरा दर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक और नाम	रिक्त होने की की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1. असम	12	3. स्वशासी जिले (अ०ज०जा०) 4. धुब्री 5. कोकाझाड़ (अ०ज०आ०) 6. बारपेटा 7. गौहाटी 8. मंगलदोई 9. तेजपुर 10. नौगोंग		राज्य में स्थिति सामान्य हो जाने के पश्चात् इन 12 स्थानों के लिए निर्वाचन कराए जाएंगे ।

1	2	3	4	5
		11. कलियाबेर 12. जोरहाट 13. डिब्रूगढ़ 14. लखीमपुर		
2. मेघालय	1	1. शिलांग		विदेशी राष्ट्रिकों का मुद्दा तय हो जाने के पश्चात ही निर्वाचन कराया जाएगा।
3. उत्तर प्रदेश	5	54—मिर्जापुर 2—गढ़वाल 25—अमेठी 56—इलाहाबाद 12—बरेली	30-4-80 19-5-80 23-6-80 28-7-80 18-9-80	
4. पश्चिमी बंगाल	1	26—सेरामपुर	14-7-80	
		राज्य सभा **(निवृत्ति)**		
1. दिल्ली	1	निर्वाचित सदस्य	15-4-80	दिल्ली महानगर परिषद का निर्वाचन हो जाने के पश्चात द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाएगा।
		आकस्मिक रिक्तियां		
1. आन्ध्र प्रदेश	1	निर्वाचित सदस्य	20-10-80	राज्य सरकार से कार्यक्रम मंगाए गए हैं। कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा।
		विधान सभाएं		
1. आन्ध्र प्रदेश	2	1. 111—चिराला 2. 279—पालेयर	18-1-80 18-11-80	अभी तक नियत नहीं की गई है।

1	2	3	4	5
2. असम	2	1. 93—बोकाखाट	31-8-79	निर्वाचन क्षेत्र से कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया गया था।
		2. 11—धोलाई (अ०जा०)	6-12-79	श्री सिसिर रंजन दास का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया।
3. बिहार	4	1. 203—बख्तियारपुर	14-6-80	
		2. 261—हिसुआ	17-5-80	
		3. 275—गिरिडीह	16-5-80	
		4. 214—संदेश	21-5-80	
4. हिमाचल प्रदेश	2	1. 24—नदौन	18-1-80	
		2. 28—नदौन्ता	30-4-80	
5. मणिपुर	1	1. 53—तमेंलोंग (अ०ज०जा०)	27-6-80	
6. मेघालय	2	1. 50—सेलसेल्ला	16-12-79	
		2. 50—महेन्द्रगंज	13-12-79	
7. त्रिपुरा	3	1. 44—राइमावैली (अ०ज०ज०)	12-1-80	
		2. 6—अगरतला	14-1-80	
		3. 16—विशालगढ़	18-9-80	
8. उत्तर प्रदेश	7	1. 370—सिकन्दराराउ	24-5-80	
		2. 344—पटियाली	26-5-80	
		3. 285—जहानाबाद	28-5-80	
		4. 190—लखीमपुर	29-5-80	
		5. 66—शाहजहांपुर	20-6-80	
		6. 318—तिन्दवारी	31-10-80	
		7. 40—बिसौली	21-10-80	
9. पश्चिमी बंगाल		1. 223—मिदनापुर	31-12-79	
		2. 48—सुजापुर	14-1-80	
		3. 41—खड़बा	18-1-80	
		4. 37—कुमारगंज	10-3-80	
		5. 138—दमदम	22-4-80	
		6. 159—मानिकटोला	23-8-80	
		7. 108—जादवपुर	28-10-80	

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान, क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए तैयार था परन्तु इस पर राज्य सरकारों ने अपनी सहमति नहीं दी क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : कानूनन स्थिति यह है कि संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है और इसका निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है कि चुनाव कब हों इसलिए बाहर से किसी के निर्देश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं निर्वचन आयुक्त से मिला था और उनसे इस बारे में बात की थी । उन्होंने बताया कि वह, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, चुनाव करवाने के लिए तैयार थे परन्तु राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं दे रही और उनमें कुछ मतभेद था, वे चाहते थे कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हों और कुछ चुनाव क्षेत्रों में चुनाव न करवाए जाएं । इसलिए निर्वाचन आयुक्त शायद, इसके लिए तैयार नहीं है । क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सब की जांच की है ? वे क्या कारण थे जिसके लिए राज्य सरकारें वहां चुनाव करवाने के लिए सहमति नहीं दे रही थी ? किस प्रकार के दबाव में राज्य सरकारों ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं करवाए गए ।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : संविधान के अन्तर्गत, निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है । निर्वाचन आयुक्त केन्द्र सरकार से परामर्श करके पता लगा सकता है कि वहां की क्या स्थिति है । यदि वहां कोई क्षेत्र विशेष अकाल ग्रस्त है, यदि वहां कोई उत्सव मनाये जा रहे हैं, यदि वहां कानून और व्यवस्था की कोई समस्या है, तब निर्वाचन आयोग इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेगा, परन्तु यह राज्य सरकार का काम नहीं है कि वह निर्वाचन आयुक्त को कोई निदेश दे और निर्वाचन आयुक्त निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, राज्य सरकारों ने जो कुछ कहा है उसके प्रति बाध्य नहीं है । निर्वाचन आयुक्त वास्तविक स्थिति पर विचार करेगा परन्तु वह राज्य सरकारों द्वारा की गई बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है ।

श्री निरेन घोष : क्या यह सच है कि लोक सभा का एक उप-चुनाव और विधानसभा चुनाव घोषित किए गए थे और इसके पश्चात् राज्य सरकार से बिना परामर्श किए, इसे एक पक्षीय रूप से रद्द कर दिया गया था ? क्या ऐसा केन्द्र की सलाह मिलने पर किया गया था कि कांग्रेस आई, जो शासित दल है, वह सभी राज्यों पर शासन करेगा और वामपंथी दलों........ (**व्यवधान**) यह उन मामलों में से एक है जिस पर बंगाल सरकार क्षुब्ध है ।

माननीय सदस्य : उन्हें उत्तर देना चाहिए ।

श्री निरेन घोष : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को चुनाव के निर्णय की सूचना दे दी गई थी और फिर राज्य सरकारों से बिना परामर्श किए, केन्द्र सरकार के सुझाव पर, इसे रद्द कर दिया गया था ?

यह अनुचित था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उससे अपने पद का अपमान नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मालूम है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री यह कहने की कृपा करेंगे, हालांकि निर्वाचन आयोग संविधान के अन्तर्गत एक पृथक स्वतन्त्र निकाय है, केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव स्थगित करने के लिए गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी कार्यवाही की थी ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं अपने माननीय मित्रों को यह समझाने में असमर्थ हूँ कि इस तरह के निदेश देना संविधान के अन्तर्गत सम्भव नहीं है । यदि निर्वाचन आयुक्त यह जानना चाहें कि किसी क्षेत्र विशेष में किस तरह की स्थिति है तो वह इस बारे में सरकार से मालूम कर सकते हैं । लेकिन उन्हें निदेश देना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय मंत्री से सवाल करना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने, जांच करने के बाद, यह निर्णय दिया है कि कलकत्ता के क्षेत्र में, बड़ी तादात में नकली मतदाता थे । पश्चिम बंगाल में ऐसे अनेक निर्वाचन-क्षेत्र हैं जहां नकली मतदाता हैं और, यदि ऐसा है, तो क्या निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची ठीक करने के लिए कहा है और क्या निर्वाचन आयोग ने उस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रूप चन्द पाल ।

प्रो० रूप चन्दपाल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस (आई) के समर्थक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के बारे में जांच की गई थी, कि क्या केन्द्रीय सरकार मतदाता सूचियों के बारे में पूरी तरह सन्तुष्ट थी और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से उस रिपोर्ट के आधार पर ही तारीख नियत की गई थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं आपसे मार्गनिर्देशन चाहता हूं । यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कुछ किए जाने अथवा न किए जाने के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न-सूची में उन प्रश्नों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब हर बार ऐसे ही उत्तर दिए जाते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतन्त्र प्राधिकारी है, कि सरकार का उससे कोई सरोकार नहीं है, तो मंत्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर देने की जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों लेते हैं ? वे किसकी ओर से बोल रहे हैं ? इन प्रश्नों के बारे में किस तरह की कार्यवाही की जाती है ? यदि सरकार यह कहती है कि "हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है" तो हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आचरण के बारे में किस तरह पूछें ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर वही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि तर्क यही है जो आप कहते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह उनके अधिकार में होगा, तो वे उत्तर देंगे ; यदि उनके अधिकार में नहीं होगा, तो वे उत्तर नहीं देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह मुख्य निर्वाचन आयोग के आचरण का किस तरह बचाव कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं कर सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व अपने ऊपर क्यों लेना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : वह बहस नहीं कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए । मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र प्राधिकारी हो सकता है......

अध्यक्ष महोदय : वह बहस नहीं कर रहे हैं; वह तो केवल तथ्य बतला रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनसे नहीं । मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्ग निर्देशन करें । आप उस पर कोई विनिर्णय नहीं देंगे । यह बड़ी विचित्र बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा । अगला प्रश्न ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, इलैक्शन कमीशन चाहे इंडिपेंडेंट बाडी हो, लेकिन चुनाव आधार सारे देश का है । इस स्थान को इस तरीके से इंडिपेंडेंट कह कर टाल देने से तो देश का बुनियादी ढांचा टूट जाता है । यह बात सही नहीं है । इससे देश में हजार किस्म के शक पैदा हो सकते हैं । इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

नाथपा-झाकड़ी पन-बिजली परियोजना

*212. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से परिकल्पित नाथपा-झाकड़ी पन बिजली परियोजना निर्माण की प्रतीक्षा में है क्योंकि इस पन बिजली परियोजना के लिए दोनों राज्यों के पास पर्याप्त धन-राशि नहीं है ;

(ख) क्या दोनों राज्यों ने इस परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों राज्यों से केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक समझौता कर लिया है । उन्होंने केन्द्र से सहयोग के लिए भी अनुरोध किया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम विचार अभी नहीं बना है ।

प्रो० मधु दंडवते : इससे पहले कि मैं अनूपूरक प्रश्न पूछूं, मैं पिछले अध्यक्षों द्वारा दिये गये अनेक निर्णयों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब किसी प्रश्न को जितने भागों में पूछा जाए, तो जहां तक संभव हो, उनका उत्तर भी अलग-अलग दिया जाना चाहिए । अब मैं देखता हूं कि व्यवहार में वे जानबूझकर प्रश्न के कुछ भागों को जोड़ देते हैं जिससे कि प्रश्न के कुछ भाग अनूत्तरित रह जाएं । उदाहरण के लिए मैं आपको बतला दूं, इस प्रश्न के भाग (ख) में यह पूछा गया था—

"क्या दो राज्यों ने परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है ।"

उस भाग का उत्तर कहीं नहीं दिया गया है । वे भागों को जोड़ देते हैं और ऐसा करने में यह भाग गायब हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनूपूरक प्रश्न पूछें ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, महोदय । कृपया भावी मार्गनिर्देशन के लिए पिछला विनिर्णय दोहराएं, जहां तक संभव हो, अलग-अलग उत्तर दिए जाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कहेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है : क्योंकि तेल के आयात का बिल 3,000 करोड़ रु० से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें जल-विद्युत परियोजनाओं पर अधिक बल देना चाहिए और इसे देखते हुए क्या सरकार उन राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार रहेगी, जो या तो अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से स्वेच्छा से आगे आयें और वित्तीय सहायता की मांग करें ? सरकार का रवैया और प्रत्युत्तर क्या होगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है। उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक एक प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया है । इन दो राज्यों ने केन्द्रीय भागीदारी के लिए भी अनुरोध किया है और वे सहमत हो गये हैं कि उक्त परियोजना एन० एच० पी० सी० द्वारा क्रियान्वित की जा सकती है । यह बिल्कुल ही एक नई बात है । हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जिसकी मांग कर रहे हैं वह बिल्कुल ही नई चीज है । वास्तव में हुआ यह है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्तर्गत अपनी मंजूरी दे दी और हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा का कहना है कि वे उसे क्रियान्वित करेंगे । उस स्थिति में, अन्य उलझनें हैं । उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी हिस्सा मांग कर रहे हैं । इससे अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री मुझसे मिले थे और मैंने उनको बता दिया कि यह विचार योजना आयोग को भेजा जाएगा और इसकी जांच की जाएगी और तभी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता किया है और उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि केन्द्र भी उसमें भाग ले। जब वे केन्द्रीय भागीदारी की आशा कर रहें हैं, तो स्पष्ट ही है कि वे केन्द्रीय सहायता—वित्तीय सहायता भी चाहते हैं। अतः मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस विशेष योजना की वास्तविक लागत कितनी है और उस लागत में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कितनी वित्तीय सहायता मांगी है तथा सरकार वास्तव में कितनी सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : पहले तो हम 'सहायता' और भागीदारी में अन्तर जान लें। सहायता तो तकनीकी भी हो सकती है। वह वित्तीय सहायता चाहते हैं या कि भागीदारी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने 'वित्तीय सहायता' शब्द को उपयोग किया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह एक नई चीज है। जब भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना को क्रियान्वित करना चाहा है, उसने किया है। विभिन्न राज्यों द्वारा पोषण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस परियोजना को इस समय अनुमानतः 500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। 1000 मेगावाट बिजली की यह एक बहुत ही बड़ी परियोजना हैं। अतः मैंने जो कुछ कहा है वह हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा सरकारों से प्राप्त नई पेशकश के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कुल लागत 500 करोड़ रुपये है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश संभवतः कितनी राशि खर्च करेंगे और केन्द्र से उन्हें कितनी राशि दरकार है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस पर हमने चर्चा नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आपने ब्योरेवार अध्ययन नहीं किया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जी हां।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरा पहला प्रश्न यह है। यदि संयन्त्र की निर्माणावधि में वृद्धि की जाती है तो उसकी लागत में भी वृद्धि हो जायेगी। अतः क्या केन्द्रीय सहायता देने में शीघ्रता की जायेगी और क्या परियोजना के बारे में निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा ? सरकार निर्णय लेने में कितना समय लेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : क्या अब क्लब करने की अनुमति है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब ईश्वर ने उन्हें एक कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इसे योजना आयोग के पास भेजा जायेगा। योजना आयोग ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकार करना है। इस समय तो हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री वीरभद्र सिंह : इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने एक करार कर रखा है। हमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना में भाग लेने से केन्द्र सरकार ने अपनी रुचि दिखाई है। इसके आधार पर केन्द्रीय भागीदारी के लिये केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस परियोजना में केन्द्र सरकार की भागीदारी के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा दूसरे, यदि केन्द्र सरकार यह निर्णय करती है कि इस परियोजना में भाग लेना संभव या व्यवहार्य नहीं है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार देश में बिजली की कमी को देखते हुए और साथ ही यह समझते हुए कि 1000 मेगावाट बिजली तैयार करने वाली यह एक बहुत बड़ी योजना है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु इन दोनों राज्यों को उदारता से वित्तीय सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : जितना जल्दी पूरा हो उतना ही अच्छा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यदि यह एक केन्द्रीय परियोजना है तो राज्यों से वित्त प्राप्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब अन्तिम स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा स्वयं ही इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे एक नई पेशकश की है। हम इस नई पेशकश से शुरूआत कर रहे हैं। यह योजना आयोग के पास जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय कीजिये।

आयल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*213. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आयल इंडिया लिमिटेड' के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिया गया था; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड में बी०ओ०सी० के सम्पूर्ण अथवा आंशिक हितों का अधिग्रहण करने के लिए सितम्बर, 1976 में बातचीत आरंभ की गई थी।

(ग) इस मामले से सम्बन्धित अनेक पहलू सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं और इसके और ब्योरे देना जनहित में नहीं है।

श्री सूर्य नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1976 से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि आयल इण्डिया का नेशनेलाइजेशन किया जाए और 1976 में जो जब पेट्रोलियम मिनिस्टर, श्री के०डी० मालवीय थे, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि राष्ट्र के हित में बी०

ओ० सी० का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त बहुगुणा जी ने भी यह आश्वासन दिया था और इस बात की जांच करने के लिए एक पैनल भी बनाया था कि कितना शीघ्र और किस तरह से इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इस सबको चार-पांच साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जबकि सरकार की नीति भी एक्सप्लोरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने की है। फिर एसे महत्वपूर्ण उद्योग का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ? इसके राष्ट्रीयकरण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, यह मामला गवर्नमेंट के एक्टिव कंसीड्रेशन में है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब तक जो इसमें समय लगा है उसकी कई वजूहात हैं। असम आयल कम्पनी का मामला भी आया और यह मामला भी था। ये सारे मामले मिला कर के करने में समय लगता है और इसीलिए इसमें समय लगता गया। यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है और इसमें कुछ महीने और लगेंगे।

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या बी०ओ०सी० के कम्पेनसेशन के सवाल पर हिच हो रही है ? बर्मा आयल कम्पनी और आयल इंडिया कम्पनी के 50-50 परसेंट इक्विटी शेअर्स हैं और कुल मिलाकर 28 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है। बी०ओ०सी० के 14 करोड़ रुपये के इक्विटी शेअर्स हैं फिर क्या कारण है कि राष्ट्र के हित में इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ? इस कम्पनी ने काफी मुनाफा कमा लिया है। क्या यह सही है कि कम्पनी 40 करोड़ो रुपये के कम्पेनसेशन की मांग कर रही है ? क्या इसी कारण से इसके राष्ट्रीयकरण में देरी हो रही है ?

श्री दलबीर सिंह : हम इसमें कार्यवाही तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा मामला विचाराधीन है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब ऐस्सों तथा अन्य विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो एक मानदण्ड रखा गया था और उनका अधिग्रहण कर लिया गया था। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या बी०ओ०सी० तथा आसाम तेल कम्पनी के मामले में, जो कि वर्षों से अपनी हर आय इस देश से बाहर ले जाते रहे हैं, कोई भिन्न मानदण्ड अपनाया गया है जिसके कारण मामले में ही की जा रही है अथवा क्या उनके मामले में भी वही मानदण्ड अपनाया जा रहा है जो ऐस्सों तथा अन्य कम्पनियों के बारे में अपनाया गया था ?

श्री दलबीर सिंह : निकट भविष्य में ऐसा करना सम्भव हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या इसमें कोई विभिन्नता है।

श्री दलबीर सिंह : कोई भिन्नता नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को लेने में

अब तक क्या हिच है ? क्या यह कम्पनी आप से 40 करोड़ रुपये की मांग कर रही है यह बताइये ? यदि इतना नहीं मांग रही है तो कितनी राशि मांग रही है ?

श्री दलबीर सिंह : वे कितना मांग रहे है, उस पर निर्णय नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : वे कितना मांग रहे हैं यह तो हमें बता दीजिए, यह जानने का हमारा हक है।

श्री दलबीर सिंह : मांगने को तो बी०ओ०सी० कुछ भी मांग सकती है।

भारतीय न्याय प्रशासन पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति के विचार

*215. **श्री चित्त महाटा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'न्याय पंचायतों' की स्थापना करके न्याय प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भगवती समिति ने अगस्त, 1977 में प्रस्तुत की गई अपनी 'राष्ट्रीय कानूनी सहायता समान न्याय—सामाजिक न्याय' नामक रिपोर्ट के अध्याय VI में न्याय पंचायत की प्रणाली पर विचार किया था। पंचायत राज संस्थाएं विषयक समिति की अगस्त, 1978 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी इस विषय पर विचार किया गया था। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में एक नमूना विधेयक का प्रारूपण किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकारों से संस्तुति की गई है कि विद्यमान राज्य विधान नमूना विधान के अनुरूप बनाए जाएं और जिन राज्यों में इस विषय पर विधान नहीं है, वे नमूना विधेयक के अनुरूप विधान बनाएं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि न्याय-पंचायत का माडल बिल का ड्राफ्ट कब शुरू हुआ और कब तक वह कामयाब होगा ?

श्री वी० शिवराज पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह जो न्याय-पंचायत का ड्राफ्ट है, असल में यह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट्स को ही बनाना है। मगर न्याय-पंचायत के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट्स आई है उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर एक माडल बनाने की कोशिश की गई है और माडल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस माडल के आधार पर न्याय-पंचायत के लिए कानून बनाएं, इस प्रकार से बताया गया है।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि दिन-प्रतिदिन मुकदमों की संख्या अदालतों में बढ़ती जा रही है और सालों से अदालतों में मुकदमें पड़े हुए हैं । किसान और गरीब जो कि देहातों में रहते हैं, न्याय से वंचित हो रहे हैं । इसको एक्सपीडाइट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है । पश्चिम बंगाल में ग्राम लेवल से जिला-परिषद तक पंचायत अच्छे तरह से काम कर रही हैं । वहां पर न्याय-पंचायत का इंप्लीमेंट करने का सरकार कोई प्रावधान करेगी या नहीं ?

श्री वी० शिवराज पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट में जो केस जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यह संख्या किस प्रकार से कम की जाए, इसके लिए सरकार हर स्तर पर सोच-विचार कर रही है । इसके लिए प्रयत्न जारी हैं। एक सूचना यह है कि जजेज की संख्या बढ़ाई जाए । दूसरी सूचना यह है कि जो प्रोसीजर ग्राफ लाज है, उसके अन्दर दुरुस्ती की जाए । दूसरी सूचना है कि जो अपील्स हैं, फर्स्ट और सेकण्ड अपील, तो सेकण्ड अपील पर ही कुछ केसेस रखे जाएं । इस प्रकार की अनेक सूचनाएं हैं । न्याय पंचायत के बारे में भी विचार किया जाए, इस प्रकार की भी सूचना है । लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए ही यह किया जा सकता है । सारे देश में न्याय-पंचायत की कल्पना सब लोगों को मान्य है या नहीं, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा । अगर स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है और इस ओर कदम उठाना चाहती है तो उसमें कोई रूकावट नहीं आ सकती । स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैस सिलण्डरों की सप्लाई में कदाचार

*208. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलण्डरों की सील टूटी हुई होती है और उनमें गैस की मात्रा कम होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है;

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए भारतीय तेल निगम क्या कदम उठाता है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम की दोषपूर्ण पूर्ति प्रणाली के लिए उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को गैस की पूर्ति ठीक मिले, इसके लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । जनवरी से अक्तूबर 1980 तक के समय में इस मंत्रालय के 'शिकायत कक्ष' में इस प्रकार की 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि डिलीवरी के समय सील के न लगे होने की शिकायत का कारण बाटलिंग संयन्त्रों से ऐजेन्ट के गोदाम तक तथा उसके बाद ग्राहक के स्थान पर सिलेण्डरों का बार-बार लाना ले जाना है। कई बार सीलिंग टेप मौसम की बदलती हुई स्थिति के कारण भी टूट जाती है। सिलेंडरों के कम भरे रहने के बारे में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका तत्काल यह पता लगाने के लिए जांच की जाती है कि :—

(1) सिलेण्डरों के बाल्व में अथवा उपभोक्ता के गैस स्टोव में लीकेज तो नहीं हैं, जो किसी के ध्यान में ना आया हो, जिससे कि सिलेण्डर अपने सामान्य समय से पहले समाप्त हो गया है।

(2) पकाये गये भोजन की किस्म और मात्रा की विभिन्नता के कारण किसी अवधि के दौरान गैस शीघ्र तो समाप्त नहीं हुई है।

(3) गैस की खपत में यह अन्तर तापमान की बदलती हुई स्थिति के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत में सर्दियों के महीने में गैस की खपत गर्मियों की तुलना में 15-20% अधिक हो सकती है, जब कभी किसी सिलेंडर के लीक होने का पता लगता है और उपभोक्ता द्वारा उसकी रिपोर्ट की जाती है तो उस सिलेंडर को अतिरिक्त प्रभार लिए बिना बदला जाता है।

(ग) सिलेण्डरों को बोटलिंग संयन्त्रों पर स्वचालित मशीनों और श्रमिकों द्वारा संचालित मशीनों द्वारा भरा जाता है। प्रत्येक सिलेण्डर की भरने के बाद जांच की जाती है और बाटलिंग संयन्त्र पर उसके भार और लीकेज की जांच की जाती है, उसके बाद उसे भेजने से पहले सील किया जाता है। वितरण की सम्पूर्ण प्रणाली पर निगरानी रखी जाती है। वितरकों के गोदामों पर क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण और छापे मारे जाते है।

(घ) कभी-कभी शोधनशालाओं के अचानक बन्द हो जाने, परिवहन की कठिनाई और अन्य समस्याओं के कारण एल०पी०जी० की सप्लाई में गड़बड़ी हो जाती है।

(ङ) प्रत्येक मामले में परिस्थिति के अनुसार, वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सप्लाई सहित सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। इन उपायों के बावजूद कभी-कभी बाजार की मांग को पूर्णरूप से पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। बम्बई हाई, मथुरा शोधनशाला और कोयाली शोधनशाला से एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने से 1981 के बाद सप्लाई स्थिति में सुधार हो जायेगा।

समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव

*209. श्री मनफूल सिंह चौधरी, श्री जय नारायण रौत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाचार-पत्रों को अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उन्हें ऋण के रूप

में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से आए शरणार्थी

*214. **श्री के० मालन्ना** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से आए शरणार्थियों के बारे में ब्यौरा क्या है और उनको बसाने की व्यवस्था करने के लिए किन राज्यों को कहा गया है; और

(ख) सम्बन्धित राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 18 अक्तूबर, 1980 तक भारतीय मूल के 3,45,751 व्यक्ति श्रीलंका से भारत लाये गए हैं। प्रायः इन सभी प्रत्यावासियों को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बसा दिया गया है।

(ख) इन प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए 30.9.1980 तक सम्बन्धित राज्यों/अन्य एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा 48.22 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। एक **विवरण** जिसमें राज्य/एजेन्सी-वार ब्यौरे दिए गए हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

ऋण औद्योगिक योजनाओं तथा प्रत्यावासी बैंक के अतिरिक्त

क्रम सं०	राज्य का नाम	30.9.1980 तक राज्य सरकार को दिया गया ऋण
		(रुपये लाखों में)
1.	तमिलनाडु	2443.09
2.	कर्नाटक	476.88
3.	केरल	242.12
4.	गुजरात	0.02
5.	आंध्र प्रदेश	98.00
	योग	3260.11

सहायक अनुदान

(रुपये लाखो में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	30.9.1980 तक राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति के तौर पर दी गई राशि
1.	तमिलनाडु	475.29
2.	आंध्र प्रदेश	11.85
3.	केरल	8.23
4.	कर्नाटक	7.55
	योग	502.92

उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त, श्रीलंका और बर्मा से आए प्रत्यावासियों के लिए मिश्रित योजनाओं पर किए गए व्यय को भी श्रीलंका प्रत्यावासियों के लिए की गई व्यवस्था के नाम डाल दिया गया है जो निम्नलिखित हैं :—

(रुपये लाखों में)

(क) ऋण	30.9.80 तक
1. उद्योग	630.655
2. प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक, मद्रास (प्रत्यावासियों को ऋण के लिए)	128.250
योग	758.905

(रुपये लाखों में)

(ख) पूंजीकरण (प्रत्यक्ष व्यय)	30.9.80 तक
1. प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक की हिस्सा पूंजी में निवेश	141.00
2. राज्य बागान निगम	88.54

(ग) प्रत्यक्ष व्यय

भारत के सहायक उच्चायोग, केन्डी (श्रीलंका) में प्रथम सचिव (पुनर्वास) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुनर्वास सेल, केन्डी से सम्बन्धित प्रत्यक्ष व्यय :

	(रुपये)
1969-70	1,23,440
1970-71	1,87,669
1971-72	2,34,652
1972-73	1,98,445
1973-74	2,21,919
1974-75	2,36,236
1975-76	2,55,794
1976-77	2,95,624
1977-78	3,38,642
1978-79	1,85,752
1979-80	2,81,899
1980-81 (7/80 तक)	1,13,038
योग	26,73,110

2. दक्षिण रेलवे को की गई अदायगियों से सम्बन्धित प्रत्यक्ष व्यय :

	(रुपए)
1975-76	66,882,20
1976-77	89,082,20
1977-78	1,62,962,65
1978-79	1,72,533,28
1979-80	92,241.88
1980-81 (9/80 तक)	1,48,000,00
योग	7,31,705.21

3. भारी वाहन मैकेनिक व ड्राइविंग केन्द्र, माना (मध्य प्रदेश) से गुमीदीपुंडी, तमिल..

नाडु में स्थानान्तरित करने के पश्चात उसके लिए नए भवनों के निर्माण कार्य के लिए किया गया प्रत्यक्ष व्यय :

	(रुपये)
1976-77	10,00,000
1977-78	शून्य
1978-79	13,05,000
1979-80	शून्य
1880-81	शून्य
योग	23,05,000

4. भारी वाहन मैकेनिक व ड्राईविंग केन्द्र के माना (मध्य प्रदेश) से गमीरीपुंडी (तमिलनाडु) में स्थानान्तरित करने के पश्चात उसकी स्थापना के सम्बन्ध में किया गया प्रत्यक्ष व्यय :

	(रुपये)
1978-79	4,78,791.06
1979-80	7,08,519.16
1980-81 (9/80 तक)	1,29,185.70
योग	13,16,495.92

अन्तर्राज्यीय ग्रिड से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

†216 **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को उन अन्तर्राज्यीय ग्रिड के बिजलीघरों से अपने हिस्से से कम बिजली सप्लाई की जा रही है जिनके संबंध में मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के बीच बिजली के वितरण के बारे में करार पहले ही हो चुके हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त मामले में हस्तक्षेप करने का है और यह सुनिश्चित करने का है कि मध्य प्रदेश को बिजली के स्वीकृत हिस्से की पूरी सप्लाई की जाए; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में संबंधित राज्यों को कोई निर्देश दिए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मध्य प्रदेश को अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से जैसे उत्तर प्रदेश में रिहन्द तथा माताटीला से और उड़ीसा में हीराकुण्ड से बिजली प्राप्त करनी होती है। करारों के अनुसार मध्य प्रदेश 37.5 मैगावाट विद्युत रिहन्द से तथा 10

मेगावाट विद्युत माताटीला से प्राप्त करने का हकदार है। हीराकुण्ड परियोजना से मध्य प्रदेश 2! प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 29-7-1979 से मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में रिहन्द परियोजना से विद्युत की सप्लाई काट दी गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 13-9-1979 को माताटीला से भी विद्युत की सप्लाई काट दी गयी थी। तथापि उत्तर प्रदेश द्वारा 22-7-1980 से आंशिक सप्लाई पुनः चालू कर दी गयी थी तथा 16-10-1980 से पूरी सप्लाई उपलब्ध करा दी गई है। हीराकुण्ड से विद्युत की सप्लाई उड़ीसा द्वारा 24-9-1979 से काट दी गई थी। सप्लाई अभी तक पुनः चालू नहीं की गई है।

(ख) और (ग) अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाएं निर्माण, प्रबन्ध और प्रचालन के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौतों द्वारा शासित होती हैं। रिहन्द से विद्युत की सप्लाई न होने की समस्या सरकार के सामने 1979 के दौरान उठाई गई थी। मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था, जिसने राज्य में व्याप्त संकटपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्युत सप्लाई पुनः चालू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही विद्युत की समग्र स्थिति में सुधार हो जाएगा, विद्युत की सप्लाई पुनः चालू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश द्वारा रख लिये गए मध्य प्रदेश के विद्युत के हिस्से के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच जून, 1978 में एक समझौता हुआ था। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों को सलाह दी है कि वे मध्य प्रदेश सरकार को उसका विद्युत का पूरा हिस्सा दें।

फिल्म उपकरणों के आयात के बारे में फिल्म नीति समिति की सिफारिश

***217. श्री पी० एम० सईद**
श्री जी० वाई० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति विषयक करन्थल दल ने दृढ़तापूर्वक यह सिफारिश की है कि आयातित फिल्म उपकरणों में से अधिकांश को सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षित रखने की सरकार की नीति पर पुनः विचार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार कर लिया है;

(ग) अन्य क्या सुझाव/सिफारिशें की गई हैं;

(घ) यदि हां तो केन्द्र सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उसके कितने सुझाव स्वीकार कर लिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) डा० के० एस० करन्थ की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल ने आयातित फिल्म उपकरणों में से अधिकांश का सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल ने कुल 231 सिफारिशें की हैं। इनमें से 17 सिफारिशें फिल्म उपकरणों और कोरी फिल्मों के आयात से संबंधित हैं। इन 17 सिफारिशों की सूची विवरण में संलग्न है।

(घ) फिल्म उपकरणों के आयात से संबंधित सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जा रही है।

(ङ) दो सिफारिशों की संख्या 68 और 78 को स्वीकार कर लिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल द्वारा फिल्म उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों की सूची

(1) सिफारिश संख्या 51 : देश में प्रकाश उपकरणों की उपलब्धि सामान्य रूप से पर्याप्त है। तथापि बल्बों और परिष्कृत प्रकार की डालियों (dollies) के आयात में उदारता बरती जानी चाहिए।

(2) सिफारिश संख्या 52 : देश में उपलब्ध मूवी कैमरों की स्थिति असंतोषजनक है। उपयुक्त लैंसों सहित कैमरों के आयात को सुलभ बनाया जाना चाहिए और कैमरों के रख-रखाव की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। रीकंडिशन कैमरों के आयात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(3) सिफारिश संख्या 53 : "पोर्टेबल तथा स्टूडियो वेरायटी" इन दोनों प्रकार के व्यावसायिक ध्वनि उपकरणों की कमी है। इन उपकरणों के आयात में उदारता बरती जानी चाहिए क्योंकि देश में बने टेप व्यावसायिक स्तर के नहीं हैं। इसलिए 1/4" के कुछ मैगनेटिक टेपों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए।

(4) सिफारिश संख्या 54 : त्रिवेन्द्रम चित्रलेखा कोआपरेटिव द्वारा जिस प्रकार के थियेटर स्थापित किये गये हैं उसी प्रकार के कम खर्चीले डबिंग थियेटर स्थापित किये जाने चाहिए जो संगीत रिकार्डिंग के लिए परिष्कृत प्रकार के रिकार्डिंग थियेटरों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होंगे। वर्तमान रिकार्डिंग थियेटरों को आधुनिक बनाने के लिए आयात उपकरणों के आयात में सहजता लानी चाहिए तथा कैमरों पर लगे क्रिस्टल मोटर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) सिफारिश संख्या 55 : कतिपय ऐसे परिष्कृत उपकरणों के आयात शुल्क में कमी की जानी चाहिए जिनका भारत में उत्पादन करना उपयुक्त नहीं है।

(6) सिफारिश संख्या 57 : भारत के उद्यमियों को एडिटिंग उपकरण को देश में ही बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए और कुछ पुर्जों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए।

(7) सिफारिश संख्या 68 : आजकल मुख्य रूप से शिक्षित व्यक्ति सिनेमा देखते हैं।

अतः सब-टाइटलिंग उपयुक्त तकनीक है। कुछ उद्यमियों को सब-टाइटलिंग उपकरणों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के पास पड़ी हुई सब-टाइटलिंग मशीन को किसी निजी संगठन को देने की संभावना का पता लगाया जाय।

(8) सिफारिश संख्या 73 : आर०ई०पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत कोरी फिल्मों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें उस प्रकार की फिल्में भी शामिल हैं जिनका उत्पादन हि०फो०फि० करता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों के निर्माताओं को भी इस प्रकार की अनुमति मिलनी चाहिए।

(9) सिफारिश संख्या 76 : मूल्यों के उतार-चढ़ाव अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिकोण से 16 एम०एम० सबसे उपयुक्त तकनीक है। केमरा की रिकार्डिंग तथा मिश्रण सुविधाओं और प्रोसेसिंग तथा विस्तारण (ब्लो अप) सुविधाओं, प्रोजक्शन उपकरणों के सम्बन्ध में भारत में इस तकनीक की उपलब्धता कम है। 16 एम०एम० की फिल्म बनाने तथा इनके प्रदर्शन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार को सभी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सोलह एम०एम० उपकरणों के आयात पर दो वर्ष तक कोई सीमा शुल्क नहीं लगना चाहिए और इनका आयात बिना आयात लाइसेंस के होना चाहिए।

(10) सिफारिश संख्या 77 : सोलह एम०एम० के लिए एक सुझाई गई योजना की तरह सुपर 8 के निर्माण तथा प्रदर्शन के बारे में एक सम्पूर्ण योजना बनाई जानी चाहिए।

(11) सिफारिश संख्या 78 : शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विकासात्मक संचार में प्रयोग में तथा फिल्म निर्माण को और अधिक व्यावसायिक तथा मितव्ययी बनाने के लिए वीडियो तकनीक बहुत अधिक क्षमता रखता है। प्रारम्भ में शैक्षिक संस्थाओं, फिल्म निर्माताओं, क्षेत्रीय प्रचार एककों तथा अन्य ऐसी विशिष्ट एजेंसियों, जो सामुदायिक और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लगी हुई हैं, को वीडियो उपकरणों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। बाद में इस तकनीक के स्वदेशीकरण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(12) सिफारिश संख्या 79 : ऐसी किसी भी फिल्म उपकरण, जिसका भारत में उत्पादन नहीं होता या जो भारतीय उपकरण पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, का आयात करने के लिए एक या दो वर्षों की सीमित अवधि के लिए सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि फिल्म आम खपत की चीज नहीं है, इसके लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी।

(13) सिफारिश संख्या 99 : ऐसा फिल्म उपकरण, जो भारत में निर्मित नहीं होता, कम से कम एक या दो साल तक बिना सीमा शुल्क के आयातित किया जाए और विशेष रूप से सभी 16 एम०एम० उपकरणों पर दो वर्ष तक सीमा शुल्क न लगाया

जाये जिससे 16 एम०एम० उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें। इसका अर्थ होगा सीमा शुल्क से छूट तथा ओ०जी०एल० आधार पर आयात की अनुमति।

(14) सिफारिश संख्या 100 : फिल्म उपकरणों पर सीमा शुल्क की समग्र दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिएं।

(15) सिफारिश संख्या 101 : जम्बो रीलों पर सीमा शुल्क में कमी करने की आवश्यकता है क्योंकि जब फिल्मों के प्रिंट निकलते हैं उस समय इस कोरी फिल्म पर दुबारा उत्पादन शुल्क लगता है।

(16) सिफारिश संख्या 102 : गैर-व्यापारिक प्रदर्शन के लिए कला फिल्में तथा आयातित बाल फिल्में सीमा शुल्क से मुक्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा आयातित फिल्मों पर सीमाशुल्क में छूट जारी रहनी चाहिए।

(17) सिफारिश संख्या 146 : चलचित्र अकादमी तथा राष्ट्रीय फिल्म-संग्रहालय द्वारा आयातित कला फिल्मों पर सीमा शुल्क नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार यदि रा०फि०वि०नि० गैर-व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए भी फिल्में मंगाये तो इन फिल्मों पर भी सीमा शुल्क से छूट मिलनी चाहिए।

विद्युत इंजीनियरों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

*218. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजी से बढ़ते हुए विद्युत प्रजनन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) उक्त योजना कब आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) प्रति वर्ष कितने इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा; और

(घ) उक्त योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) विद्युत कार्यक्रम के स्वरूप में भारी वृद्धि होने और 100 मेगा०, 120 मेगा०, 200 मेगा० के वृहत् आकार के ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का प्रयोग शुरू हो जाने से विद्युत उत्पादन उद्योग में परिष्कृत प्रोद्योगिकी को तेजी से अपनाए जाने के फलस्वरूप विद्युत इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशिक्षण के बढ़ते हुए महत्व को स्वीकार करते हुए, केन्द्र सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए पहले ही चार प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक विद्युत इंजीनियरी प्रशिक्षण सोसाइटी की स्थापना की हैं जो विद्युत उपक्रमों और अन्य संस्थानों के प्रशिक्षण कार्य-कलापों में समन्वय करके, विद्युत क्षेत्र की कुल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा अपने निजी संस्थानों के जरिए

सोसाइटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा इन प्रयासों की अनुपूर्ति करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा नई दिल्ल नागपुर, नेवेली तथा दुर्गापुर में स्थापित किए गए चार क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्ष संस्थान 1 जनवरी, 1980 से विद्युत इंजीनियरी प्रशिक्षण सोसोइटी को अन्तरित किए जा रहे हैं। पूर्ण विकसित हो जाने पर इन चार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक वर्ष में 400 प्रचालकों और 200 पर्यवेक्षक इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। विद्युत इंजीनियरी प्रशिक्षण सोसाइटी, मध्यम स्तर विद्युत केन्द्र इजीनियरों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे संयन्त्र को चा करने, नियंत्रण और इन्स्ट्रूमेंटेशन, जल रसायन, सुरक्षात्मक अनुरक्षण आदि में अल्पकालिक विशि पाठ्यक्रम चला रही है। सोसाइटी, अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए ताप विद्युत केन्द्र के अनुरक्षण का प्रशिक्षण भी शुरू कर रही है ताकि आधुनिक ताप विद्युत केन्द्रों के अनुरक्षण लिए विद्युत केन्द्रों के कार्मिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। वर्कशाप सम्बन्ध सुविधाओं आदि समेत चार विद्युत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की कुल लागत लगभग सा करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों के दौरान प्रशिक्षण सुविधाओं में होने वा विकास के कारण लागत में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। इस समय, विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी एक समदर्शी प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए भी कदम उठा रही है।

आकाशवाणी के वाणिज्यिक सेवा केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में जांच

*219. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के वाणिज्यिक सेवा केन्द्रों के कार्यकरण के बा में एक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या आकाशवाणी के वाणिज्यिक केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में हुई जांच की रिपो की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जीं, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

थीन बांध परियोजना

*220. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री नाथपा-झाकड़ी और थीन बांध परि-योजनाओं के बारे में 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थीन बांध परियोजना से मिलने वाले विद्युत सम्बन्धी लाभों में हरियाणा को हिस्सा देने के बारे में सम्बन्धित राज्यों के साथ हुए विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : प्रधानमंत्री द्वारा अक्तूबर, 1977 में, सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह

निर्णय लिया गया था कि पंजाब इस योजना पर कार्य शुरू कर सकता है तथा विद्युत के बंटवारे के प्रश्न पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है।

निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए सुझाव

*221. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री तारिक अनवर } क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सरकार को और/अथवा समाचार पत्रों में निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक विवरण जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न अवसरों पर की गई सिफारिशें अन्तर्विष्ट हैं पहले ही लोक सभा की तारीख 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 227 के संबंध में सदन के पटल पर रख दिया गया है। इसके बाद आयोग ने कुछ और सुझाव दिये हैं जैसे कि—(1) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने (2) निर्वाचनों का संचालन करने, (3) निर्वाचन सामग्री और अभिलेखों का भण्डारकरण करने, (4) राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देने और (5) मतदाताओं द्वारा अपने मत अभिलिखित करने के लिए मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक यंत्रों, जिनसे न केवल निर्वाचन प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि मतदाताओं के फोटो लगे पहिचान पत्र देने के संबंध में आयोग के एक अन्य प्रस्ताव के कारण प्रतिरूपण की घटनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, के लगाये जाने, के प्रयोजन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की एक निर्वाचन निधि अगले पांच वर्षों में स्थापित करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी 26 सितम्बर, 1980 को वोटर्स कौंसिल एण्ड सिटीजन्स फार डेमोक्रेसी, दिल्ली द्वारा आयोजित एक बैठक में कतिपय सुझाव दिए, जिनमें कतिपय बातों के साथ निम्नलिखित बातें भी थीं—

(1) किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के कार्य में राजनैतिक दलों, मित्रों और हितैषियों द्वारा उपगत व्यय निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के भीतर लाया जाना चाहिए। केवल उस व्यय को जो दलों द्वारा किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिर्देश किए बिना राजनीतिक शिक्षा पर किया गया है, ऐसी अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त होनी चाहिए।

(2) राजनीतिक दलों को ब्यौरेवार लेखा रखना चाहिए जिसमें चन्दे, संदान, आर्थिक सहायता आदि के रूप में धन प्राप्ति की प्रत्येक मद और व्यय की प्रत्येक मद अभिलिखित होनी चाहिए तथा इस लेखा की नियतकालिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

(3) आयोग को यह समाधान करने के लिए कि निर्वाचन विवरणियां सभी प्रकार से शुद्ध और सही हैं, निर्वाचन विवरणियों की गुण-दोष के आधार पर परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए।

(4) संसद को चाहिए कि वह ऐसा विधान बनाए जिसके द्वारा प्रत्येक राजनीतिक संगठन के लिए यह बाध्य कर दिया जाए कि वह इस निकाय को रजिस्टर कराए और मोटी रूपरेखा तथा मानदण्ड निर्धारित करके उसके कार्यकरण को विनियमित करे ।

(5) यह जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए कि वह उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय का वित्त पोषण करे । ऐसी सहायता, कागजपत्र और निर्वाचक नामावलियों के प्रदाय, सीमित संख्या में पोस्टरों के मुद्रण, निर्बन्धित संख्या में यानों के लिए पेट्रोल और डीजल कूपन के प्रदाय, पोस्टेज की व्यवस्था, मतदान अभिकर्ताओं और अन्य कार्मिकों को संदाय के रूप में हो सकती हैं ।

(6) पांच वर्ष की अवधि के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की निर्वाचन निधि का सृजन ।

(7) किसी प्रकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए—यह एक प्रकार का ऐसा मिश्रण हो सकता है जिसमें लोक सभा के और विधान सभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 50 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली हो और जहां तक शेष 50 प्रतिशत स्थानों का संबंध है वे राजनीतिक दलों द्वारा पहले से ली गई सूचियों में से, ऐसे दलों द्वारा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त किए गए मतों के अनुपात में भरे जाएं ।

(8) प्रतिभूति निक्षेप की रकम काफी बढ़ा दी जानी चाहिए और यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वर्तमान प्रणाली की बजाए जिसमें केवल एक व्यक्ति उम्मीदवार के नाम की प्रस्थापना करता है, प्रत्येक उम्मीदवार के नाम की प्रस्थापना अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाए । यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को, डाले गए विधिमान्य मतों के एक चौथाई मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसका प्रतिभूति निक्षेप समपहृत (जब्त) कर लिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त ऐसे उम्मीदवारों को, जिसे विधिमान्य मतों के एक चौथाई मत प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होने के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए ।

(9) निर्वाचकों द्वारा मत प्रयोग के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रानिक यंत्रों का प्रयोग;

(10) सभी निर्वाचन, जिनमें स्थानीय निकायों के निर्वाचन भी सम्मिलित हैं, निर्वाचन आयोग में निहित होने चाहिए ।

(ख) निर्वाचन सुधार संबंधी सभी प्रस्ताव व्यापक स्वरुप के हैं । इन पर निर्णय करने के लिए न केवल इनके पूरे आशय और इनमें निहित अर्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है बल्कि राजनीतिक दलों और कुछ मामलों में राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है । निर्वाचन सुधारों के लिए विभिन्न प्रस्तावों से संबंधित सम्पूर्ण विषय पर सरकार विचार कर रही है । मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुझावों और सिफारिशों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियों का आबंटन

*222. श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत 6 माह के दौरान खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को इससे लाभ मिला है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एजेंसियाँ देने के लिए सम्बन्धित तेल विपणन कंपनियों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं ।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों ने गत 6 महिनों में देश भर में 205 खाना पकाने की गैस एजेंसियाँ देने के लिए प्रैस विज्ञापनों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं । जिनमें से कथित 48 एजेंसियाँ केवल अनुसूचित जातियों/और 26 अनुसूसिचत जनजातियों के लिये आरक्षित की गई हैं ।

उत्तर प्रदेश में सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना

*223. श्री जैंनुल बशर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 2000 मेगावाट क्षमता के एक सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए इसे उचित समझती है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हाँ । केन्द्रीय सेक्टर में सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के समीप लगभग 2000 मैगावाट क्षमता वाले एक और सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना पर विचार करने का सुझाव हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री ने दिया था।

(ख) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के बारे में सरकार चिन्तित है और इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करती है ।

(ग) इस परियोजना का कार्यक्रम , सिंगरौली में ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता का विकास करने के अगले चरण के लिए है ।

सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में सिनेमा के बारे में की गई सिफारिशें

*224. (श्री जी० एस० रेड्डी, श्री एन० ई० होरो) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना मंत्रियों के 6 नवम्बर, 1980 को हुए सम्मेलन में सिनेमा को राज्य

सूची से समवर्ती सूची में अन्तरित करने की सिफारिशें की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; और

(ग) क्या किसी राज्य की इस विषय पर विमति है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) राज्यों के सूचना मंत्रियों के 5 नवम्बर, 1980 को हुए सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति थी कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय स्तर पर अच्छे सिनेमा के विकास में सहायता करने में अर्थपूर्ण भूमिका अदा कर सके और ऐसे क्षेत्रों जो सभी राज्यों के लिए समान हों, को विनियमित करने तथा उनको युक्तिसंगत और सुप्रेवाही बना सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों और अच्छे स्तर की लघु बजट वाली फिल्मों के निर्माताओं की सहायता करने के लिए कानून बनाने के आवश्यक समवर्ती अधिकार होने चाहिए।

(ख) से (घ) तमिलनाडु की ओर से इन्फारमेशन एण्ड हिन्दू रिलिजियस एनडोवमेंट्स मंत्री ने यह कहा था कि सिनेमा राज्य सूची में ही रहना चाहिए। पश्चिमी बंगाल के सूचना मंत्री तथा जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधि ने यह कहा था कि प्रस्ताव की विस्तार से जांच की जानी होगी। आगे की उपयुक्त प्रक्रियात्मक कार्यवाई राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किए गए समय के विचारों की रोशनी में की जाएगी।

त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में समुद्र के तट पर तेल को खोज

1993. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में समुद्र के तट पर तेल की खोज के लिए [illegible] और सोवियम रूस में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलिसम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : तेल उद्योग के क्षेत्र में सोवियत-भारत सहयोग के कार्यकारी कार्यक्रम के अनुसार, यह परिकल्पित किया गया है कि तेल और गैस के लिए ठेके के आधार पर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और व्यधन संचालन किये जायेंगे। रोखिया में एक कुएं को खोदने के संबन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मास्को की टेक्नो-एक्सपोर्ट नामक कंपनी से पहले से ही एक करार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए एक करार पर दिनांक 8-9-1980 को हस्ताक्षर भी हो चुके हैं।

अनसूचित जातियों/जनजातियों को पेट्रोल और गैस की एजेंसियों का आवंटन

1994. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या पेट्रोलिय, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, वर्षवार, कुल कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को पेंट्रोल और गैस की बिक्री के लिए एजेंसियां दी गई हैं;

(ख) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कम से कम संख्या में एजेंसियां दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि वर्ष 1979-80 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 45 पेट्रोल/डीजल डीलरशिपें और 25 खाना पकाने की गैस एजेंसियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) लागू नीति के अनुसार जून, 1980 तक तेल विपणन कंपनियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर डीलरशिपों/डिस्ट्रिब्यूटरशिपों का 25% आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए किया गया था। यह राज्यवार आधार पर नहीं किया किया था। अखिल भारतीय प्रतिशतता किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर ली गई।

कोयला क्षेत्र में सुरक्षा प्रोटेक्शन बल नियुक्त किया जाना

1995. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री कोयला क्षेत्र सुरक्षा बल बनाने के प्रस्ताव के बारे में 22 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला वाले क्षेत्रों में सुरक्षा प्रोटेक्शन बल को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लिए कितने व्यक्तियों को भर्ती किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो कोई निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) "कोयला-क्षेत्र सुरक्षा बल" स्थापित करने का प्रस्ताव अब समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु स्थित कम्पनियों से विस्तार के लिए आवेदन

1996. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु स्थित कितनी कम्पनियों ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने उपक्रमों के पर्याप्त विस्तार, विलय और समामेलन के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को आवेदन किया है; और

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं तथा इन आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली

कम्पनियों के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की क्रम धारा 21 और धारा 23 (2) के अन्तर्गत उनको गतिविधियों में भारी विस्तार और समामेल या विलयन के लिये उपक्रमों के आवेदन-पत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के आवेदन-पत्र एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को, अगर केन्द्रीय सरकार समझती है कि प्रस्ताव के आगे जाँच प्रस्ताव पर आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक है तो उनको वह आगे जाँच करने तथा अपनी रिपोर्ट देने के लिये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेज सकती है।

1 अप्रैल, 1980 से 25 नवम्बर, 1980 की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के ब्यौरे का उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र I और II में किया जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1492/80)]

पृथक निगम की स्थापना करने के विषय में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अधिकारियों में रोष

1997. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों ने तेल की खोज के कार्यक्रम के निरीक्षण और समन्वयन के लिए विदेशी तेल कम्पनियों और बहुदेशीय कम्पनियों से सम्बद्ध एक पृथक सार्वजनिक क्षेत्र निगम की स्थापना करने पर रोष प्रकट किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तेल की खोज के क्रैश प्रोग्राम के निरीक्षण और समन्वय के लिए विदेशी तेल कम्पनियों और बहुदेशीय कम्पनियों से सम्बद्ध एक पृथक सार्वजनिक क्षेत्र निगम की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोवा, दमन और दीव में टेलीविजन और प्रसारण सेवा को सुदृढ़ करना और इसका विस्तार

1998. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गोवा, दमन और दीव में प्रसारण और टेलीविजन सेवा को स्थापित करने व सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दमन/दीव में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव को संशोधित छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों के मसौदे में शामिल किया गया है। तथापि इस स्कीम का कार्यान्वयन "योजना की स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। आकाशवाणी, गोवा की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहाँ तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, छठी "योजना" (1978-83) के दौरान पणजी में एक दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह ट्रांसमीटर, जिसकी सेवा परिधि 75 किलोमीटर होगी, बम्बई दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बकाया उपभोक्ता बिल

1999. **श्री भीकू राम जैन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 30 करोड़ रु० के उपभोक्ता बिल बकाया है; और

(ख) इन बकाया बिलों को राशि वसूल करने के लिए क्या कारगर कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, लगभग 11.10 करोड़ रुपए के उपभोक्ता बिल बकाया हैं।

(ख) कुछ उपभोक्ता बिलों की जाँच की जा रही है और प्रेषित किए जा रहे हैं और कुछ बिल कम्प्यूटर एजेन्सियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। अन्तर को शीघ्र समाप्त करने की दृष्टि से, सामायन्तः दो महीने के उपभोग के स्थान पर 4 महीने के उपभोग के बिल भी भेजे जा रहे हैं। बिल बनाने की सम्पूर्ण प्रणाली की जाँच करने तथा सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2000. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों को लगाये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या आई० बी० आर० डी० ने अपनी सहायता में वृद्धि की है; और

(ग) इन संयन्त्रों से उत्पादन प्रारम्भ होने में कितनी देर लगेगी तथा ये कहाँ-कहाँ लगाये जायेंगे और प्रत्येक की कुल कितनी क्षमता होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ग) भारत के पश्चिमी तट से कुछ दूर बम्बई हाई और बसीन संरचनाओं

से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े आकार के चार उर्वरक प्लांट दो थाल वैशेट, महाराष्ट्र और दो हाजिरा, गुजरात में स्थापित किये जा रहे हैं। आयल इंडिया लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित एक अन्य उर्वरक प्रायोजना नामरूप-III के नाम से नामरूप, असम में स्थापित की जा रही है। इन प्रायोजनाओं की क्षमता और उनमें हुई प्रगति निम्न प्रकार है :

प्रायोजना का नाम	नाइट्रोजन की क्षमता (टन प्रति वर्ष)	स्थिति
1. थाल वैशेट	6,83,000	पानी, बिजली, कोयला, रेलवे इत्यादि जैसी इनफ्रास्ट्रैक्चर सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था कर दी गई है। कारखाने के लिये भूमि का अर्जन कर लिया गया है और सिविल कार्य चल रहा है। स्टीम प्रजनन प्लांट के लिये करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं। स्थल दूर सुविधाओं के लिये कार्य आरम्भ हो गया है। प्रायोजना के 1984-85 तक पूरा होने की आशा है।
2. हाजिरा	6,68,000	भूमि का अर्जन हो गया है, और पानी, बिजली रेलवे और अन्य सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्टीम प्रजनन प्लांट के लिये भी करार कर लिया गया है। वर्ष 1984-85 तक प्रायोजना के पूरा होने की आशा है।
3. नामरूप-III	1,51,800	भूमि का अर्जन कर लिया गया है और उसे समतल किया जा रहा है। परामर्शी सेवाओं का ठेका दे दिया गया है और डिजाइन तथा इंजीनियरिंग कार्य, उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि जैसी अन्य कार्यवाही की जा रही है। सिविल कार्य और इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के प्रावधान के लिये कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1983-84 तक प्रायोजना के पूरा होने की आशा है।

(ख) विश्व बैंक ने थाल वैशेट प्रायोजना के लिये 250 मिलियन डालर का ऋण दे दिया है। हाजिरा प्लांट के सम्बन्ध में विश्व बैंक से चर्चा हो रही है।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को हुई हानि

2001. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद और वर्तमान सरकार बनने के बाद कोल इंडिया लि० को कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) हानि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन बकाया बिलों की राशि वसूल करने के लिए क्या कारगर कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड के नवीनतम खाते अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं। किन्तु कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों के अनन्तिम तथा बिना लेखा परीक्षा के खातों के अनुसार 1979-80 तक कोल इंडिया लि० को हुआ कुल घाटा लगभग 706·40 करोड़ रुपए का है। वर्ष 1980-81 के खाते वर्ष पूरा हो जाने पर तैयार किए जायेंगे और 1979-80 के बाद की घाटे की स्थिति तभी पता चलेगी।

(ख) घाटे का मुख्य कारण कोयले की अलाभकारी कीमत है और इसके साथ ही अन्य कारण इस प्रकार हैं—उत्पादन सामग्री की कीमत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि और बिजली की कमी, डीजल की कमी, विस्फोट पदार्थों की कमी, अनुपस्थित की प्रवृत्ति, कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और अन्य समस्याएँ।

(ग) कोल इंडिया लि० के काम में सुधार लाने तथा इसे आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इस दृष्टि से बिजली, विस्फोटक पदार्थों और डीजल की सप्लाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति रोकना।

(3) जनशक्ति पर नियन्त्रण और उत्पादकता में सुधार।

(4) उपकरणों के उपयोग में सुधार।

(5) सामग्री के उपयोग पर नियन्त्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

कोयले की कीमत में संशोधन का प्रश्न भी विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में बिजली घर की स्थापना करना

2002. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र में कुछ बिजली घरों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर;

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ एवं पूर्ण किया जाएगा; और

(घ) क्या ये बिजली घर दामोदर घाटी निगम ग्रिड के भाग के रूप में कार्य करेंगे अथवा पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत मंडल के नियन्त्रण के अधीन कार्य करेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में किसी जल विद्युत अथवा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ज्वारीय तरंगों का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करने के लिए संभावित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन है। सुझाव की व्यवहार्यता तकनीकी दृष्टि से सुनिश्चित करने से पूर्व विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण किए जाने होंगे। अन्वेषणों और अध्ययनों का कार्यक्रम तैयार करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष के अधीन एक समन्वय समिति का गठन किया गया है।

दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पादन क्षमता

2003. **आचार्य भगवान देव : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन, जो जल की कमी के कारण बन्द हो गया था, शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जा रही क्षमता अधिष्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वहाँ पर भविष्य में बिजली का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उठाने का विचार है ताकि वहाँ पर अधिष्ठापित पन-बिजली उत्पादन क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। जल विद्युत उत्पादन इस वर्ष जून में शुरू हो गया था।

(ख) प्रतिष्ठापित जल विद्युत क्षमता का 100% उपयोग जुलाई 1980 के मध्य से हो रहा है। तथापि जलाशय का जल स्तर बनाए रखने के लिए, अक्तूबर, 1980 से उत्पादन में कमी कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

2004. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि : क्या पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० में कितने नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त हैं और उनकी सेवाओं का ब्रांचवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को इस तथ्य के बावजूद नियमित नहीं किया गया है कि उन्होंने लगभग 3 वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली है ;

(ग) उपरोक्त नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएँ कब तक नियमित की जायेंगी ; और

(घ) वहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी लगे हुए हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क), अपेक्षित सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गुजरात द्वारा एसोसियेट गैस के लिए मांग

2005. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की एसोसियेट गैस की मांग को पूरा किया जाएगा ;

(ख) इस गैस पर आधारित पैट्रो-रसायन संकुल को कब चालू किया जाएगा ;

(ग) क्या महाराष्ट्र के लिए पैट्रो-रसायन संकुल की स्वीकृति दे दी गई है और गुजरात के लिए संकुल कब स्वीकृत किया जाएगा ; और

(घ) बम्बई हाई से गुजरात तक पाइप लाइन बिछाने का काम कब शुरू किया जाएगा और यह कब तक पूरा होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने सिद्धान्त रूप में महाराष्ट्र एवं गुजरात में एक-एक पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने का निर्णय किया है। निवेश अनुमोदन प्राप्त होने पर आमतौर पर पेट्रो-रसायन समूह स्थापित किए जाने में पाँच छः वर्ष का समय लगता है।

(घ) बम्बई हाई से गुजरात तक पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहाँ तक दक्षिण बेसिन से गुजरात तक पाइपलाइन का सम्बन्ध है, लगराज समिति द्वारा अनुशंसित संरेखण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाइपलाइन को पूरा करने का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए कि वह गुजरात में गैस के आर्थिक उपयोग का समक्रमिक हो जिसका वर्तमान अनुमानों के अनुसार 1983-84 में जब हजीरा में दोनों संयंत्र पूरे हो जायेंगे, अनुमान है।

फिल्म निर्माण में प्रस्तावित सुधार

2006. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फिल्म निर्माण, उसके वितरण तथा प्रदर्शन के बारे में क्या विशेष सुधार किए जाने का विचार है; और

(ख) क्षेत्रीय सिनेमा के सम्वर्द्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है। फिल्मों के

वितरण के लिए, निजी उद्यमों के अलावा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भी अपनी वितरण व्यवस्था बनाई हुई है। प्रदर्शन के क्षेत्र में, निगम की कम बजट वाले लघु थियेटरों को वित्त पोषित करने की एक योजना है। इन उपायों का लक्ष्य अच्छी कोटि की फिल्मों के लिए प्रदर्शन सुविधाएँ निश्चित करना है।

(ख) प्रादेशिक सिनेमा के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाएँ हैं। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उप-शीर्ष देने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है ताकि उप-शीर्षों वाली प्रादेशिक फिल्मों को देश के सभी क्षेत्रों में दिखाया जा सके। प्रादेशिक फिल्मों को भारत में या विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्ट किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रादेशिक फिल्मों सहित भारतीय फिल्मों के संवर्धन में योग देते हैं।

अल्कोहल का ईंधन के रूप में प्रयोग

2007. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान ने भारतीय निगम के सहयोग से पेट्रोल के स्थान पर अल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट क्या है और इसमें कहाँ तक सफलता मिली है; तथा यदि पेट्रोल के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग होने लगे, तो प्रतिदिन पेट्रोल की कितनी मात्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अल्कोहल को मोटर-स्प्रिट (पेट्रोल) के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करने के प्रयोजन से गन्ने के रस से इथानाल का उत्पादन करने के सम्बन्ध में इंडियन आयल कार्पोरेशन ने राष्ट्रीय चीनी संस्थान से परामर्श किया था।

(ख) और (ग) भारतीय गाड़ियों में इथानाल का पैट्रोल के साथ मिलाकर प्रयोग में लाने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन के अनुसन्धान और विकास केन्द्र ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के साथ मिलकर कुछ प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्रीय परीक्षण किये थे। इन परीक्षणों से यह पता चला है कि 20 प्रतिशत तक इथानाल और पेट्रोल का मिश्रण इन गाड़ियों में उनके इंजिनों में संशोधन किए बिना संतोषजनक रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि उपयुक्त अनुपात में इथानाल की पर्याप्त मात्रा पेट्रोल में मिलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो वर्तमान मोटर स्प्रिट खपत के स्तर पर पेट्रोल की कुल लगभग 1000 किलो लिटर प्रति दिन की बचत होगी।

तापीय परियोजना के टाउनशिप के लिए फरक्का में भूमि का अधिग्रहण

2008. **श्री जार्यनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय परियोजना के प्रस्तावित टाउनशिप के लिए फरक्का की भूमि अधि-

गृहीत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं और

(ग) यदि नहीं तो फरक्का बाँध परियोजना क्षेत्र के अन्दर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद मामले में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ । परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप, परियोजना के अस्थायी टाउनशिप में क्वाटरों का निर्माण कार्य सोपानबद्ध रूप में हाथ में ले लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन में हिन्दी अनुवादकों की भर्ती

2009. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, नई दिल्ली के मार्केटिंग डिवीजन में निकट भविष्य में हिन्दी अनुवादकों के पदों पर भर्ती किये जाने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और कितने पदों को भरा जाना है;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(घ) क्या पदों को विभागीय तौर पर भरा जाएगा; और

(ङ) इन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

"सेठी यूस्ड स्टेट प्लेन लाइक ए स्कूटर" शीर्षक समाचार

2010. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" दिनांक 20 अगस्त, 1980 में 'सेठी यूस्ड स्टेट प्लेन लाइक ए स्कूटर' श्री सेठी ने सरकारी विमान का उपयोग स्कूटर की तरह किया शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) न तो मुझे विधान सभा में प्रस्तुत किए गए विशिष्ट उत्तर की जानकारी है और न ही मेरे पास दिल्ली

में मार्च से मई की अवधि के दौरान की गई विभिन्न उड़ानों के सम्बन्ध में रिकार्ड उपलब्ध हैं। अतः कुछ तारीखों में की गई कथित विभिन्न उड़ानों की यथार्थता की पुष्टि करना अथवा इन्कार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। मेरे द्वारा राज्य के वायुयानों का अव्यवस्थित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा कहा गया है। राज्य के वायुयानों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उड़ानें की गई। कुछ अवसरों पर अकाल क्षेत्रों का निरीक्षण करने और राहत कार्य के सम्बन्ध में यह उड़ानें मैंने की। जब कभी यह उड़ानें अपने निजी पार्टी के कार्य के लिए की गई राज्य सरकार द्वारा ऐसी उड़ानों के सम्बन्ध में बिल भेज दिये गए और उनका भुगतान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) और मेरे द्वारा कर दिया गया।

न्यायिक अभिलेखों में अभिकथित गड़बड़ी के सम्बन्ध में समाचार

2011. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तारीख 3 अक्तूबर, 1980 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में न्यायिक अभिलेखों में गड़बड़ी किए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है जिसका अनुरोध अपर भाटक नियन्त्रक ने किया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हाँ।

(ख), से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, दिल्ली एक अपर भाटक नियंत्रक ने दिल्ली के जिला और सेशन न्यायाधीश को रिपोर्ट की है कि बिहारी लाल बनाम किशोर लाल जैन, सं० एम० 704/70, वाले मामले में, ए० डब्ल्यू० 1 श्री किशोर लाल जैन के कथन को, जो तारीख 25-7-1980 को अभिलिखित किया गया था, बदल दिया गया है और उक्त कथन में उसके हस्ताक्षर जाली हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह मामला जाँच के लिए दिल्ली के एक अपर जिला और सेशन न्यायाधीश को सौंप दिया है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बर्मा से आए प्रवासी परिवार

2012. **श्री ए० के० राय** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के धनबाद जिले में बर्मा से आए प्रवासी परिवारों की पुनर्वास सम्बन्धी समस्या की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) धनबाद जिले में रह रहे 26 बर्मा प्रत्यावासियों से, उन्हें आवास ऋण दिए जाने के बारे में, जून, 1979 में, सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। बिहार राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन करने तथा पात्रता की तुष्टि करने के पश्चात् इन परिवारों को ऋण वितरित कर दिए जाएँ।

दिल्ली में कोयले के डिपो खोलना

2013. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री कोयले के डिपो खोलने के बारे में 15 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमपुरी पाकेट-II, नई दिल्ली-63 में कोयले के डिपो का आवंटन करने के लिए श्रीमती मूली देवी के आवेदन-पत्र को प्रारम्भिक चरण में रद्द करने के सभी कारण क्या हैं ;

(ख) उनके पक्ष में निर्णय बदलने के लिए अध्यक्ष के पास ऐसा आधार क्या था जबकि भूतपूर्व आवेदक, जिसके मामले पर दिल्ली प्रशासन के समिति सदस्यों के अधिकारियों ने सिफारिश की थी भी अनुसूचित जाति समुदाय से थीं; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों आदि ने इस आवंटन के खिलाफ शिकायत की है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन की छानबीन समिति ने प्रारम्भ में ही अन्य आवेदकों की तुलना में श्रीमती मूली देवी के आवेदन पत्र को उच्चतम वरीयता नहीं दी थी।

(ख) छानबीन समिति की सिफारिश पर विचार करते हुए सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने कोयला डिपो का लाईसेंस देने के लिए श्रीमती मूली देवी के नाम की सिफारिश कर दी थी। इस सिफारिश पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन कार्यकारी पार्षद ने श्रीमती मूली देवी के लिए कोयले का लाइसेन्स मंजूर कर दिया था।

(ग) दो गैर सरकारी व्यक्तियों, एक सामाजिक संस्था और एक संसद सदस्य से दिल्ली प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर विचार किया गया था किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से यह ठीक नहीं समझा गया कि तत्कालीन कार्यकारी पार्षद के निर्णय में संशोधन किया जाए।

विभिन्न राजनैतिक दलों के बारे में समाचार

2014. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में समाचार प्रसारित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) गत जनवरी से अक्तूबर, 1980 तक विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में समा-

चार प्रसारित करने के लिए कितने घंटे का समय दिया गया और तत्सम्बन्धी दलवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार की नीति यह है कि राजनीतिक दलों के समाचारों को उपलब्ध समय के अन्दर राजनैतिक दलों के वक्तव्यों तथा उनके नेताओं के भाषणों के समाचारिक महत्व और सामयिकता पर निर्भर करते हुए उचित और निष्पक्ष ढंग से दिया जाए ।

(ख) सामान्य क्रम में इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते । कुछ मुख्य बुलेटिनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं और संसद सदस्य उनको देख सकते हैं ।

हल्दिया में पेट्रो-कैमिकल काम्पलैक्स के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने में विलम्ब

2015. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया में पेट्रो-कैमिकल काम्पलैक्स के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र को मंजूर करने में केन्द्र सरकार की ओर से होने वाले असाधारण विलम्ब पर चिन्ता प्रकट करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और इस परियोजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच की गई है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ।

कुछ राज्यों में उप-निर्वाचनों का स्थगित किया जाना

2016. **प्रो० रूपचन्द पाल** ; क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कुछ उप-निर्वाचन स्थगित कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 और 150 के अधीन जब कि लोक सभा/किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या लोक सभा/विधान सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित

कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग उक्त धाराओं की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सम्पृक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/सभी निर्वाचन क्षेत्र से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे। निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में उप-निर्वाचन कराने के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम का पारित किया जाना

2017. **श्री एल० एस० तुर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम पारित करने की मांग की है;

(ख) क्या गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध पर तथा अधिनियम की प्रस्तावित धाराओं पर विचार किया है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय किसी निष्कर्ष पर पहुँचा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सिख अल्पसंख्यक समुदाय की यह मांग किसी आयोग को विचारार्थ सौंपी जा रही है, यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम का अधिनियमन करने के लिए पंजाब सरकार का एक प्रस्ताव 1979 में इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ था जिसे गृह मंत्रालय ने इस मंत्रालय को भेजा था क्योंकि प्रस्तावित विधान सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 और 10 के अधीन आता है, जिसका सम्बन्ध इस मंत्रालय से है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

2020. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण होने की सम्भावना है; और

(ख) राजस्थान के पाली जिले में कितने ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है और उनका विद्युतीकरण कब तक होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड

से प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 31-5-1980 तक राज्य में 13,933 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। 1980-81 के लिए राज्य ने 2,100 नए गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य के प्रत्येक जिले में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि गांवों को विद्युतीकृत करने की परस्पर प्राथमिकता का निर्णय राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, मई, 1980 के अन्त तक पाली जिले के 177 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी था। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई संदर्शी योजना के अनुसार 1988-89 तक राज्य में सारे गांवों को बिजली की सुविधा प्राप्त हो जाने की आशा है, बशर्ते कि अपेक्षित निधियाँ उपलब्ध हों और यह स्वाभाविक ही है कि पाली जिले के बाकी गाँव उक्त समयावधि में विद्युतीकृत हो जायेंगे।

मलेरिया नाशक औषधियों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी

2021. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री के० मालन्ना } : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया-नाशक औषधियों के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में भारत आत्मनिर्भर नहीं है और इन औषधियों को विदेशों से आयात किया जा रहा है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे भारत मलेरिया-नाशक औषधियों तथा औषधियों के विनिर्माण की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहा है और इस पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय फर्मों के पास जो जानकारी है वह बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी के समान विकसित नहीं है; और

(घ) सरकार द्वारा हंगरी से कड़ी शर्तों पर तकनीकी जानकारी प्राप्त किये जाने की अपेक्षा मलेरिया-नाशक औषधियों के विनिर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं! मलेरिया-विरोधी औषधों का निर्माण स्वदेशी प्रौद्योगिकी से देश में ही किया जा रहा है और उनके लिए कोई प्रौद्योगिकी आयात नहीं की जा रही है।

(ख) जैसा उपरोक्त भाग (क) में बताया गया है, मलेरिया-विरोधी औषधों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी का आयात नहीं किया जा रहा है। तथापि क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन और मेपाक्राइन जैसे मलेरिया-विरोधी औषधों का आयात हंगरी और फ्रांस सहित अन्य देशों से किया जा रहा है। गत 3 वर्षों के दौरान इन औषधों के आयात पर

निम्नलिखित विदेशी मुद्रा बाहर गई है—

क्रम० सं० मद	1977-78 रुपये/लाखों में	1978-79 रुपये/लाखों में	1979-80 रुपये/लाखों में
1. क्लोरोक्विन	869.1	791.1	146.1
2. प्रिमाक्विन	9.8	8.4	0.71
3. मेपाक्राइन	1.56	0.98	1.77

भारतीय फर्मों के पास सूक्ष्म प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

(घ) भारत में क्विनाइन, क्लोरोक्विन और अमोडियाक्विन के निर्माण के लिए सक्षम प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। शेष मलेरिया-विरोधी औषधों जैसे प्रिमाक्विन और मेपाक्राइन के लिए भारत में प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। मलेरिया-विरोधी औषधों के निर्माण के लिए दूसरे देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करना अपेक्षित नहीं है।

औषधियों के मूल्य

2022. **श्री रामलाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

30 जीवन रक्षक औषधियों पर से उत्पादन शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाने से पहले और बाद में इनके तुलनात्मक मूल्य क्या थे तथा इनका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार ने वर्ष 1980-81 के बजट में जीवन रक्षक पेटेन्ट अथवा 30 बल्क औषधों पर आधारित स्वामित्व वाली दवाइयों पर उत्पाद शुल्क की छूट दे दी है जो पहले 2.5 प्रतिशत की दर से लगाया जाता था। इन 30 बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों की संख्या बहुत अधिक है। उत्पाद शुल्क की छूट देने से पहले और उसके बाद तथा निर्माताओं द्वारा बताये गये कुछ फार्मूलेशनों के वर्तमान मूल्यों को दर्शाने वाला एक एक व्याख्यात्मक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	फार्मूलेशन का नाम	पैक का आकार	उत्पाद शुल्क में कटौती से पूर्व मूल्य (रुपयों में)	उत्पादन शुल्क में कटौती के बाद मूल्य (रुपयों में)	निर्माताओं द्वारा बताये गये वर्तमान मूल्य (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	नेवोफोन 50 एम, जी. गोलियां	1000 की बोतल	14.15	13.88	13.88
2.	नेवोफोन 100 एम. जी. गोलियां	1000 की बोतल	24.90	24.42	24.42
3.	आइसोनेक्स 100 एम. जी. गोलियां	100 की बोतल	4.50	4.41	4.41
4.	वायोपास गोलियां	1000 का	61.12	59.93	59.93
5.	वेपानेक्स ग्रेन्यूल्स (आई. एन. एच.) (पी. ए. एस.) सोडियम	1000 ग्राम टीन	103.05	101.05	101.05
6.	वेपानैक्स गोलियां आई. एन. एच. पी. ए. एस. सोडियम	1000 का	104.86	102.82	102.82
7.	ईनसलिन जिंक सस्पेशन आई. पी. लेन्टे 400 मि. ग्रा.	10 मि. लिटर	12.00	11.78	11.70
8.	इनटरोलिनिनोल 250 एम. जी/गोलियां	20 का पत्ते	1.84	1.80	1.80
9.	डाइडोक्विन 650 एम. जी/गोलियां	10 का पत्ते	2.86	2.81	2.00
10.	टेस्मे टाइल गोलियां 125 एम. जी.	10 का पत्ता	2.09	2.05	2.05
11.	सिक्लोरिन कैप्सूल	10 की शीशी	15.36	15.08	15.08
12.	पराक्विलिडन 500 एम. जी./गोलियां	10 का	7.36	7.22	7.22
13.	आइसोजोन गोलियां 37.5 एम. जी. थिक्टेजोन 75 एम. जी. आई. एन. एच.	100 की बोतल	5.71	5.60	5.60

1	2	3	4	5	6
14.	डाइनाजाइड 500 एम. जी./गोलियां	10 का	6.01	5.90	5.90
15.	डिहाइड्रोमी लाइन इन्जैक्सन बी. सी. एम. जी./एम. एल.	10 × 1 एम. एल. छोटी शीशी	13.28	12.96	12.96
16.	डिहाइड्रो एमीलाइन इन्जैक्सन 50 एम. जी. 2 एम. एल.	10 × 2 एम. एल. छोटी शीशी	21.12	20.73	20.73
17.	क्लोरोमाइसिटीन कैप्सूल 250 एम. जी	12 का	4.23	4.15	4.15
18.	-वही- पालमीटेट स्पेसन	60 एम.. बोतल	4.71	4.62	4.62
19.	-वही- सक्सीनेट इन्जैक्शन	1 जी. एम. की	5.24	5.14	5,14
20.	फेनोसिन 65 एम. जी./गोलियां	10 × 10 पत्ते	23.56	23.10	23.10
21.	फैनोसिन फोर्ट गोलियां	10 × 10 पत्ते	43.84	42.99	42.99
22.	एस—एम्बीस्ट्रीन	1 जी. शीशी	1.18	1.16	1.16
23.	-वही-	0.75 जी. शीशी	1.03	1.01	1.01
24.	मेमाम्बुटनोल 200 एम. जी./गोलियां	10 का पत्ता	3.30	3.24	3.24
25.	रिसोधिन गोलियां 250 जी. एम.	10 × 10 का पत्ता	19.91	19.54	19.54
26.	इनजैक्शन 64·5 एम. जी./एम. एल.	5 × 5 एमपूल	5.95	5.84	5,84
27.	समोक्विन 200 एम. जी./गोलियां	10 का पत्ता	1.94	1.90	1.90
28.	हंसाप्रैन कैप्सूल 100 एम. जी.	100 की बोतलें	184.68	180.92	180.92
29.	डाइवेवल	10 का पत्ता	1.25	1.23	1.23
30.	फ्लेजिल 200 एम. जी./गोलियां	10 का पत्ता	3.54	3.47	3.47

दिल्ली में बिजली की कटौती का इंडियन आक्सीजन प्लांट पर प्रतिकूल प्रभाव

2023. श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी बिजली की कटौती के दौरान इंडियन आक्सीजन प्लांट जो राजधानी के विभिन्न अस्पतालों को मेडिकल आक्सीजन सिलेंडरों का प्रमुख सप्लायर है, को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप राजधानी के प्रायः सभी अस्पतालों के रोगियों को कठिनाई हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कम्पनी सरकार से आग्रह करती रही है कि उसे बिजली की कटौती से छूट दी जाए क्योंकि आक्सीजन सिलेंडरों के उत्पादन में कमी राजधानी के स्वास्थ्य प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस उत्पादन एकक की मांग पर विचार करना प्राधिकारियों के लिए संभव क्यों नहीं हुआ है ; और

(घ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में बिजली की कटौती के कारण कमी न हो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार इण्डियन आक्सीजन प्लांट नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली के पास उनकी विद्युत की सप्लाई के लिए कोई तन्त्र फीडर नहीं है और इसी वजह से, जब कभी लोड शेडिंग की जाती है तो प्लाँट पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इण्डियन आक्सीजन लि० लोड शेडिंग से मुक्त है। तथापि, चूँकि इण्डियन आक्सीजन को विद्युत की सप्लाई किसी स्वतन्त्र फीडर के द्वारा नहीं दी जाती, इसलिए जिस फीडर से प्लांट को सप्लाई प्राप्त होती है वह फीडर जब लोड शेडिंग से प्रभावित हो जाता है तो प्लांट पर प्रभाव पड़ता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने मैसर्ज इंडियन आक्सीजन लि० से कहा है कि वह स्वतन्त्र फीडर के द्वारा सप्लाई प्राप्त करे, जिसके लिए अनुमानित प्रभारों के बारे में कम्पनी को अगस्त, 1980 में सूचित कर दिया था। कम्पनी ने अभी तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास अनुमानित प्रभार जमा नहीं कराए हैं और जैसे ही कम्पनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा स्वतन्त्र फीडर प्रतिष्ठापित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इससे कम्पनी लोड शेडिंग के प्रभाव से मुक्त रहेगी।

मत्स्य उद्योग में बड़े व्यापार गृहों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन किया जाना

2024. श्री के० बी० चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग में बड़े व्यापारगृहों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आदि का कोई उल्लंघन किया गया है;

(ख) क्या विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेने के लिए बड़ी कम्पनियों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्वीकृति प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय मत्स्य नौकाओं तथा विदेशी मत्स्य नौकाओं (ट्रालर्स) को किराए पर लेने के लिए व्यापार गृहों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा दी गई इन स्वीकृतियों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) दी गई इन स्वीकृतियों की अवधि क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट अथवा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों ने मछली पकड़ने की नावों/ट्रालर्स की अवाप्ति/किराए पर लेने में, इस अधिनियम का कोई उल्लंघन किया है।

(ख) तथा (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों के लिए, विदेशी अथवा भारतीय मछली पकड़ने की नावों तथा ट्रालर्स की बाबत अपने कार्य कलापों के सारवान विस्तारार्थ या नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ, इस अधिनियम की धारा 21 व 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। ये अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा नहीं। तथापि, यदि पानी के जहाजों की अवाप्ति/किराए पर लेने का प्रस्ताव सारवान विस्तार की राशि का (अर्थात् यदि प्रस्तावित विस्तार परिसम्पत्तियों तथा उत्पादन व्यापारावर्त की अभिसमृद्धि के अनुसार 25 प्रतिशत से कम है), अथवा नवीन उपक्रम की स्थापनार्थ नहीं है तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित मछली पकड़ने के जहाजों की अवाप्ति/किराए पर लेने, सहित समुद्री उत्पादों के विधायन के लिए सुविधायें प्रदान करने के साथ-साथ मछली पकड़ने के जहाजों की अवाप्ति/किराये पर लेने की बाबत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1493/80]

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम अनुमोदनों की निश्चित अवधि की बाबत कोई अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित नहीं है।

केन्द्रीय सूचना सेवा में रिक्त पद

2025. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के केन्द्रीय सूचना सेवा में बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तदर्थ आधार पर इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची बनाए जाने के बावजूद ऐसा किया गया है; और

(घ) कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई इस सूची में कितने व्यक्तियों की अभी भी स्थाई नियुक्ति की जानी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सूचना सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 1050 है। इस समय 211 पद खाली पड़े हैं। इनमें से अधिकांश पद संवर्ग के निचले ग्रेडों अर्थात् ग्रेड-4, ग्रेड-3 और ग्रेड-2 में हैं।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों के अनुसार, ग्रेड-4 के पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं और ग्रेड-2 के पद, 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाने होते हैं। ग्रेड-3 के सभी पद ग्रेड-4 से पदोन्नति द्वारा भरे जाने होते हैं।

3. ये रिक्तियां ग्रेड-4 और ग्रेड-2 के लिए सीधी भर्ती को समाप्त करने के कुछ वर्ष पहले लिए गए निर्णय के कारण हुई हैं। इस निर्णय का पुनर्विलोकन किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया जा चुका है कि वह ग्रेड-4 और ग्रेड-2 की रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती करना शुरू करे। क्योंकि ग्रेड 4 में ऐसे कोई अधिकारी नहीं हैं जिनकी पदोन्नति ग्रेड-3 में की जा सके, अतः संघ लोक सेवा आयोग से इस ग्रेड की निर्दिष्ट संख्या में रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती करने को कहा गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

4. पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पैनलों में कोई अधिकारी नहीं बचा है। की गई तदर्थ नियुक्तियों की संख्या 80 है और ये केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा की गई है।

पश्चिम बंगाल को कोयले पर रायल्टी

2026. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई कार्यवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रायल्टी का निर्धारण का क्या मानदण्ड है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वामित्व की दरों में संशोधन के प्रश्न पर एक अध्ययन दल ने विचार किया था और उसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस मामले पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गुजरात में बिजली उत्पादन का लक्ष्य

2027. **श्री छीतूंभाई गामित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गुजरात को कितने मेगावाट

बिजली की जरूरत थी और उपर्युक्त योजनाओं के अन्त तक कितने मेगावट बिजली सप्लाई की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गुजरात में विभिन्न प्रयोजनों के लिए कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी; और

(ग) इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत की मेगावाट में अनुमानित मांग और वास्तव में पूरी की गई मांग इस प्रकार है :—

योजना/वर्ष	अनुमानित मांग (मेगावाट)	वास्तव में पूरी की गई मांग (मेगावाट)
चौथी योजना		
1969-70	615	600
1970-71	686	686
1971-72	744	577
1972-73	848	743
1973-74	911	859
पांचवीं योजना		
1974-75	1002	891
1975-76	1150	1056
1976-77	1224	1107
1977-78	1241	1196
1978-79	1448	1402

(ख) और (ग) विद्युत पर कार्यकारी दल 1980-85 द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, गुजरात में विद्युत की व्यस्ततमकालीन मांग के छठी योजना के अन्त तक 2645 मेगावाट तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य में इस समय निर्माणाधीन और स्वीकृति परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) उकई बायाँ तट (जल-विद्युत)	5 मेगावाट
(2) कडाना पम्पड जलाशय (जल-विद्युत)	120 मेगावाट
(3) उकई पांचवां यूनिट (ताप-विद्युत)	210 मेगावाट
(4) वानकबोरी (ताप-विद्युत)	630 मेगावाट

(5) वानकबोरी (विस्तार) 630 मेगावाट

(6) कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित ताप-विद्युत केन्द्र (ताप-विद्युत) 120 मेगावाट

विद्युत पर कार्यकारी दल (1980-85) द्वारा उक्त स्कीमों से छठी योजना के अन्त तक 1175 मेगावाट लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई थी और इससे राज्य में 1984-85 में प्रतिष्ठापित क्षमता 606 मेगावाट तक बढ़ जायेगी। राज्य को कोरबा में स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत कन्द्र से भी, जिसमें छठी योजना के अन्त तक 600 मेगावाट क्षमता के प्रचलित हो जाने की उम्मीद है, विद्युत का एक भाग प्राप्त होगा।

उड़ीसा में नया रेडियो स्टेशन

2028. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास उड़ीसा राज्य में कुछ और रेडियो स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या क्योंझारगढ़ में एक रेडियो स्टेशन लगाने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में भवानीपटना, क्योंझर, रुरकेला और बरहामपुर में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्तावों को संशोधित छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों, जो अब सरकार के विचाराधीन हैं, में शामिल किया गया है। तथापि, इन स्कीमों का कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रधान कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

2029. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता ले जाने के लिये कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी प्रगति क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मार्च 1979 में अस्थाई रूप से यह निर्णय किया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाय। इस स्थानान्तरण के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर विचार होने तक कारपोरेशन को यह सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय वादा न करें।

ईंधन तेल के आयात के लिए टेंडर आमन्त्रित करना

2030. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन तेल के आयात के लिए टेंडर आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने टेंडर भेजे हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन ईंधन तेल सहित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये निविदाएँ जारी करता रहा है। इन निविदाओं के ब्यौरे देना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रथाओं और राष्ट्रीयहित के विपरीत होगा।

राष्ट्रीय फिल्म नीति के बारे में कार्यकारी दल

2031. **श्री एस० बी० सिद्नाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल की पूरी रिपोर्ट जिसमें उसकी सिफारिशें भी शामिल हैं, 18 नवम्बर, 1980 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी।

(ख) सरकार द्वारा निर्णय सिफारिशों से सम्बन्धित विभागों, राज्यों सरकारों आदि से परामर्श करके लिए जाएंगे।

सन्तलदीह कोयला धोवनशाला में कोयला घोल के बह जाने के कारण हानि

2032. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्तलदीह कोयला धोवनशाला में कोयला घोल के बह जाने के कारण राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक धन की इस भारी हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) संथालडीह में कोई वाशरी नहीं है। परन्तु संथालडीह के निकट ही भोजूडीह वाशरी है जिससे त्यक्त सामग्री निकलती रहती है। इसमें कोयले का चूरा तैरता रहता है जो कि अनेक बहुभंडारी सेटलिंग तालाबों से होकर दुबारा जाता है। कोयले के नीचे बैठे गारे को सेटलिंग तालाबों से निकाल लिया जाता है और वाशरी उत्पादों की प्रेषण प्रणाली में वापस पहुँचा दिया जाता है और इस

प्रकार घोल गारे से हो सकने वाला काफी नुकसान बचा लिया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में सरकारी कोष को भारी नुकसान हुआ है।

छोटे समाचारपत्रों का अखबारी कागज का कोटा

2033. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का छोटे समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : जी, नहीं।

आकाशवाणी के संवाददाता

2034. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विदेशों में आकाशवाणी के नियमित एवं अंशकालिक संवाददाताओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) आकाशवाणी के संवाददाता विदेशों में किस-किस देश में काम कर रहे हैं;

(ग) क्या विदेशों में अतिरिक्त विशेष संवाददाता नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी नियुक्ति के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है; और

(ङ) उनकी नियुक्ति किस-किस देश में की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) इस समय 68 नियमित संवाददाता और 173 अंशकालिक संवाददाता भारत में कार्य कर रहे हैं और 4 विशेष संवाददाता तथा 7 अंशकालिक संवाददाता विदेशों में तैनात हैं।

(ख) नियमित विशेष संवाददाता तेहरान, ढाका, कायरा और हाँगकांग से कार्य कर रहे हैं। अंशकालिक संवददाता बेलजियम, नेपाल, इंगलेंड, केंचिया, सीरिया, पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ में कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) नियमित संवाददाताओं का चयन केन्द्रीय सूचना सेवा के उपयुक्त अधिकारियों में से किया जाता है और अंशकालिक संवाददाताओं का चयन विदेशों में कार्य करने वाले अर्हता-प्राप्त पत्रकारों में से किया जाता है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार देशों अर्थात् अफगानिस्तान, नेपाल, सिंगापुर और पाकिस्तान में पूर्ण कालिक विशेष संवाददाता नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आकाशवाणी से प्रसारित हिन्दी समाचार

2036. **श्री अजीत सिंह दाभी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है जो आकाशवाणी से प्रसारित समाचार सुनते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि आकाशवाणी द्वारा हिन्दी में प्रसारित समाचार ऐसे होने चाहिए जिन्हें श्रोतागण आसानी से समझ सकें;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि हिन्दी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाले अधिकांश व्यक्तियों की आवाज कर्कश और पढ़ने की रफ्तार तेज है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि ऐसे व्यक्तियों को हिन्दी समाचार बुलेटिन पढ़ने पर नियुक्त किया जाए जिनकी आवाज स्पष्ट, मीठी और कर्णप्रिय हो और जिनकी समाचार पढ़ने की रफ्तार उचित हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के वास्तविक श्रोताओं के भाषावार अनुपात को बताने वाले विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह उचित अनुमान है कि हिन्दी कार्यक्रमों के संभाव्य श्रोताओं की संख्या सभी भाषाओं में सबसे अधिक होगी।

(ख) जी, हां। इस बात को देखने का पूरा प्रयास किया जाता है कि हिन्दी के समाचार बुलेटिनों की भाषा ऐसी हो जिसको श्रोतागण आसानी से समझ सकें, तथापि, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाषा का मूल स्वरूप न बिगड़े।

(ग) हिन्दी समाचारवाचक-अनुवादकों का चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। चयन की प्रक्रिया में उपयुक्त आवाज परीक्षा शामिल है। नए भर्ती किए गए समाचारवाचक-अनुवादकों से मुख्य समाचार बुलेटिनों को पढ़वाने से पहले उनको अपेक्षाकृत छोटे समाचार बुलेटिनों पर व्यावसायिक अनुभव की कुछ अवधि में से गुजारा जाता है। पढ़ने के कार्य की निरन्तर समीक्षा कार्य-संचालन की आम पद्धति का एक भाग है और जब भी आवश्यक होता है, कमियों को सम्बन्धित समाचारवाचकों को बताया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए विद्युत एककों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

2037. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 का पत्र मिला है जिसमें राज्य में नए विद्युत एककों की स्थापना के लिए उनकी सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में क्या माँग की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । तथापि, पश्चि= बंगाल के मुख्य मन्त्री का तारीख 30 अक्तूबर, 1980 का पत्र जो ऊर्जा मन्त्री को सम्बोधित प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित नई परियोजना= को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) निम्नलिखित नई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए सहायता माँ- गई है :

(1) कोलाघाट ताप विद्युत संयंत्र विस्तार (चौथा, पाँचवाँ और छटा यूनिट)	3×210 मेगावाट
(2) उत्तर बंगाल में ताप विद्युत केन्द्र	4×60 मेगावाट
(3) छठे गैस टरबाइन यूनिट की प्रतिष्ठापना	20 मेगावाट

पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने यह भी बताया है कि उनका विचार संथालडीह में 120-120 मेगावाट के दो और यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है और इन यूनिटों के लिए विस्तृत योजनाएँ और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तथा ये शीघ्र ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिए जाएँगे ।

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

1. **कोलाघाट ताप विद्युत संयंत्र विस्तार** : यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई है बशर्ते कुछ तकनीकी शर्तें पूरी कर दी जाएँ और स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाएँ । योजना आयोग ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस परियोजना की सिफारिश करके योजना आयोग को भेजने से पूर्व परियोजना के बारे में सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाएँ । मानने पर पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के साथ कार्यवाही की गई थी, जिन्होंने हाल ही में यह पुष्टि की है कि अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं । 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 की समय सीमा में इस परियोजना के लिए कोयला लिंक भी हाल ही में स्वीकृत कर दिए गए हैं ।

2. **उत्तर बंगाल में ताप विद्युत केन्द्र** (4×60 **मेगावाट**) : सन्तोषजनक कोयला लिंक सुनिश्चित हो जाने तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद ही इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया जा सकता है । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से आवश्यक स्पष्टीकरण भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ।

3. **छठे गैस टरबाइन यूनिट की प्रतिष्ठापना** : पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के अन्तर्गत छठा गैस टरबाइन यूनिट प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव विशिष्ट रूप से हल्दिया उर्वरक संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था । अब यह निर्णय ले लिया गया है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्दिया उर्वरक संयंत्र का अपना निजी कैप- टिव संयंत्र होगा । तेल सप्लाई की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए,

सरकार अधिक संख्या में गैस टरबाइन यूनिटों की प्रतिष्ठापना को बढ़ावा न देने की नीति का पालन कर रही है ।

4. **संथालडीह ताप विद्युत संयंत्र विस्तार** संथालडीह में अतिरिक्त यूनिटों की प्रतिष्ठापना के प्रस्ताव की जाँच पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही की जा सकती है ।

उपयुक्त स्थिति से पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को, उनके 30 अक्तूबर, 1980 के पत्र के उत्तर में अवगत करा दिया गया है ।

नए गैस कनैक्शनों का आबंटन

2038. **श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने वाली गैस के नए कनैक्शन जनवरी, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिए जाएँगे; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं को गैस कनैक्शन उपलब्ध करने के लिए कोई आसान प्रणाली तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बम्बई हाई, मथुरा एवं कोयाली शोधनशालाओं से अतिरिक्त खाना पकाने की गैस उपलब्ध होने पर यह योजना है कि 1981 की पहली तिमाही से नए गैस कनेक्शन जारी किए जायें ।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए तेल कम्पनियों की राज्यवार नामांकन योजना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार नये गैस कनेक्शनों के लिए पंजीकरण, पास के गैस वितरण के पास इस कार्य के लिए रखी गई पंजीकरण पुस्तिका में किया जाता है ।

विवरण

राज्य	नामांकन 1980-81				नामांकन 1981-81				कुल जोड़
	आई० ओ० सी०	बी० पी० सी० एल०	एच० पी० सी० एल०	कुल	आई० ओ० सी०	बी० पी० सी० एल०	एच० पी० सी० एल०	कुल	
आन्ध्र प्रदेश	10000	3000	18000	31000	20000	6000	36000	62000	93000
कर्नाटक	15000	7000	11500	33500	35000	15000	36800	86800	120300
केरल	5000	—	—	5000	15000	—	—	15000	20000
तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	30000	—	—	30000	50000	—	3500	53500	83500
गोवा	—	500	2500	3000	—	500	—	500	3500
महाराष्ट्र	—	68000	31000	19000	—	117000	59500	176500	295500
गुजरात	20000	5000	5000	30000	40000	10000	12600	62600	92600
मध्य प्रदेश	20000	1500	7000	28500	40000	3500	16200	59700	88200
बिहार	5000	—	—	5000	15000	—	1700	16700	21700
उड़ीसा	8000	—	—	8000	17000	—	5100	22100	30100
पश्चिम बंगाल	25000	—	—	25000	42000	—	4300	46300	71300
असम आदि	2000	—	—	2000	6000	—	—	6000	8000
हरियाणा	5000	—	—	5000	10000	8000	5400	23400	28400
हिमाचल प्रदेश	2000	—	—	2000	4000	—	—	4000	6000
पंजाब	6000	—	—	6000	12000	6000	2700	20700	26700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	8000	—	1000	9000	15000	6000	5400	26400	35400
उत्तर प्रदेश	15000	—	—	15000	35000	10000	—	45000	60000
दिल्ली	20000	15000	1500	36500	40000	18000	4500	62500	99000
चण्डीगढ़	4000	—	—	4000	4000	—	2700	6700	10700
जम्मू और कश्मीर	—	—	2500	2500	—	—	3600	3600	6100
कुल	200000	100000	100000	400000	400000	200000	200000	800000	1200000

पश्चिम बंगाल के उद्योगों को एल्कोहल की सप्लाई

2039. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा एल्कोहल पर आधारित उद्योगों, जो राज्य सरकार द्वारा आबंटित एलकोहल की सप्लाई ने होने के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं, में व्याप्त गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पूरी-पूरी आवंटित मात्रा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 1979-80 अल्कोहल वर्ष में पश्चिम बंगाल को 444,88 लाख लिटर आवंटित किए गए थे जिनमें से अब तक 358.88 लाख लिटर उठाए गए हैं । तमिलनाडू से कुछ आवंटित 31,88 लाख लिटर की मात्रा उठा ली गई है । बिहार से 100 लाख लिटर के आबंटन में से 82 लाख टन उठाये गए हैं । उत्तर प्रदेश से 313 लाख लिटर आवंटन में से 245 लाख लिटर उठाए गए हैं सरकार द्वारा आबंटन और उत्तर प्रदेश तथा बिहार से सप्लाई के मध्य अन्तार सीरे और अल्कोहल के उत्पादन में कमी हैं । सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश से 15.23 लाख लिटर अल्कोहल तत्काल निर्गत किया जा रहा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने 245 लाख लिटर पहले ही उठा लिया है ।

कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति

2040. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की सरकारी क्षेत्र उद्यमों संबंधी समिति ने अंतरिम प्रतिवेदन में यह कहा है कि कोयला उद्योग के बारे में कार्यवाही करते समय, कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि औद्योगिक सम्बन्धों में कोई विशेष सुधार न होने पर, छठी योजना के दौरान कोयला उद्योग में किया जाने वाला अधिक पैमाने पर पूंजीनिवेश निष्फल सिद्ध हो सकता है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कोयला उद्योग की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो मुख्य सुझाव क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) उनके कितने सुझावों की जाँच कर ली गई है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) कौल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में "सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति" की रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है और उसकी सिफारिशों की जाँच की रही है ।

पतरातु तापीय बिजली घर के पाँच एककों का बन्द किया जाना

2041. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पतरातु तापीय बिजली घर के आठ एककों में से पाँच एकक डीजल की अनुपलब्धता के कारण बन्द हो गए हैं ;

(ख) कितने महीनों से इस संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग हो रहा है ;

(ग) क्या इस बिजली संयंत्र के अनेक एककों के बन्द होने का डीजल की कमी के अतिरिक्त कोई अन्य कारण भी है ;

(घ) क्या बिजली के उत्पादन में इस कमी को पूरा करने के लिए सिक्कीदिरी के पनबिजली घर को निर्धारित अवधि से भी अधिक अर्थात् लगातार 24 घण्टे चलाया जा रहा था ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस पनबिजली घर को इस प्रकार अन्धाधुन्ध रूप से चलाए जाने के कारण सुवर्ण रेखा जलाशय में पानी का स्तर गिर गया है ; और

(च) क्या पानी के स्तर में इस गिरावट का राँची औद्योगिक नगर में पानी की सप्लाई पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) पतरातू ताप विद्युत केन्द्र का अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि का संयंत्र भार अनुपात लगभग 30% रहा है। इसकी तुलना में इसी अवधि का राष्ट्रीय औसत संयंत्र भार अनुपात 42 रहा है।

(ग) पतरातू विद्युत केन्द्रों के उत्पादन यूनिट जिन कारणों से बन्द कर दिए गए हैं वे नीचे दिए गए हैं :—

यूनिट 1	बायलर ट्यूब में लीकेज
यूनिट 4	आद्योपान्त अनुरक्षण
यूनिट 6	मुख्य ट्राँसफार्मर में क्षति
यूनिट 8	बायलर ट्यूब में लीकेज

(घ) से (च) जुलाई 1980 से अक्तूबर 1980 की अवधि में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का वास्तविक कुल विद्युत उत्पादन केवल 82 मिलियन यूनिट था। इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान इस परियोजना का निर्धारित विद्युत उत्पादन 133 मिलियन यूनिट था।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करना

2042. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में, विशेषकर मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में अथवा मध्य प्रदेश के किसी अन्य भाग (कोयला क्षेत्र के निकट) एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में स्थित विश्रामपुर में 210-210 मेगावाट के दो यूनिट प्रतिष्ठापित करने के लिए मध्य प्रध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परियोजना में विश्रामपुर क्षेत्र में उपलब्ध कोयले के समुपयोजन की परिकल्पना की गई है जो कि अच्छी किस्म का कोयला है। कोयले विभाग का दृष्टिकोण यह था कि कोयले के संसाधनों के संरक्षण के हित में तथा राष्ट्रीय हित में यह अच्छा होगा कि अच्छे किस्म के कोयले का प्रयोग ताप विद्युत केन्द्रों में न किया जाए। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा कोरबा पर एक वैकल्पिक स्थल के सम्बन्ध में विचार किया जाए जहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्युत ग्रेड के कोयले के भंडार उपलब्ध हैं। तथापि अगर कुछ घटिया ग्रेड की कोयले की पर्तें मिल जाती हैं तथा संतोष जनक कोयला लिंक स्थापित हो जाता है तो परियोजना पर पुनः विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य के पास एक अच्छा विकसित ग्रिड है तथा राज्य में किसी भी स्थान पर स्थित विद्युत संयंत्रों से सरगुजा जिले की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव हो सकता है।

मध्य प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं :—

सतपुड़ा यूनिट -8 और 9	2 × 210 मेगा०
कोरवा चरण -4	1 × 120 मेगा०
कोरबा पश्चिम (हसदेव) यूनिट 1 और 2	2 × 210 मेगा०
कोरबा पश्चिम यूनिट 3 और 4	2 × 210 मेगा०

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड दूवारा 2 × 210 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली बीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस समय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम दूबारा कोरवा में 1100 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता वाला एक सुपर (क्षेत्रीय) ताप विद्युत केन्द्र निर्मित किया जा रहा है। इस केन्द्र की चरम क्षमता 2100 मेगावाट होगी। सिंगरौली कोयले पर आधारित एक अन्य सम्भावित परियोजना है—विन्ध्याचल (वैधन) परियोजना जिसका विकास केन्द्रीय सैक्टर में करने के लिए हाल ही में सहमति हुई है।

छठी योजना में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की अनुमानित आवश्यकता

2044. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठीं योजना में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आवश्यकता का कोई प्राक्कलन तैयार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह कितना है ; और

(ग) यदि इसके लिए कोई वितरण नीति अपनाई गई है तो वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) छठी योजना अर्थात् 1980-81 से 1984-85 की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए, कोयला और लिगनाइट पर कार्यकारी दल द्वारा यथा निर्धारित कोयले की वर्षवार आवश्यकता को दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ग) विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की मात्रा का तथा जिस स्रोत/क्षेत्र से कोयला सप्लाई किया जाना है उस स्रोत/क्षेत्र का निर्णय कोयला विभाग द्वारा बनाई गई स्थाई लिंकेज समिति द्वारा किया गया है। ताप विद्युत संयंत्र को स्वीकृत किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है, लिंक की गई कोयला खानों से कोयला उपलब्ध हो।

छठी योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए, कोयला और लिगनाइट पर कार्यकारी दल द्वारा यथा निर्धारित कोयले की वर्षवार आवश्यकता को दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
कोयले की आवश्यकता	42.12	48.09	56.50	66.15	76.42
वाशरी मिडलिंग आवश्यकताएँ	2.55	3.05	3.20	3.50	3.50
कुल	44.67	51.14	59.70	69.65	79.92

आकाशवाणी के जोधपुर केन्द्र के लिए नया भवन और स्टूडियो की स्थापना

2045. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर स्थित आकाशवाणी के केन्द्र के लिए नया भवन बनाया जा रहा है और स्टूडियो की स्थापना की जा रही है ;

(ख) नये भवन तथा स्टूडियो के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी तथा वे कब तक पूरे हो जायेंगे ;

(ग) इसकी क्षमता क्या होगी तथा यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ;

(घ) क्या आकाशवाणी के जोधपुर केन्द्र को स्वतन्त्र केन्द्र के रूप में आरम्भ किया जाएगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : सिविल निर्माण कार्यों के लिए 16.90 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्टूडियो-ढांचा टाइप 3 है जिसमें तीन स्टूडियो और दो प्रेषण बूथ शामिल हैं। इन्स्टालेशन का कार्य शुरू हो गया है और इस परियोजना के अगस्त, 1981 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(घ) यह केन्द्र अब भी अंतरिम स्टूडियो सुविधाओं के साथ पूर्ण रूपेण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए धनराशि का अग्रिम नियतन

2046. **श्री कि० पी० सिंह देव** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के नये दल (बेंच) के पुनर्वास के लिए तथा इस समय असम में चल रहे जाँच कार्य के बाद वहाँ से अन्यत्र भेजे जाने वाले शरणार्थियों के लिए अपेक्षित धनराशि के नियतन का अनुमान लगाने के लिए कोई अग्रिम प्रयास किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थानों का निर्धारण किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इटली तथा जापान से टरबोजेनरेटरों का आयात

2047. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा यह बताने की कृपा करेंगे कि '

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किये गये विरोध के बावजूद 100 करोड़ रुपये की लागत पर इटली से दो तथा जापान से एक-तीन-टरबोजेनेरेटर मंगवाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशों से टरबोजेनरेटर खरीदने के कारण तथा औचित्य क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इटली और जापान से टर्बो-जेनरेटरों के आयात के लिए अब तक अनुमोदित किए गए प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार हैं :

(1) विश्व बैंक से प्राप्त हुई सहायता के लिए शर्त यह है कि वह उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे यद्यपि स्वदेशी निर्माताओं को कीमत पर 5% की अधिमान्यता दी जा सकती है। अपनी रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता की हैसियत से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 39.96 करोड़ रुपए लागत के 3×200 मेगावाट के टर्बो-जेनरेटरों की लम्बाई के लिए इटली के मैसर्ज अन्सलदो/एम० एन० को आर्डर दिए हैं क्योंकि उनकी दरें तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अत्यन्त

स्वीकार्य पाई गई थी। कीमत में 15% की अधिमान्यता के बावजूद भी स्वदेशी बोलीदाता नामश: मैं० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ठेका दिए जाने के पात्र नहीं बन सके।

भारत सरकार की वर्तमान आयात नीति में विद्युत उत्पादन उपस्करों के आयात के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है तथा इस नीति के अन्तर्गत कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं। इन विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर की गई सिफारिशों पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। यह समिति सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में भारी उद्योग विभाग में गठित की गई है। अन्तिम स्वीकृति देने से पहले यह समिति इन सिफारिशों की जांच करती है। इस नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव जो कि उनकी पश्चिमी यमुना नहर परियोजना के लिए जापान की मैसर्ज सुमिटोमो कारपोरेशन से 10.22 करोड़ रुपए की लागत पर 6 × 8 मेगावाट के टर्बाइनों की सप्लाई के लिए था, मुख्यत: इस कारण अनुमोदित कर दिया गया है कि स्वदेशी निर्माता भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव तकनीकी आवश्यकताओं के पूर्णत: अनुरूप नहीं था।

गुजरात में पेट्रो-केमिकल कंप्लेक्स की स्थापना

2048. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात में एक पेट्रो-केमिकल कंप्लेक्स की स्थापना करने के लिए आशय-पत्र की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के उपक्रम, गुजरात पेट्रो-कमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को बहुत पहले ही निगमित किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हाँ, तो आशय-पत्र देने का मामला कब से विचाराधीन है, विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ। गुजरात सरकार ने विभिन्न पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र जुलाई, 1979 में प्रस्तुत किया था।

(ख) जी, हाँ। पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स की स्थापना के लिए।

(ग) गुजरात में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार ने सिद्धान्त रूप से तय कर लिया है। परन्तु उद्योग समूह के स्वामित्व के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है।

केरल तथा अरब सागर में तेल की खोज

2049. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से तट दूर तथा वहां के तट पर तेल के लिए कोई व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार अरब सागर में तेल की खोज आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ओ० एन० जी० सी० के पास अरब सागर में समस्त पश्चिम भा महाद्वीपीय मग्नतट के साथ भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा सरेखित समस्याओं का पता लगाने योजनाएं हैं।

पेटोलियम, रसायन और उर्वरक उद्योग में भारत की सहायता हेतु ईरान का अनुरोध

2050. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान ने पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक उद्योग में अमरी और पाश्चात्य विशेषज्ञों, जिन्होंने ईरान छोड़ दिया है, का स्थान लेने के लिये भारत से कहा है

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईरान पर लगाये ग आर्थिक प्रतिबन्धों को दूर करने के लिए ईरान ने भारत तथा अन्य देशों को उपकरण, फालतू पु और जनशक्ति सप्लाई करने के लिए कहा है जिससे पेट्रोलियम तथा सम्बद्ध एककों और सामा रूप से इंजीनियरी उद्योग को पुन: सक्रिय बनाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार द्वारा दिये गये सहयोग का ब्यौरा क्या है

पेटोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) मांगी कोई सूचना देना इस समय राष्ट्रीय हित में नहीं हो ा।

राजस्थान में उर्वरक कारखाना

2052. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
श्री नवल किशोर शर्मा } क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में एक न उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस बारे में कोई तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है; और

(न) यदि हां तो इस उद्देश्य के लिए किस स्थान को सबसे उपयुक्त पाया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ग) गैस पर आधारित 6 अतिरिक्त प्रस्तावित उर्वरक प्लांटों के लिए उपयुक्त स्थान क सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की गई है। इनमें से एक प्लां राजस्थान में स्थापित किये जाने की संभावना है। निश्चित स्थान, स्वामित्व आदि के बारे में तभी निर्णय किया जायेगा जब सरकार को चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जायेगी।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2053. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 तक (1) छम्ब और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों (2) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों (3) (i) बर्मा (ii) उगांडा (iii) जैरे (iv) वियतनाम और (v) श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है; और

(ख) वर्ष 1980-81 में पुनर्वास योजना को पूरा करने के लिए क्या-क्या समयबद्ध कार्यक्रम हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए विस्थापित व्यक्तियों, छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों और युगांडा, जैरे तथा वियतनाम से आए विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित पुनर्वास कार्य लगभग समाप्त हो गया है। राजस्थान और गुजरात में 1971 के संघर्ष से प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों के 4600 परिवारों, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए 4041 परिवारों, श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के लगभग 5,000 परिवारों तथा बर्मा से आए 500 परिवारों को 1980-81 के दौरान कृषि/गैर-कृषि व्यवसायों, बागानों, उद्योगों इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन पुनर्वास दिए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

31-10-1980 तक बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी	बसाए गए परिवारों/व्यक्तियों की संख्या
1	2
1. छम्ब विस्थापित व्यक्ति	3,737 परिवार
2. भूतपूर्व पश्चिमी पकिस्तान (अब पाकिस्तान)	47,64,800 व्यक्ति
3. 1971 के संघर्ष के विस्थापित व्यक्ति	5,600 परिवार
4. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश)	32,56,465 व्यक्ति
5. बर्मा से आए प्रत्यवासी	68,557 परिवार
6. श्रीलंका से आए प्रत्यावासी	60,376 परिवार
7. उगांडा से आए प्रत्यावासी	2000 परिवार
8. जैरे से आए प्रत्यावासी	35 परिवार
9. वियतनाम से आए प्रत्यावासी	508 परिवार

विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण का अध्ययन

2054. श्री हीरालाल आर० परमार
श्री तारिक अनवर
श्रीमती कृष्णा साही
श्री डी० पी० जदेजा
श्री केशव राव पारधी

} क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य म

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग ने हाल ही में वर्ष 1973-74 से 1978- तक की अवधि में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियों के कार्यकरण बारे में कोई ब्यौरेवार अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो गत 5 वर्षों के दौरान करों के भुगतान और आयात निर्यात आदि पहले और बाद सम्बन्धित शाखा और सहायक कम्पनियों का उनकी बिक्री आस्तियों, सम्पत्ति और लाभ के बारे में किये गये अध्ययन वर्षवार, कम्पनीवार व देश-वार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी । कम्प कार्य विभाग में किये गये इस अध्ययन के संक्षिप्त परिणाम, 'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" जून, 1980 के अंक में प्रकाशित किये गये हैं, जिसकी प्रतियां, संसद पुस्तकालय को उपल कराई गई हैं।

(ख) विभाग के पास उपलब्ध सूचना विवरण 1 से 5 तक में भेजी जाती है विवरण 5 में विशेष रूप से, 1978-79 के वर्ष के व्यापारावर्त, कर देने के पूर्व लाभ, आय तथा निर्यात सहित, शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी-अनुसार व दे अनुसार सूचना का प्रावधान किया गया है। 1978-79 के पहले चार वर्षों तथा साथ लाभांशों व करों की अदायगी के पश्चात् लाभों की बाबत आंकड़े नहीं दिये गये हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक समय व श्रम लगेगा, जो प्राप्त किये जाने वाले संभावित परिणामों के समनुरू नहीं होगा।

[ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1494-80]

परादीप बन्दरगाह पर तेल टर्मिनल की स्थापना करना

2055. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री परादीप बन्दर गाह पर तेल टर्मिनल की स्थापना के बारे में 17 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9·7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पारादीप बन्दरगाह पर तेल टर्मिनल की स्थापना करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पाराद्वीप बन्दरगाह पर एक तेल टर्मिनल की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है ।

कम्पनियों का पंजीकरण

2056. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 और 1979 के बीच की अवधि के दौरान वर्षवार कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया था;

(ख) उनमें से कितनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ हैं और कितनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां हैं;

(ग) क्या ये सभी कम्पनियाँ कार्य कर रहीं हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कितनी कम्पनियाँ ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं और कितनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, 1969-70 से 1979-80 तक के वर्षों के दौरान, 33072 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था । इनमें 2811 पब्लिक लिमिटेड तथा 30261 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ सम्मिलित थीं । वर्षानुसार ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गए हैं ।

(ग) तथा (घ) इन दो भागों में माँगी गई सूचना, गत पाँच वर्षों की उपलब्ध हैं । 1975-76 से 1979-80 के दौरान पंजीकृत कुल 16779 कम्पनियों (1380 पब्लिक लिमिटेड तथा 15399 प्राइवेट लिमिटेड) में से, 50 कम्पनियाँ (7 पब्लिक लिमिटेड तथा 43 प्राइवेट लिमिटेड) इसी अवधि में या तो परिसमापित हो गई हैं, अथवा उन्मूलित कर दी गई हैं । शेष 16729 कम्पनियाँ (1373 पब्लिक लिमिटेड तथा 15356 प्राइवेट) कार्य कर रही हैं ।

विवरण—1

1969-70 से 1979-80 तक के वर्षों में पंजीकृत हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या

वर्ष	पब्लिक लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड	योग
1969-70	104	1406	1510
1970-71	122	1805	1927
1971-72	198	2326	2524
1972-73	255	2605	2860
1973-74	384	3392	3776
1974-75	368	3328	3696
1975-76	280	2708	2988

1	2	3	4
1976-77	215	2434	2649
1977-78	230	2438	2668
1978-79	254	3234	3488
1979-80	401	4585	4986
योग	2811	30261	33072

विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ

2057. **श्री तारिक अनवर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 और 1978 के बीच विदेशी कम्पनियों की प्रत्येक सहायक कम्पनी द्वारा रायल्टी, लाभ, तकनीकी लाभांश, शुल्क, ब्याज आदि के रूप में विदेश भेजी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा, उनके 1976-77 से 1978-79 तक के तीन वर्षों के लाभ हानि लेखाओं के अनुसार, सब का मिलाकर अधिशुल्क, लाभ, लाभांश, तकनीकी शुल्क, ब्याज आदि के रूप में बाहर भेजी गई राशियाँ, विवरण—1 में दी गई हैं। इसी प्रकार के पहले के वर्षों के आंकड़े शीघ्रतः सुलभ नहीं हैं।

1978-79 के मध्य, बाहर भेजी गई राशि के सहायक कम्पनी अनुसार ब्यौरे, जो निरर्थक समझे जा सकते हैं, लाभांश अधिशुल्क, तकनीकी शुल्क, ब्याज तथा अन्य आदायगियों के विसर्जन सहित, विवरण—2 में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1495/80]

और अधिक तापीय बिजली संयंत्रों के लिए प्रस्ताव

2058. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक तापीय बिजली संयंत्रों के लिए प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो ऐसे संयंत्रों के प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ख) वर्तमान संयंत्रों की बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और वास्तव में संयंत्रवार कितनी बिजली उत्पादित हुई है और यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हाँ। निर्माणाधीन तथा स्वीकृत ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सूची विवरण—1 में दी गई है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों में केन्द्रवार उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन दिखाने वाला विवरण—2 में दिया गया है।

देश में कुल ताप विद्युत उत्पादन लक्ष्यों के काफी करीब रहा है तथा कमी केवल थोड़ी सी रही है।

विवरण—1

निर्माणाधीन और स्वीकृत ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सूची

परियोजनाओं के नाम		
1. फरीदाबाद विस्तार	(हरियाणा)	60
2. पानीपत चरण-दो	(हरियाणा)	220
3. रोपड़	(पंजाब)	420
4. कोटा	(राजस्थान)	220
5. ओबरा विस्तार	(उत्तर प्रदेश)	400
6 परिओोहा	(उत्तर प्रदेश)	220
7. अनपारा	(उत्तर प्रदेश)	630
8. टांडा	(उत्तर प्रदेश)	440
9. बदरपुर विस्तार	(केन्द्रीय)	210
10. सिंगरौली-एक	(केन्द्रीय)	600
11. सिंगरौली-दो	(केन्द्रीय)	1400
12. उकई पाँचवाँ यूनिट	(गुजरात)	210
13. वानकबोरी	(गुजरात)	630
14. वानकबोरी विस्तार	(गुजरात)	630
15. सतपुड़ा 8वाँ और 9वाँ	(मध्य प्रदेश)	420
16. कोरबा पूर्वी	(मध्य प्रदेश)	120
17. कोरबा पश्चिमी	(मध्य प्रदेश)	420
18. कोरबा पश्चिमी विस्तार	(मध्य प्रदेश)	420
19. नासिक यूनिट चार और पांच	(महाराष्ट्र)	210
20. भुसावल यूनिट-तीन	(महाराष्ट्र)	210
21. पारली यूनिट-तीन	(महाराष्ट्र)	210
22. चन्द्रपुर	(महाराष्ट्र)	420
23. ट्राम्बे	(महाराष्ट्र)	500
24. कोराड़ी चरण-तीन	(महाराष्ट्र)	420
25. उरण गैस	(महाराष्ट्र)	240
26. चन्द्रपुर चरण-दो	(महाराष्ट्र)	420
27. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	(केन्द्रीय)	1100
28. विजयवाड़ा	(आंध्र प्रदेश)	210
29. तुतिकोरिन यूनिट-तीन	(तमिल नाडु)	210
30. रायचूर	(कर्नाटक)	420
31. रामागुंडम ताप विद्युत केन्द्र	(केन्द्रीय)	1100
32. नेवेली दूसरा माइन कट	(केन्द्रीय)	630

33. पतरात् 9वाँ और 10 वाँ	(बिहार)	220
34. बरौनी 6ठा और 7वाँ	(बिहार)	220
35. मुजफ्फरपुर	(बिहार)	220
36. दुर्गापुर चौथा	(दा० घा० नि०)	210
37. बोकारो (ख)	(दा० घा० नि०)	210
38. तलचेर विस्तार	(उड़ीसा)	220
39. संतालडीह्	(प० बंगाल)	120
40. बंडेल विस्तार	(प० बंगाल)	210
41. कोलाघाट	(प० बंगाल)	630
42. दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड विस्तार	(प० बंगाल)	110
43. सी० ई० एस० सी०	(प० बंगाल)	240
44. फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र	(केन्द्रीय)	630
45. बोंगईगाँव	(असम)	120
46. नामरूप वेट हीट	(असम)	22
47. लकवा गैस	(असम)	45
48. मोबाइल गैस	(असम)	21
49. बोंगईगाँव विस्तार	(असम)	120
50. चन्द्रपुर	(असम)	30
51. पानीपत चरण-दो	(हरियाणा)	220
52. कच्छ लिग्नाइट	(गुजरात)	120
53. तेनुघाट	(बिहार)	420

विवरण—2

अप्रैल—अक्तूबर, 1980 की अवधि में ताप विद्युत केन्द्रों में केन्द्रवार उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन दिखाने वाला विवरण

राज्य	विद्युत केन्द्र	केन्द्र की क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (जी०डब्ल्यू०एच०)
1	2	3	4
दिल्ली	बदरपुर-1	100	235
	-2	100	174
	-3	100	326
	बदरपुर 1-3	300	735
	-4	210	436
	बदरपुर 1-4	510	1171

1	2	3	4
	इन्द्रप्रस्थ	282.5	843
	राजघाट	28	64
	कुल	820.5	2078
हरियाणा	फरीदाबाद विस्तार-1	60	73
	-2	60	96
	फरीदाबाद विस्तार 1-2	120	169
	पानीपत-1	110	167
	पानीपत-2	110	166
	पानीपत 1-2	220	333
	फरीदाबाद	15	17
	सूरजपुर	5	—
	कुल	360	519
जम्मू और कश्मीर	कालाकोटा	22.5	2
पंजाब	भटिंडा-1	110	267
	-2	110	192
	-3	110	255
	-4	110	97
	कुल	440	811
उत्तर प्रदेश	ओबरा (ता० वि०) 1-5	250	536
	ओबरा विस्तार-1 (6)	100	91
	-2 (7)	100	242
	-3 (8)	100	214
	ओबरा विस्तार-एक 1-3 (6-8)	300	547
	ओबरा विस्तार-दो-4 (11)	200	369
	-5 (10)	200	389
	-6 (9)	200	319
	ओबरा विस्तार 4-6 (9-11)	600	1077
	हरदुआगंज ख	220	304
	हरदुआगंज क	90	19
	हरदुआगंज ग-1	60	198

1	2	3	4
	हरदुआगंज चरण-पांच	110	131
	रेणुसागर	125	563
	पनकी विस्तार-1	110	154
	-2	110	289
	पनकी विस्तार 1-2	220	443
	पनकी	61	119
	आर० पी० एच० (कानपुर)	65	84
	लघु ताप विद्युत	131	144
	कुल	2232	4165
गुजरात	धुवरण (ता० वि०)	534	1844
	अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कंपनी	192.5	508
	उकई-1	120	197
	उकई-2	120	213
	उकई 1-2	240	410
	-3	200	446
	-4	200	185
	उकई 3-4	400	631
	गांधीनगर-1	120	348
	-2	120	155
	गांधीनगर 1-2	240	503
	साबरमती विस्तार	110	301
	उत्राण	61	209
	लघु ताप विद्युत	116.5	48
	कुल	1894.0	4454
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा 1-5	312	1117
	-6	200	230
	-7	210	2
	कोरबा दो	200	471
	तीन	120	424
	एक	100	258
	अमरकंटक विस्तार -1	120	407
	-2	120	237
	अमरकंटक विस्तार 1-2	240	644

1	2	3	4
	अमरकंटक	60	221
	लघु ताप विद्युत	20	—
	कुल	1462.5	3367
महाराष्ट्र	तारापुर क-1	210	678
	-2	210	536
	तारापुर 1-2	420	1214
	ट्राम्बे	330	1184
	नासिक 1-2	280	795
	-3	210	402
	-4	210	26
	कोराड़ी -1	120	418
	-2	120	375
	-3	120	347
	-4	120	383
	-5	200	420
	कोराड़ी 1-5	680	1943
	खापरखेड़ा	90	220
	पारस	92.5	309
	भुसावल -1	62.5	206
	भुसावल -2	210	296
	पारली 1-2	60	268
	चोला	40	125
	बलारशाह	18	54
	पारली -3	210	—
	कुल	2913.0	7842
आंध्र प्रदेश	कोठागुड़म क	248	502
	कोठागुड़म ख	220	156
	कोठागुड़म ग-1	110	107
	कोठागुड़म ग-2	110	217
	कोठागुड़म ग 1-2	220	324
	रामागुड़म ख	62.5,०	220
	रामागुड़म क	20	38
	नेल्लोर	30	21

1	2	3	4
	हुसैन सागर	10	14
	विजयवाड़ा -1	210	316
	विजयवाड़ा -2	210	—
	अन्य	20	—
	कुल	1242.5	1591
तमिलनाडु	नेवेली	600	1961
	एन्नौर 1-4	340	501
	-5	110	240
	एन्नौर 1-5	450	741
	बेसिन ब्रिज	90	212
	तुतीकोरिन -1	210	183
	कुल	1350	3097
बिहार	पतरातु 1-6	400	685
	-7	110	13
	पतरातु -8	110	259
	बरौनी	145	149
	कुल	765	1106
दा० घा० नि०	चन्द्रपुरा 1-3	420	1076
	-4	120	141
	-5	120	—
	-6	120	216
	चन्द्रपुरा 1-6	780	1403
	दुर्गापुर 1-6	250	266
	बोकारो	227.5	440
	कुल	1257.5	2139
उड़ीसा	तलचेर	250	408
प० बंगाल	सी० ई० एस० सी०	328	958
	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड	280	382
	बन्डल	320	976
	संथालडीह -1	120	115
	-2	120	285
	-3	120	287

1	2	3	4
	संतालडीह 1-3	360	687
	गौरीपुर	28	30
	अन्य	100	74
	कुल	1416.0	3107
असम	नामरूप	111.5	226
	चन्द्रपुर	30	62
	कुल	141.5	228
	जोड़ अखिल भारत	16787	34827

रेडियो और टेलीविजन की विज्ञापन प्रसारण सेवाओं से अर्जित धनराशि

2059. **श्री धर्मवीर सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन तथा रेडियो के विज्ञापन प्रसारण सेवाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं, सरकारी क्षेत्र तथा छोटी-छोटी कम्पनियों से वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कितना वास्तविक धन अर्जित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

गोरखपुर आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

2060. **श्री राम अवध :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता पर्याप्त होते हुए भी, वहाँ से प्रसारित कार्यक्रम नीरस और घटिया स्तर के होते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कभी श्रोताओं की रुचि का अनुसंधान किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या रहा और इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं । आकाशवाणी, गोरखपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नीरस या घटिया स्तर के नहीं होते । एक श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक तिहाई उत्तरवादियों ने कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन नहीं चाहा और इन कार्यक्रमों को अच्छा समझा । केन्द्र पर एक प्रादेशिक समाचार एकक और एक अलग फार्म और गृह यूनिट शुरू करने जैसे सर्वेक्षण के उत्तरवादियों द्वारा दिए

गए कुछ मुख्य सुझाव मंजूर कर लिए हैं और उनको कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। श्रोता अनुसंधान यूनिट द्वारा 1977 में एक सामान्य श्रोता सर्वेक्षण किया गया था।

(घ) निष्कर्षों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) "ग्राम जगत" और "खेती की बातें" नामक कार्यक्रमों को ग्रामीण लोगों में बहुत लोकप्रिय पाया गया है ;

(2) एक सप्ताह की अवधि के दौरान यह पाया गया था कि घरेलू रेडियो सेटों का श्रवण शहरी, ग्रामीण और कबीली क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के उत्तरवादियों में शतप्रतिशत है ;

(3) रेडियो का दैनिक श्रवण लगभग 60 प्रतिशत था ; और

(4) समाचार, संगीत विशेषकर लोक गीत श्रोताओं में लोकप्रिय थे। रविवार के "ग्राम की ओर" जैसे विकासात्मक कार्यक्रमों के भी काफी श्रोता हैं।

ऊर्जा मंत्रालय के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे

2061. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा और कोयले विभागों और उनके सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत तथा वहाँ से स्थानान्तरित कर्मचारियों के सामान्य भविष्यनिधि खातों को अद्यतन करने में बड़ी अकुशलता व्याप्त है तथा ऐसे कई खाते कई वर्षों से अधूरे पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके सामान्य भविष्य निधि के खाते अधूरे होने के कारण उन्हें उनके खाते में जमा पूरी राशि के ऋण नहीं दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी वित्तीय कठिनाइयों का समाधान करने में बड़ी कठिनाई होती है;

(ग) 2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े सामान्य भविष्य निधि के खातों की संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) सभी कर्मचारियों के खातों को अद्यतन करने के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विद्युत तथा कोयला विभागों के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला खानों के लिए ब्रिटेन की सहायता से कैपटिव पावर सन्यन्त्र

2062. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह घोषित किया है कि कुछ कोयला खानों में ब्रिटेन की सहायता से कैपटिव पावर संयन्त्र लगाए जाएगें;

(ख) क्या उन्होंने यह भी घोषणा की है कि ब्रिटेन की सहायता से बिजली संयन्त्रों के

लिए कोयले की पूर्ति स्लरि पाइप लाइनों से की जाएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो दोनों योजनाओं का विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) गैस टर्बाइन सेटों को लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। साथ ही ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड् लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में ग्रहीत बिजली घर लगाने के प्रस्ताव की भी जाँच हो रही है। इनको किस देश से खरीदा जाए इस संबंध में अभी कोई निर्णय नही लिया गया।

सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो भारत में घोल के रूप में पाइप लाइन के जरिए कोयले के परिवहन की प्रौद्योगिकी की जाँच कर रही है । इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाई कार्यकारी दल की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

बरौनी के आस-पास सहायक उद्योगों का विकास

2063. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहार में बरौनी के आस-पास सहायक उद्योगों का विकास किस सीमा तक हुआ है;

(ख) विगत 10 वर्षों के दौरान स्थापित सहायक यूनिटों की संख्या, उनका उत्पादन और प्रत्येक में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में सहायक उद्योगों की विकास गति से सरकार संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन उद्योगों के विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की बिजली की अनुमानित आवश्यकता

2064. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दसवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति के अनुमान के अनुसार वर्ष 1983-84 की अवधि में मध्य प्रदेश की अधिकतम आवश्यकता अनुमानतः 2123 मेगावाट और 125940 यूनिट होगी और इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश को 3300 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, यदि नहीं, तो फेरबदल किये जाने के क्या कारण हैं; और उनका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक की अवधि के लिए 4100 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को मंजूरी के लिए अपने परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(घ) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दसवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि मध्य प्रदेश की व्यस्ततमकालीन माँग और ऊर्जा आवश्यकता 1983-84 में 2123 मेगावाट और 12594 मिलियन यूनिट होगी। अनेक उद्योगों के उत्पादन लक्ष्यों में परिवर्तनों के कारण दसवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण सम्प्रेक्षणों की समीक्षा करनी होगी। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर कार्यकारी दल ने ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण में मांग के अनन्तिम मूल्यांकन पर आधारित विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग का एक अनन्तिम मूल्लांकन किया है। इन अनुमानों के अनुसार 11250 मिलियन यूनिट ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में मध्य प्रदेश में 1984-85 तक विद्युत की माँग 1940 मेगावाट होने की आशा है।

(ग) और (घ) राज्य में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएँ स्वीकृत तथा निर्माणाधीन हैं :

1. सतपुड़ा 8 वीं और 9 वीं यूनिट (ताप विद्युत)	420 मेगावाट
2. कोरबा पूर्वी (ताप विद्युत)	120 मेगावाट
3. कोरबा पश्चिमी (ताप विद्युत)	420 मेगावाट
4. कोरबा पश्चिमी विस्तार (ताप विद्युत)	420 मेगावाट
5. बीरसिंहपुर (ताप विद्युत)	420 मेगावाट
6. पेंच जल विद्युत परियोजना (राज्य का हिस्सा) (जल विद्युत)	107 मेगावाट
7. बोधघाट (जल विद्युत)	500 मेगावाट
जोड़ :	2407 मेगावाट

छठी योजना अवधि के दौरान इन स्कीमों से 1487 मेगावाट के लाभ प्राप्त होने की आशा है। बाकी के लाभ बाद वाली योजनाओं में शामिल हो जायेंगे। कोरबा में केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी मध्य प्रदेश को एक हिस्सा मिलेगा। इसमें छठी योजना के दौरान 600 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की आशा है।

मध्य प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा जो परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश में परियोजनाओं की जांच की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी विवरण

परियोजना	क्षमता	वर्तमान स्थिति
जल विद्युत परियोजनाएं		
1. नर्मदासागर बहु-उद्देशीय परियोजना	1000 मेगावाट)	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के आधार पर संशोधित परियोजना प्रस्तावों की तथा अद्यतन कीमतों पर आधारितसंशोधित अनुमानों की मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा है ।
2. तवा विद्युत केन्द्र	31.5 मेगावाट)	
3. वार्गी विद्युत परियोजना	50 मेगावाट)	
4. वाण सागर बहु-उद्देशीय परियोजना	420 मेगावाट	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई थी ।
5. सिंध नदी बहु-उद्देशीय परियोजना सोप्शन-2 (मोहिनी सागर)	100 मेगावाट	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं विद्युत विभाग की टिप्पणियां केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी गई हैं ।
6. ओरछा बहु-उद्देशीय परियोजना	90 मेगावाट	
7. हसदेव (बांगों) बहु-उद्देशीय परियोजना	120 मेगावाट	सिंचाई वाला भाग योजना आयोग द्वारा पहले से ही स्वीकृत कर दिया गया है । विद्युत वाले भाग की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई थी ।
8. कुतर-1 जल विद्युत परियोजना	150 मेगावाट	परियोजना रिपोर्ट हाल ही में तैयार हुई थी ।

परियोजना	क्षमता	वर्तमान स्थिति
ताप विद्युत परियोजनाएं		
1. बीरसिंहपुर ताप विद्यु त परियोजना	420 मेगावाट	इस परियोजना की स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि निकटवर्ती स्रोतों से उपलब्ध कोयला अच्छी गुणवत्ता वाला है तथा यह उपयुक्त समझा गया है कि राष्ट्रीय हित में इसे सुरक्षित रखा जाए और विद्यु त उत्पादन के लिए इसका उपयोग न किया जाए। इस परियोजना पर आगे विचार केवल तभी किया जा सकता है जब निकटवर्ती क्षेत्र में कुछ निम्न ग्रेड के कोयले की परतें मिल जाती हैं।
2. विन्ध्याचल ताप विद्यु त परियोजना	1000 मेगावाट (चरम क्षमता 3000 मेगावाट)	इन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले अनेक लाभों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर सहमति हुई है कि ये विद्यु त परियोजनाएं केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित की जायेंगी।
3. पेंच ताप विद्यु त परियोजना	420 मेगावाट	

कोल्हापुर में दूरदर्शन केन्द्र

2065. **श्री आर०एस० माने** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर, सांगला, सतारा, शोलापुर और रत्नागिरि के लोगों को दूरदर्शन की सुविधा मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क), से (ग) बम्बई दूरर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए रत्नागिरि में रिले केन्द्र की स्थापना को माइक्रोवेव लिकों के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार सम्बन्धी छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" में कोल्हापुर, सांगली, सतारा और शोलापुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों में बार-बार खराबी होना

2066. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों में बार-बार खराबी होने की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों में इस समय हो रहे कम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं ;

(ग) आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन का ब्यौरा और 1979 में तथा 1980 के पहले छः माह में हुए वास्तविक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार की कोई योजना विशाखापतनम के निकट एक ताप संयंत्र स्थापित करने की है ताकि उस क्षेत्र की बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार को आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों में खराबी होने की जानकारी है।

(ख) आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) कमियों का पता लगाने तथा दोषों और कमियों को सुधारने के लिए केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा, परामर्शदाताओं और परियोजना प्राधिकारियों के बहुविधा दलों की सहायता से कोठागुडम में परियोजना नवीकरण कार्य-क्रम शुरू किया गया है।

(2) संयंत्रों और उपस्करों की विभिन्न मदों का नवीकरण करने और उन्हें अद्यतन करने के लिए विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों से संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है।

(3) देश में विभिन्न विद्युत यूनिटों की स्थिति की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भ्रमणशील मानीटरिंग दलों का गठन किया है।

(4) विद्युत केन्द्रों को वांछित मात्रा में तथा अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई पर ध्यान दिया जा रहा है।

(6) जिन इन्जीनियरों तथा तकनीकी कर्मियों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान राज्य में प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा संयंत्रभार अनुपात दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विशाखापत्तनम के समीप एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) निम्नलिखित निर्माणाधीन तथा स्वीकृत स्कीमों से 1980-85 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है। इनसे राज्य की ऊर्जा की भावी आवश्यकता पूरी हो सकेगी :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	1980-85 के दौरान लाभ (मेगावाट)
1.	नागार्जुनसागर (जल विद्युत)	300
2.	विजयवाड़ा (ताप विद्युत)	210
3.	श्रीशैलम (जल विद्युत)	440
4.	डोंकाराई (जल विद्युत)	25
5.	बलिमेला (जल विद्युत)	60
6.	नागार्जुन दायां तट नहर (जल विद्युत)	60
	जोड़ :	1095

विवरण

आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्रों की केन्द्रवार क्षमता, वास्तविक उत्पादन, कार्यनिष्पादन गुणांक तथा संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा

अवधि : 1979-80 तथा अप्रैल, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक

क्रम सं०	केन्द्र	अवधि	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (यूनिट)	संयंत्र भार अनुपात (%)
1.	कोठागुडम ए	1979-80	240	1028	49
		अप्रैल, 80-अक्तूबर, 80	240	502	41
2.	कोठागुडम बी	1979-80	220	501	26
		अप्रैल, 80-अक्तूबर 80	220	156	14
3.	कोठागुडम सी	1970-80	220	935	48
		अप्रैल, 80-अक्तूबर, 80	220	324	29
4.	रामागुडम बी	1979-80	62.5	408	74
		अप्रैल, 80-अक्तूबर, 80	62.5	220	69
5.	नैल्लोर	1979-80	30	75	28
		अप्रैल, 80-अक्तूबर, 80	30	21	14
6.	विजयवाड़ा-1	1979-80	210	196	26
		अप्रैल, 80-अक्तूबर, 80	310	316	29

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों का स्वरूप

2067. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार के मामले सबसे अधिक संख्या में लंबित हैं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, श्रमिक तथा चुनाव नियमों तथा संविधान सम्बन्धी मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लम्बित मामलों की सबसे अधिक संख्या 10,216 है जो अन्य सिविल अपीलों की है। विभिन्न प्रवर्गों के अधीन आने वाले मामलों का विवरण संलग्न है।

विवरण

31-10-1980 को उच्चतम न्यायालय में नियमित सुनवाई वाले लम्बित मामले

मामलों की प्रकृति	31-10-1980 को लम्बित मामलों की संख्या
सांविधानिक मामले	
कर अपीलें	79
सेवा सम्बन्धी मामले	29
अन्य सिविल अपीलें	372
रिट अर्जियां	1325
संविधानेतर मामले	
कर अपीलें	3274
श्रम अपीलें	516
निर्वाचन अर्जियां	42
अन्य सिविल अपीलें	10216
दाण्डिक अपीलें	2147
योग :	18,000

सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और टाटा कम्पनी द्वारा हजारीबाग जिले के आदिवासियों को मुआवजे की अदायगी

2068. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले के आदिवासियों ने एक अभ्यावेदन भेजा है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और टाटा कम्पनी द्वारा उनकी अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा दिलाया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) हजारीबाग जिले के आदिवासियों से उनकी उस जमीन के मुआवजे के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जो सेन्ट्रल कोलफील्डस लि०/टाटा कम्पनी ने अधिग्रहण द्वारा ले ली है। परन्तु बिहार विधानसभा के सदस्य से एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बिहार के छोटा नागपुर इलाके के निवासियों की समस्याओं का उल्लेख किया है और इन समस्याओं में पर्याप्त मुआवजे का प्रश्न भी शामिल है।

(ख) राज्य सरकार ने हजारीबाग में एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी तैनात किया है जो केवल मुआवजे के मामले ही देखते हैं। मुआवजे के भुगतान में शीघ्रता की दृष्टि से

से० को० लि० ने इस अधिकारी के अधिकार में काफी धनराशि रख दी है। से० को० लि० ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी स्थापित की है जो परियोजनाओं का दौरा करती है और वहां जाकर जिन मामलों में आवश्यक होता है उनमें जिला प्राधिकारियों से परामर्श करके मुआवजे आदि के सम्बन्ध में उसी जगह निर्णय ले लेती है।

सामुदायिक टेलिविजन सेट आरम्भ करना

2069. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए पहले लगाए गए सामुदायिक रेडियो सेटों की तरह ही प्रत्येक पंचायत तथा बड़े गांव में सामुदायिक टेलीविजन सेट आरम्भ करने का है ताकि गांव के लोगों के लिए शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम की व्यवस्था की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क), से (ग) जहां तक परम्परागत दूरदर्शन सेटों का सम्बन्ध है, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सामुदायिक अवलोकन के लिए इस प्रकार के सेटों को प्राप्त करने और उनको लगाने तथा उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। योजना आयोग से राज्यों की योजनाओं में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है।

दूरदर्शन प्रेषण के लिए "इनसेट-1" के उपयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों, जिनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है, में सीधे संग्रहण सेटों, जो परम्परात्मक सेटों से ज्यादा महंगे हैं, के लगाने की व्यवस्था है। इन सीधे संग्रहण सेटों का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रश्न पर योजना स्वीकृत होने के बाद विचार किया जाएगा।

गया में तापीय बिजलीघर

2070. **श्री रामस्वरूप राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गया में तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए अत्यन्त अनुकूल स्थिति है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ईंधन की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए गया तथा इसके उपनगरों में कोयले का क्षेत्र है; और

(ग) क्या गया में किसी बिजलीघर की स्थापना के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए गया को एक अनुकूल स्थल नहीं बताया गया है क्योंकि पर्याप्त 'विद्युत' ग्रेड कोयला

वाला कोई कोयला क्षेत्र गया के समीप नहीं है। गया में विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कों प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल के इदीक्की जिले में पुय्यमपुट्टीपन बिजली परियोजन

2071. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार केरल के इडुक्की जिले में पुय्यमपुट्टी पन-बिजली परियोजना का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केरल प्राधिकारियों से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धक तथा कार्यकारी कार्मिकों के वेतन और परिलब्धियां कम करने का प्रस्ताव

2072. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उच्च प्रबन्धक तथा कार्यकारी कार्मिकों के वेतन और परिलब्धियां कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कम्पनी कानून में कोई परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

ऊर्जा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2073. **श्री रवीन्द्र वर्मा**
श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1980 में हुए ऊर्जा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की कार्य-सूची में मुख्य मदें क्या थी और सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किए गए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां, सितम्बर 1980 में म्यूनिख में हुए 11वें विश्व ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा मन्त्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. **एजेन्डा :** विश्व ऊर्जा सम्मेलन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रशासकों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठा सम्पन्न संगठन है जिसे सरकारों का समर्थन प्राप्त है। इसका तीन वर्ष में एक बार पूर्ण सत्र होता है जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली विश्व व्यापी समस्याओं पर विचार किया जाता है। सम्मेलन में तकनीकी कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी जाँच की जाती है, उन्हें स्वीकृत किया जाता है तथा उन पर विचार किया जाता है।

11वें विश्व ऊर्जा सम्मेलन में 'एनर्जी फार अवर वर्ड' विषय पर विचार किया गया था तथा वर्तमान ऊर्जा के वर्तमान स्रोतों तथा उनके समुपयोजन की संभावना समाज के विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने पर विचार किया गया था। भारत ने 5 तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जो कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए मंजूर कर लिए गए थे। महत्वपूर्ण तकनीकी पैनलों के लिए तीन पैनल सदस्यों तथा प्रमुख तकनीकी डिवीजन यथा 'एनर्जी एंड सोसायटी एंड एनवायर्नमेंट' के लिए एक उपाध्यक्ष का चुनाव भारतीय प्रतिनिधि मंडल में से किया गया था।

विभिन्न पहलुओं के पारस्परिक प्रभाव पर चार डिवीजनों के अन्तर्गत विचार किया गया, नामश:

डिवीजन 1	ऊर्जा
डिवीजन 2	ऊर्जा और समाज
डिवीजन 3	ऊर्जा और पर्यावरण
डिवीजन 4	ऊर्जा, समाज तथा पर्यावरण

तकनीकी कागजातों के आधार पर सम्मेलन के तकनीकी सूत्रों में उपर्युक्त चार डिवीजनों पर विचार विमर्श किया गया था। निम्नलिखित विषयों पर 'गोल मेज' विचार विमर्श किया गया था :—

(1) कृत्रिम तथा गैर परम्परागत तेल, कृत्रिम गैस उनकी भविष्य में भूमिका

(2) विकासशील देशों की ऊर्जा समस्याएँ

(3) तेल की प्रतिस्थापना

(4) कोयला एक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु के रूप में

(5) न्यूक्लीय ऊर्जा की आवश्यकता तथा उसकी समस्याएँ

(6) ऊर्जा, संतुलित मांग, सप्लाई में परिवर्तन

(7) ऊर्जा सम्बन्धी समस्याओं का अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रभाव।

2. प्रमुख सिफारिशें/निर्णय : --

1. **तेल तथा गैस** : 1990 के बाद तेल के उत्पादन में कमी हो जाएगी तथा वर्ष 2020 के बाद गैस के उत्पादन में भी कमी हो जाएगी। विकासशील देशों की बढ़ती हुई मांग अधिकांश रूप में द्रव ईंधन की होगी जिससे औद्योगिक देशों की आवश्यकताओं के लिए कम तेल रह जाएगा।

2. **कोयला** : अव संरचना से सम्बन्धित कोयले की समस्याओं के बारे में राजनीतिक तथा पर्यावरण प्रभाव होगा, जिसे दूर करना होगा।

3. **न्यूक्लीय ऊर्जा** : जब तक ब्रीडर रिएक्टर दीर्घकालिक सप्लाई बन्द नहीं करेगा तब तक कुछ दशकों के लिए यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। न्यूक्लीय हथियारों की सामग्री के लिए सार्वजनिक ग्राह्यता तथा इसके प्रचुर मात्रा में उत्पादन का पता लगाया गया है। इस समस्या को हल किया जाना है।

4. **तेल का प्रतिस्थापन** : कोयले के गैसीकरण तथा द्रवीकरण, आयल शेल तथा टार सैण्ड का तेल के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में पता लगाया गया है। यद्यपि प्रौद्योगिकी का ज्ञान है और अधिक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होगी।

5. **नवीकरणीय साधन** : सौर ऊर्जा के उच्च तापमान के उपयोग के बारे में अभी अनुसंधान और विकास की आवश्यता है। भू-तापीय ऊर्जा को क्षेत्रीय महत्व प्राप्त होगा, वायु ऊर्जा, जैव गैस आदि की सप्लाई साधारण दर्जे की रहेगी।

6. **ऊर्जा का संरक्षण** : सम्मेलन में वैज्ञानिक ढंग से ऊर्जा के संचरण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया था जिनसे विकासशील देशों में ऊर्जा का अधिक कुशल और कारण उपयोग हो और ऊर्जा की खपत का स्वरूप कम वहन हो।

7. **वित्त व्यवस्था** : ऊर्जा से सम्बन्धित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्थाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सहयोग की आवश्यकता होगी।

8. सम्मेलन ने विश्व ऊर्जा समस्याओं को हल करने में आने वाली अन्य बाधाओं का भी पताया लगाया है।

दामोदर घाटी निगम की विद्युत उत्पादन क्षमता

2074. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम, जो बिहार तथा पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत सप्लाई करता है, की विद्युत उत्पादन क्षमता 1350 मेगावाट है; और

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा इस समय कितना विद्युत् उत्पादन किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम की कुल

प्रतिष्ठापित क्षमता (ह्रासित) 136.5 मेगावाट है जिसमें 1257.5 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता है और 104 मेगावाट जल विद्युत।

(ख) अक्तूबर महीने का दैनिक विद्युत उत्पादन दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

दामोदर घाटी निगम

तारीख	उत्पादन की गई यूनिट (मिलियन यूनिट में)
1-10-1980	11.968
2-10-1980	10.899
3-10·1980	12.616
4-10-1980	12.854
5-10-1980	12.027
6-10-1980	12.106
7-10-1980	11.675
8-10-1980	11.233
9-10-1980	11.654
10-10-1980	11.716
11-10-1980	12.823
12-10-1980	12.276
13-10-1980	11.206
14-10-1980	13.338
15-10-1980	13.476
16-10-1980	13.466
17-10-1980	11.469
18-10-1980	9.799
19-10-1980	9.221
20-10-1980	9.091
21-10-1980	8.562
22-10-1980	10.303
23-10-1980	10.566
24-10-1980	10.306
25-10-1980	10.592
26-10-1980	10.103
27-10-1980	12.833
28-10-1980	13.519

1	2
29-10-1980	11.234
30-10-1980	11.568
31-10-1980	11.821
	356.314

असम में तेल की नाकाबन्दी से राष्ट्र की हानि

2075. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में तेल की नाकाबन्दी किए जाने की तारीख से अब तक इससे राष्ट्र को मद-बार और मूल्य-वार कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या बरौनी तेल-शोधक कारखाने, गोहाटी तेल-शोधक कारखाने और बोंगाई-गांव तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को इन महीनों के दौरान "बिना काम किये" ही वेतन दिया जा रहा है; और

(ग) ये तेलशोधक कारखाने अपना कार्य पुनः कब आरम्भ करेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री दलबीर सिंह) : (क) जनवरी से अक्टूबर, 1980 के अन्त तक गोहाटी, बोंगाईगांव तथा बरौनी शोधन शालाओं में असम आन्दोलन के कारण 345 मीलियन मीट्रिक टन खनिज थ्रुपुट की हानि हुई है। विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की अनुमानित हानि तथा औसत अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर उनकी कुल कीमत नीचे दी गई है :—

उत्पाद	मात्रा 000 टनों में	कीमत रुपये, करोड़ों में
एम. एस./नैफ्था	601	168.28
ए. टी. एफ./मिट्टी का तेल	276	77.28
एच. एच. डी./एल. डी. ओ	1480	390.72
एफ. ओ/एल. एस. एच. एस.	542	82·38
अन्य उत्पाद	285	45.60
कुल (सभी उत्पाद)	3184	764.26
ईंधन एवं हानि	266	
कुल खनिज थ्रूपुट	3450	

(ख) बरौनी, गोहाटी तथा बोंगाईगाँव शोधनशालाओं के कर्मचारी सम्बद्ध उपाक्रमों के वेतन फिहरिश्त (पे रौल) पर बने हुए हैं।

(ग) आन्दोलन के प्रारम्भ होने के बाद से गोहाटी शोधनशाला में एक-एक कर कार्य

किया जा रहा है जबकि बोंगाईगांव एवं बंरौनी शोधनशालाएँ दिसम्बर, 79 के अन्त से 1 जनवरी 80 के प्रारम्भ से बन्द पड़ी हुई हैं। असम की स्थिति में सुधार होने पर ही शोधनशालाओं में आम कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

आदिवासी लोगों को गैस एजेंसियों का आबंटन

2076. **श्री भीखा भाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के किसी भाग में किसी जनजाति व्यक्ति को कोई गैस एजेंजी आबंटित नहीं की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार की एजेंसियों के आबंटन का विचार है; और

(घ) जनजातीय लोगों के मामले में अब तक कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए हैं ?

पेंट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) खाना पकाने की गैस के अनुसूचित जनजातियों के नियुक्त किये गये उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री एम. के. देव वर्मा	अगरतला
2. श्री हीसिंग सीजा	इम्फाल
3. संगईमा	ऐजल
4. श्री क्रिस्टोटो जोपियागे	कोहिमा
5. श्री एम. एस. बाग	हजारीबाग
6. श्री मुरली धर नायक	कटक
7. श्री एम. डी. वेंगुरलेकर	वेंगुरला
8. श्री एम. वी. राठोड	उम्बरगांव

(ग) एजेंसी देने की वर्तमान रीति में, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में जनसंख्या आधार पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतितिधित्व देने की पर्याप्त व्यवस्था है।

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि एजेसियाँ सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा दी जाती हैं।

ऊर्जा आवश्यकता

2077. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आज कल ऊर्जा की कुल कितनी आवश्यकता है और

आगामी पांच वर्षों के लिए ऊर्जा की अनुमानित कितनी आवश्यकता होगी; और

(ख) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऊर्जा की पारेषण क्षति कितनी-कितनी है और इस क्षति के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1980-81 से 1984-85 तक ऊर्जा की आवश्यकताओं के अनन्तिम अनुमान संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऊर्जा की पारेषण हानियां संलग्न विवरण-ख में दी गई हैं।

विद्युत के पारेषण और वितरण में ऊर्जा की कुछ हानि शामिल होती है जो पारेषण और वितरण प्रणालियों में अन्तर्निहित हैं। भारत में पारेषण हानियां कुछ अधिक हैं जिसके महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) विद्युत प्रणालियों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र है और भार-घनत्व विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है;

(2) मुख्यत: कृषि पम्प भारों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई का निम्न भार अनुपात; और

(3) उच्च भार अनुपात जिस पर भारतीय प्रणालियों को प्रचालित करना पड़ता है।

वर्ष 1980-81 से 1984-85 के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएँ

ऊर्जा की आवश्यकता-मिलियन यूनिट	1980-81	81-82	82-83	83-84	1943-85
उत्तरी क्षेत्र					
1. हरियाणा	4221	4676	5160	5707	6125
2. हिमाचल प्रदेश	387	489	600	700	797
3. जम्मू काश्मीर	960	1106	1286	1493	1702
4. पंजाब	7260	7892	8526	9253	10040
5. राजस्थान	5001	5734	6496	7185	8011
6. उत्तर प्रदेश	14712	16736	18938	20995	22889
7. चन्डी गढ़	258	288	321	358	389
8. दिल्ली	2711	2990	3299	3645	3973
*जोड़	35510	39911	44626	49336	53926

	1980-81	81-82	82-83	83-84	1984-85
पश्चिमी क्षेत्र					
1. गुजरात	10182	11132	12255	13457	14733
2. मध्य प्रदेश	7607	8651	9689	10724	11250
3. महाराष्ट्र	18939	20763	22618	24545	26373
4. गोवा, दमन और दियु	446	501	539	576	643
5. दादर और नगर हवेली	7·83	8·9	10	11.16	13
जोड़	37182	41056	45111	49313	53012
दक्षिणी क्षेत्र					
1. आन्ध्र प्रदेश	7592	8558	9517	10420	11590
2. कर्नाटक	9539	10606	11451	12281	13438
3. केरल	3910	4258	4653	5073	5488
4. तमिलनाडु	11555	12256	12969	13725	14820
5. पांडिचेरी	189	207	225	245	270
जोड़ (क्षेत्र)	32785	35885	38815	41744	45606
पूर्वी क्षेत्र					
1. दामोदर घाटी निगम	6029	6903	7519	7984	8234
2. बिहार (दा० घा० नि० को छोड़ कर)	3615	3961	4320	4760	5312
3. प० बंगाल (दा० घा० नि० को छोड़ कर)	5803	6489	7005	7817	8316
4. उड़ीसा	3636	4142	4660	5112	5530
5. सिक्किम	15.71	18.67	24.15	20 34	33
जोड़ (क्षेत्र)	19098·71	21513·67	23528·15	25702·34	27425

	1980-81	81-82	82-83	83-84	1984-85
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
1. असम	1019	1137	1255	1360	1559.7
2. मणिपुर	41.7	52.2	57.6	63.9	74.8
3. मेघालय	91.7	105.6	119.1	149	171.5
4. नागालैंड	37.6	45.4	49.4	53.8	97.9
5. त्रिपुरा	54.3	65.4	77	90	112.1
6. अरुणाचल	15.0	18.4	21.0	24.1	28.7
7. मिजोरम	21.1	25.5	30	34.0	36.2
जोड़ (क्षेत्र)	1280.4	1449.5	1609.10	1774.8	2080.9

*रेणुसागर का अपना उत्पादन इसमें शामिल नहीं है।

विवरण—2

वर्ष 1978-79 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऊर्जा की पारेषण हानियाँ।

राज्य	हानियाँ
दिल्ली	16.11
हरियाणा	21.68
हिमाचल प्रदेश	18.97
जम्मू और काश्मीर	40.46
पंजाब	16.74
राजस्थान	26.62
उत्तर प्रदेश	18.70
चंडीगढ़	25.09
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	2.58
उत्तरी क्षेत्र	21·30
गुजरात	16.78
मध्य प्रदेश	20.30
महाराष्ट्र	18.32
गोवा, दमन और दियु	26.29
दादर और नागर हवेली	29.10
पश्चिमी क्षेत्र	18.45

राज्य	हानियाँ
बिहार	16.83
उड़ीसा	18.74
प० बंगाल	12.59
दामोदर घाटी निगम	1.88
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	24.74
सिक्किम	19.47
पूर्वी क्षेत्र	16.78
आंध्र प्रदेश	21.27
कर्नाटक	22.55
केरल	12.36
तमिलनाडु	19.05
पांडिचेरी	13.92
लक्षद्वीप	21.84
दक्षिणी क्षेत्र	21.31
असम	20.26
मणिपुर	67.14
मेघालय	7.07
नागालैंड	35.79
त्रिपुरा	35.80
अरुणाचल प्रदेश	26.29
मिजोरम	9.09
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	23.33
अखिल भारत	20.02

कोथागुडेन तापीय बिजलीघर में विस्फोट

2078. **श्री आर० प्रभु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 सितम्बर की रात को कोथागुडेन तापीय बिजली घर के सातवें यूनिट में एक विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विस्फोट के कारण क्या थे और इससे कुल कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऐसी आशंका है कि जेनरेटर में कम शुद्धता वाली हाइड्रोजन गैस, जो 92%की स्वीकार्य सीमा से कम थी, जेनरेटर स्टेटर की अर्थ की कोयलों की एक चिन्गारी से प्रज्ज्वलित हो उठी थी। मरम्मत करने का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को उनकी हैदराबाद की वर्कशाप में करने के लिए सौंपा गया है। जेनरेटर को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा अपने वर्कशाप में खोल लिए जाने के बाद हानि का मूल्यांकन किया जायेगा।

कच्चे तेल के लिए इन्वेंटरी को न्यूनतम स्तर पर रखना

2079. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आगामी दिनों के लिए कच्चे तेल की इन्वेंटरी को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए कदम उठाए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : स्टाक की स्थिति 45 दिन की आवश्यकताओं तक बनाए रखने के लिए अशोधित तेल भण्डारण क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित माडल इंगलिश हाई स्कूल के अध्यापको की समस्याएँ

2080. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय खाद्य निगम लि० के अधीन संचालित माडल इंगलिश हाई स्कूल, सिंदरी के अध्यापकों की वर्षों से चली आ रही समस्याओं की जानकारी है यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम लि० के कार्मिक प्रबन्धक ने 20.8.79 को सिंदरी यूनिट के महाप्रबन्धक को एक पत्र लिखा था जिसमें अध्यापकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय सुझाए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) माडल इंगलिश हाई स्कूल, सिंदरी के शिक्षकों और प्रधानाध्यापिका की कुछ शिकायतें थी जिन्हें निपटा दिया गया है।

(ख) दिनाक 20.8.1979 को कार्मिक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय एफ० सी० आई०

ने महाप्रबन्धक, सिंदरी यूनिट को विद्यालय के दिनांक 1.5.1976 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिलने वाली तिथि से माडल इंगलिश हाई स्कूल, सिंदरी की प्रधानाध्यापिका को रुपए 650-1200 के वेतनमान में रखने का प्रस्ताव किया था।

(ग) उपरोक्त दिनांक 20.8.79 के पत्र के प्रस्ताव को सिंदरी यूनिट के प्रबन्ध ने कार्यान्वित कर दिया है।

बड़ी भूमिगत खनन परियोजना के विकास के लिए ब्रिटेन की सहायता

2081. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन चार बड़ी भूमिगत खनन परियोजनाओं के विकास में भारत की सहायता करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक दी गई वित्तीय सहायता से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में करार करने के लिए क्या कोई भारतीय सरकारी दल ब्रिटेन गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के बीच "मेमोरैन्डम" आफ अंडर स्टैंडिंग के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि ब्रिटेन के खनन विशेषज्ञ असनापानी और क्षूसिक में दो खानों के विकास के लिए विस्तृत साध्यता रिपोर्टें तैयार करने का काम करेंगे। उसके बाद सवांग और जेरांगडीह में दो और खानों के संबंध में भी अध्ययन किया जाएगा।

(ख) इन रिपोर्टों के बनाने में लगभग 500000 पाउन्ड स्टर्लिंग लागत आने की आशा है। यह लागत ब्रिटिश सहायता के अधीन कोयला क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई पूंजी सहायता में से पूरी की जाएगी।

(ग) भारतीय अधिकारियों का एक दल अभी हाल ही में ब्रिटेन गया था और उसे साध्यता रिपोर्टें तैयार करने और अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रबन्ध को अन्तिम रूप देने का काम सौंपा गया था।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

2082. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है और बिहार में कितने प्रतिशत लोग अभी भी बिजली के लाभों से वंचित हैं और इस बारे में बिहार तथा समूचे देश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने 1980-81 के लिए कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आरम्भ की है और यदि हाँ, तो अगले वर्ष इस योजना के अधीन कितने और गाँवों में बिजली लगाई जाएगी तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने सिंचाई पम्पों को बिजली दिए जाने की संभावना है और इस बारे में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से

प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जून, 1980 के अन्त तक राज्य में 20,628 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इसमें राज्य की लगभग 44.3% ग्रामीण जनता आ जाती है। इस प्रकार, 30-6-1980 की स्थिति के अनुसार राज्य की लगभग 55.7% ग्रामीण जनता अभी तक विद्युत की सुविधा से वंचित है।

30-6-80 की स्थिति के अनुसार बिहार और समस्त देश में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या के तथा जिस जनसंख्या को बिजली की सुविधा अभी प्राप्त कराई जानी है उस जनसंख्या के तुलनात्मक आँकड़े निम्नलिखित हैं :

	गाँवों की संख्या तथा प्रतिशतता	ग्रामीण जनसंख्या जिसे बिजली की सुविधा अभी उपलब्ध कराई जानी है तथा इसकी प्रतिशतता
बिहार	20, 628 (30.5%)	282.29 (55.7%)
अखिल भारत	2,54,715 (44.2%)	1,530.39 (34.9%)

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाए जाते हैं तथा उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। इनके लिए निधियाँ योजना आयोग द्वारा (1) राज्य को सामान्य विकास कार्यक्रम एवं (2) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित की जाती है। वर्ष 1980-81 के लिए बिहार राज्य में 1,770 नए गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा 35,550 पम्पसेटों को अर्जित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव राज्य ने रखा है।

1980-82 वर्ष के योजना कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। यथापि, आगामी वर्ष के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने 3,500 नए गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा 25,000 सिंचाई पम्पसेटों को अर्जित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है।

बिजली की कमी के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बन्द रहे कारखानों के नाम

2083. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान बिजली की कमी के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से और कितने कारखाने बन्द रहे थे;

(ख) क्या सरकार ने कोई सुनियोजित योजना बनाई है ताकि भविष्य में बिजली की कमी न हो; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी है। तथापि यह कमी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती

है तथा जो निश्चित समय पर विद्युत की वास्तविक माँग तथा निवल उपलब्धता के बीच के अन्तर पर निर्भर करती है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए विद्युत कटौतियां तथा प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। फैक्ट्रियों का लगातार प्रचालन बड़ी मात्रा में मिश्रित पहलुओं पर निर्भर करता है, जिनमें विद्युत की सप्लाई भी एक है। अतः फैक्ट्रियों के नाम तथा संख्या की सूची बनाना सम्भव नहीं है जो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1979-80 के दौरान केवल विद्युत की कमी के कारण बन्द पड़ी रही हैं।

(ख) और (ग) प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किए गए तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत को भार माँग की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण-कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्टापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहाँ तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थाई क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इजीनियरों तथा तकनीकी कर्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

मथुरा औद्योगिक कम्प्लैक्स स्थापित किया जाना

2084. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री मथुरा औद्योगिक कम्प्लैक्स को स्थापित किए जाने के बारे में 24 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) एरोमैटिक्स के उत्पादन के लिए पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए भारत सरकार ने एक स्थल चयन समिति गठित की है। समिति द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

समयावधि समाप्त हो चुके दावों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं द्वारा डेसू को किया गया भुगतान

2085. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या ऊर्जा मंत्री समयावधि समाप्त हो चुके दावों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं द्वारा डेसू को किया गया भुगतान के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सूचना को एकत्रित करने तथा उसे सभा पटल पर रखने में अभी कितना और समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7698 में उल्लिखित सूचना अभी एकत्र की जा रही है ताकि शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाए।

पन्द्रह सर्वोच्च औद्योगिक गृहों की आस्तियां

2086. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में देश में पन्द्रह सर्वोच्च औद्योगिक गृहों की अस्तियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : देश के पन्द्रह शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की 1979 में परिसम्पत्तियों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1978 में उनकी परिसम्पित्तियों की मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध पन्द्रह शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की 1978 में परिसम्पत्तियों का मूल्य प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

पन्द्रह शीर्षस्थ घरानों की 1978 में परिसम्पत्तियों का मूल्य
(1978 में परिसम्पत्तियों की मात्रा अनुसार श्रेणीबद्ध)

क्र० सं०	औद्योगिक घरानों के नाम	1978 में परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1-	बिड़ला	1171.15
2-	टाटा	1102.11
3-	मफतलाल	317.86
4-	जे० के० सिन्घानिया	299.57
5-	थापर	244.06
6-	आई० सी० आई०	220.73
7-	बांगुर	220.86
8-	श्रीराम	204.79
9-	आयल इण्डिया	203.24
10-	सिन्धिया	202.81
11-	लार्जन एण्ड टूब्रो	194.51
12-	ए० सी० सी०	186.62
13-	भिवन्डीवाला	178.38
14-	किर्लोस्कर	176.25
15-	हिन्दुस्तान लीवर	157.15

पोलिस्टर फाइबर तथा पोलिस्टर फिलामेंट उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

2087. **श्री आर०एल० भाटिया :** पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री पोलिस्टर फाइबर तथा पोलिस्टर फिलामेंट उद्योगों की स्थापना किये जाने के बारे में 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पोलिस्टर फाइबर तथा पोलिस्टर फिलामेंट यार्न उद्योगों को स्थापित किए जाने के लिए विचाराधीन पड़े हुए आवेदनों पर अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए ऐसे सभी आवेदनों तथा जिन आवेदनों पर लाइसेंस दे दिए गए हैं ; उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्किड-युक्त चलते-फिरने तेल शोधक कारखानों का प्रस्ताव

2088. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्किड-युक्त चलते-फिरते तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

लवराज समिति की सिफारिशें

2089. **श्री भगवानदेव**
श्री के० टी० कोसलराम
श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या पेटोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ बेसिन क्षेत्र से गुजरात, मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कुछ स्थानों के लिए गैस की सप्लाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाइप लाइनों तथा उनके मार्गों आदि का सुझाव देने के लिए श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति [illegible] तिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

[illegible]) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की है और इन सिफारिशों को [illegible] यान्वित किए जाने की संभावना है ; और

[illegible]) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने [illegible] है ?

[illegible] लियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दक्षिण बेसीन से [illegible] गैस पाइप लाइन के संरेखण को शामिल करते हुए लवराज समिति ने रिपोर्ट का [illegible] त कर दिया है।

[illegible]) विचारार्थ विषय के अनुसार, समिति की क्रियात्मक सिफारिश यह है कि विभिन्न [illegible] वधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति ने उभरात से नावापुर (ओ० एन० [illegible] रा सिफारिश किया गया) को दक्षिण बेसीन गैस पाइपलाइन के लिए भूदर्श बिन्दु के [illegible] ता दी है ।

[illegible] सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और समिति द्वारा सिफारिश [illegible] पलाइन के संरेखण के अनुसार लागत अनुमानों से सम्बन्धित प्रस्ताव विदेश संबंधी

निर्णय लेने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

(घ) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्रों को गैस की सप्लाई करने वाले पाइप लाइन के भूमि के ऊपर के संरेखण और आकार से सम्बन्धित रिपोर्ट का भाग-II अनुकूलतम समझे जाने वाले उर्वरक संयंत्रों के स्थानों पर निर्भर करता है और आशा की जाती है कि यह कुछ महीनों में प्राप्त हो जाएगा।

कोयला मूल्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव

2090. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के मूल्यों को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) उस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए कोयले की कीमतों में संशोधन का प्रश्न सरकार के ध्यान में बना रहा है किन्तु इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रोजगार कार्यालय के माध्यम से फरक्का में राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम में भर्ती

2091. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का में राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम में भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से पूरी तरह से मानक नियमों के अनुसार होगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में संबंधित प्राधिकारियों को विशेष निदेश दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का सहित अपनी सभी परियोजनाओं के लिए भर्ती, निगम की भर्ती सम्बन्धी नीति, नियमों तथा पद्धतियों के अनुसार की है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत ही यह नीति, ये नियम और पद्धतियां बनाई जाती हैं। ये नियम तथा पद्धतियां विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए भिन्न-भिन्न हैं तथा तदनुसार केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों ही के लिए भर्ती निर्धारित अवधि के उपरांत रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

अपनी परियोजनाओं के लिए कार्मिकों के मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भविष्य में, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई पद्धतियों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

2090. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम, उत्तरी क्षेत्र के विपणन प्रभाग में कार्यरत पंच वेरीफायर आपरेटरों, पंच सुपरवाइजरों और मशीन सुपरवाइज़रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में उपर्युक्त श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता क्या है और नियमानुसार कितना कोटा अपेक्षित है;

(घ) क्या अपेक्षित कोटा भरा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलितम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

पदनाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
I. पंच वेरीफायर ऑपरेटर	18	1
II. पंच सुपरवाइजर	15	1
III. मशीन सुपरवाइजर	2	शून्य

(ग) और (घ) निगम विदेशों के अनुसार आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 15% और $7\frac{1}{2}$% ग्रेड-वार व्यवस्था कर रहा है ना कि पदनाम-वार और अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित कोटा पूरा कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना पार गैस एजेन्सियों को नए कनेक्शनों का आबंटन

2093. श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-79 के दौरान यमुना पार स्थित गैस एजेन्सियों को वर्षवार और एजेन्सीवार आवंटित किए गए नए गैस कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान कृष्ण नगर स्थित एक एजेंसी को कितने कनेक्शन आबंटित किए गए और किस पंजीकरण संख्या तक इनका आबंटन किया जा चुका है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यमुना पार क्षेत्र के

वितरकों को 1974 से 1976 तक के वर्षों में जारी किए गए नए कनेक्शनों का वर्ष बार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1974	1975
अमर गैस सर्विस	325	50
बी० एन० गुप्ता एण्ड कम्पनी	—	50
शहीद सुभाष गैस सर्विस	200	10

परन्तु 1976 से 1979 तक के वर्षों में इन वितरकों को कोई नए कनेक्शन जारी नहीं किए गए।

(ख) कृष्ण नगर में कार्यरत एक मात्र गैस एजेंसी शहीद सुभाष गैस सर्विस को 1974 वर्ष के दौरान 200 गैस कनेक्शन जारी किए गए थे तथा वर्ष 1975 में 10 कनेक्शन जारी किए गए थे। उपरोक्त एजेंसी द्वारा प्रतीक्षा सूची में से जारी कनेक्शन की अन्तिम आवंटन 1-3-73 का 1900 है।

निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं के नाम

2094. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कब तक इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने की आशा है; और

(ख) आगामी पाँच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएँ कार्यान्वित की जायेंगी और उनकी सम्भावित क्षमता कितनी होगी तथा उन पर खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) माँगी गई सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1980-85 की अवधि के दौरान निर्माण के लिए 87 जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया गया है। 16963.5 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली इन 87 नई जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा उपाबंध-II में दिया गया है। इन स्कीमों की अनुमानित लागत लगभग 8691 करोड़ रुपए है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1496/80]

तटदूर प्लेट फार्मों का निर्माण

2095. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दो तटदूर प्लेटफार्म सौंपे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कुल कितने प्लेटफार्म बनाए जा चुके हैं और इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास ऐसे कितने प्लेटफार्म हैं;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसे कुल कितने प्लेटफार्म की आवश्यकता है और पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कितने प्लेटफार्म लगाए जायेंगे; और

(घ) क्या ये प्लेटफार्म विदेशी सहायता से बनाए गए थे अथवा बिना विदेशी सहायता के ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ, । मैसर्ज मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा संरचित दो अपतटीय प्लेटफार्म अक्तूबर में जब आदरणीय प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपे गए ।

(ख) मैसर्ज मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित चार प्लेटफार्म स्थापित किए जा चुके हैं तथा यह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकार में है ।

(ग) 1980-81 से 1984-85 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को लगभग 50 कूप प्लेटफार्मों की आवश्यकता है तथा सभी को स्थापित करने की योजना हैं ।

(घ) पहले तीन प्लेटफार्मों का निर्माण तकनीकी जानकारी के सीमित हस्तांतरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कार्य-निष्पदन के लिए मार्ग दर्शन के साथ शुरू किया गया है ।

नैवेली के लिए विद्युत उत्पादन उपकरणों का आयात

2096. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों से नैवेली के लिए विद्युत उत्पादन उपकरणों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड उनका उत्पादन करने में समर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो उनके आयात करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) नेवेली में प्रस्तावित बिजलीघर के लिए तीन स्टीम जेनेरेटरों का आयात करने का निर्णय किया गया है। बिजलीघर के लिए टर्बो जेनेरेटर खरीदने की बात इस समय विचाराधीन है।

(ग) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के पास लिग्नाइट-प्रज्वलित बायलरों के निर्माण का तकनीकी ज्ञान नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की ढलाई में सुधार करने में रेलवे का विफल होना

2097. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बिजली घरों को कोयले की ढुलाई में सुधार करने में विफल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऊर्जा मंत्रालय ने अन्य तरीकों के माध्यम से इन बिजली घरों को कोयले पहुँचाने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। विद्युत केन्द्रों को लिक कोयले की संपूर्ण मात्रा की ढुलाई रेलवे नहीं कर सकी है।

(ख) जी, नहीं। पिट हैडों से दूर स्थित ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा अपेक्षित बड़ी मात्रा में कोयले की ढुलाई वैकल्पिक साधनों से करना मितव्ययी नहीं है।

स्वदेशी कोकिंग कोल के उत्पादन और माँग के बीच अन्तर

2098. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी कोकिंग-कोल के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है, यदि हाँ, तो गत दो वर्षों की कितनी-कितनी मांग थी और उस अवधि में वास्तविक उत्पादन कितना-किनना हुआ ;

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए कोकिंग कोल की अनुमानित मांग और उत्पादन क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में कोकिंग-कोल के स्त्रोतों के भण्डार का सर्वेक्षण किया है यदि हाँ, तो वे कितने हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्पादन और मांग के बीच अन्तर बढ़ नहीं रहा है। इस्पात कारखानों की मांग को पूरा करने के लिए देशी कोककर कोयले की उपलब्धि में थोड़ी कमी हुई है। इस्पात के उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 1978-79 के लिए 25.97 मि०टन कोककर कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया था और इसकी तुलना में 22.52 मि०टन का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार 1979-80 के लिए 23.80 मि०टन कोककर कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया था जिसकी तुलना में उत्पादन 23.50 मि०टन हुआ था।

(ख) इस्पात विभाग द्वारा बताए गए इस्पात उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के लिए 25.18 मि०टन कोककर कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है। अप्रैल-अक्तूबर 1980 की अवधि में कोककर कोयले का उत्पादन 12.06 मि०टन रहा है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्राक्कलन के अनुसार कोककर कोयले के स्रोत लगभग 21154 मि० टन है।

उड़ीसा में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत राशि

2099. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1980-81 के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु नियत राशि को नवम्बर, 1980 तक यथा-कार्यक्रम खर्च किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना वार कितनी राशि नियत की गई और प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा में विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिचय अगस्त/सितम्बर, 1980 तक किया गया वास्तविक व्यय तथा समस्त वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्याशित व्यव संलग्न विवरण में दिखाया गया है। नवम्बर, 1980 का महीना अभी समाप्त ही हुआ है तथा व्यय में नवम्बर, 1980 तक की प्रगति उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा में विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय, अगस्त/सितम्बर, 1980 तक किया गया वास्तविक व्यय तथा समस्त वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्याशित व्यय

दिखाने वाला विवरण

परियोजना का नाम	1980-81 के लिए अनुमोदित परिव्यय	1980-81 के लिए प्रत्याशित व्यय	अगस्त/सितम्बर, 1980 तक किया गया व्यय
1. तलचेर ताप विद्युत विस्तार	100	1165.0	428.61 (सितम्बर, 1980)
2. रेंगाली बांध-विद्युत वाला भाग	640	640	
3. रेंगाली जल विद्युत			267.10
(1) सिविल कार्य	134	134	
(2) विद्युत कार्य	600	600	
4. अपर कोलाब बांध विद्युत वाला भाग	650	650	
5. अपर कोलाब जल विद्युत			262.10
(1) सिविल कार्य	750	750	
(2) विद्युत कार्य	600	495	
6. अपर इंद्रावती विद्युत वाला भाग	300	300	
7. अपर इन्द्रावती जल विद्युत			509.78
(1) सिविल कार्य	300	300	
(2) विद्युत कार्य	200	300	

तेल की खोज के लिए तेल निगम की स्थापना हेतु ए० एस० टी० ओ० का विरोध

2100. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एस० टी० ओ० ने तेल की खोज के लिए निगम की स्थापना हेतु सरकार

के प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचंद्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तेल अन्वेषण के लिए एक पृथक सार्वजनिक क्षेत्र निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विटामिन "सी" पर वितरण संबंधी नियंत्रण

2101. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विटामिन "सी" पर अभी भी वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण लगाए हुए हैं जबकि यह उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने जून 1980 में विटामिन "सी" पर वितरण कन्ट्रोल द्वारा लगा दिया। चूंकि वर्ष 1979-80 के दौरान विटामिन "सी" के स्वदेशी उत्पादन में वर्ष 1978-79 की तुलना में कमी हुई और कुछ आयात किये गए। यह नहीं कहा जा सकता कि देश में स्वदेशी विटामिन 'सी' की सप्लाई पर्याप्त है।

कोयला विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बंक की इच्छा

2102. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने देश में कोयला विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देश में कोयले के विकास में वित्तीय सहायता के लिए कोई खास परियोजना अभी तक विश्व बैंक के सम्मुख नहीं रखी गई है।

देश में वर्तमान विद्युत उत्पादन और इसकी मांग

2103. **श्री मनपूल सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली का वर्तमान उत्पादन कितना है और उसकी मांग कितनी है ;

(ख) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने को उच्चतम प्राथमिकता देने तथा उसमें दक्षता के सर्वोच्च स्तर को लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ; और

(ग) उसके लिए कितना निवेश करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ऊर्जा का वर्तमान

उत्पादन औसतन 323 मिलियन यूनिट प्रतिदिन (नवम्बर, 1980) है। ऊर्जा की कुल अप्रतिबंधित माँग लगभग 350 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है।

(ख) और (ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्प-कालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहाँ तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थाई क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता।

(3) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना।

(4) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना।

(5) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(6) निर्माणाधीन समस्त विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत रूप से मानीटरिंग करना।

(7) ताप विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालकों को प्रशिक्षण देना जिसके लिए एक प्रशिक्षण सोसायटी का गठन किया गया है।

मैसर्स कांटीनेंटल कोक एण्ड मिनरल्स, सांडी के श्रमिकों से मजूरी की कटौती

2104. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स कांटीनेंटल कोक एण्ड मिनरल्स, सांडी (हजारी बाग) के श्रमिकों से मजूरी की अवैध कटौती के बारे में कोलियर मजदूर सभा आफ इण्डिया (सी० आई० टी० यू०) से दिनांक 3 दिसम्बर, 1980 के अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में मैसर्स ईस्टर्न गैस कम्पनी तथा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरस के फालतू कर्मचारियों के बारे में उठाये गए कदम

2105. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल० पी० जी० के वितरण की वर्तमान प्रपालीद का पुनर्गठन करने के सरकारी निर्णय के पश्चात् पश्चिम बंगाल में मैसर्स ईस्टर्न गैस कम्पनी, कलकत्ता और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटर्स के फालतू कर्मचारियों के बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : सभी सम्बन्धित तेल कम्पनियों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे कर्मचारियों को हर सम्भव सहायता प्रदान करें जिनकी बड़े वितरकों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप छटनी की जाए ताकि उनको नए वितरकों द्वारा रोजगार दिया जा सके ।

भविष्य में तेल के मूल्य के लिए नया फार्मूला

2106. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निर्यातक देशों का संगठन भविष्य में तेल मूल्य में वृद्धि के परिचालन के लिए किसी नये फार्मूले पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो नये फार्मूले की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिमी तेल प्रबन्धक यह महसूस करते हैं कि यदि नया फार्मूला लागू हो गया, तो इससे केवल यह होगा कि 1980 के बाद के दशक में तेल अन्यथा जितना महंगा होता, उससे कहीं अधिक महंगा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यह समझा जाता है कि ओपेक देशों की मन्त्री-स्तरीय नीति निर्धारण समिति भविष्य के लिए तेल मूल्यों के निर्धारण के लिए उपयुक्त फार्मूला निकालने के लिए अनेक विकल्पों पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक इस प्रश्न पर सदस्य देशों के बीच कोई अन्तिम समझौता नहीं हो पाया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की मांगें

2107. **श्री चित्त महाटा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय तेल निगम के हल्दिया तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा दिया गया मांग-पत्र स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में हाल्दिया शोधनशाला के कर्मचारियों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बसाये गये विस्थापित व्यक्ति

2108. **श्री चित्त महाटा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यवार, अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) उनके कल्याणार्थ राज्यवार, उन्हें अब तक कितनी-कितनी धनराशि और अन्य सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उनके कल्याण के लिए और कौन-कौन सी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जानी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) नमूना योजनाओं के अनुसार, इन विस्थापित व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास सुविधाएँ प्रदान की गई हैं/की जा रही हैं। विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता दी जाती है।

विवरण 1

राज्य का नाम	विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी			
	पाकिस्तान (भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान	भारत-पाक संघर्ष, 1971 के विस्थापित व्यक्ति	जम्मू और काश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब वंगला देश)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	4,000		—	8,600
2. आसाम	—		—	4,64,000
3. बिहार	—		—	74,200
4. गुजरात (महाराष्ट्र के आँकड़ों में शामिल)		6,500	—	—
5. हिमाचल प्रदेश	5,000		—	—
6. हरियाणा (पंजाब के आंकड़ों में सम्मिलित)			—	—
7. जम्मू व काश्मीर	—		1,35,000	—
8 कर्नाटक	7,000		—	2,900

1 2	3		4	5
9. महाराष्ट्र	4,15,000		—	27,700
10. मध्य प्रदेश	2,09,000		—	41,500
11. मणिपुर	—		—	2,900
12. मेघालय	—		—	9,700
13. उड़ीसा	—		—	14,200
14. पंजाब	27,37,000		—	15
15. तमिलनाडु	9,000		—	—
16. त्रिपुरा	—		—	3,49,400
17. राजस्थान	3,73,000	21,500	—	5,500
18. उत्तर प्रदेश	4,80,000		—	28,850
19. पश्चिमी बंगाल	—		—	20,95,000
योग	42,39,000	28,000	1,35,000	31,24,465
संघ शासित क्षेत्र				
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप	—		—	15,300
2. अरुणाचल प्रदेश	—		—	13,000
3. दिल्ली	5,01,000		—	—
योग	5,01,000		—	28,300
दण्डकारण्य	—		—	1,03,700
कुल योग	47,40,000	28,000	1,35,000	32,56,465

विवरण-2

(करोड़ रुपए में)

	भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान)	पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रवासी	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश)	योग
	1	2	3	4
प्रत्यक्ष व्यय और अनुदान	107.20	—	225.62	332.82
दण्डकारण्य विकास योजना	—	—	148.85	148.85
पुनर्वास भूमि उद्धार योजना	—	—	23.11	23.11
पुनर्वास के लिए अण्डमान और निकोबार क्षेत्रों का विकास	—	—	9.40	9.40
पुनर्वास उद्योग निगम	—	—	13.85	13.85
भारत पाक संघर्ष, 1971 के दौरान विस्थापित करते हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	69.55	—	—	69.55
ऋण	26.96	—	68.22	95.18
आवास	66.79	—	51.65	118.44
स्थापना	3.23	—	8.71	11.94
31-12-1980 तक पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिए गए ऋण	7.28	—	3.94	11.22
विविध	0.01	—	6.08	6.09
पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी	192.22	—	—	192.22
जम्मू और कश्मीर के पाक-अधिकृत 9 क्षेत्रों से आए उपवासियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगियां	—	4.77	—	4.77
योग	473.24	4.77	559.43	1037.44

चूँकि व्यय के आंकड़े परियोजना-वार रखे गए हैं अत: राज्य-वार तथा संघ शासित क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालों में अनिर्णीत पड़े मामले

2109. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अक्तूबर, 1980 तक कितने दीवानी, फौजदारी और अन्य अपीलीय मामले अनिर्णीत पड़े थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो अपील मामले लम्बित हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 में सारणीबद्ध किया गया है।

विवरण—1

3'-10-1980 को उच्चतम न्यायालय में उन सिविल, दाण्डिक और अन्य अपील वाले मामलों की संख्या जो लम्बित हैं

सांविधानिक मामले	**लम्बित मामलों की संख्या**
कर अपीलें	79
सेवा सम्बन्धी मामले	29
अन्य सिविल अपीलें	372
संविधानेतर मामले	
कर अपीलें	3274
श्रम अपीलें	516
निर्वाचन अर्जियां	42
अन्य सिविल अपीलें	10216
दाण्डिक अपीलें	2147
योग :	16675

विवरण—2

30-6-1980 को उच्च न्यायालयों में उन सिविल, दाण्डिक और अन्य अपील वाले मामलों की संख्या जो लम्बित हैं

सिविल अपीलें	लम्बित मामलों की संख्या
मूल पक्ष अपीलें	3482
लेटर्स पेटेंट अपीलें	4101
प्रथम अपीलें	54224
द्वितीय अपीलें	75552

सिविल अपीले	लम्बित मामलों की संख्या
प्रकीर्ण प्रथम तथा द्वितीय अपीलें	24640
पुनरीक्षण अर्जियाँ	76716
प्रकीर्ण अर्जियाँ	52691
अन्य	13491
योग :	304897

दाण्डिक अपीलें	
(क) दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा	28788
(ख) दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा	12508
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के अधीन परिवादी द्वारा	3045
दाण्डिक पुनरीक्षण मामले	15562
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन पुष्टीकरण मामले	36
निर्देश	285
दाण्डिक प्रकीर्ण अर्जियां	10407
अन्य	2877
योग :	73508

तेल के लिए गोदावरी के बेसिन का विकास

2110. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी के बेसिन में जहां तेल और गैस पाए गए हैं, पानी की गहराई अधिक होने के कारण, उसका विकास बहुत महँगा साबित हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी कहा गया है कि यदि यहां पर बम्बई हाई जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन का भण्डार नहीं मिलता तो कम से कम शुरू में ही इसका विकास-खर्च बहुत महंगा साबित होगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्तमान किये जा रहे अन्वेषण चरण की प्रगति के परिणामों पर, गोदावरी बेसिन, जहाँ गैस मिली है का विकास चरण निर्भर करेगा। गोदावरी अपतट की दूसरी संरचना अर्थात् जी-2 में अन्वेषी व्यधन करने की योजना दिसम्बर, 1980 से बनाई गई है। इस अन्वेषी व्यधन और गोदावरी बेसिन की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन व्यधन पूरा हो जाने के बाद, क्षेत्र की वाणिज्यिक क्षमता का मूल्यांकन किया जायेगा। अत: क्षेत्र की विकास लागत के सम्बन्ध में अभी टीका-टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सरकार को किसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

2111. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इस सेवा का गठन हो जाने की सम्भावना है;

(ग) सेवा की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों और मुख्य न्यायाधिपतियों से परामर्श किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो उनके क्या विचार थे;

(च) इसके कब तक प्रभावी हो जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार ने तारीख 24-11-1980 को घोषणा की है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस रिपोर्ट में भर्ती की पद्धति, राज्यों को आबंटन, दिया जाने वाला प्रशिक्षण आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार, रिपोर्ट और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाए जाने के सम्बन्ध में अन्य प्रामाणिक अध्ययनों को ध्यान में रखेगी।

(घ) और (ङ) मार्च, 1966 में राज्य सरकारों को इस विषय में लिखा गया था और 17 राज्य सरकारों में से 7 राज्य सेवा बनाए जाने के पक्ष में थे किन्तु 10 राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। केन्द्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों से उस समय कोई परामर्श नहीं किया था।

(च) पूरे मामले पर उपर्युक्तानुसार विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग में संकट

2112. **श्री पी० एम० सईद :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही यह उद्योग संकट में है;

(ख) यदि हां, तो क्या खानों में करोड़ों रुपए डूब गए हैं और फिर भी कोयले का मूल्य दुगने से भी अधिक है और यह हमारे औद्योगिक संयन्त्रों के लिए यदा-कदा ही समय पर उपलब्ध होता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के सरकारीकरण से केवल बिचौलियों को ही लाभ हुआ है;

(घ) क्या यह भी सच है कि को ले की माँग में वृद्धि हुई है लेकिन इसकी सप्लाई लगभग 1000 मीट्रिक टन ही बनी रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही सरकार ने कोयला खानों के वैज्ञानिक रीति से पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ऐसा करते समय अपेक्षित कोयले की किस्म और मात्रा का तथा संरक्षण और सुरक्षा के पहलुओं का पूरा ध्यान रखा गया है।

कोयले का उत्पादन अपेक्षित स्तर पर बनाए रखने, खानों का पुनर्गठन करने, नई खानों का विकास करने और वाशरियों और कार्यशालाओं आदि सुविधाएँ उ लब्ध करने के लिए विशाल मात्रा में पूँजी का निवेश किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि खानों में करोड़ों रुपए डुबा दिए गए हैं। कोयले की कीमतों में वृद्धि केवल उसी सीमा तक की गई है जिस सीमा तक यह वृद्धि मजदूरी और उत्पादन सामग्री की लागत में बढ़ोतरी के कारण आवश्यक हो गई थी।

यह कहना भी सही नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप केवल बिचौलियों को ही फायदा हुआ है। कोयले का उत्पादन राष्ट्रीकरण के समय (1972-73) लगभग 77.22 मि० टन था किन्तु 1979-80 के अन्त तक यह बढ़कर 103.95 मि० टन हो गया। वर्ष 1980-81 के दौरान, पहले 7 महीनों में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष के पहले 7 महीनों की तुलना में 3.7 मि० टन अधिक रहा है। कोयला कामगारों की न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीकरण के समय 319.00 रु० प्रति माह थी किंतु उसे 1.1.1979 से, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II के लागू होने पर बढ़ाकर रु० 512.00 प्रति माह कर दिया गया है।

कोल इंडिया लि० कोयले के उत्पादन और उन उपभोक्ताओं को खान मुहानों पर ही कोयल देने के लिए जिम्मेदार है जो, रेल या सड़क परिवहन के द्वारा, कोयले को उपभोक्ता केन्द्रों तक ले जाने का प्रबन्ध कर लेते हैं। उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं को कोयले की

उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन पर भी नहीं बल्कि परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ताओं को कोयले का प्रेषण भी स्थिर गति से 1974-75 के 87 मि० टन से बढ़कर 1979-80 में लगभग 103 मि० टन हो गया है।

पूर्ववर्ती विदेशी तेल कम्पनियों के अधिकारियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियां

2113. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती तेल कम्पनियों के उच्च अधिकारियों के वेतनों और अन्य परिलब्धियों में उन्हें अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों के समान रहने के प्रयोजन से भारी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामला परस्पर समझ-बूझ से हल हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए करार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक परिलब्धियों से कटौतियां करने के वावजूद भी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के कार्यकारियों को इण्डियन आयल कम्पनी के कर्मचारियों की तुलना में काफी अधिक वेतन तथा अन्य सुविधायें मिलती जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री० प्रकाशचंद्र सेठी) : (क) सरकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने के पश्चात् जनहित में यह निश्चय किया गया कि पूर्ववर्ती वर्माशैल, एस्सो तथा काल्टैक्स कम्पनियों के अधिकारियों की सेवा-शर्तों, वेतनमानों तथा अनुलाभों को युक्ति संगत बनाया जाए ताकि उन्हें आम तौर पर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकाधियों के लिए लागू वेतनमानों, अनुलाभों तथा सेवा निवृत्ति लाभों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके लिए जुलाई, 1980 में अधिकारियों के सम्मुख एक अभिनवीकरण योजना प्रस्तावित की गई जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती विदेशी कम्पनियों द्वारा भर्ती किये गये प्रत्येक अधिकारी को उसका नया वेतन तथा वेतन मान, उसके द्वारा ग्राह्य अनुलाभ तथा भत्ते दर्शाते हुए प्रस्ताव किया गया। सभी अधिकारियों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा इसके बाद उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी तथा अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा ग्राह्य नये वेतन, वेतनमान तथा अनुलाभों एवं भत्तों पर नये नियुक्ति पत्र जारी किये गये।

(घ) जी नहीं। अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा ग्राह्य वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के तुलनात्मक हैं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया खर्च

2114. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में रहते हुए वर्तमान चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक ने अपने विदेश के दौरों पर गत तीन वर्षों में किस सम्बन्ध में और कितनी धनराशि खर्च की ; और

(ख) भारत में उन पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के दोरान, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने चेयर मैन और प्रबन्ध निदेशक द्वारा किये गये विदेशी दौरों पर क्रमशः 1.32 लाख रुपये, 0.63 लाख रुपए और 1. 82 लाख रुपए खर्च किए थे। यह मुख्य रूप से इन मदों के लिए था :—

(1) व्यापार विकास

(2) भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्य

(3) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशों में ली गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति देखने के लिए

(4) विदेशों में सामरिक महत्व के स्थानों में कार्यालय आरम्भ करने के लिए संभावना का पता लगाना

(5) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के हित की अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलनों में भाग लेना

(ख) भारत में उन पर निम्नलिखित खर्च किये गए:—

वर्ष	दौरों पर	वेतन और भत्तों आदि पर
	रुपए	रुपए
1978-79	23,000	69,450
1979-80	29,000	75,798
1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक)	16,000	36,401

गैस आधारित संयंत्रों का उपयोग आरम्भ करना

2115. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के उपयोग के बारे में

भारतीय विशेषज्ञों ने सफलता प्राप्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने गैस पर आधारित संयंत्रों का उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार पहले से ही प्राप्त कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों पर विशेषता का पूर्ण लाभ कैसे उठाएगी ;

(क) और (ग) भारत में रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित प्रथम दो उर्वरक संयंत्रों ने वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर 1980 में प्रारम्भ कर दिया है और कुछ समय के लिए इन संयंत्रों के परिचालन से कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में अनुभव उपलब्ध हो सकेगा। कोयले पर आधारित और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय इसके पश्चात लिया जा सकता है।

(ख) बम्बई हाई और बसीन के तट-दूर क्षेत्रों से गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैस पर आधारित कई उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है।

भारतीय मूल के श्रीलंका के शरणार्थी

2116. श्री० संयोगिता राणे
श्री एन० ई० होरो
श्री हीरालाल आर० परमार } : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मूल के श्रीलंका के शरणार्थियों ने पुनर्वास की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बर्मा के कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाता है और इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार का क्या कार्यक्रम है और उस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

पूर्ति और पुर्नावास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 1964 और 1974 के भारत श्रीलंका करारों के अनुसार, भारतीय मूल के 6 लाख व्यक्तियों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित भारत में लाया जाना है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग द्वारा उनके रिकार्डों का सत्यापन करने के पश्चात् इन व्यक्तियों को सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है और उसके बाद भारत भेजा जाता है। ऐसे प्रत्यावासियों को, जो 5,000/-रुपए तक की नकद सम्पत्ति लाते हैं, उन्हें राहत और पुनर्वास सहायता दी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को, जो 5,000/-रुपए से 10,000/-रुपए तक की सम्पत्ति लाते हैं, वर्तमान पेटर्न के अनुसार केवल पुनर्वास सुविधाएँ ही दी जाती हैं।

30.9.1980 की स्थिति के अनुसार 60,376 परिवार विभिन्न राज्यों में बसा दिए गये हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रत्यावासियों को विभिन्न व्यवसायों, जैसे कृषि, गैर-कृषि, व्यापार/लघु व्यवसाय, बागानों, उद्योगों आदि में बसाए जाने का प्रस्ताव है । चूंकि पुनर्वास कार्यक्रम कई वर्षों के लिए है, अतः इस अवस्था में उन पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय को बताना संभव नहीं है ।

विवरण

राज्य	परिवारों की संख्या
बिहार	103
पश्चिमी बंगाल	1
तमिलनाडु	17
आन्ध्र प्रदेश	54
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	2
आसाम	105
उड़ीसा	151
केरल	2
	500

गुजरात में बिजली की दैनिक आवश्यकता

2112. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न सेक्टरों की बिजली की दैनिक आवश्यकता कितने मेगवाट है सेक्टरवार कितने मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक सेक्टर को उसकी पूर्ण आवश्यकतानुसार बिजली सप्लाई करने के लिए किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न सैक्टरों की विद्युत की मेगावाट में दैनिक आवश्यकता और की गई दैनिक सप्लाई इस प्रकार है ।

क्रम सं०	सैक्टर	विद्युत की दैनिक आवश्यकता (मेगा०)	इस समय की जा रही दैनिक सप्लाई	
			उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर लागू 30/35% विद्युत कटौती पर (मेगावाट)	उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर लागू 20/25% विद्युत कटौती पर (मेगावाट)
1.	उच्च वोल्टता वाले उद्योग :			
	(क) सतत प्रक्रिया वाले उद्योग	365	295	315
	(ख) गैर-सतत प्रक्रिया वाले उद्योग	360	285	295
2.	निम्न वोल्टता वाले उद्योग	360	250	250
3.	घरेलू/वाणिज्यिक	140	140	140
4.	स्ट्रीट लाइट	40	20	20
5.	कृषि	560	330	330
		1825	1320	1350
	आनुषंगिक मांग	100	90	90
		1925	1410	1440

(ख) मानसून के जल्दी चले जाने के कारण उकई जलाशय में इस वर्ष जल-विद्युत जल संचय पिछले वर्ष की तुलना में कम है। अत: निम्नलिखित उपाय करके ताप-विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं :

(1) संयंत्र और उपस्कर में कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने/प्रतिष्ठापित करने के लिए उपाय करना,

(2) उचित गुणवत्ता वाले तथा पर्याप्त मात्रा में ईंधन, तेल और कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करना,

(3) संयंत्र सुधार के विस्तृत कार्यक्रम शुरू करना।

गुजरात में 1980-85 की अवधि के दौरान 1175 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, कोरबा में 1984-85 तक चालू किए जाने वाले सुपर ताप-विद्युत केन्द्र से भी गुजरात को विद्युत का अपना हिस्सा प्राप्त होगा।

निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान

2118. **श्री छीतू भाई गामित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए राज्यों को कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत भी दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए व्यापक सहायता स्कीमें ब्योरेवार तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीमों को मानीटर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प सं० फा० 6 (19)80-का० से द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त एक छोटी समिति का गठन किया है।

(ख) राज्यों को कानूनी सहायता मद्धे कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) ऊपर उल्लिखित तारीख 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प के अनुसार नियुक्त की गई भगवती समिति इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"बम्बई हाई" को दो जोनों में विभाजित करने के लिये योजना

2119. **श्री रामलाल राही : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई हाई के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसकी कार्य क्षमता का अधिकतम उपयोग और उचित नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए इसे दो जोनों में विभाजित करने के लिए एक योजना बना रही है ;

(ख) क्या इस बारे में विभागीय अधिकारियों ने भी कोई सुझाव दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई में नये प्लेटफार्म का निर्माण

2120. **श्री रामलाल राही :** क्या पेटोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि बम्बई हाई के सबसे पुराने यूनिट की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नए प्लेटफार्म के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई है और इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। बम्बई हाई क्षेत्र के चरण बद्ध विकास प्लान के अन्तर्गत चरण III-क में प्रतिदिन 1,00,000 बैरल पम्पिग क्षमता के साथ पुराने मंच "एफ" की परिकल्पना की थी, जिसे जुलाई 1978 में आरम्भ किया गया था। सुविधा का विस्तार करने हेतु चरण III में पम्पिग क्षमता को प्रतिदिन 1,80,000 बैरल तक बढ़ाने के लिए बी० एच० एन० प्लेटफार्म इस समय निर्माणाधीन है।

(ख) सरकार ने बम्बई हाई के चरण III ख विकास प्लान, जिसके अन्तर्गत बी० एच० एन० प्लेटफार्म आता है, को पहले ही स्वीकृति दे दी है और दिसम्बर 1980 के अन्त तक कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

जिप्सम आधारित संयंत्र सम्बन्धी जांच समिति

2121. **श्री रामलाल राही :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिप्सम पर आधारित नए संयन्त्र स्थापित किए जाने के बारे में कोई जांच समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन को उसके तथ्यों सहित सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाल्दिया तेलशोधक कारखाने का बन्द होना

2122. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल उपलब्ध न होने के कारण हाल्दिया तेल शोधक कारखाना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कारखाने के बन्द हो जाने से कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ग) उक्त तेल शोधक कारखाने को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान में बिजली की कमी

2123. **श्री जयनारायण रोत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि राज्य में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है और यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) राज्य में नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना । राज्य में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । इन परियोजनाओं से लाभ नीचे दी गई समय-सीमा से प्राप्त होगा :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	के दौरान लाभ	
		1980-85 (मेगा०)	1985-90 (मेगा०)
1.	माही (जल विद्युत)	140	—
2.	कोटा (ताप विद्युत)	220	—
3.	अनूपगढ़ नहर (जल विद्युत)	—	9
4.	कोटा विस्तार (ताप विद्युत)	—	420
5.	देहर विस्तार (जल विद्युत) (राज्य का हिस्सा)	66	—
6.	पोंग विस्तार (जल-विद्युत) (राज्य का हिस्सा)	70.2	—
	जोड़	496.2	429

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द, बैरा स्युल, सलाल, नरोर परमाणु विद्युत केन्द्र आदि जैसी केन्द्र सरकार की परियोजनाओं से भी राज-

स्थान को विद्युत का हिस्सा मिलेगा।

(2) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजनाओं में दूसरे यूनिट के सुस्थिर हो जाने से राज्य में लगभग 220 मेगावाट (सकल) अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो जाएगी।

(3) अल्पकालिक उपाय के रूप में, बदरपुर में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्र तथा उत्तरी ग्रिड से दिन-प्रतिदिन के आधार पर राज्य की सहायता प्रदान की जाती है जो विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अक्तूबर 1980 के महीने में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को लगभग 105.7 लाख यूनिट की सहायता दी गई थी।

(ख) सरकार को प्रणाली में विद्युत की कमी का तथा औद्योगिक उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का पता है। मानसून के सामान्य होने से तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का प्रचालन नियमित हो जाने से मोटे तौर पर राज्य की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव है। तथापि, इस वर्ष मानसून के शीघ्र वापस चले जाने के कारण, राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। जब राजस्थान विद्युत परियोजना भी बन्द हो जाती है तो इन अवसरों पर स्थिति और बिगड़ जाती है। यद्यपि राज्य में अक्तूबर 1980 से कुछ विद्युत कटौतियाँ/प्रतिबन्ध लागू किए गए हैं, यह उम्मीद हैं कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में दूसरे यूनिट के सुस्थिर हो जाने से स्थिति में और सुधार हो जाएगा।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र

2124. **श्री जयनारायण रौत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अब तक स्थापित किए गए उर्वरक संयन्त्रों के नाम क्या हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार उदयपुर में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर करने का है और यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय कोटा, राजस्थान में एक उर्वरक प्लांट है।

(ख) झामरकोत्रा (जिला उदयपुर) में उपलब्ध एक फास्फेट के भंडारों पर आधारित एक उर्वरक प्लांट स्थापित करने की संभावना पर विचार करने के, प्रस्ताव हैं। तथापि, प्लांट स्थल उत्पादन मिश्रण आदि के बारे में कोई प्रस्ताव तभी रखा जा सकता है जब झामरकोत्रा से लाभकारी एक फास्फेट मी मात्रा और किस्म का निश्चित संकेत मिल जाय, जिसके लिए राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि०, द्वारा एक अर्ध वाणिज्यिक लाभकारी प्लांट बनाया जा रहा है।

संसद में आज

2125. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से आज तक आकाशवाणी से हिन्दी और इंगलिश में "स्पाटलाईट", "समायिकी" टूडे इन पार्लियामेंट" और "संसद समीक्षा" जैसे कार्यक्रमों में किन-किन पत्रकारों, सांसदों और अन्य व्यक्तियों को कितनी-कितनी बार भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और उक्त अवधि में प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि का मुगतान किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन पत्रकारों, सांसदों और अन्य व्यक्तियों को इंगलिश और हिन्दी के "करन्ट अफेयरस" कार्यक्रमों तथा संसद संबन्धी टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया और इस संबंध में अब तक उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) गत वर्ष की उसी अवधि की आकाशवाणी और दूरदर्शन संबंधी समान सूचना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एस० जोशी) : (क) आकाशवाणी से "स्पाटलाइट", "सामयिकी", "टूडे इन पार्लियामेंट". और "संसद समीक्षा" नामक कार्यक्रमों की प्रतिलिपियां, स्क्रिप्ट को सप्लाई करने वाले व्यक्ति के नाम सहित, संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है । सदस्य पत्रकारों, संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के नामों के बारे में अपेक्षित सूचना के लिए उनको देख सकते हैं । उल्लिखित अवधि के दौरान प्रति स्क्रिप्ट के भुगतान की राशि 100 रु० से 150 रु० तक थी ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब में बिजली की कमी का उद्योग और कृषि पर प्रभाव

2126. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पंजाब में, जहाँ बिजली की कमी के कारण न केवल उद्योग पर बल्कि कृषि पर भी भारी असर पड़ा है, बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या गोबिन्द सागर बांध में जलाशय के स्तर में कमी आने के कारण, आने वाले बुरे दिनों के बारे में भाखड़ा प्रबन्धक मंडल ने पहले ही सचेत कर दिया है ;

(ग) क्या पंजाब में चालू वर्ष के दौरान अथवा उसके बाद के किसी नए तापीय अथवा आणविक बिजली घर की स्थापना की जाएगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी कितनी क्षमता होगी और इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) : पंजाब की ऊर्जा की वर्तमान आवश्यकता लगभग 15.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जिसकी तुलना में उपलब्धता लगभग 144 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। ऊर्जा की सीमान्त कमी तथा व्यस्ततकालीन माँग को पूरा करने के लिए राज्य ने कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं जैसे कि फीडरों का रोस्टरिंग, गैस सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों को प्रतिबंचित घंटों में सप्लाई आदि। इस वर्ष उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कम रहा और परिणाम स्वरूप, भाखड़ा और पोंग जलाशती में अन्तर्वाह औसत से भी कम था। इसलिए भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड भागीदार राज्य सरकारों को नामशः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को आगामी महिनों में विद्युत की कमी की स्थिति के वारे में सूचित कर दिया है। इसलिए भटिंडा ताप विद्युत केन्द्र के मरम्मत कार्य/संयंत्र और उपस्कारों में सुधार के कार्य हाथ में लेकर, ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए उन्हें उपयुक्त गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके इनसे अधिकतम उत्पादन किए जाने पर जोर दिया गया है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में राज्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है। राज्य में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :

	लाभ प्राप्ति	
	1980-85 के दौरान (मेगावाट)	1985-90 के दौरान (मेगावाट)
1. शानन विस्तार (जल विद्युत)	50	—
2. मुकेरियां (जल विद्युत)	90	117
3. आनन्दपुर साहिब (जल विद्युत)	134	—
4. रोपड़ (ताप विद्युत)	210	210
5. देहर विस्तार (जल विद्युत) (पंजाब का हिस्सा)	158.40	—
6. पोंग विस्तार (जल विद्युत) (पंजाब का हिस्सा)	29.88	—
	672.28	327.00

उपर्युक्त परियोजनाओं के चालू होने से राज्य में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़कर 1985 तक 2216 मेगावाट हो जायेगी। इससे राज्य 1590 मेगावाट की व्यस्ततकालीन मांग को पूरा करने में समर्थ होगा। इसके अतिरिक्त, पंजाब समेत उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों

को अपनी प्रणालियों में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, बदरपुर विस्तार, नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र, बैरास्यूल और सलाल विद्युत परि-योजनाओं से हिस्सा मिलेगा । पंजाब सरकार ने 480 मेगवाट क्षमता वाली थीन बाँध परियोजना का और 45 मेगावाट वाली अपर बारी दोआब नहर दो परियोजना के प्रस्ताव भी किए हैं। इन परियोजनाओं का अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कर दिया है और योजना आयोग से निवेश संबन्धी स्वीकृति की प्रतिक्षा है । इन परियोजनाओं से 1985-90 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होंगे ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्किड़ मौटिड वकिंग एककों का विकास

2127. **श्री जनार्दन पुजारी** ; : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने स्किड मौटिड़ वकिंग एकक का विकास किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो बड़े पैमाने पर ऐसे एककों के निर्माण के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) ; (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल के लिए खोज के बारे में कुवैत तथा भारत के बीच समझौता

2128. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के अमीर की इस वर्ष सितम्बर में भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप भारत तथा कुवैत तेल के लिए खोज सहित तेल के क्षेत्र में सहयोग करने को सहमत हो गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच किस प्रकार की तथा कितनी तकनीकी जानकारी एवं दक्षता का आदान-प्रदान किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1980 में कुवैत के महामहिम अमीर की भारत यात्रा के दौरान, प्रधानमन्त्री एवं महामहिम अमीर ने ऊर्जा की आवश्यकता पर न केवल अपने-अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी, विशेष बल दिया । इसके लिए उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत एवं कुवैत के मध्य तेल के क्षेत्र, उसके अन्वेषण, उपयोग, संरक्षण एवं प्रतिस्थापन तथा पेट्रो-रसायनों के क्षेत्र में परस्पर हितकारी सहयोग में वृद्धि की आशाजनक संभावना है । इस बारे में मन्त्री स्तर एवं अधिकारी स्तर पर विशेष संभावनाओं का पता लगाया जायेगा ।

तेल की खोज के लिए पृथक मंत्रालय का गठन करने सम्बन्धी मालवीय समिति की रिपोर्ट

2129. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति की रिपोर्ट में तेल की खोज के लिए एक पृथक मंत्रालय की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस मंत्रालय के गठन के बारे में विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिश पर विचार किया गया था और उसे स्वीकार नहीं किया गया । तेल अन्वेषण के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

दण्डकारण्य परियोजना को आघात

2130. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में लोगों द्वारा वहां अपने घर छोड़कर चले जाने के कारण आघात पहुँचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी क्षतिपूर्ति की गई थी; और

(ग) उक्त परियोजना-क्षेत्र में अभी भी कितने परिवारों को बसाया जा सकता है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) परिवारों की संख्या, जिन्हें अभी भी बसाया जा सकता है, लगभग 6,500 है।

आयातित कोयले की मात्रा और मूल्य

2131. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक वर्ष-वार, कितने-कितने मूल्य का कितनी-कितनी मात्रा में कोयला आयात किया गया; और

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने कोककर कोयले का निम्नलिखित आयात किया है :—

वर्ष	मात्रा
1978-79	1,20,000 टन
1979-80	10,42,700 टन

वर्ष 1978-29 के पहले कोयले का आयात नहीं किया गया था। उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान आयात किये गए कोककर कोयले का कुल मूल्य लगभग 75 करोड़ रुपये है।

(ख) कोयले के उत्पादन पर जिन बातों का असर पड़ता है वह है बिजली, विस्फोटक पदार्थ, सीमेंट, इस्पात आदि विभिन्न उत्पादन सामग्रियों की उपलब्धि तथा कानून और व्यवस्था की ओर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति। जनवरी 1980 से कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है। यह वृद्धि अनेक उपायों के परिणाम स्वरूप हुई है, जैसे — कोयला खानों को बिजली के आवंटन को उच्चतर अग्रता, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण, बिहार और बंगाल के कोयला खनन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों से संपर्क, विस्फोटक पदार्थों का आयात आदि।

सीमा क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत तथा नेपाल के बीच वार्ता

2132. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए बातचीत चल रही है;

(ख) उक्त बातचीत में किन मुख्य योजनाओं पर विचार किया गया, उस पर कुल कितना व्यय होगा, तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां। निम्नलिखित जल विद्युत और बहुद्देश्यीय स्कीमों के बारे में भारत और नेपाल के बीच बातचीत चल रही है।

(1) करनाली जल विद्युत परियोजना।

(2) पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना।

(3) रापती (भालू भूमि) परियोजना।

(4) कोसी उच्च बांध।

ऊपर लिखी परियोजनाओं में से पंचेश्वर परियोजना को सीमा क्षेत्र की परियोजना की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(ख) पंचेश्वर की परियोजना रिपोर्ट अभी बनाई जानी है अतः इसकी लागत और लाभों के अनुमान में उपलब्ध नहीं हैं। अन्तरिम रूप में किए गए मूल्यांकन के अनुसार पंचेश्वर परियोजना के चरण-1 और चरण-2 दोनों ही चरणों में से प्रत्येक की विद्युत शक्यता 1000 मेगावाट की होगी।

(ग) परियोजना को वित्त पोषित करने की स्कीम के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

बम्बई हाई में उत्पादन-डेक को क्षति

2133. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई तटदूर तेल क्षेत्र में उत्पादन-डेक को हुई क्षति के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अपेक्षाओं को आघात पहुँचा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण वर्ष 1980-81 के दौरान तेल उत्पादन पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह मानते हुए कि संदर्भ एस० ए० डैक मंच को होने वाली क्षति से सम्बन्धित है यह बताया जाता है कि क्षति की मरम्मत कर दी गई है और इससे वर्ष 1980-81 में 5.2 मि० मी० टन के अशोधित तेल उत्पादन के लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे बनाये रखा जायेगा।

उर्वरक उत्पादन

2134. **श्री बी० वी० देसाई** :
श्री जनार्दन पुजारी : } क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के क्षेत्र में जिसके लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप गुणान्वित होने की सम्भावना थी के अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) उर्वरकों के उत्पादन में कितनी मासिक बढ़ोत्तरी हुई थी;

(घ) क्या सरकार की आशानुसार 86,000 टन नाइट्रोजन अथवा लगभग दो लाख टन यूरिया के मासिक उत्पादन का अनुमान था;

(ङ) क्या लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने का मुख्य कारण निरन्तर असम आन्दोलन है, और

(च) वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ख), से (घ) : फीडस्टाक और कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप जुलाई, 1980 के बाद उर्वरकों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। जुलाई 1980 के बाद यांत्रिक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

माह	उत्पादन 000 टन नाइट्रोजन में
जुलाई, 1980	129.7
अगस्त, 1980	155.3
सितम्बर, 1980	181.2
अक्तूबर, 1980	190.3

(ङ) और (च) असम आन्दोलन, श्रमिक समस्या आदि के कारण अनेक उर्वरक प्लांटों को फीड स्टाक की सप्लाई में बाधा, बिजली की कटौती/प्रतिबन्ध जैसे अनेक पहलुओं के कारण वर्ष 1980-81 में उर्वरकों के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। तथापि अब स्थिति में सुधार हो गया है। सभी राज्य सरकारों द्वारा बिजली की कटौती/प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है और जिन प्लांटों को पिछले दिनों उत्पादन की हानि हुई थी उनमें से अधिकांश प्लांटों को फीड स्टाक की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तथापि असम आंदोलन के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ उर्वरक प्लांटों को फीड स्टाक की सप्लाई में अभी भी कमी बनी हुई है।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज का प्रस्ताव

2135. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलयरीज कम्पनी लिमिटेड का विचार 1984-85 तक की अवधि के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपये निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० का कार्यक्रम है कि कोयले का उत्पादन 1979-80 के 103.93 मि. टन से बढ़ाकर 1984-85 में 165.00 मि. टन कर दिया जाए। इस अवधि में पूँजी निवेश की मात्रा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्वतः मूल्य घट-बढ़ खंड लागू करने का कोल इंडिया लि० का प्रस्ताव

2136. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले के मूल्य ढांचे में स्वतः मूल्य घट-बढ़ खंड लागू करने के कोल इंडिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के लिए कोल इंडिया ने क्या-क्या मुख्य कारण बताये थे;

(ग) प्रस्ताव को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) उनकी मांग पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार किन अन्य उपायों का सुझाव दे रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोल इंडिया लि० ने सुझाव दिया है कि सरकार कोयले की कीमतें एक निश्चित समय बिन्दु पर उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर नियत करती है और यह उत्पादन लागत उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण समय अवधि में अलग-अलग रहती है अतः जब तक, कोयले की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कोयला उद्योग से सम्बन्धित उत्पादन सामग्री थोक मूल्य सूचकांक तथा मजदूरी लागत में वृद्धि को आधार मानते हुए मूल्य-वृद्धि की कोई स्वतः चालित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सरकार द्वारा निश्चित कीमत यथार्थवादी नहीं रहती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोयले की कीमतों में संशोधिन की बात सरकार के ध्यान में बनी हुई है।

कोयला खानों के विकास के लिए सोवियत संघ से करार

2137. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री भीखू राम जैन
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्र में लगभग 200 लाख टन कोयले के उत्पादन और धोवन-शाला तथा खानों के मुहानों पर तापीय बिजलीघरों सहित 120 लाख टन कोकिंग कोल की परियोजना के विकास के लिए सोवियत संघ से कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो करार पर कब हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ङ) सोवियत संघ की सरकार इसमें कितनी सहायता देगी; और

(च) इस करार की कार्यान्विती की दिशा में कार्य कब आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ङ) जी, हां।

भारत और सोवियत रूस के बीच कोयला उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यकारी कार्यक्रम पर 31-10-1980 को हस्ताक्षर किए उए। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्थाएँ हैं—10 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन के लिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र की जयन्त ओपेनकास्ट खान के विकास में और रानीगंज की झांजरा खान में 2.8 मिलियन टन क्षमता के विकास के लिए शैफ्टों के गलाने में तकनीकी सहायता, झरिया कोयला क्षेत्र में 12 मिलियन टन की कोकर कोयला परियोजना के विकास में सहयोग। इन परियोजनाओं पर आने वाले कुल खर्च का पता इनकी साध्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही चलेगा।

(च) जयन्त परियोजना में 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष उप्पादन प्राप्त करने के लिए

सिफारिशें तैयार करने के सम्बन्ध में समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं (झरिया कोयला क्षेत्र के सम्बन्ध में ठेके पर 1981 की पहली तिमाही में हस्ताक्षर होने भी आशा है)।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र का उत्पादन

2138. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया उर्वरक संयन्त्रों को अक्तूबर, 1979 में उत्पादन आरम्भ करता था परन्तु अमोनिया संयन्त्र को छोड़कर शेष सभी संयन्त्र बेकार खड़े हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) संयंत्रों को शीघ्रता से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) हल्दिया उर्वरक परियोजना यांत्रिकी रूप से नवम्वर,. 1979 में पूर्ण हो गयी थी परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपेक्षित मात्रा में विद्युत सप्लाई करने की असमर्थता के कारण संयन्त्र उत्पादन प्रारम्भ न कर सका।

(ख) स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत पर उत्पादन की हानि का मूल्य वर्तमान अन्तर-राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बैठता है।

(ग) संयन्त्र के लिए एक 20 मेगावाट कैप्टिव गैस टर्बाइन की व्यवस्था की जा रही है।

भेषजीय उद्योग को औद्योगिक लाइसैंसों/आशय पत्रों का जारी किया जाना

2139. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औषधियों के निर्माण के लिए भेषजीय उद्योग के भारतीय क्षेत्र को कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा कितने आशय-पत्र जारी किए गए थे :

(ख) इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को कितने लाइसेंस और कितने आशय-पत्र जारी किए गए थे ;

(ग) उपरोक्त में से भारतीय क्षेत्र द्वारा कितनों का उपयोग नहीं किया गया सरकारी और सार्वजनिक एककों के पृथक्-पृथक् आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) ये लाइसेंस और आशय-पत्र किन-किन औषधियों के लिए जारी किए गए हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बल्क औषधों के निर्माण के लिए 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय क्षेत्र के भेषज उद्योग को :6 औद्योगिक लाइसेंस और 139 आशय पत्र जारी किये गए थे।

(ख) इनमें से 8 औद्योगिक लाइसेंस और 3 आशयपत्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को जारी किए गए थे।

(ग) भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों को जारी 16 औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित नहीं हुए हैं। सरकारी क्षेत्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई अकार्यान्वित औद्योगिक लाइसेंस नहीं है।

(घ) आशय पत्र कुछ शर्तों सहित सिर्फ औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति की पेशकश है। यदि कम्पनी शर्तें स्वीकार करती हैं, आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है अन्यथा वैध तिथि की समाप्ति पर स्वत: समाप्त हो जाता है। इसलिए आशय-पत्र के अन्तर्गत अकार्यान्वित औषधों का नाम बताने का प्रश्न नहीं उठता। अकार्यान्वित औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले औषधों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत अकार्यान्वित औषधों के नाम

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	मद का नाम
1	2	3
1.	कैमिकल, इन्डस्ट्रियल एण्ड फार्मास्यूटिकल लेबोरटरीज लि०	ट्रायामसीनोलोन
2.	-वही-	कार्बोनेक्सोलोन सोडियम
3.	मैसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज लि०	मेबेन्डाजोल
4.	मैसर्स एलेम्बिलक केमिकल वर्क्स लि०	इरीथ्रोमाइसीन
5.	मैसर्स मैक लेब्रोरेटरीज प्रा० लि०	क्लिफाजाइड
6.	मैसर्स न्यू ड्रग्स (इण्डिया) लि०	(1) पैराहाइड्रोक्सी बेन्जोइक और इसके इस्टर (ii) सोडियम पारा अमीनो सेलीसाइलेट (iii) ग्लिवेनेलामाइड (iv) मेट्रो निडाजोल
7.	मैसर्स अमर डाई केम लि०	(i) सेलिसाइलिक एसिड (ii) एसिटाइल सेनसाइलिक एसिड
8.	मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि०	नाइट्रोजनजेपाम
9।	मैसर्स मैक लेबोरेटरीज लि०	क्लोनीडाइन एच० सी० एल०
10.	मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०	मेबेन्डाजोल (ii) अमीनोफाइलीन (iii) नाइट्राजेपाम
11.	मैसर्स डोलफिन कैमिकल्स लि०	इथाम्बुलोस एच० पी० एल
12.	मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०	मेटोक्लोप्रामाइड

1	2	3
13.	मेसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०	(i) नाइट्रापरफ्यूरल डायएसीटेट (ii) आर्फेन्ड्रामाइन (iii) डाइफेनहाइड्रामाइन (iv) इथाइल अमीनो कैपोइक एसिड
14.	मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लि०	टालवलामाइड
15.	मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०	आक्सीटोसीन
16.	मैसर्स स्टैन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	इरीथ्रोमाइसीन

दामोदर घाटी निगम का चन्द्रपुर तापीय बिजली घर एक बीमार एकक

2140. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रपुर (बिहार) में दामोदर घाटी निगम का सबसे पुराना और बड़ा तापीय बिजली घर अब एक बीमार एकक है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली घर द्वारा पिछले 12 महीनों में अपनी अधिष्ठापित क्षमता की केवल 37 प्रतिशत बिजली का उत्पादन किया गया ;

(ग) इस बिजली घर की क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है और उन प्रस्तावित कदमों के परिणामस्वरूप संयंत्र की बिजली उत्पादन क्षमता में कब सुधार होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र, जिसकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 780 मेगावाट है, दामोदर घाटी निगम का सबसे बड़ा ताप विद्युत केन्द्र है। यह सच है कि एक वर्ष के दौरान इस विद्युत केन्द्र का क्षमता समुपयोजन गुणांक 37% रहा है। यद्यपि संयंत्र भार अनुपात कम है किन्तु यूनिट को रुग्ण नहीं माना गया है।

(ग) क्षमता समुपयोजन कम होने का कारण था, बायलर ट्यूब लीकेज, रोटर अर्थ फाल्ट्स आदि के कारण कुछ बड़ी-बड़ी बन्दियां होना।

(घ) बायलरों से उत्तम कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए दामोदर घाटी निगम, निर्माताओं के साथ लगातार सम्पर्क रख रहा है। उस प्रणालियों, आई० डी० फैन, कोल मिल फीड, जल पम्पों और नियंत्रण उपकरणों के ओवरहालिंग के लिए समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है।

कम उत्पादन की समस्याओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के दल भी ताप विद्युत केन्द्रों

को भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन के विशेषज्ञों के जिस दल ने इस वर्ष जून में चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के बारे में जांच-पड़ताल की थी, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। दामोदर घाटी निगम के उत्पादन में सुधार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।

मन्डी मद्रास की भारतीय तेल निगम की पाइप लाइनों में से स्नेहक तेल की चोरी

2141. **श्री आर० के० महालगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पतान से मन्डी तेल शोधन कारखाने तक की भारतीय तेल निगम की पाइप लाइनों में से स्नेहक तेल की कथित चोरी से सम्बन्धित जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चोरी से भारतीय तेल निगम के कुछ कर्मचारी सम्बद्ध थे ;

(ग) क्या जांच से यह पता चला है कि किस प्रकार और कहाँ स्नेहक तेल का निपटान किया जा रहा था ; और

(घ) क्या चोरी एक लाख रुपये प्रति-दिन के मूल्य की थी अथवा यह एक लाख रुपये से भी अधिक मूल्य की थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच के दौरान, इस सम्बन्ध में इंडियन आयल कार्पोरेशन के अधिकारियों की सांठ गांठ के कोई पक्के सबूत प्रकाश में नहीं आए हैं।

(ग) जांच का क्षेत्र चोरी के स्थानों का पता लगाना और उस सम्बन्ध में प्रतिकारात्मक उपायों को सुझाना और चोरी की कार्यवाही को रोकना था।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान चोरी के कारण क्रमशः 27.8 लाख रुपये और 83.71 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया था।

छठी योजना के बाद पश्चिम बंगाल में बिजली की कुल मांग

2142. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के पश्चात् पश्चिम बंगाल में बिजली की कुल कितनी मांग होगी;

(ख) पश्चिम बंगाल में और विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में छठी योजना के बाद बिजली की कुल कितनी कमी होगी; और

(ग) पश्चिम बंगाल में और विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किन-किन बिजली परियोजनाओं को आरम्भ किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल करने के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत विकास पर कार्यकारी दल ने छठी योजना अवधि अर्थात् 1984-85 के अन्त में पश्चिम बंगाल में विद्युत की माँग (इसमें वह मांग भी शामिल है जिसे दामोदर घाटी

निगम ने पूरा करने का वचन दिया है) का अनन्तिम रूप से जो अनुमान लगाया है, वह निम्नलिखित है :—

व्यस्ततमकालीन मांग	1540 मेगावाट
ऊर्जा की आवश्यकता	8316 मिलियन यूनिट

(ख) कार्यकारी दल के संप्रेक्षणों के अनुसार, क्षेत्र में स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर उपलब्ध विद्युत के छठी योजना अवधि के अन्त में पश्चिम बंगाल की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने की उम्मीद है। उत्तरी और दक्षिणी बंगाल प्रणालियों के बीच अन्तर्सम्पर्क को छठी योजना के अन्त तक पर्याप्त सुदृण करने की योजना बनाई गई है जिससे उत्तरी बंगाल में विद्युत की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार किया जाएगा।

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित परियोजनाएँ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

क्रम सं० परियोजना का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता	1980-85 के दौरान और जोड़े जाने वाले संभावित लाभ
1. जलढ़ाका (जल विद्युत)	2×4	8 मेगावाट
2. रामन-दो (जल विद्युत)	4×12.5	50 मेगावाट
3. संथालडीह (ताप विद्युत) चौथा यूनिट	2×120	120 मेगावाट
4. वडेल (ताप विद्युत) विस्तार	1×210	210 मेगावाट
5. कोलाघाट (ताप विद्युत)	3×210	630 मेगावाट
6. दुर्गापुर परियोजना लि० का विस्तार	1×110	110 मेगावाट
7. सी० ई० एस० सी०	4×60	240 मेगावाट

इनमें से, जलढ़ाका और रामन-दो जल विद्युत परियोजनाएँ उत्तरी बंगाल में स्थित हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा फरक्का पर स्थापित किए जा रहे फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र से तथा भूटान में निर्माणाधीन चुखा जल विद्युत परियोजना से, जिससे फालतू विद्युत भारत को उपलब्ध होगी, विद्युत का एक भाग प्राप्त होगा।

भारत और कुवैत द्वारा संयुक्त परियोजना स्थापित किया जाना

2143. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पेट्रो-रसायन उर्वरक सम्बन्धी संयुक्त परियोजनाएँ स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए भारत और कुवैत के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुवैत के किसी प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा भी किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सितम्बर, 1980 से कुवैत के महा महिम अमीर के भारत के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री और महा महिम अमीर ने यह अनुभव किया कि भारत और कुवैत के बीच पेट्रो-रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्तावों पर मंत्रीस्तर और अधिकारी स्तर पर विचार किया जायेगा।

भारत और कुवैत द्वारा विद्युत सम्बन्धी संयुक्त परियोजनायें स्थापित किया जाना

2144. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत सम्बन्धी संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए भारत और कुवैत के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुवैत के किसी प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में किए गये निर्णय का व्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुवैत के महामहिम अमीर के भारत के दौरे के दौरान और कुवैत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों में और सुधार करने के लिए कुछ बात चीत हुई थी। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा हमारे वाणिज्य मंत्री के बीच भी बातचीत हुई थी। कुवैती वित्तीय सहयोग से भारत में कुल कोर सेक्टरों में जिनमें विद्युत सेक्टर भी शामिल है, संयुक्त उद्योग परियोजनाएँ स्थापित करने की सम्भावनाओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिए दोनों मंत्री सहमता थे। इस बात पर सहमति हुई थी कि इस सम्बन्ध में संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुवैत से एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी दल भारत का दौरा कर सकता है।

(ख) उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी दल ने अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को मिट्टी का तेल और डीजल की सप्लाई

2145. **श्री अरविंद नेताम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 की दूसरी और चौथी तिमाही के लिए डीजल और मिट्टी के तेल का कितना कोटा माँगा;

(ख) राज्य को इन वस्तुओं की कितनी वास्तविक मात्रा उपलब्ध कराई गई; और

(ग) आवंटन और की गई सप्लाई में कितना अन्तर है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1980 की दूसरी और चौथी तिमाहियों के दौरान, राज्य की हाई स्पीड डीजल (एच. एस. डी.) और मिट्टी के तेल की मोटे तौर पर कम से कम मासिक आवश्यकता क्रमश: 40,000 मीट्रिक टन और 20,000 मीट्रिक टन सूचित की थी ।

(ख) और (ग) अप्रैल-जून, 1980 और अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल के आबंटन और बिक्री तथा नवम्बर, 1950 के लिए आबंटन और उसकी बिक्री (1—15 नवम्बर तक) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

महीने का नाम	हाई स्पीड डीजल		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
अप्रैल, 1980	38000	35163	15889	13811
मई, 1980	38000	36322	16500	13876
जून, 1980	32150	29810	16490	14712
अक्टूबर, 1980	33000	34685	16410	16485
नवम्बर, 1980 (15 नवम्बर तक)	45400	19345	16390	7478

टैंक वैगनो की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण परिवहन बाधाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 1980 की दूसरी तिमाही के दौरान दोनों डीजल और मिट्टी के तेल की बिक्री उनके आबंटन की अपेक्षा कुछ कम थी । चौथी तिमाही में बिक्री लगभग उसके आबंटन के अनुरूप है ।

प्रत्येक बिजली संयंत्र में कोयले के भण्डार की स्थिति

2146. श्री निरेन घोष : क्या ऊर्जा मंत्री प्रत्येक बिजली संयंत्र में कोयले के भण्डार की वर्तमान स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : बड़े विद्युत संयंत्रों में कोयले के भण्डार की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण में दिया गया है ।

विवरण

26-11-80 की स्थिति के अनुसार बड़े विद्युत संयंत्रों में कोयले के भण्डार की अद्यतन स्थिति दिखाने वाला विवरण।

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	कोयले के भण्डार की वर्तमान स्थिति मीटरी टन	दिनों की संख्या	तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र :					
	दिल्ली				
	1. वदरपुर	9407	2	26.11.80	
	2. डेसू (इन्द्रप्रस्थ केंट)	12442	4	26-11-80	
	हरियाणा				
	3. फरीदाबाद	2680	2	26-11-80	
	4. पानीपत	7984	5	23-11-80	
	पंजाब				
	5. भटिण्डा	5686	2	20-11-80	
	उत्तर प्रदेश				
	6. हरदुआ गंज 'ए'	*	—	—	*बिजलीघर बंद है।
	7. हरदुआगंज 'बी' और 'सी'	13619	3	25-11-80	
	8. कानपुर (आर. पी. एच.)	8616	9	25-11-80	
	9. (1) ओबरा 'ए'	25533	5	25-11 80	
	(2) ओबरा 'बी'	64022	13	25-11-80	
	10. (1) पनकी	370	½	25-11-80	
	(2) पनकी विस्तार	11006	5	25-11-80	
	11. रेणुसागर	25741	9	17-11-80	
पश्चिमी क्षेत्र					
	गुजरात				
	12. अहमदाबाद	20488	7	24-11-80	मुख्यत ईंधन तेल का प्रयोग कर रहा है।
	13. धुवारण	1190	1	21-11-80	
	14. गांधीनगर	6691	3	21-11-80	
	15. उकई	33791	7	21-11-80	

1 2	3	4	5	6
महाराष्ट्र				
16. मुसावल	15714	5	24-11-80	
17. चोला	4254	4	1-11-80	
18. कोराडी	57800	8	24-11-80	
19. नासिक	17201	3	24-11-80	
20. पारस	16292	13	24-11-80	
21. पारली	12428	13	24-11-80	
22. ट्राम्बे	47914	—	20-11-80	इस समय ईंधन
23. खापरखेड़ा	28921	26	24-11-80	तेल और गैस का प्रयोग कर रहा है।
मध्य प्रदेश				
24 अमरकंटक	42912	12	21-11-80	
25. कोरबा	239004	40	21-11-80	
26. सतपुड़ा	31641	8	21-11-80	
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश				
27. कोठागुडम	130419	22	22-11-80	
28. रामागुण्डम	15159	12	22-11-80	
29. विजयवाड़ा	31975	12	22-11-80	
तमिलनाडु				
30. बेसिन ब्रिज	10133	10	24-11-80	
31. एन्नौर	130563	33	24-11-80	
32. तूतीकोरिन	392162	157	16-11-80	
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार				
33. बरौनी	14120	14	16-11-80	
34. पतरतू	61725	12	20-11-80	
दा० घा० नि०				
35. बोकारो	125060	50	16-11-80	
36. चन्द्रपुरा	159891	36	20-11-80	
37. दुर्गापुर	24374	10	20-11-80	

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा				
	38. तलचेर	63732	32	22-11-80	
	पश्चिम बंगाल				
	39. बंडल	—	—	24-11-80	
	40. कलकत्ता	10529	3	21-11-80	
	41. दुर्गापुर (डी० पी० एल०)	31431	15	16-11-80	
	42. संथालडीह	1363	½	24-11-80	

देश में डीजल और पेट्रोल की कमी

2147. **श्री अशोक गहलौत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में इन दिनों डीजल और पेट्रोल की भारी कमी महसूस की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप देश की परिवहन व्यवस्था काफी अस्त-व्यस्त हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को उक्त कमी की जानकारी है और क्या इसे दूर करने के लिए कार्य-वाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एवं (ख) जुलाई एवं सितम्बर, 1980 के बीच हाई स्पीड डीजल तेल की उपलब्धता सभी राज्यों में सन्तोषजनक थी तथा उत्पादन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कम मांग के कारण बिक्री कम रही। अक्तूबर, नवम्बर 1980 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अक्तूबर, नवम्बर 1976 के वास्तविक आवंटन के मुकाबले हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन पांच प्रतिशत अधिक के स्तर पर किया गया। कुछ राज्यों के आवंटन में तदर्थ आधार पर भी वृद्धि की गयी। राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से हाई स्पीड डीजल तेल के उचित वितरण को सुनिश्चित करने तथा कानून के विद्यम प्रावधानी के अन्तर्गत अनाचारों जैसे उत्पाद की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को नियन्त्रित करने के लिए कहा गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि डीजल की सप्लाई के मामले में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसके कारण परिवहन क्षेत्र को डीजल की सप्लाई हो सकता है कुछ कम प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के मामले में आमतौर पर उपलब्धता मांग के अनुरूप थी तथा इसकी कमी नहीं है। संभार तंत्र (लोमिस्टिक) तथा संचालन में रुकावटों के कारण उत्पादन की उपलब्धता कुछ स्थानों पर कभी कभी सीमित रही।

(ग) अक्तूबर, नवम्बर, 1980 में हाई स्पीड डीजल तेल का राज्यवार आवंटन एवं बिक्री का ब्यौरा संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर गुजरात में कलोल में लिग्नाइट कोयले के भण्डार

2148. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि भारतीय जलाशय अध्ययन संस्थान ने उत्तर गुजारात में कलोल में लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डारों का पता लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये भण्डार कलोल में कुआँ 135 के आस पास, जिसे निष्क्रिय समझ लिया गया था होराइजन 9 और 10 में भूमि स्तर से कई सौ मीटर नीचे दबे पड़े हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि "इन सिटू गैसिफिकेशन" नामक एकक पद्धति के जरिए, भण्डारों को गैसीकृत किया जा सकता है और उनको दो द्रव्यों, अर्थात् कच्ची गैस और द्रव्य को अलग-अलग किया जा सकता है तथा इस अलग की गई करोड़ों क्यूबिक मीटर गैस का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है ; और

(घ) (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार गुजरात के वर्तमान ऊर्जा संकट दूर करने के लिए इन भण्डारों का उपयोग करने हेतु तत्काल उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मूल्य कम करने तथा कोयले की बनावटी कमी

2149. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की बनावटी कमी दूर करने तथा इसकी उपलब्धता बढ़ाकर मूल्य कम करने की कोई नई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले का उत्पादन बढ़ जाने के फलस्वरूप कोयले की उपलब्धि में हुई वृद्धि का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया था कि कुछ ऐसी विशिष्ट खानों से बिना किसी प्रतिबंध के 1.9. 1980 से कोयले की खुली बिक्री की जाए जहां कोयले के विशाल खान गुहाना स्टाक है। कोककर कोयले इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इस योजना के अधीन निचले ग्रेड के कोयले के उपभोक्ता कोयला कंपनियों के पास सीधे जा सकते हैं और अपनी जरूरत का कोयला ले सकते हैं। इसमें एकमात्र शर्त यह होगी कि इस प्रकार आवंटित कोयला 7 दिनों में ही उठाना पड़ेगा। साफ्ट कोक की कीमतों को नीचे लाने की दृष्टि से यह निर्णय भी किया गया है कि विभिन्न राज्यों में इसके टाल स्थापित किए जाएं ताकि साफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ जाए और इसकी कीमतों में कमी हो जाए। प्रयोग के तौर पर यह निर्णय किया गया है कि साफ्ट कोक के टाल प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएं और हार्ड कोक का एक टाल तमिलनाडू में स्थापित किया जाए।

सिनेमा सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिश

2150. **श्री भीखू राम जैन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चलचित्र नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने देश में सिनेमा घरों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार थियेटर निर्माण के लिए बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से उदारतापूर्वक संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैंकों आदि के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विकल्पकों की खोज की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र और फिल्म स्टूडियों की स्थापना

2151. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को जुलाई 1980 में भोपाल में एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्थान में एक दूरदर्शन केन्द्र तथा फिल्म स्टूडियो खोलने की मांग की गई थी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में वृत्त चित्रों तथा फीचर फिल्म बनाये जाने की मांग भी की गई थी ताकि वहां के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर प्राप्त हो सके ; और

(ग) उपरोक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में भोपाल या अन्य स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र और फिल्म स्टूडियो स्थापित करने तथा उस राज्य में डाकुमेंट्री फिल्में बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सुझाव रहे हैं ।

(ग) भोपाल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया था । तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

फिल्म स्टूडियो को स्थापित करने का मामला राज्य सरकार और निजि क्षेत्र से सम्बन्धित है । फिल्म प्रभाग ने मध्यप्रदेश पर अनेक डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं और दो और डाकुमेंट्री फिल्में इसके निर्माण कार्य में शामिल हैं ।

कोला, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन केन्द्र

2152. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर एकमात्र शहर है जहां दुरदर्शन केन्द्र है ;

(ख) क्या कोला, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में निकट भविष्य में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोटा में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को माइक्रोवेव लिंको के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार सम्बन्धी छठी योजना (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन योजना की स्वीकृति, संसधानों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

निकट भविष्य में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिजली की कटौती के कारण प्रत्येक राज्य में श्रम-घंटों की हानि

2153. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में विभिन्न उद्योगों में औसतन कितने श्रम घंटों की हानि हुई है; और

(ख) देश में बिजली की कटौती से बचने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रणाली में विद्युत की कमी है जो अलग-अलग राज्य में तथा अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होती है। किसी विशेष समय पर कमी की मात्रा वास्तविक मांग तथा निवल उपलब्धता के बीच अन्तर के ऊपर निर्भर करती है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए विद्युत कटौतियाँ तथा प्रतिबन्ध लागू किए जाते है। उत्पादन में हानि होने में सहायक विभिन्न पहलुओ में से विद्युत की कमी एक है। केवल तथा अलग से लोड शैंडिग के कारण श्रम घंटों की हानि की सही-सही मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ख) लोड़ शैडिग की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के अतिरिक्त, छुट्टी के दिनों और शिफ्टों को अलग-अलग करके तथा जहाँ तक सम्भव हो सकता है व्यस्तमतकालीन भार को व्यस्ततमकालीन समय में अंतरित करके, जहां तक व्यवहार्य हो सकता है भार वक्र को समान करके मांग का बेहतर प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में भी कदम उठाए गए हैं। प्रणाली में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(2) संयन्त्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता।

(3) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिष्ठापित करने के कार्यक्रम शुरू करना।

(4) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना।

(5) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों की विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(6) निर्माणाधीन समस्त विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से मानीटरिंग करना।

(7) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए इंजीनियरों और प्रचालकों को प्रशिक्षण देना जिसके लिए सोसाइटी का गठन किया गया है।

राजस्थान को कुकिंग गैस की कमी और एजेंसियों का आबंटन

2154. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुकिंग गैस की अत्यधिक कमी है;

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य में किन जिलों में कुकिंग गैस एजेंसियां आबंटित किए जाने का विचार है; और

(ग) इन एजेंसियों के आबंटन के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनाई गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। राजस्थान के बाजारों में खाना पकाने की गैस की कुछ पिछली बकाया सप्लाई की जानी है।

(ख) राजस्थान में उन स्थानों पर जहां तेल कम्पनियों द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान खाना पकाने की गैस के वितरक नियुक्त किए जाने हैं की सूची संलग्न है।

(ग) वर्तमान प्रचलित नीति के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की सभी डीलरशिपों का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए, 25

प्रतिशत बेरोजगार स्नातकों के लिए, 10% विकलांग व्यक्तियों के लिए, 10% युद्ध के दौरान अपंग हुए रक्षा कर्मचारियों एवं युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों के लिए तथा 30 प्रतिशत व्यापारिक आधार पर देने के लिए आरक्षित हैं।

एल० पी० जी० की डीलरशिपों की नियुक्ति सम्बद्ध देशों में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके की जाती है तथा सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवार चुना जाता है।

राजस्थान में खनिज तेल के लिए सर्वेक्षण

2155. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खनिज तेल के भण्डारों का पता लगाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या सभी सम्भावित स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और यदि हाँ, तो क्या तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के पश्चिमी भाग को हाइड्रो कार्बन्स के लिए प्रत्याशित समझा गया है। तथापि राजस्थान में अभी तक हाइड्रो-कार्बन्स के वाणिज्यिक भण्डारों का पता नहीं लगा है।

(ख) सब प्रत्याशित स्थानों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हवाई-चुम्बकीय और भूमि-चुम्बकीय सर्वेक्षणों के द्वारा किया जा चुका है। चुने गए सम्भावित स्थानों पर परम्परागत सर्वेक्षण भी किए गए थे। प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न संरचनाओं में 17 कुएँ खोदे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक छोटे सामायिक गैस का पता लगा है और एक कुएँ से गैस के प्रतिकूल संयोजन के संकेत मिले हैं। इस समय सुधरी हुई तकनीकों के साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

विस्थापितों, देश प्रत्यावर्तितों और आव्रजकों को नकद बेकारी अनुदान

2156. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1980 की स्थिति के अनुसार कितने विस्थापित व्यक्तियों, देश प्रत्यावर्तितों और आव्रजकों को नकद बेकारी अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) पहली अप्रैल, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक इस प्रकार के बेकारी अनुदान पर कितनी राशि व्यय की गई और 31-3-1981 तक नकद बेकारी अनुदान पर व्यय के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) नकद बेकारी अनुदान के भुगतान में कमी लाने के लिए कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कासरगोड तट से दूर छिद्रण-कार्य

2157. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या पेट्रोलियम, रसायनग्रौर उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड में तट से दूर छिद्रण-कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसको बन्द करने के क्या कारण है ग्रौर यह दोबारा कब शुरू किया जाएगा; ग्रौर

(ग) यदि बन्द नहीं किया गया है तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ग्रो० एन० जी० सी० ने ग्रप्रैल, 1980 के दौरान कासरगौड ग्रपतटीय संरचना में 2970 मीटर की गहराई पर एक कुग्रां (संख्या के० जी०-1-1) खोदा था। उक्त कुग्रां सूखा निकला क्योंकि उसमें कोई तेल/गैस नहीं मिली । तथापि, इस कुएँ से प्राप्त सूचना का ग्रो० एन० जी० सी० द्वारा ग्रध्ययन किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र की भावी सम्भावनाग्रों का विश्लेषण किया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र

2158. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में स्थापित किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्र के लिए ट्रान्समीटर तथा सम्बद्ध उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं; ग्रौर

(ख) ग्रब तक किए गए कार्य की प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन क्या हैं ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) (क) ग्रौर (ख) ट्रांसमीटर की खरीद के लिए ग्रार्डर दे दिया गया है । सम्बन्धित उपकरणों की खरीद के लिए ग्रार्डर देने की कार्यवाही चल रही है । दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्थान कब्जे में ले लिया गया है ग्रौर भवन का नक्शा बना लिया गया है । सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं ।

ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड की संस्थापित क्षमता का उपयोग किया जाना

2159. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड की संस्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार का केरल सरकार के सरकारी उपक्रमों के ऊपर किसी प्रकार की देख-

रेख का कोई नियन्त्रण है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या सरकार द्वारा ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लि० की प्रतिस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किए जाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं,

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब कोई कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कम्पनी ने सूचित किया है कि विभिन्न प्रक्रिया स्तरों पर उपकरण कठिनाइयों के कारण स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। कम्पनी ने सन्तुलन उपकरणों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष उत्पादन बढ़ गया है और 1979 के केवल 8331 टन उत्पादन की तुलना में 1980 के अन्त तक 11,000 टन तक उत्पादन होने की आशा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) और (च) : प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत पारेषण में हानि की प्रतिशतता

2160. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत पारेषण में राज्य-वार होने वाली हानि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) वह अन्य देशों की प्रतिशतता से किस प्रकार तुलनीय है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1978-79 के दौरान हुई पारेषण और वित्त हानियों की तथा हिसाब में न ली गई ऊर्जा की प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण 1 इस उत्तर के साथ संलग्न है।

(ख) कुछ यूरोपियन देशों तथा एशिया और प्रशान्त के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक आयोग (ई० एस० सी० ए० पी०) के देशों की वर्ष 1976 की पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता कृपया संलग्न विवरण-2 में देखी जा सकती है।

(ग) वर्तमान सीमित साधनों के भीतर ही राज्य बिजली बोर्ड प्रणाली सुधार की स्कीमें हाथ में ले रहे हैं तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को निम्नलिखित मार्ग दर्शन सिद्धान्त जारी किए गए हैं :

(1) कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रत्येक बिजली बोर्ड में एक विशेष तन्त्र की स्थापना करना।

(2) वितरण आयोजन के लिए राज्य बिजली बोर्ड पायलेट प्रणाली अध्ययन आरम्भ करें और इस बात का प्रयास करें कि इनके अन्तर्गत केवल प्रारम्भिक वितरण और एल० टी० तार-जाल कार्य ही शामिल न हो बल्कि संबद्ध उप-पारेषण और पारेषण प्रणालियां भी

शामिल हों।

(3) हानियों को कम करने की स्कीम बनाने हेतु बिजली बोर्ड में विशेष यूनिटें स्थापित करना।

(4) सप्लाई की शर्तों में संशोधन करना ताकि इन्डक्टिव मोटिव विद्युत उपभोक्ताओं को अपने टर्मिनलों पर शंट केपेसिटर्स लगाना आवश्यक रहे।

(5) अधिक भार वाली लाइनों को राहत देने के लिए नई पारेषण लाइनें और उप केन्द्र बनाना। संवाहकों को बदल कर बड़े साइज के संवाहक लगाना। वर्तमान लाइनों के लिए नए स्थानों पर उपकेन्द्र बनाना तथा वर्तमान निम्न वोल्टता प्रणालियों का नये सिरे से प्रबन्ध करना।

(6) वोल्टता की स्थितियो में, विद्युत गुणांक में सुधार लाने तथा पारेषण और उपपारेषण लाइनों की लोडिंग कम करने के लिए विभिन्न (क) ग्रिड और (ख) प्राथमिक वितरण उपकेन्द्रों पर हाइ टेंशन (एच० टी०) कैपेसिटर्स की स्थापना।

(7) ऊर्जा की चोरियों को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु सतर्कता दल बनाना जिनमें बिजली बोर्डों के विभागीय इंजीनियर और एक पुलिस निरीक्षक शामिल हो।

विवरण—1

वर्ष 1978-79 के दौरान हुई पारेषण और वितरण हानियों की तथा हिसाब में न ली गई ऊर्जा की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य का नाम	पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	21.68
हिमाचल प्रदेश	18.97
जम्मू व कश्मीर	40.46
पंजाब	16.74
राजस्थान	26.62
उत्तर प्रदेश	18.70
चंडीगढ़	25.09
दिल्ली	16.11
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड	2.58
उत्तरी क्षेत्र	21.30

राज्य/संघ राज्य का नाम	पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता
गुजरात	16.78
मध्य प्रदेश	20.30
महाराष्ट्र	18.32
गोवा, दमन और दीयु	26.29
दादरा और नागर हवेली	29.10
पश्चिम क्षेत्र	18.45
बिहार	16.83
उड़ीसा	18.74
पश्चिम बंगाल	12.59
दामोदर घाटी निगम	1.88
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	24.74
सिक्किम	19.47
पूर्वी क्षेत्र	16.78
आन्ध्र प्रदेश	21.27
कर्नाटक	22.55
केरल	12.36
तमिलनाडु	19.05
पांडिचेरी	13.92
लक्षद्वीप	21.84
दक्षिणी क्षेत्र	21.31
असम	20.26
मणिपुर	67.14
मेघालय	7.07
नागालैंड	35.79
त्रिपुरा	35 80
अरुणाचल प्रदेश	26.29
मिजोरम	9.09
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	23.33
अखिल भारत	20.02

विवरण—2

वर्ष 1976 के दौरान विदेशों में पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं० देश का नाम	पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता
(क) यूरोपियन देश	
1. फ्रांस	6.86
2. जर्मनी (जी० डी० आर०)	7.10
3. हंगरी	8.26
4. स्पेन	10.26
5. स्वीडन	9.41
6. स्विटजरलैंड	8.97
7. यू० एस० एस० आर०	8.25
8. यू० के०	7.26
9. कनाडा	9.22
10. यू० एस० ए०	8.80
(ख) यूरोपियन तथा एशिया व प्रशांत के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक आयोग (ई० एस० सी० ए० पी०) के देश	
11. आस्ट्रेलिया	9.16
12. हांगकांग	6.66
13. इंडोनेशिया	22.84
14. इरान	12.84
15. जापान	6.31
16. नेपाल	27.63
17. न्यूजीलैंड	10.09
18. फिलीपाइन्स	5.18
भारत*	19.79

*वर्ष 1976-77 के लिए।

सिंगरोली के निकट जयन्त खदानों के बारे में रूसी विशेषज्ञों का परियोजना प्रतिवेदन

2061. **श्री अरविंद नेताम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने मध्य भारत में सिंगरोली के निकट खदानों के बारे में हाल ही में एक योजना प्रतिवेदन सरकार को पेश किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सोवियत विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कोल इंडिया लि० को 1979 में दे दी गयी थी।

इस रिपोर्ट में यह व्यवस्था है कि जयन्त ओपेनकास्ट खान का 10 मि० टन प्रति वर्ष लक्ष्य उत्पादन के लिए विकास किया जाए।

गोविन्द सागर जलाशय का जल स्तर और भाखड़ा विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता

2162. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष भाखड़ा के गोविन्द सागर जलाशय का न्यूनतम जल स्तर 1675 फुन्ट था जबकि इस वर्ष यह केवल 1665 फुन्ट ही रहा और क्या इस जलाशय के जल स्तर ने गत वर्ष के स्तर की तुलना में इस वर्ष दो सप्ताह पहले ही घटना शुरू हो गया है;

(ख) भाखड़ा विद्युत केन्द्र की उत्पादन क्षमता कितनी और पिछले वर्ष वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन हुआ तथा इस वर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) भाखड़ा कम्पलैक्स की प्रतिष्ठापित क्षमता, जिसमें बायां तट, दायां तट, गंगुवाल तथा कोटला बिजली घर शामिल हैं, 1204 मेगावाट है। 1-6-1979 से 31-5-1980 तक की अवधि के दौरान उत्पन्न की गई विद्युत की मात्रा 6271 मिलियन यूनिट थी। जलाशय में उपलब्ध जल की मात्रा से, 1-6-1980 से 31-5 1981 तक की अवधि के दौरान 5743 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है।

(ग) सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से, जलाशय से वास्तविक रिलीजों के मामले में भाखड़ा तथा व्यास प्रबंध बोर्ड सभी भागीदार राज्यों के साथ समय-समय पर परामर्श करता है।

गुजरात और असम को कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी का भुगतान

2163. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि गुजरात और असम सरकारों को कच्चे तेल पर रु० 42 प्रतिदिन और प्राकृतिक गैस की कीमत का 10 प्रतिशत रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों राज्य सरकारों ने रायल्टी की राशि में संशोधन के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) असम और गुजरात राज्य सरकारों ने अशोधित तेल और केंसिग हैडकंडेसेट की रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए स्मरण-पत्र दिये हैं। सामान्य रूप से मुख्य प्वाइंट ये हैं :—

(i) समस्त तेल उत्पादक राज्यों के स्वाभाविक अधिकार सब प्रकार पूर्ण रूप से सुरक्षित किए जायं और उनको उचित मुआवज दिया जाये ।

(ii) रायल्टी में संशोधन दिनांक 1-1-1976 से किया जाए।

(iii) रायल्टी को तय करते समय भारतीय बन्दरगाह पर खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय एफ० ओ० आर० मूल्य को विचार में लिया जाना चाहिए और रायल्टी को मध्य पूर्व अशोधित तेल के भारित औसत दर्ज मूल्य के 20% यथामूल्य और 4% बिक्री कर से मुआवजे को शामिल करके निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(iv) खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बार-बार वृद्धि के कारण रायल्टी में होने वाली हानि को रोकने के लिए इस संबन्ध में आवश्यक प्रावधान अर्थात् मूल्यवृद्धि धारा का आरम्भ, रायल्टी धनराशि के भुगतान का त्रैमासिक पुनरीक्षण आदि किए जाने चाहिए ।

(v) असम राज्य सरकार ने कहा है कि रायल्टी को 315 रुपये प्रति मी०टन की दर से 1 जनवरी, 1980 से निर्धारित किया जाना चाहिए और यदि अशोधित तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में 5% की अथवा इससे अधिक भिन्नता आती है तो इसमें प्रति तिमाही संशोधन किया जा चाहिए ।

मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति

2164. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति और उसके लिए हक के सत्यापन के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के प्रत्येक मामले में विधि मंत्रालय की राय प्राप्त करना अपेक्षित है;

(ग) जनवरी, 1980 से 15 नवम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा स्वशासी निकायों ने विधि मंत्रालय को कितने मामले भेजे थे और प्रत्येक मामले में उक्त मंत्रालय ने कितना-कितना समय लिया;

(घ) क्या यह सच है कि प्रत्येक मामले में एक मास से अधिक का समय लिया गया और मामलों में विलम्ब हुआ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या कुछ मंत्रालयों ने सभी मामले भेजे और कुछ ने एक भी मामला नहीं भेजा ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त (गृह निर्माण अग्रिम नियमों के रूप में ज्ञात) बनाए गए हैं जो समूल्य प्रकाशनों के रूप में उपलब्ध हैं। इनके ब्यौरे समय-समय पर जारी किए गए नियमों और कार्यालय-ज्ञापनों में मिलेंगे।

(ख) इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार विधि मंत्रालय से परामर्श लिया जाना चाहिए और जानने के लिए उसकी राय ली जानी चाहिए कि क्या आवेदक का उस सम्पत्ति पर बेचने योग्य और बिना विल्लगम के हक हैं जिस पर सरकार के पक्ष में प्रथम बंधक का सृजन होगा।

(ग) जनवरी, 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा विधि मंत्रालय को भेजे गए मामलों की संख्या और प्रत्येक मामले में जितना समय लगा उसे दर्शाने वाला एक विवरण (उपाबन्ध) संलग्न है। गृह निर्माण अग्रिम के बारे में स्वशासी निकाय विधि मंत्रालय को कोई मामला नहीं भेजते हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1497/80]

(घ) संलग्न विवरण से पता चलेगा कि विधि मंत्रालय को भेजे गए 533 मामलों में से 62 मामलों के निपटाने में एक मास से अधिक समय लगा है। इतना समय लगाने का कारण यह है कि प्रायः हक सम्बन्धी अपेक्षित दस्तावेज या प्रमाणपत्र नहीं भेजे गए या जांच किए जाने वाले हक की प्रकृति जटिल थी।

(ङ) सब मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे हक-विलेख की जांच से संबन्धित सभी मामले विधि-मंत्रालय को भेजें। किन्तु इस बात का तो सम्बधिन्त मंत्रालयों को ही पता होगा कि वे वास्तव में सभी मामले भेजते हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश नहीं है।

विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश की कोयला सप्लाई पर आधारित सुपर ताप संयंत्रों की स्थापना करना

2165. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश की कोयला सप्लाई पर आधारित अनेक सुपर ताप संयंत्र लगाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या इनकी स्थापना कोयला खान मुहानों के निकट सुपर ताप संयंत्र लगाने के बारे में सरकार की स्वीकृति नीति के अनुकूल है, यदि नहीं, तो उपर्युक्त भाग (क) सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया है कि 1987 के

बाद ही सिंगरौली में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु विद्युत उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को कोयला उपलब्ध कराया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर ताप विद्युत केन्द्र पिट हैडों के पास स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना कोयले की अपनी बल्क सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश स्थित खानों पर आश्रित रहेगी। कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कोयले की अपनी सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश स्थित कोयला खानों पर आश्रित रहेगी। कुछ अन्य राज्यों द्वारा अपने प्रदेश के भीतर स्थापित किए गए कुछ अन्य बड़े ताप विद्युत केन्द्र ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश स्थित कोयला खानों से लिंक हैं क्योंकि ऐसे विद्युत केन्द्रों को कोयले की युक्ति संगत सप्लाई का साधन यही कोयला खानें हैं।

(ख) जहां तक व्यवहार्य होता है, पिट हैडों के निकट ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की नीति का पालन किया जाता है। केन्द्रीय सैक्टर के सभी सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में इस नीति का पालन हो रहा है। तथापि पिटहैडों से दूर कुछ भार केन्द्र विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुमति दी जा रही है ताकि अलग-अलग राज्य विद्युत की सप्लाई में कुछ हद तक आत्म-निर्भर हो सकें तथा वे अपने वित्तीय साधनों का उपयोग कर सकें, जिसका आधार विद्युत का विकास है।

(ग) और (घ) सिंगरौली में कोयले के उत्पादन के कार्यक्रम तथा इसकी वर्तमान, निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर सिंगरौली में विंध्याचल (वैधन) परियोजना के लिए 1989-90 से कोयला लिंक की पुष्टि कर दी गई है।

गुजरात में उद्योगों के लिए एलकोहल की आवश्यकता

2166. **श्रीमती भाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सभी उद्योगों के लिए प्रति वर्ष कितना एलकोहल चाहिए और गुजरात में यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या गुजरात के वित्त मंत्री ने राज्य की एलकोहल की आवश्यकता पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से इसकी सप्लाई की मांग की है और कितनी मात्रा में एलकोहल की मांग की गई है तथा इसमें से कितनी मात्रा में एलकोहल केन्द्र द्वारा सप्लाई किया जाएगा और किस दर पर :

(ग) क्या एलकोहल की कमी को ध्यान में रखते हुए सीरा के राज्य से बाहर निर्यात पर रोक लगाई जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में एलकोहल की मांग को ध्यान में रखते हुए गुजरात में सीरा पर आधारित एलकोहल संयंत्र स्थापित करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1980 में केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में गुजरात सरकार के प्रनिनिधि वित्त मंत्री ने बताया कि अल्कोहल वर्ष 1980-81 में गुजरात में 223.66 लाख लिटर अल्कोहल की उपलब्धता का अनुमान है और उद्योगों के लिए 387.23 लाख लिटर अल्कोहल की आवश्यकता होगी और 163.57 लाख लिटर अल्कोहल की कमी होगी। भारत सरकार से इस कमी को अल्कोहल अधिशेष वाले राज्यों से पूरा करने का आग्रह किया गया था। चूंकि अल्कोहल का मूल्य वैधानिक नियन्त्रण में है, इसे समय-समय पर संशोधित इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1971 के अनुरूप ही नियत किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। वस्तुतः गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि अल्कोहल उत्पादन के लिए अपेक्षित सीरे समेत राज्य में शीरा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 5,100 टन शीरा अधिशेष होगा।

(घ) गुजरात में शीरे पर आधारित अल्कोहल प्लांट लगाने के बारे में राज्य सरकार या गैर सरकारी क्षेत्र के प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

अन्य देशों द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई और उसका मूल्य

2167. **श्री मोती भाई आर० चौधरी**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको, रूस तथा वैनेजुला द्वारा देश-वार भारत को कितने टन अशोधित तेल की सप्लाई किए जाने की सम्भावना है और उसकी दर कितनी है ;

(ख) इस वर्ष ईरान तथा ईराक द्वारा भारत को कितना अशोधित तेल सप्लाई किया जाना था और उसमें से अब तक कितनी मात्रा प्राप्त हुई है तथा कितनी सप्लाई न की जा सकी और अशोधित तेल की सप्लाई किस दर पर की गई है ; और

(ग) गैर-ओपेक देशों से खरीदे जाने वाले अशोधित तेल के लिए ईराक-ईरान मूल्य की अपेक्षा कितना अधिक मूल्य देना पड़ेगा और क्या उसके परिणामस्वरूप देश में अभी भी अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) मैक्सिको, से वर्ष 1981 के दौरान 1.5 मिलियन मीट्रिक टन खनिज तेल की सप्लाई के लिए पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जहां तक रूस एवं वैनेजुला से आयात का सम्बन्ध है, विचार-विमर्श उस स्तर पर है कि उसके बारे में ब्यौरा देना राष्ट्रीय हित में न होगा।

(ख) वर्ष 1980 के खनिज तेल-सप्लाई संविदा के अनुसार भारत को ईराक ने 6 एम० टी० तथा ईरान ने 5 एम० टी० खनिज तेल सप्लाई करना था। इस बारे में और अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय हित में न होगा।

(ग) ईरान-ईराक युद्ध के कारण खनिज तेल की सप्लाई कुछ अव्यवस्थित हुई है। जहां तक आवश्यक है सप्लाई की व्यवस्था कर अभाव की पूर्ति के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है क्योंकि युद्ध के प्रारम्भ होने के पश्चात् खनिज तेल की मौके की दरों (स्पाट प्राइसिज) में वृद्धि हुई है। सरकार छोटी अवधि एवं लम्बी अवधि की होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन कर रही है तथा सही तस्वीर कुछ माह बाद ही पता चलेगी।

एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की रिपोर्टें

2168. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सरकार को एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत तथा प्रशासकीय रिपोर्टों को उनके प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छः महीने के अन्दर-अन्दर सदन के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी रिपोर्टों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर सभा पटल पर नहीं रखा गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी, इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि की बावत ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं है, जिसके अन्तर्गत ऐसी रिपोर्टें संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड का सहायता के लिए अनुरोध

2169. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की गैस सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाँचवी बैटरी का निर्माण करने हेतु सहायता देने सम्बन्धी उसके अनुरोध को पूरा न करने के कारण दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा की गई आलोचना के बारे में उनको जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड गत दो वर्षों से उसकी मांग कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा, राजस्थान में गैस एजेन्ट द्वारा सिलिन्डरों की सप्लाई

2170 **श्री चतुर्भुज :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा नगर में एक कुकिंग गैस एजेन्ट ने एक विवाद के कारण सिलिंडरों की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह लोगों की ऐसी कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए कोई कदम उठाएंगे जिनका सामना वे महीनों से कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह समस्या कब तक हल की जाएगी और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। एक इंडेन वितरक ने अपने साझीदार के साथ विवाद के कारण खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की सप्लाई बन्द कर दी थी।

(ख) और (ग) वितरक द्वारा न्यायालय का हस्तक्षेप प्राप्त किए जाने के कारण उस क्षेत्र में दूसरी एजेन्सी के माध्यम से सप्लाई जारी रखना सम्भव नहीं हो सका। न्यायालय के आदेशों के अनुसार वितरक द्वारा अब सप्लाई जारी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना किया जाना

2171. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड सन् 1971 से सिंगरौली कोयला क्षेत्र में एक तापीय विद्युत केन्द्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और क्या उसका 200 मेगावाट शक्ति की एक एकक को लगाने के पहले के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि उस क्षेत्र को अधिक क्षमता (500/1000 मेगावाट शक्ति) वाली एक एकक लगाए जाने के लिए आरक्षित रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम प्रत्येक को सिंगरौली कोयला क्षेत्र के क्रमशः अनहारा और कोटा स्थानों में 200 मेगावाट शक्ति की एककों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को ऐसी एकक की स्थापना करने के लिए कब तक अनुमति प्रदान कर देगी?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ग) सिंगरौली में एक ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से 1971 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रस्ताव में कुछ आधार भूत आकड़े नहीं थे इस कारण इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी। तदुपरान्त मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से 1973 में एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, पुनः विचार करने पर मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने यह पाया कि वैधन में स्थल अधिक उपयुक्त रहेगा क्योंकि इस स्थल पर प्राकृतिक साधन बड़ी मात्रा में थे। तदनुसार, विंध्याचल (वैधन) मे 3000 मेगावाट क्षमता तक विस्तार किए जाने की सम्भावना सहित 500-500 मेगावाट की 2 यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जनवरी

1979 में प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच बाद में हुए विचार विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि विंध्याचल (वैधन) में इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिया जा सकता है।

(ख) कोटा (सिंगरौली) में केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 600 मेगावाट (3 × 200 मेगावाट) के प्रथम सोपान के लिए स्वीकृति दिसम्बर 1976 में प्रदान कर दी गई थी तथा अनपारा 'क' विद्युत केन्द्र (3 × 200 मेगावाट) के लिए स्वीकृति जनवरी 1979 में प्रदान कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश के बिजलीघरों के लिए अपेक्षित कोयले की सप्लाई

2172. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश की कोयला खानों से उपलब्ध कोयले को राज्य के प्रस्तावित बिजली घरों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के बिजली घरों के लिए अपेक्षित कोयला सप्लाई करने के बारे में अभी तक अपनी वचनबद्धता की पुष्टि नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) लागू प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिशों पर स्थायी लिंकेज समिति द्वारा कोयला लिंक निर्धारित किए जाते हैं। कोयला एक राष्ट्रीय साधन है और मध्य प्रदेश की कोयला खानों से केवल मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के लिए ही कोयला-भंडार सुरक्षित रखना राष्ट्र-हित में नहीं है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय विद्युत योजना की मोटे तौर पर रूप-रेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, प्राप्त संदर्भों के आधार पर, मध्य प्रदेश से प्राप्त कोयला लिंकेज सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

तेल उद्योग से भ्रष्ट तत्वों को निकालना

2173. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल उद्योग से भ्रष्ट तत्वों को निकाल बाहर करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उठाए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भ्रष्ट तत्वों को किस हद तक निकाल दिया गया है; और

(घ) क्या पेट्रोलियम पदार्थों के सुचारू रूप से वितरण किए जाने के लिए सरकार द्वारा और भी कई उपाय प्रारम्भ किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सतर्कता मशीनरी तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही कार्य कर रही है और वह

सामान्य सतर्कता के कार्य कर रही है। भ्रष्ट तत्व जो उसके नोटिस में आते हैं उन पर नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाता है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों का देश के विभिन्न भागों में वितरण बहुत भली प्रकार से संगठित किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि विभिन्न उत्पादों की सप्लाई को सबसे अच्छे संभव तरीकों से नियमित करें और कदाचार जैसे चोर-बाजारी, जमाखोरी आदि को दबाने के लिए प्रभावी कदम उठायें। इन सरकारों से और आगे यह अनुरोध किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने में लगे हुए लोगों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। तेल कम्पनियों को भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण को कड़ा कर दें और जहां प्रत्यक्षत: कदाचार का मामला हो ऐसे डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और उसके बाद उनकी डीलरशिप समाप्त कर दी जायें।

प्रत्येक मुख्य तापीय विद्युत केन्द्र में भार तत्व (लोड फैक्टर)

2174. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक मुख्य तापीय विद्युत केन्द्र में गत पाँच वर्षों के दौरान भार तत्व क्या रहा है ; और

(ख) इस कम भार तत्व के मामले में प्रशासन का क्या कार्य है तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात के सम्बन्ध ब्यौरा में विवरण में दिया गया है।

[गंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1498/80]

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों का समुचित प्रचालन तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना स्थानीय प्रबन्धों का दायित्व है। प्रबन्धकों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होता है कि :

(1) प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ उनको सोंपे गए कार्य का दायित्व सभालने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है।

(2) संयन्त्र के प्रचालन में उचित अनुदेशों तथा प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

(3) पर्याप्त पालतू पुर्जों के साथ वांछित समय पर संयन्त्र का समुचित अनुरक्षण किया जाता है तथा इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए अद्युनातन अनुरक्षण प्रक्रियाएं तथा सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकों को अपनाया जाता है। संयन्त्रों के बेहतर और उन्नत प्रचालन के हित में भारत सरकार समय-समय पर उचित तकनीकी सलाह भी देती है। ऐसी यूनिटों का जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी हाल ही में विशेष ध्यान रखा गया है। इष्टतम कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संयन्त्र स्तर पर विस्तृत संयन्त्र सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में डाकुमेंटरी फिल्में

2175. **श्री भगवान देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रीय भाषाओं के क्या नाम हैं जिनकी फिल्म डिवीजन गत तीन वर्षों के दौरान समाचार फिल्में तथा डाकुमेंटरी फिल्में तैयार की हैं तथा कितनी फिल्में तैयार की गई हैं; और

(ख) सिन्धी भाषा में ऐसी कितनी समाचार फिल्में तथा डाकुमेंटरी फिल्में तैयार की गई और वे कितनी-कितनी अवधि की थी तथा कहां कहां दिखाई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) फिल्म प्रभाग मूलरूप में डाकुमेंट्री फिल्में आम तौर पर हिन्दी या अंग्रेजी में बनाता है। इन फिल्मों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, कश्मीरी और उर्दू में और कुछ को सिन्धी में डब किया जाता है। जो फिल्में विशिष्ट क्षेत्रों में रिलीज करने के लिए होती हैं उनमें से कुछ को संबन्धित प्रादेशिक भाषाओं में बनाया जाता है। इस प्रकार की फिल्मों को अन्य भाषाओं में डब नहीं किया जाता। वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों की संख्या क्रमश: 128, 129 और 143 थी। इनका भाषा-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

मूल भाषा जिसमें फिल्में बनाई गई	फिल्मों की संख्या
1977-78	
(1) हिन्दी	47
(2) अंग्रेजी	65
(3) गुजराती	1
(4) तमिल	2
(5) उड़िया	1
(6) उर्दू	1
(7) कन्नड़	1
(8) कश्मीरी	1
(9) तेलगु	2
(10) बंगला	3
(11) मराठी	1
(12) मलयालम	1
(13) बिना कमेंट्री के	2
कुल :	128

1978-79

(1) हिन्दी		46
(2) अंग्रेजी		78
(3) बिना कमेंट्री के		4
(4) हिन्दी और अंग्रेजी में संवादों के साथ		1
	कुल :	129

1979-80

(1) हिन्दी		42
(2) अंग्रेजी		89
(3) गुजराती		1
(4) कन्नड़		2
(5) बंगला		1
(6) मराठी		1
(7) पंजाबी		1
(8) हिन्दी और अंग्रेजी में संवादों सहित		1
(9) बिना कमेंट्री के		5
	कुल :	143

1980-81 (31-10-1980 तक)

(1) हिन्दी		8
(2) तमिल		1
(3) उर्दू		1
(4) तेलुगु		1
(5) अंग्रेजी		27
	कुल :	38

इन वर्षों (1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान बनाई गई कुल न्यूजरीलों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	बनाई गई न्यूजरीलों की संख्या			
	राष्ट्रीय न्यूजरीलें	प्रादेशिक न्यूजरीलें	विशेष न्यूजरीलें	रंगीन मैगजीनें
1977-78	53	50	2	—
1978-79	52	20	2	—
1979-80	52	47	2	2
1980-81 (31-10-80 तक)	30	32	1	4

जबकि राष्ट्रीय न्यूजरीलें, विशेष न्यूजरीलें और रंगीन मैगजीने अंग्रेजी में बनाई जाती हैं और सभी प्रादेशिक भाषाओं में डब की जाती हैं, प्रादेशिक न्यूजरीलें अंग्रेजी में बनाई जाती हैं। इन फिल्मों को निम्नलिखित भाषाओं में डब किया जाता है :

(1) प्रादेशिक न्यूजरील (दक्षिण क्षेत्र)	हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
(2) प्रादेशिक न्यूजरील (पश्चिमी क्षेत्र)	हिन्दी, मराठी, गुजराती और सिंधी।
(3) प्रादेशिक न्यूजरील (उत्तरी क्षेत्र)	हिन्दी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी।
(4) प्रादेशिक न्यूजरील (पूर्वी क्षेत्र)	हिन्दी, बंगला, असमिया, उड़िया।

(ख) नवम्बर, 1977 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान सिंधी भाषा से डब की गई डाकुमेंट्री फिल्में और न्यूजरीलों की संख्या इस प्रकार है :

डाकुमेंट्री फिल्में	न्यूजरीलें (राष्ट्रीय)
57	89

इन डाकुमेंट्री फिल्मों और न्यूजरीलों की केवल एक-एक प्रिंट तैयार की गई है और इनको उल्हासनगर के 9 सिनेमा घरों में एक सप्ताह के प्रदर्शन के लिए सप्लाई किया गया है।

सड़क परिवहन द्वारा डीजल की खपत

2176. **आचार्य भगवान देव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल की कुल मात्रा का 60 प्रतिशत सड़क परिवहन में खपत किया जाता है और यदि हां, तो इस खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिदिन बढ़ते हुए मूल्यों तथा इनके उत्पादन में कमी को देखते हुए डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कितनी मात्रा में कम किए जाने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1978 में किए

गए कुछ अध्ययनों के अनुसार देश में 60 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल तेल सड़क परिवहन क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है। इस क्षेत्र में डीजल के उपभोग को कम करना कठिन है। फिर भी सड़क परिवहन द्वारा डीजल प्रयोग में कुशलता एवं मितव्ययता लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) एवं (ग) हाई स्पीड डीजल तेल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग का निम्न ढंग से नियंत्रित किया जाता है :

हाई स्पीड डीजल तेल :

(i) राज्य सरकारों को सलाह देना कि वह यात्री परिवहन वाहनों की शहरों एवं कस्बों में तथा स्थानीय परिवहन वाहनों की गति सीमा पर सांविधिक ढंग से खोज लगावें तथा अधिक धुआं देने वाली माल एवं यात्री वाहनों पर नियंत्रण लगायें जिससे कि डीजल के उपभोग में कुशलता प्राप्त की जा सके।

(ii) राज्य सड़क परिवहन निगमों में, जिसके पास वाहनों के बड़े बेड़े हैं, परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल के प्रयोग में अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन प्रारम्भ किये जायें।

(iii) चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिससे उनकी चालन निपुणता को बढ़ाया जा सके, प्रशिक्षण प्रणाली-विज्ञान का विकास;

(iv) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा देश भर में प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यशालाओं का गठन करना जहाँ प्राइवेट बेड़ों के ओपरेटरों को ईंधन मितव्ययता युक्तियों को बताना।

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)

(v) मोटर वाहनों में पेट्रोल एवं अल्कोहल के मिश्रण के प्रयोग की संभाव्यता का मूल्यांकन करना;

(vi) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी स्टाफ कारों में पेट्रोल के उपभोग में कमी की सलाह देना।

मिट्टी का तेल :

(vii) मिट्टी के तेल के लिए स्थायी समिति या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए गठित उपयुक्त समिति की सिफारिश पर केवल जहाँ प्रौद्योगिक दृष्टि से आवश्यक हो मिट्टी के तेल का दिया जाना।

(viii) जहां प्रौद्योगिक दृष्टि से संभव है किट्टी के तेल का कोयले द्वारा प्रतिस्थापन;

(ix) मिट्टी के तेल के उपयोग के उन्नत एवं अच्छे ढंगों के विषय में उद्योगों में जागरूकता उत्पन्न करना ;

(x) बायलरों के डिजाइन में उनसे और अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन करना ;

(xi) मिट्टी के तेल के प्रयोग में कुशलता लाने के उद्देश्य के लिए उपाय करने के लिए उद्योगों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।

मिट्टी का तेल :

(xii) बाजार में आमतौर पर बेचे जाने वाले 45 प्रतिशत थर्मल कुशलता वाले मिट्टी के तेल के बत्ती वाले स्टोवों के स्थान पर संशोधित 60 प्रतिशत थर्मल कुसलता वाले मिट्टी के तेल के बत्ती वाले स्टोवों का आरम्भ किया जाना।

उपरोक्त वर्णित उपायों के लागू किये जाने पर पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग की कितनी मात्रा कम होगी इसको बताना सम्भव नहीं है।

मद्रास में कम्पनियों के तुलन पत्रों की जांच

2177. **श्री डी० एल० ए० शिवप्रकाशम :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों के रजिस्ट्रार, मद्रास द्वारा वर्ष 1979-80-1980-81 में सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के कुल कितने वार्षिक तुलन-पत्रों की जांच की गई;

(ख) क्या कोई अनियमितताएँ ध्यान में आई थीं; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनियों के नामों सहित अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, मद्रास ने 1979-80 तथा 1980-81 के वर्ष में पब्लिक तथा प्राइवेट कम्पनियों के कुल 1170 संख्या में तुलन-पत्रों की नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार संवीक्षा की :

	पब्लिक	प्राइवेट	योग
1979-80	447	266	713
1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक)	292	165	457
	739	431	1170

(ख) 79 मामलों में उल्लेखनों/अनियमितताओं का पता लगाया गया था।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1499/80]

राज्यवार बिजली की वास्तविक उत्पादन अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा प्रति व्यक्ति खपत

2178. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मन्त्री राज्यवार बिजली का उत्पादन, तथा खपत के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का उत्पादन जनवरी, 1977 में 238 (जी० डब्ल्यू० एच०) से घट कर

जून, 1980 में 158 (जी० डब्ल्यू० एच०) रह जाने के विशेष कारण क्या हैं जबकि उपयुक्त अवधि में अधिष्ठापित क्षमता 670 मेगावाट से बढ़कर 845 मेगावाट हो गई;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन के लिए विदेशों में सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित अधिकांश विद्युत इंजीनियर वितरण की ओर आ गए हैं;

(ग) ऐसे इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दरभंगा, दरभंगा राजसकरी, बाल्मीकी नगर तथा अन्य स्थानों पर कोयले अथवा डीजल पर आधारित पहले के उत्पादन एकक बेकार पड़े हैं और क्या वाल्मीकी नगर में 5000 किलोवाट पन बिजली प्रजनन क्षेत्र एक नियन्त्रण पेनल न होने के कारण बेकार पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जून, 1980 में कम उत्पादन, 158 मेगावाट आवर, होने के निम्नलिखित कारण थे :

(1) पतरातु में यूनिट 7 (110 मेगावाट) के मध्य दिसम्बर, 1979 से आद्योपान्त अनुरक्षण के लिए बन्द किया जाना;

(2) 125 एम० वी० ए० उत्पादन ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, पतरातु में यूनिट 6 (110 मेग ०) को, मई, 1980 के प्रथम सप्ताह से बन्द किया जाना;

(3) वाटर वाल ट्यूबों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यूनिट 2 और 5 के बायलरों का मई, 1980 के तीसरे सप्ताह से बन्द किया जाना;

(4) बरौनी में ताप विद्युत को यूनिट नं० 4 (50 मेगा०) को मई, 1980 के अन्तिम सप्ताह से कंडन्सर ट्यूबें साफ करने और आद्योपांत अनुरक्षण के लिए बन्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) सभी इंजीनियरों से विकल्प प्राप्त करने के पश्चात् बिहार राज्य बिजली बोर्ड में 1972 में उत्पादन केडर बनाया गया था। ताप विद्युत उत्पादन में कार्यरत केवल कुछ एक विदेशों में प्रशिक्षित इंजीनियरों ने उत्पादन केडर के लिए विकल्प नहीं दिया था तथा वितरण पक्ष में बने रहे और विदेशों में प्रशिक्षित ऐसे 18 इंजीनियरों को वितरण पक्ष में तैनात कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दरभंगा, बाल्मीकी नगर, सहरसा, कटिहार, नितेरहाट, राजगीर, मुजफ्फरपुर तथा बीरगनियाँ में उत्पादन यूनिटें डीजल पर आधारित हैं तथा प्रचालन में हैं। सकरी, फारबेसगंज, किशनगंज, मीरगंज और छपरा में उत्पादन यूनिटें डीजल पर आधारित हैं तथा प्रचालन में नहीं है। पटना (पी० ई० एस० यू०) और सिजुआ झारिया में उत्पादन यूनिटें कोयले पर आधारित हैं तथा प्रचालन में हैं। सिजुआ झारिया विद्युत केन्द्र 1-10-1980 को भारत कोकिंग कोल लि० को अन्तरित कर दिया

गया है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने अपने विद्युत केन्द्रों से एक नियंत्रण पेनल उपलब्ध करा दिया है तथा नेपाल सरकार से इसकी डिलीवरी लेने और इसे प्रतिष्ठापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा दिखाई गई सिंधी फिल्म

2179. **श्री भगवान देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सिंधी फिल्में दिखाई गई तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की कितनी फिल्में दिखाई गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में फिल्मों के अतिरिक्त सिंधी भाषा के कार्यक्रमों के लिए दिए गए समय के साथ प्रादेशिक भाषाओं के अन्य कार्यक्रमों के लिए कितने घंटे दिए गए; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिंधी भाषा को दिए गए समय तथा अन्य भाषाओं को दिए गए समय के बीच असन्तुलन दूर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) : एकों विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न भाषाओं में दिल्ली दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रम की प्रतिशतता इस प्रकार है :

(1) हिन्दी	62.80%
(2) अंग्रेजी	24.06%
(3) सिंधी सहित अन्य भाषाएँ	13.05%

(ग) मूलत: दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी करता है जिसकी भाषा हिन्दी है। तथापि, भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रतिविम्बित करने तथा लोगों की भावात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी दूरदर्शन केन्द्र यदा-कदा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम भी टेलीकास्ट करते हैं। प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई निश्चित आवृति नहीं है, अत: किसी असन्तुलन को ठीक करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान दिल्ली दूरदर्शन से दिखाई गई भाषायी फीचर फिल्मों की संख्या

क्रमसंख्या	भाषा	1978	1979	1980
1.	सिंधी	1	2	1
2.	तेलुगु	2	2	2
3.	बंगला	2	3	3

1	2	3	4	5
4.	असमिया	1	2	1
5.	मणिपुरी	1	—	—
6.	मराठी	3	2	2
7.	तमिल	3	2	1
8.	पंजाबी	3	2	3
9.	उड़िया	2	2	2
10.	भोजपुरी	2	3	1
11.	गुजराती	2	2	2
12.	मलयालम	3	2	1
13.	कन्नड़	2	2	2
14.	राजस्थानी	—	—	1

अखबारी कागज के लिए राशन कार्ड जारी करने का प्रस्ताव

2180. **श्री भीकूराम जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के उपाध्यक्ष ने यह मांग की थी कि अखबारी कागज के लिए राशन कार्ड जारी किए जाएँ, ताकि उसके आवंटन में गड़बड़ी से बचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के उपाध्यक्ष से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, रासायनी, महाराष्ट्र द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

2181. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, रासायनी द्वारा क्रमशः 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान अनुसंधान और विकास पर कितना व्यय किया गया :

(ख) निम्नलिखित अनुसन्धान परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, और इन

अनुसन्धान परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप कम्पनी कब इनका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी :

(1) बहु-उद्देश्यी संयंत्र,

(2) एम० एन० सी० बी० पायलट संयंत्र,

(3) एनीलाइन फ्लुडाइज्ड बेड संयंत्र,

(4) साइकलो-हैक्सल एमाइन संयंत्र,

(5) ब्यूटेंडियोल,,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) एच० ओ० सी० लि०, रसायनी द्वारा अनुसंन्धान एवं विकास पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

1977-78	1978-79	1979-80
37.85	97.21	72.95

(ख) अनुसन्धान परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. **बहुद्देशीय प्रायोगिक संयंत्र** : यह एक प्रयोगशाला के रूप में है न कि एक उत्पादन संयंत्र कम्पनी के अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने के लिए संयंत्र को पहले ही चालू किया जा चुका है। टी० डी० ए० और० टी० डी० आई० के लिए अपेक्षित विशिष्टियों वाले डिनाइट्राटोल्यून, केटेलिस्ट विकास और एनिलाइन तथा बुटेनिडोल का मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण का गहन अध्ययन, इसके वर्तमान क्रिया कलापों में से कुछ हैं।

2. **एम० एन० सी० बी० प्रायोगिक संयंत्र** : प्रायोगिक संयंत्र को चालू किया गया था और 13 बैच निकाले गये थे जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन हुआ और 2 लाख रु० के मूल्य की 5.7 टन सामग्री की बिक्री हुई। क्रिस्टेलाइजर्स और डिस्टीलेशनसैक्शनों में और परिवर्धन किये जा रहे हैं। प्रक्रिया सुधार के पश्चात संयंत्र 1.2 करोड़ रु० वार्षिक के मूल्य के 300 टन की अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने में सक्षम होगा।

3. **एनिलाइन फ्लडाइज्ड बेड प्लांट** : यह प्लांट वाणिज्यक उत्पादन के लिए नहीं है। यह एनिलाइन के उत्पादन के लिए स्वदेशी केटेलिस्ट के विकास के लिए स्थापित किया गया एक आर० एण्ड डी० यूनिट है जिसके लिए अभी कम्पनी को जापान से आयातित केटेलिस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। टोल्यूडाइन्स जैसे अन्य वाष्पीय नाइट्रो-एमिन कटौतियों के लिए इस यूनिट का प्रयोग करने हेतु आगामी प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि संयंत्र यह सुविधा दीर्घावधि तक प्रयोग कर सके।

4. **साइक्लो-हेक्सल माइन संयंत्र** : संयंत्र अप्रैल 80 में चालू था और एक टन तैयार उत्पादन प्राप्त किया गया है। उच्च दबाव हाइड्राजनेशन प्रक्रिया जिसका प्रयत्न भारत में प्रथम बार किया जा रहा है, में कुछ यांत्रिकी समस्याओं का सामना किया जा रहा है। तकनीकी कठिनाइयों और डिस्टीलेशन एण्ड की क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। लगभग एक वर्ष के पश्चात् संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार होगा।

5. **ब्यूटेंडियोल संयंत्र** : संयंत्र चालू हो चुका है और स्वदेश में विकसित केटेलिस्ट के साथ पारीक्षण उत्पादन प्राप्त कर लिया गया है। प्रक्रिया को प्रमाणिक बताया जा रहा है।

गुजरात के शहरों तथा गांवों में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियों का आबंटन

2182. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलिमय तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियां आबंटित करने का विचार है और गुजरात के मेहसाना, बनासकंठा तथा खेड़ा जिलों के उन गांवों तथा शहरों के क्या नाम हैं जहां इस समय गैस एजेन्सियां आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) खाना पकाने की गैस के एजेन्सी के आबंटन के लिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए;

(ग) क्या मेहसाना जिले में कारी नयेर नगर को, जिसकी जनसंख्या 30 हजार है और जो कि तालुक मुख्यालय भी है तथा जो स्वयं गैस उत्पादक नगर भी है, गैस एजेन्सी दी जायेगी; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार खेड़ा जिले में 10 हजार की जन-संख्या वाले गांवों को भी गैस एजेन्सी के आबंटन के लिए आवेदन करने को आमन्त्रित किया गया है जबकि मेहसाना जिले के 30 हजार की जनसंख्या वाले नगरों की उपेक्षा कर दी गई है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गुजरात में वर्ष 1981-82 के दौरान कुछ खाना पकाने की गैस एजेन्सियों को खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। जिनके ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) उत्पाद की उपलब्धता की शर्तों के साथ नए बाजार में खाना पकाने की गैस एजेन्सियों को खोलना निम्नलिखित विचारों पर निर्भर करता है :—

(1) पूर्वानुमानित उपभोक्ता क्षमता;

(2) सप्लाई स्रोत से बाजार की निकटता;

(3) सुरक्षित/किफायती परिवहन साधन की उपलब्धता;

(4) विवरण संयंत्र का अधिकतम उपयोग;

(5) संचालनों की व्यवहार्यता।

(ग) कम वर्तमान क्षमता के परिणाम-स्वरूप, खादी में गैस एजेन्सी का खोलना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा।

(घ) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बी० पी० सी०) ने खेड़ा जिले में डिस्ट्रिब्युटरशिप के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया है।

श्री० एच० डी० मूंदडा के विरुद्ध अपराधिक मामले

2183. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सर्वश्री एच० डी० मूंदड़ा, वी० के० मूंदड़ा, के० एम० तापड़िया तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किए गए आपराधिक मामलों (कम्पनी नियमों/अधिनियम का उल्लंघन) में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सर्वश्री एच० डी० मूंदड़ा, वी० के० मूंदड़ा, के० एम० तापड़िया तथा अन्यों विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के साथ पठित, भारतीय दण्ड संहिता धारा 120ख, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 के साथ पठित, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अन्तर्गत षड्यंत्र, दुष्प्रेरणा तथा आपराधिक विश्वास भंग के अपराधों के लिए मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 24-2-75 तथा 8-10-75 को प्रस्तुत किए गये दो आरोप-पत्रों में अन्वीक्षा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दी गई है। इन दोनों मामलों की अन्वीक्षा की बाबत कलकत्ता उच्च न्यायालय का रोकादेश अन्वीक्षा न्यायालय में प्राप्त हो चुका है, मामले के अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गये हैं तथा परिणामतः अन्वीक्षा अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है।

ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत राशि में से राज्यों द्वारा प्रयुक्त राशि

2184. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त संगठनात्मक संरचना स्थापित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई बड़ी राशि अप्रयुक्त रही;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) राशि के उपयोग में न लाए जाने के कारण क्या हैं और क्या केन्द्र ने राज्यों को

इस प्रकार उपलब्ध की गई राशि को लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल करने को कहा है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों में संवितरित की गई धनराशि में से कुछ राज्यों में कुछ धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए संवितरित की गई ऋण की राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निगम द्वारा संवितरित की गई धनराशि, जिसके बारे में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अभी व्यय का हिसाब लगाया जाना है, आंशिक रूप से भंडार में पड़ी सामग्री की लागत अथवा सप्लाई कर्त्ताओं को किए गए अग्रिम भुगतान को दर्शाती है। शेष धनराशि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति का कारण उपयुक्त है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति मुख्य रूप से एल्यूमीनियम, इस्पात, सीमेंट, इन्सूलेटरों आदि जैसी निर्माण-सामग्री की कमी है और कुछ मामलों में पर्याप्त संगठनात्मक प्रबन्ध व्यवस्था न होना है। निगम ने मामले को सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के साथ उठाया है और उन्हें धन राशियों का शीघ्र समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय शुरू करने की सलाह दी गई है। अल्युमी नियम, इस्पात आदि जैसी निर्माण सामग्री प्राप्त करने के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के बारे में वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान संवितरित ऋण राशि तथा अप्रयुक्त राशि दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य	के दौरान संवितरित ऋण राशि		
		1977-78	1978-79	1979-80
1.	पश्चिम बंगाल	6.89	11.09	9.50
2.	उड़ीसा	6.89	13.92	11.92
3.	बिहार	8.62	14.26	9.71
4.	उत्तर प्रदेश	6.48	14.08	18.83
5.	राजस्थान	10 98	11.16	14.16
6.	मध्य प्रदेश	16.42	18.64	20.47

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

2185. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ले आया गया है;

(ख) 1980-81 के दौरान कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) कितना कार्य अभी पूरा होना बाकी है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(घ) पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी जिले में इस कार्य की प्रगति का व्यौरा क्या है और खण्डवार विवरण क्या है; और

(ङ) इस कार्य के लिए अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है और सारे जिले में इस कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 1980 के अन्त तक जलपाईगुड़ी जिले में 358 गांवों का विद्युतीकरण हो गया था तथा यह संख्या जिले के समस्त गांवों की संख्या के 48% से अधिक है। समस्त बंगाल राज्य में, 31.8. 1980 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण का स्तर केवल 34.9% ही था। इसकी तुलना में जलपाईगुड़ी जिले में ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति काफी अच्छी है।

(ख) जलपाईगुड़ी जिले के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक 13 स्कीमें स्वीकृत की हैं तथा निर्माण कार्यक्रम के सोपानों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान 104 नए गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) ग्राम विद्युतीकरण निगम, बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों का वित्त पोषण मात्र करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बोर्ड द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए परस्पर प्राथमिकता का निर्णय भी राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ही किया जाता है, क्रियान्वयन की स्थिति आदि से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

बर्लिन थियेटर में मराठी नाटक दिखाए जाने का विरोध

2186. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर
डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्लिन थियेटर उत्सव में दिखाये जाने के लिए एक मराठी रंगमंचीय नाटक घासी राम कोतवाल के भेजे जाने का उन्होंने स्वयं विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो नाटक का विरोध किन कारणों से किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि हमारे देश के सुप्रसिद्ध नाटककारों ने इस नाटक को बर्लिन भेजने के लिए वकालत की थी और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्र इतिहास और नाटक की व्याख्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा और इस प्रकार हमारे देश में नाटक सम्बन्धी कार्यों पर परोक्ष रूप से रोक लगाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मैं केवल भारत के थियेटर-प्रेमी लोगों के एक वर्ग के इस दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था कि इस नाटक में नाना फडनवीस का चित्रण तोड़-मरोड़ कर किया गया है और इससे पेशवा के बारे में अनुचित धारणा प्रतिबिम्बित हो सकती है ।

(ग) यह सच है कि कुछ प्रख्यात नाटककारों और प्रमुख व्यक्तियों ने नाटक के पक्ष में हस्तक्षेप किया था जबकि अन्यों ने इसके विदेशों में दिखाए जाने का विरोध किया था ।

(घ) केन्द्र द्वारा इतिहास और नाटक की जिम्मेदारी लिए जाने और इस प्रकार हमारे देश में नाटक सम्बन्धी कार्यों पर परोक्ष रूप से रोक लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का काम है कि वे ऐतिहासिक व्यक्तियों का आदर करने और राष्ट्रीय बपौती को सुरक्षित रखने के महत्व को माध्यमों के जरिए उनकी व्याख्या करते समय ध्यान में रखें ।

एकाधिकार घरानों की वृद्धि

2188. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के लागू होने के बाद से देश में एकाधिकार घरानों में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और सांख्यिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस वृद्धि का ब्यौरा क्या है, इस वृद्धि पर उपर्युक्त अधिनियमों का क्या प्रभाव पड़ा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) यह परिकल्पना की जाती है कि इसका संदर्भ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1965 की धारा 2 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों से है जिनकी स्वयं या अपने अन्त: सम्बन्धित उपक्रमों सहित परिसम्पत्तियां 20 करोड़ रु० या अधिक है । इस प्रकार की कम्पनियों की परिसम्पत्तियां निस्संदेह रूप से वर्षों में कम्पनियों की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों के अनुसार बढ़ी हैं ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार से पंजीकृत कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि इस प्रकार से हुई है :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	81 बड़े घराने	26 एकाकी बड़े उपक्रम	योग
1972	4947.75	649.99	5597.74
1975	7494.46	1036.10	8530.56
1978 *	9496.71	1242.95	10739.66

*1978 के आंकड़े 80 बड़े घरानों और 28 एकाकी बड़े उपक्रमों से सम्बद्ध हैं।

इस अवधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सम्पूर्ण निगमित क्षेत्र की परिसम्पत्तियां (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पन्न नमूने के अध्ययन के अनुसार) निम्न प्रकार से बढ़ी है:

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (संचालित सार्थ)*	निगमित क्षेत्र**
1972-73	8415.42	8005.81
1975-76	15663.76	11271.80
1977-78	20059.11	13043.79

* केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित सार्थों की संख्या 1972-73 में 103, 1975-76 में 121 और 1977-78 में 137.

** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित मध्यम और बड़े, गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक कम्पनियों के वित्त पर आधारित अध्ययन के अनुसार प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी पांच लाख रु० और अधिक रही है, वर्ष 1972-73 में 1650 कम्पनियां 1975-76 और 1977-78 में 1720 कम्पनियां।

इसी अवधि में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की कम्पनियों तथा निगमित क्षेत्र का कर से पूर्व लाभ, भारतीय रिजर्व बैंक के तुलना-पत्र विश्लेषण के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है:

(करोड़ रु० में)

वर्ष	ए० अ० व्या० व्य० कम्पनियां	निगमित क्षेत्र*
1972	440.15	583.19
1975	675.02	777.51
1978	712.52	896.30

* वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1975-76 और 1975-78 के आंकड़े।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का अभिप्राय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की वृद्धि को उन्मूलन करना नहीं है, किन्तु यह सुनिश्चित करना है

कि इस प्रकार वृद्धि सार्वजनिक रूप से अहितकारी आर्थिक शक्ति को संकेन्द्रित नहीं करे। अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित है कि विस्तार के प्रस्तावों या नए उपक्रमों के गठन या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की कम्पनियों के लोकहित में सम्मेलन के अनुमोदन देने से पूर्व मस्तिष्क में इस प्रकार के विचारों को रखा जाना है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों द्वारा भारी विस्तार, नए उपक्रमों की स्थापना और सम्मेलनों के माध्यम से अन्य उपक्रमों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदन निर्धारित उपरोक्त मापदंड और सरकार की औद्योगिक नीति को दृष्टिगत करते हुए किए जाते हैं तथा प्रस्तावों का अनुमोदन केवल तभी किया जाता है जब सरकार को यह सन्तोष हो कि इस प्रकार के अनुमोदन लोकहित में होंगे।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के बारे में समाचार

2189. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14-9-80 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी दूरदर्शन तथा फिल्म डिवीजन के उन कर्मचारियों को अलग कर दिया जाएगा और दण्डित किया जाएगा जो राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक नीति का अनुसरण नहीं करते;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट परिभाषा दी है कि "राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक नीति" में क्या निहित है; और

(ग) ऐसी कार्यवाही ही सरकार ने किस कारण से की है तथा ऐसे विशिष्ट मामले कौन से हैं जिन पर यह वर्तमान दंडित योजना तैयार की जा रही है और उनकी संख्या कितनी है जिन्हें सजा दी चुकी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार ने उल्लिखित समाचार को देखा है जो तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री की टिप्पणी को सही रूप में प्रतिबिम्बता नहीं करता। सरकार देश में समानता पर आधारित समाज और सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यमों को सरकार की समग्र विकास नीतियों और कार्यक्रमों के सन्दर्भ में महत्त्व-पूर्ण भूमिका निभानी होती है। माध्यम एककों को ग्रामीण लोगों, अल्प संख्यक समुदायों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की, सामाजिक बुराइयों, संकुचित दृष्टिकोणों, इत्यादि को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को बनाकर सेवा करनी होती हैं। इस संदर्भ में, तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री सरकारी माध्यम एककों को केवल यह आह्वान कर रही थी वे कि लोगों की व्यावसायिक रूप से और प्रभावी ढंग से सेवा करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य न्यायाधिपति के पद पर वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति

2190. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारणतया मुख्य न्यायाधिपति के पद पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है ?

(ख) क्या महाराष्ट्र की विधिज्ञ परिषद् ने इस पर विरोध प्रकट किया हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती हैं। मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्तियों के लिए कोई पृथक् मानदण्ड नहीं विहित किया गया है।

(ख) "माननीय न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधिपतियों का उनकी सम्मति के बिना एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण करने के कथित प्रस्ताव" के विरुद्ध महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् ने अपने तारीख 25 अक्तूबर, 1980 को पारित एक संकल्प में विरोध प्रकट किया है। संकल्प में यह भी कहा गया है कि 'यह परिषद् उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सामान्य अनुक्रम में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त करने में केन्द्रीय सरकार जो उदासीनता दिखा रही है उसके विरुद्ध और हमारे देश के पांच उच्च न्यायालयों में वरिष्ठतम न्यायाधीशों को केवल कार्यकारी मुख्य न्यायधिपतियों के रूप में बनाए रखने के विरुद्ध भी तीव्र विरोध प्रकट करती है।"

(क) सरकार को भिन्न-भिन्न स्थानों से, जिनके अन्तर्गत अनेक बार एसोसिएशन, विधिज्ञ परिषदें आदि भी हैं, ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि जहाँ तक नीति का संबंध है किसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर से नियुक्त किया जाना चाहिए और यह कि इस सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 222 का सहारा लिया जाना चाहिए।

सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जा रहा है।

गुजरात को विद्युत आपूर्ति

2191. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र से कितनी बिजली दी जा रही है और क्या यूरेनियम उपलब्ध न होने के कारण गुजरात को आगामी महीनों में बिजली दिए जाने की संभावना नहीं है और यदि हां, तो राज्य को कितनी कम बिजली मिलेगी;

(ख) क्या उकाई पन बिजली केन्द्र के जलाशयों में पानी की मात्रा कम होने के कारण इस केन्द्र में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है; यदि हाँ, तो बिजली उत्पादन में किस हद तक कमी हुई है;

(ग) गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा गैस भट्ठी के तेल और कोयले की कितनी-कितनी मात्राओं की मांग की गई है और आगामी महीनों में राज्य को इन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा दी जायेगी; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य से बिजली की दरों में वृद्धि करने की सिफारिश की है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में 210-210 मेगावाट के दो रिएक्टर यूनिट हैं। केन्द्र पुष्ट यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। ईंधन का संरक्षण करने के लिए तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण अमरीका द्वारा पुष्ट यूरेनियम की सप्लाई के बारे में अनिश्चितता है। यूनिट एक इस समय अपनी क्षमता की लगभग 75% क्षमता पर प्रचलित किया जा रहा है। यूनिट 2 निर्धारित सातवें रीफ्यूलिंग तथा वार्षिक अनुरक्षण बंदी के लिए 23 नवम्बर 1980 को बंद कर दी गई थी।

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र का उत्पादन गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच बराबर बांटा जाना निर्धारित किया गया है। तथापि वास्तविक बंटवारा विद्युत प्रणाली की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिस पर तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र का अब कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है। पिछले चार महीनों के दौरान महाराष्ट्र तथा गुजरात को विद्युत सप्लाई की वास्तविक मात्रा नीचे दी गई है :—

	महाराष्ट्र	गुजरात
	(मिलियन यूनिट)	मिलियम यूनिट)
अगस्त 1980	94.7	105.9
सितम्बर 1980	68.6	120.5
अक्तूबर 1980	60.4	76.2
नवम्बर 1980 (26 नवम्बर तक)	56.8	391.0

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से गुजरात को जानबूझ कर किसी प्रकार की कमी या कटौती करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) जलाशय का वर्तमान स्तर 96 मीटर है तथा जलाशय का पूर्ण स्तर 105.2 मीटर है। वर्ष 1979-80 में हुए 111.2 मिलियन यूनिट उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष (अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक) में प्रत्याशित विद्युत उत्पादन 8.50 मिलियम यूनिट है।

(ग) धुवारण ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 के लिए (गैस-टर्बाइन को छोड़कर, 2900 मिलियन यूनिट के लक्षित उत्पादन के स्तर पर) गुजरात के मुख्य मन्त्री ने गैस

मिट्टी तेल तथा कोयले की मांग नीचे दिए अनुसार की है :—

प्रति वर्ष ईंधन की आवश्यकता यदि चरण 1 में आंशिक रूप से ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है ।

	एल० एस० एच० एस०	कोयला	गैस
1980-81	7,00,000	1,35,200	500,000 सी० एम० डी० (प्रतिदिन) 182.5 सी० एम० डी० प्रति वर्ष

इस समय पेट्रोलियम विभाग प्रति माह 55 हजार मीटरी टन ईंधन तेल का आवंटन कर रहा है । नवम्बर 1980 से जून 1981 तक की अवधि के लिए ईंधन तेल की सप्लाई प्रति माह 10,000 मीटरी टन तक बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पेट्रोलियम विभाग सहमत हो गया है । यह निर्णय लिया गया है कि प्रति माह 70 से 75 हजार मीटरी टन के अधिकतम आवंटन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में कोयले की ढुलाई की अनुपूर्ति की जाए ताकि धुवारण ताप विद्युत केन्द्र लगभग 20 से 25 हजार मीटरी टन कोयला प्रति माह प्राप्त करता रहे ।

(घ) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं । प्रचालन की लागत, ईंधन, अनुरक्षण की लागत में वृद्धि जैसी स्थितियों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं । राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं दी गई हैं ।

न्यायालय फीस की पद्धति के बारे में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के विचार

2192. **श्री भीकू राम जैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर के इन विचारों पर ध्यान दिया है कि न्यायालय फीस की वर्तमान पद्धति में बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी हो रही है जिसका सिविल न्याय के प्रशासन पर होने वाले व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं है, और इससे यह आभास होता है कि भारतीय गणतन्त्र में न्याय की बिक्री होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1980 की सिविल

प्रकीर्ण पिटीशन सं० 9853, मैसर्ज सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड-पिटीशनर बनाम मैसर्स जादस-वाल कोल कम्पनी-प्रत्यर्थी में, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति श्री ए० डी० कौशल ने तारीख 7-10-1980 को जो निर्णय सुनाया था उसके सुसंगत अंश इस प्रकार हैं :

"......न्यायालय फीस की वर्तमान पद्धति में बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी हो रही है जिसका सिविल न्याय के प्रशासन पर होने वाले व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इससे प्राय: यह आभास होता है कि भारतीय गणतन्त्र में, जहां विधि के समक्ष समता एक प्रत्याभूत संवैधानिक मूल तत्व है और न्याय पद्धति अनुच्छेद 39 क द्वारा दिए गए निदेश के आधार पर है, न्याय की बिक्री होती है . ...।"

(ख) न्यायालय फीस के आम मुद्दे की समीक्षा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की परामर्शी समिति की एक उप-समिति द्वारा की जा रही है। न्यायालय फीस वस्तुत: राज्य का विषय है। उच्चतम न्यायालय के उक्त विचार उस उप-समिति को भेजे जा रहे हैं ताकि उनको भी ध्यान में रखा जाए।

12-8-80 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 944 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान्,

मैं सदन का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1980 को इस सदन में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 944 के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा था कि वर्ष 1968-69 के लिए ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी अथवा दिये गए बोनस की कुल राशि 66.22 लाख रुपये हैं। इसे 62.22 लाख रुपये पढ़ा जाए। टंकण की यह अशुद्धि अभी देखी गई है जिसके लिए खेद है।

उपर्युक्त त्रुटि के लिए मैं सदन के अनुग्रह की याचना करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये।

व्यवधान xx

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सारी लोक-सभा और सरकार से निवेदन करूंगा कि देश में गोली चल रही है और प्रतिनिधियों की बोली नहीं चल रही है। अकेली गोली से देश का अनुशासन नहीं चलेगा, विद्यार्थियों का कत्लेआम हो रहा है, (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुशासन आप पर भी लागू होता है। आप कानून भंग करते हैं और आप ही कानून की मांग कैसे करते हैं ? (व्यवधान)

बैठ जाइए। कृपया 1 मिनट के लिये सुन लीजिये। जब मैं खड़ा हूं तो हर व्यक्ति को बैठ जाना चाहिए। (व्यवधान)

आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, व्यवस्था को पहचानते हैं। अगर इसी का नाम अनुशासन है तो

आप अनुशासन की डिमांड नहीं कर सकते। अनुशासन का अर्थ है मिलकर चलना। अनुशासन देश के लिए भी आवश्यक है, सभा के लिए भी आवश्यक है, किसी बिजनेस के लिए भी आवश्यक है। अगर देश को जिन्दा रहना है, तो अनुशासन की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। चाहे किसी तरह से भी अनुशासन भंग हो, चाहे स्टूडेंस अनुशासन भंग करते हों या पुलिस करती हो, सब के लिए आवश्यक है कि मिलकर काम करें। यह आपकी सभा है, मैंने बार-बार कहा है, (**व्यवधान**) मेरी बात सुनिये। (**व्यवधान**) आप बिल्कुल अनुशासन भंग करते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं इसे बिल्कुल पसन्द नहीं करता हूं। (**व्यवधान**)

मैंने आपको एक आश्वासन दे रखा है, कोई चीज सारी की सारी एक दिन में डिस्कस नहीं की जा सकती है। सारी बातें इस हाउस में समय के अनुसार डिस्कस हो सकती हैं। (**व्यवधान**) बात सुनिये। राम विलास जी बहुत बीच में बोलते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। जो चीज अनुशासन से बनती हो, कानून से बनती हो, यह समझा दें। अगर एडजर्जमेन्ट मोशन हो सकता है, तो मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्टेट का मामला होता है और हर स्टेट में होता हैं, तो हमें दूसरे ढंग से सोचना पड़ता है। (**व्यवधान**) फिर वही बात, नहीं हो सकती। (**व्यवधान**) मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। (**व्यवधान**) कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं जायेगी रिकार्ड पर, जब तक मैं नहीं कहूंगा।

श्री ज्योतिमय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। रशीद मसूद भले आदमी हैं, सज्जन हैं, लेकिन फिर भी जिद करते हैं। (**व्यवधान**) मैं प्रत्येक विषय पर बातचीत करना चाहता हूं। परन्तु यह सब व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिये। नियमानुसार होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि बच्चे भी व्यवस्था रखें, क्योंकि यह देश उनको बिलांग करता है, नेशन बिलांग्स टू दैम। काम को उन्होंने चलाना है।

यह काम आपका, मेरा और सबका है। इस तरीके से काम नहीं चलता है। (**व्यवधान**)

कोई भी चीज हो, हम डिसकस करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई तरीका निकलता है, तो मुझे बता दीजिये। (**व्यवधान**

पेपर्स लेड आन दि टेबल।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालामुगल, जिला एरणाकुलम के वर्ष 1979-80 और केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनिरिंग और टूल्स संस्थान मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति का भाव पटल पर रखताहूं ।

(1) (एक) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1464/80]

(तीन) कोचीन रिफाइनरिज लिमिटेड, अम्बालामुगल, एरणाकुलम जिला के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) कोचीन रिफाइनरिज लिमिटेड, अम्बालामुगल, एरणाकुलम जिला के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग और टूल्स संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरता और टूल्स संस्थान, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1466/80]

मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो लिमिटेड, बम्बई के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, मैं श्री पी० शिव शंकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो लिमिटेड, बम्बई द्वारा एसबेस्टस टेसक्टाइल्स एसबेस्टस मिल बोर्ड और कम्प्रेसड एसबेस्टस फाइबर ज्वाइंटिंग्स आदि के उत्पादन हेतु नये उपक्रम की स्थापना के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1980 का केन्द्रीय सरकार का पत्र संख्या 1 (14)/77-एम आई तथा कम्पनी के प्रस्ताव पर एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1467/80]

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और असम आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) उक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1468/80]

असम राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत असम आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 (राष्ट्रपति का 1980 का अधिनियम संख्या 6) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1469/80]

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूना और भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वर्ष 1977 और 1978 के लिए वार्षिक प्रतिवेद

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रैस परिषद (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1098 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1470/80]

(7) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारत के समाचार-पत्र, 1977 सम्बन्धी भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1471/80]

(दो) भारत के समाचार-पत्र, 1978 सम्बन्धी भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) । [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 1472/80]

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभापटल पर रखता हूँ :

(1) एक विदेशी कम्पनी को अनियमित छूट दिये जाने पर 97वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय 1 में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ।

(2) निर्यात प्रोत्साहनों के गलत ढंग से दिये जाने पर, 101वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याथ 1 में दी गई सिफारिशों परसरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मारवाड़ियों की हत्याश्रों, लूट श्रौय उनके साथ हो रहे दुर्व्यहार की बढ़ती हुई घटनाश्रों के समाचार

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

उड़ीसा, बिहार, असम और देश के अन्य भागों में मारवाड़ियों की हत्याओं, लूट और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बढ़ती हूई घटनाओं के समाचार ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : खेद है कि असम आंदोलन का देश के अन्य भागों में प्रभाव पड़ा है जिससे संकीर्ण, क्षेत्रीय और उग्रराष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है ।

21 सितम्बर, 1980 को उड़ीसा के सम्बलपुर टाउन में वाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भोजन धन इत्यादि इकट्ठा करने के सम्वन्ध में छात्रों के वर्ग और मारवाड़ी युवकों के एक वर्ग के बीच इस क्षेत्र से भगड़े और हमले की छुटपुट घटनाओं की सूचना मिली है । बाद के दिनों में स्थिति ने दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले लिया जिसके परिणामस्वरूप उड़ीसा के विभिन्न भागों में मारवाड़ी समुदाय की दुकानों पर संगठित जुलूस तथा आक्रमण किये गये । उड़ीसा सरकार ने हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने और इसको राज्य के विभिन्न भागों में न फैलने के लिये कार्यवाही की । पुलिस को बिनीका में हिंसक भीड़ पर गोली चलानी पड़ी जिसके कारण दो व्यक्ति मारे गये । 6 अक्तूबर को सम्वलपुर बंद के रूप में आन्दोलन पराकाष्ठा पर पहुँच गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया गया था । राज्य प्रशासन की सहायता के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता भेजी गई थी । तथापि छुटपुट घटनाएं होती रही । अखिल उड़ीसा छात्र संघर्ष समिति ने 5 दिसम्बर को उड़ीसा वंद का आह्वान किया है । राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिये उचित उपाय कर रही है । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी भेज दी गई है ।

विहार में पटना और भागलपुर में मारवाड़ियों के विरुद्ध दीवारों पर नारे लिखे हुए देखे गये । छात्रों द्वारा मारवाड़ी विरोधी नारे लगाते हुए किशनगंज में एक जुलूस निकाला गया । राज्य सरकार जहां आवश्यक होता है, मारवाड़ियों की जान और माल की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है ।

हमारा संविधान जाति, समुदाय, धर्म और जन्म स्थान पर विचार न करते हुए प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी अपना व्यवसाय चलाने के अधिकार की गारंटी देता है । अतः इस

[श्री भीकूराम जैन]
देश में किसी समुदाय को धमकी देना और उत्पीड़ित करना पूर्णतः असंवैधानिक, राष्ट्रीय एकता की भावना के विरुद्ध है और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी निन्दा करनी चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन ऐसे तत्वों द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें या तो गुमराह कर दिया जाता है या जो विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न करने और राष्ट्रीय एकता को कमजोर बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। सरकार ऐसी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और इस प्रकार के आंदोलनों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकारों को सावधान कर दिया गया है और कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सभी समुदायों के जान और माल की सुरक्षा के लिए उनसे पर्याप्त एहतियाती उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

श्री भीकू राम जैन : मैं अपने माननीय दोस्तों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह मामला भी लगभग उसी किस्म का है जो उन्होंने उठाया था।

मेरी प्रार्थना यह है कि वह इसको सुन लें। **(व्यवधान)**······

अध्यक्ष महोदय : इनको सवाल कर लेने दीजिए, एक ही है। **(व्यवधान)**······

अध्यक्ष महोदय : यह कोई कालिंग अटेंशन की बात नहीं है, आपकी बात सुनने की बात है।

······**(व्यवधान)**······

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन लेता हूं आपकी बात, अगर आपको एक-एक करके सुनानी हो तो सुन लूंगा। ऐसे नहीं सुनूंगा।

श्री भीकू राम जैन : मेरी प्रार्थना यह है कि जो स्टेटमेंट गृह मन्त्री महोदय ने दिया है उससे यह बात बिल्कुल विदित है कि पिछले दिनों 20 सितम्बर से लेकर आज तक खास तौर से उड़ीसा में और उसके अतिरिक्त और जगहों में मारवाड़ी कहलाने वाले लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मारवाड़ी परिवार वह है जो हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यू॰पी॰ और राजस्थान के रहने वाले उड़ीसा या बिहार वगैरह में रहते हैं। उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी तरफ मैंने गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया था।

मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्बलपुर में, लायसिंहा में और बोलन्गीर में जो जिन्दा जलाने की कोशिश की गई लोगों को, उसमें वहां की एक मुसलमान महिला ने जिस तरीके से बहादुरी से उस चीज का मुकाबला करके उनको बचाया है वह सराहनीय है। मैं इस हाउस के मार्फत स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूं कि खास तौर से बोलन्गीर के अन्दर जिस तरह की घटना हुई उस तरह की घटना अगर सारे देश में होती रही तो नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात है उस पर क्या असर होगा?·········**(व्यवधान)**·········मेरे दोस्त जो बात अभी कह रहे थे वह भी नेशनल इंटीग्रेशन का ही मामला है, यदि वह मेरी बात सुन लें तो उनके प्वाइंट को भी उससे बहुत ज्यादा समर्थन मिल जायेगा।·········**(व्यधान)**········· ये आपस में लड़ रहे हैं। इनसे कहिए कि अगर आपस में लड़ना चाहते हैं तो बाहर जा कर लड़ें, हाउस का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं?···**(व्यवधान)**···मैं भी गोली और संगीन की बात कर रहा हूं।···**(व्यवधान)**···मुझे इनके समर्थन की भी आवश्यकता है, जो गोलियां वहां चल रही हैं, ये लोग वहां जाकर समझायें कि मारवाड़ी के नाम से या हरियाणा के नाम से किसी भी दल के

लोग हों, अगर वहां से लोगों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यह नेशनल इन्टीग्रेशन के मुताबिक है। ···(व्यवधान)···मेरी गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने और होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उससे बिल्कुल विदित होता हैं कि वहां पर काफी गड़बड़ हो रही है 20 सितम्बर से लेकर आज तक। ता० 5 जो आने वाली है, उस दिन वहां बड़ा भारी एजीटेशन होने वाला है जिस में लोगों की जान-माल का बड़ा भारी खतरा है। मैं जानना चाहता हूं क्या होम मिनिस्टर के इल्म में है कि 20 सितम्बर को वहां कितने करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और लोगों को जलाने की कोशिश की गई है···(व्यवधान)···मेरी प्रार्थना है, यदि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति के नाम पर लोगों पर ज्यादती कर रहे हैं, तो उन राजनीतिक दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के नाम पर इस प्रकार का आतंक नहीं होना चाहिये। बोलंगीर के अन्दर यह वाक्या हुआ है कि एक मि० चौधरी के घर में बाहर से ताला लगा कर सारे परिवार, औरतों, बच्चों समेत, नीचे से आग लगा कर जलाने की कोशिश की गई। अगर एक महिला वहां पर न होती तो पता नहीं क्या हो जाता···(व्यवधान)··· समय आने पर मैं नाम बताने के लिये तैयार हूं। वे चोला पहन कर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूं—अगर उड़ीसा गवर्नमेन्ट इसमें कामयाब नहीं है, किसी वजह से वह कमजोरी दिखला रही हैं, तो होम मिनिस्टर वहां जायें और खुद देखने के बाद इस बात का निर्णय करें कि वहां ज्यादती हो रही है या नहीं। अगर ज्यादती हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस ज्यादती को रोकने के लिए वे क्या तरीका निकालेंगे और उस नुकसान को किस तरीके से पूरा करेंगे ?

मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक महिला जिस ने उनको बचाने की कोशिश की, ताला तोड़ कर, और अपने उपर आपत्ति ली, उसको जहां इनाम मिलना चाहिये, वहीं हमारे इन दोस्तों को मालूम होना चाहिये कि देश में जो इस प्रकार की पोलिटीकल गड़बड़ हो रही है उस को वहां सामाजिक तरीके से भी कराया जा रहा है। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा—क्या उन के इल्म में यह बात है कि स्टूडेन्ट्स ने, जो स्टूडेन्टस के नाम पर वहां आनंद कर रहे हैं, कोई चार्टर आफ डिमाण्ड्स आप को या स्टेट गवर्नमेन्ट को दिया था ? अगर दिया था तो क्या उस को मन्जूर कर लिया गया है ? अगर मन्जूर कर लिया गया है तो फिर यह सारा झगड़ा क्यों हो रहा है ? क्या इस में लोक दल या किसी दूसरे पोलिटीकल मोटिवेशन की बात है ? ···(व्यवधान)···

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यद्यपि यह उचित नहीं था, अगले दिन माननीय उपाध्यक्ष ने, जब वह पीठासीन थे, उन बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था जब किसी सदस्य ने किसी पार्टी के नाम का उल्लेख मात्र किया था। आप उनको राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख करने की अनुमति कैसे दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : लोक दल के लोगों ने मारवाड़ियों को जलाया है। नाम चाहें, तो हम नाम भी देने के लिये तैयार हैं।···(व्यवधान)···

श्री भीकूराम जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि लोक दल के नाम पर, उस का नाम ले कर लोगों ने ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी के ऊपर इन्सिनियुएशन न करें, काल-एटेन्शन का जो मुद्दा है उसी पर बात करें।

श्री भीकू राम जैन : मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग राजनीति का नाम ले कर, जो कि गुण्डा एलीमेन्ट है, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ××

मेरी प्रार्थना यह है कि···(व्यवधान)···डरते तो वे लोग हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इस प्रकार का आतंक मचाया गया है और अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। उसको दो महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, तो मैं होम मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो आपको दिल्ली से उसमें कार्यवाही करनी चाहिए और होम मिनिस्टर को खुद जाकर, यदि मुनासिब समझें तो मेरे जैसे साथी को साथ ले जाकर, इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए, ताकि सारी चीजें सामने आ सकें। वह मामला छिपे नहीं। इस बात की मुझे जानकारी है कि वहां के लोगों को लूटा गया है और लूटने के पश्चात् वह लूट का माल सी० आर० पी० ने उन लोगों के घरों से बरामद किया है, जिनके कि नाम मैं आपको किसी वक्त दे दूंगा। ये पोलिटिकल एफिलिएशन्स के लोग हैं, जिन्होंने लोगों को लड़वाया है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी का नाम ले दो।

श्री भीकू राम जैन : मैं ने तो पार्टी का नाम लिया है, लोकदल के नाम से कर रहे हैं···(व्यवधान)···चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मजमून···(व्यवधान)···मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें पुलिस के यहां दर्ज हैं। आठ आदमियों के यहां से 80 हजार रु० का सारा माल बरामद हुआ और उनको बन्द कर दिया गया। सी० आर० पी० को विद्ड्रा करने के बाद, फिर वहां पर वही लोकल पुलिस लगा दी गई, जो कि उसमें साजिश कर रही थी। अभी तक उनको ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस मांग बाद वहां कलैक्टर और एस० पी० का ट्रांसफर कर दिया गया। आज अगर इस मुल्क में इस प्रकार का वातावरण हो सकता है, जो वहां पर दो सौ या ढाई सौ वर्षों से रहने वाले हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लोग हैं, उनको लूटा जा रहा है और उनकी अजमत खराब की जा रही है, उनको मारा-पीटा जा रहा है,

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

~~[श्री भीकू राम जैन]~~

तो इसकी प्रौटैक्शन कौन देगा ? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो मैं होम मिनिस्टर साहब से मांग करता हूं कि वे या तो खुद वहां जाकर या पार्लियामेंट्री डैलीगेशन भेज कर तुरन्त इसकी जांच करवायें। पांच तारीख परसों आने वाली है, अगर पांच तारीख को उस जगह झगड़ा पड़ गया तो भारी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या उनकी मांग को आपने मंजूर कर लिया है ?

दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, वह यह है कि क्या जो 20 तारीख को नुकसान हुआ है, उसका आपने अन्दाजा ले लिया है ? अगर अन्दाजा ले लिया है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम है, कि जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसको वे किस प्रकार पूरा करेंगे ?···(व्यवधान)···

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने आपके वक्तव्य में वह सभी जानकारी देने का प्रयत्न किया है जो मेरे पास उपलब्ध थी। फिर भी माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह घटना निन्दनीय है और सरकार ने तत्काल कार्यवाही की है ।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्यवाही की है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह पता चल जायेगा। आप सुनिये। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या कार्यवाही की है। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरन्त बाद ···(**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : (पाली) अध्यक्ष महोदय, इनके नाम लेकर इनको बाहर निकालिये ···(**व्यवधान**) सदन की कार्यवाही को भंग कर रहे हैं···(**व्यवधान**) सारे नियमों को भंग कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस घटना की जानकारी मिलने के तुरन्त बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी। मैंने भी राज्य सरकार को पत्र लिखा था और तत्पश्चात् स्थिति पर तुरन्त काबू पा लिया गया था। माननीय सदस्य ने कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर मैं देना चाहूंगा ।

माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है वह 20 सितम्बर को हुई सम्पत्ति आदि की हानि के बारे में हैं। 28 सितम्बर, 1980 को बोलनगीर कालेज के छात्र हिंसा पर उतर आये और मारवाड़ियों के दस घरों, दो तेल मिलों, एक चावल मिल और ग्यारह मोटर गाड़ियों को जला दिया और नगर में अनेक दुकानों को लूट लिया ।

जहां तक गृह मन्त्री के राज्य का दौरा करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि हमने घटना के तुरन्त बाद टेलीफोन पर राज्य सरकार को अनुदेश दे दिये हैं। अनुदेश जारी भी किये जा रहे हैं। मैं एक पत्र भी लिखने जा रहा हूँ। अतः इस समय गृह मन्त्री के राज्य का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आवश्यक हुआ तो हम राज्य का दौरा भी करेंगे। माननीय सदस्य ने अनुरोध किया था कि उनको भी साथ ले जाया जाये। जब हम जायें तो वह भी हमारे साथ चल सकते हैं ।

जहां तक छात्रों के मांग पत्र और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, छात्रों ने 8-सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ।

पहला सम्बलपुर जिले में खेतरनपुर में छात्रों की मारपीट के लिये जिम्मेदार व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के बारे में है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 21 सितम्बर को सम्बलपुर के छात्रों की मारपीट के सम्बन्ध में तीन पुलिस मामले दर्ज किये गये हैं। इन मामलों में संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में भेजा गया है। छात्र नेताओं ने 18 व्यक्तियों की विशिष्ट सूची दी थी जिन्हें मारपीट करने वाले बताया गया है। यह सूची तो 17 अक्तूबर को दी गई थी। यह देखा गया है कि इस सूची में से 13 व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीन और व्यक्तियों की पहचान के बारे में छात्रों ने स्वयं संदेह व्यक्त किया है। अतः इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूसरी मांग चोर बाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के बारे में है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिये अनेक उपाय किये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी भागों में बेइमान व्यापारियों के व्यापारिक परिसरों पर समय-समय पर छापे मारे जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए सम्बलपुर में मारे गये अनेक छापे में 37 दोषी व्यापारी पकड़े गये हैं और 1-4-80 से 17 व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा। 4 लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। सुन्दरगढ़, बोलनगीर आदि सहित राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई है।

तीसरी मांग गिरफतार किये गये छात्रों को बिना शर्त रिहा करने और उनके विरुद्ध मामलों को वापस लेने के बारे में है। जहां तक सम्बलपुर जिले से गिरफतार किये गये छात्रों और अन्य लोगों की रिहाई का सम्बन्ध है। गिरफ्तार किये गये, सभी छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बोलनगीर जिले में सभी छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। केवल 9 अन्य व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं और न्यायालय द्वारा रिहा किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद मामले वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

चौथी मांग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के छात्रों को एक वर्ष के लिए ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस-माफ कर देने के बारे में है। यह छात्रों की मुख्य मांग है। सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सभी छात्रों को ट्यूशन फीस माफ कर देने का निर्णय पहले ही कर लिया है। इन क्षेत्रों के छात्रों के सम्बन्ध में परीक्षा फीस माफ करने के प्रश्न पर भी सहानभूतिभूर्वक विचार किया जायेगा।

स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिये सफेद कागज ओर कापियां रियायती दरों पर सप्लाई की जा रही हैं। जिन शिक्षा संस्थाओं में होस्टल अथवा कैंटीन है, उन्हें चीनी, मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं नियन्त्रित दरों पर सप्लाई की जा रही हैं।

जहां तक बाढ़ से पीड़ित लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का सम्बन्ध है, सरकार ने पूरे और आंशिक रूप से गिरे मकानों के लिये गृह निर्माण ऋण पहले ही बढ़ा दिया है। उन्होंने वन

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

निगम के माध्यम से रियायती दरों पर बांस आदि जैसी गृह निर्माण सामग्री आबंटित करने की भी घोषणा की है। सम्बलपुर, बोलनगीर और कालाहांड़ी सहित बाढ़ग्रस्त सभी 10 जिलों में पुनर्वास और 'टैस्ट' राहत कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

पांचवी मांग बस के किराये में वृद्धि पर पुर्नाविचार करने और बस से यात्रा करने के लिये छात्रों को 50 प्रतिशत से अधिक रियायत देने के बारे में है। राज्य सरकार ने छात्रों को बस किराये के मामले में 25 प्रतिशत तक रियायत दे रखी है। राउरकेला जैसे कुछ स्थानों पर, जहां कालेज काफी दूरी पर है, अधिक रियायत दी गई है।

छठी मांग विन्का में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मरे व्यक्तियों के परिवारों

और घायल हुए छात्रों को भी पर्याप्त मुआवजा देने के बारे में है। जहां तक पुलिस अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों की मुआवजा देने का सम्बन्ध है, सम्बलपुर जिले का ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है। बोलनगीर जिले में एक व्यक्ति के परिवार को, जो बिन्का में गोलीकांड में मारा गया था, मुख्य मन्त्री के राहत कोष में से 5,000 रुपये दिये गये हैं। एक अन्य घायल व्यक्ति को भी मुख्य मन्त्री के राहत कोष से 1,000 रुपये दिये गये हैं।

सातवीं मांग मूल्य वृद्धि रोकने और आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने के बारे में है। राज्य सरकार ने हाल ही में अनेक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक पूर्ति निगम बनाया है। इस प्रकार मांगपत्र में की गई छात्रों की सभी मांगें राज्य सरकार ने पूरी कर दी हैं।

अन्तिम प्रश्न इस बारे में था कि क्या इस मामले में किन्हीं राजनीतिक व्यक्तित्वों का कोई हाथ है। जी हां, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का इसमें हाथ है...(**व्यवधान**) और उन्होंने परिसर के अन्दर और बाहर छात्रों को उकसाने में प्रमुख भूमिका निभाई हैं जिसके फलस्वरूप छात्रों और व्यापारी वर्ग के बीच सम्बन्ध बिगड़ गये...(**व्यवधान**)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है कि इलाहाबाद में प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में विद्यार्थियों को जाने नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लें।

श्री राम विलास पासवान : पुलिस द्वारा वहां पर गोली चलाई गई और 3 आदमी मारे गये।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : वहां का जो वाइस चान्सलर है...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते चले जा रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैंने आज आपको एक काम रोको प्रस्ताव दिया था।···(**व्यवधान**)मे···री बात सुनिये। मैं इसलिए यह नहीं कहना चाहता कि मेरा नाम आ जाए। यह बात सब के सामने आनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी का यह तरीका है कि अगर विपक्ष गलती करता है तो लोग उसको गलत कहेंगे और अगर सरकार गलती करती है, तो उसको गलत कहेंगे। आखिर यह वायलेंस कैसे मिटेगी। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि दिल्ली, हिसार और चंडीगढ़ में विद्यार्थियों पर गोली चली, लाठी चली और हत्याएं भी हुई।

अध्यक्ष महोदय, बच्चों की हत्याएं हों और यहां लोक सभा में···

अध्यक्ष महोदय : मैं बिजनस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूं । उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से डिसकस करना है, क्या करना है । फिर आप डिसकस कर लीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : वह कहां होती है ? पिछली बैठक भी नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कल हो रही है, चार बजे । (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय मैं, चाहता हूं कि आप मेरी राय सुन लें ।—

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी राय नहीं मांग रहा, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

श्री मनीराम बागड़ी : जब यह लोक सभा बैठी है तो फिर यह डिसकस क्यों नहीं कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये । वैसे तो यह स्टेट सब्जेक्ट है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप इस चर्चा को आरम्भ करे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : दिल्ली में लाठी चली है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैंने आपकी बात सुन ली है । आप कानून पढ़ कर आइये, व्यवस्था का नियम पढ़िये, फिर मेरे पास आइये ।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दीजिए कि कौन सा नियम है ? ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बिल्कुल नहीं बताना है । मैं कोई रीजन नहीं दूंगा । (**व्यवधान**) आप नियम को पढ़ें ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा चलनी चाहिए, इसको चलने देना चाहिए ।···(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : प्रधान मंत्री जी जब इलाहाबाद जाना चाहती थीं···

अध्यक्ष महोदय : वह सारी बात आ गयी है, ओवर रूल्ड । (**व्यवधान**) इसको कल बिजनेस एडवायजरी में देखेंगे कि यह चीज किसी तरीके से हो सकती है ।···(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, उत्तरप्रदेश में तीन किसान नेताओं की जमींदारों ने ट्रेक्टर चलवा कर पुलिस के सामने हत्या कर दी ।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाऊड । ओवर रूल्ड । (**व्यवधान**)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : इलाहाबाद की घटना, प्रधान मंत्री जी के जाने से ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाऊड, ओवर रूल्ड (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है । (**व्यवधान**) एक आफिसर को यहां दिन-दहाड़े तीस लोगों ने किडनेप किया ।

अध्यक्ष महोदय : यह इंडीविजुअले केस है। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर यह मामला पार्लियामेंट में कैसे उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कल डिसकस कर लीजिएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में किडनेपिंग हो रहा है। पुलिस किडनेपर्स को सेव करती है...

अध्यक्ष महोदय : वह सेव करती है, इसे भी वहां देख लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप होम मिनिस्टर से कह कर रिपोर्ट मांगिये। दिल्ली में असेम्बली नहीं है, दिल्ली के मामले और कहीं डिसकस नहीं हो सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : ××

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ×××

श्री नरेन घोष (डम-डम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैंने उसे ग्राह्य नहीं किया है।

श्री निरेन घोष : यहे विदेशी फर्म को उवर्रक सम्बन्धी बड़े ठेके के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य पारित कर रहा हूं।

श्री निरेनघोष : मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे तथ्य प्राप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इनका उल्लेख नहीं कर सकते। (**अन्तंबाधा**) मैं जब अनुमति नहीं दे रहा हूं तो आप जोर क्यों डाल रहे हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, आपने अपनी व्यवस्था दी है, इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अर्थ नहीं रहता। तभी होता है, उसका अर्थ तभी रहता है जब मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप अपनी जो पहले की व्यवस्था है, उसको बदल लें और हम लोगों के पक्ष में व्यवस्था दें। सुनने की बात है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने जो पहले व्यवस्था दे दी है, उसको बिना चैलेंज करते हुए, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है, स्व-विवेक में उस पर पुर्नविचार करके हमारी बात सुनिए। बात है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है। प्रीमियर यूनिवर्सिटी और--प्रेस्टिजेस यूनिवर्सिटी हैं। सारे बड़े-बड़े लोग इस देश के वहीं से पैदा हुए हैं खासकर के जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी सब इलाहाबाद से आते हैं। (**व्यवधान**) पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, वे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। (**व्यवधान**) मेरी प्रार्थना यह है कि हम लोग भी इलाहाबाद

×× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

××× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यूनिवर्सिटी से आए हैं, इसलिये हमको इसके लिये बहुत गर्व है। हम आपसे इतनी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कुछ घटना घटी है वह स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अर्ज किया कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से मसला उठाया जाए।

श्री धनिक लाल मण्डल : इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बैरेक बना दिया जाएगा तो क्या इस देश की पार्लियामेंट चुपचाप सुनती रहेगी ? वहां अगर मिल्ट्री, पुलिस, सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० सब आ जाएंगे तो क्या लोकसभा चुपचाप रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अर्ज किया है कि कल हम बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। उसमें देखेंगे किस प्रकार से फैसला होता है।

श्री धनिक लाल मंडल : इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यदि बैरेक बना दिया जायेगा तो इस देश की पार्लियामेंट क्या चुपचाप देखती रहेगी ? वहाँ यदि मिलिटरी, पुलिस, सी० आर० पी०, बी० एस० एफ०, और जितनी तमाम सेना है उसको भेज दिया जायेगा तो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे----

अध्यक्ष महोदय : बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी में देखेंगे, बात करेंगे। डिसक्शन का विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से करनी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो विशेषाधिकार के प्रस्ताव की ओर जो मैंने दिया था। सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को कुछ कागजात देने से इन्कार कर दिया है। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूँ। तथ्य प्राप्त होने पर मैं आपसे बात करूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस सदन के अभिरक्षक हैं और यदि सरकार को इस प्रकार अपनी इच्छा करने की अनुमति दी गई तो इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरेगी।

दूसरी बात यह है कि कल अब मैं दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक पर बोल रहा था तो मैंने वापस लिये चार मामलों का उल्लेख किया था जो उड़ीसा की भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी और दूसरा श्री चाँदराम के बारे में है। तीसरा मामला विमान अपहरण और चौथा श्री एस० के० मोदी के बारे में हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने नियम 353 का उल्लंघन नहीं किया। मैंने केवल एक वक्तव्य दिया जो सचाई है और जो मामला समाचार पत्रों में छप चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सारी बात को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है। यदि मैं···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये। हम देखेंगे कि उसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया है अथवा नहीं।

मैं आपको संतुष्ट करूंगा।

श्री ज्योर्मिय बसु : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके साथी सदस्य हैं। इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री शिवराज वी० पाटिल के मंत्री नियुक्त हो जाने पर उनके स्थान पर सभापति तालिका में मैं श्री चिन्तामणि पाणिग्रही को कि नामनिर्दिष्ट करता हूँ। (व्यवधान)

डा० वसन्त कुमार पण्डित : अन्य सूचना प्रश्न…

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न करने का स्थान नहीं हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : लाठी गोली की सरकार जो विद्यार्थियों पर लाठियाँ और गोलियाँ चला रही है और आप इसको नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कल देखेंगे। इसके विरोध में हम वाक आउट कर रहे हैं।

इसके पश्चात् श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये।

एक माननीय सदस्य : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने चार घण्टे का निर्णय लिया था। यह उस दिन हुआ था।

श्री रामावतार शर्मा (पटना) : इसके लिए समय बढ़ाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अब हमने कार्य मंत्रणा समिति बनाई हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे आज ले सकते हैं। यदि सदस्य तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप समय बतायें। हम साम्प्रदायिक दंगों पर कल आठ घन्टों की चर्चा चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास इतना समय नहीं है। दो घण्टे का समय नियत किया गया था। हमने इसे बढ़ाकर चार घण्टे कर दिया है। कल दो बजे के पश्चात् लिया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : दो घण्टे का समय किसने नियत किया था। यह दो घण्टे नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। यह नियत नहीं किया गया था। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसको रिकार्ड पर आने दीजिए। इस मामले पर-विरोधी दलों की आठ घण्टे की मांग है। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने आपको लिखा था कि साम्प्रदायिक दंगों पर कम से कम दस घण्टे चर्चा होनी चाहिए। मैं आठ घण्टे से सहमत नहीं हूँ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं चार घण्टे की बात से सहमत हूँ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कम से कम दस घण्टे का समय होना चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : किसी भी चीज की आशा एवं इच्छा की जा सकती है।

वन-संरक्षण विधेयक

कृषि, ग्रामीण पुर्ननिर्माण ग्रौर सिंचाई मंत्री (श्री बोरेन्द्रसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वनों के संरक्षण का तथा उनसे सम्बन्धित अथवा उनसे अनुषंगिक, तथा प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वनों के संरक्षण का तथा उनसें सबंधित अथवा उनसे आनुषंगिक तया प्रासंगिक विषयों का उपवंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं विधेयकों को पुरः स्थापित करता हूँ।

वन (संरक्षण) अध्यादेश 1980 के बारे में विवरण

कृषि, ग्रामीण पुर्ननिर्माण ग्रौर सिचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखाता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1473-80]

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

ऊर्जा मंत्री (ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे

ग्रनेक माननीय सदस्य : हां।

ग्रध्यक्ष महोदय : जो विपक्ष में है वे 'नहीं' कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में 'हां' वाले अधिक हैं।

श्रीज्योतिमर्य बसु : 'नहीं' वाले अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : लाबी खाली की जायें...मैं पुन: प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कोयला-खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदन 2 बजे तक के लिये स्थगित होता है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् 2 बजकर छ: मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लिया जायेगा। श्री रावत इनके पश्चात श्री सत्य नारायण जाटिया और श्री नट राजन और दिलीपसिंह भूरिया बोलेंगे।

(एक) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, 24 नवम्बर, 1974 को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों व प्रबन्धकों के मध्य यह निर्णय हुआ था कि निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित लाभांश का 15 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जायेगा। इस निर्णय के विरुद्ध निगम के प्रबंधकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 1980 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देने के उपरान्त भी जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकगणों द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

इस विलम्ब के प्रति तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अत: केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी तत्काल हस्तक्षेप करन्याय दिलवायें।

(दो) महीदपुर रोड़ और जावरा चीनी फैक्ट्री के कर्मचारियों और किसानों को बकाया राशि का भुगतान

श्री सत्यनरायण जाटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, महीदपुर रोड तथा जावरा के शक्कर कारखानों का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कर्मचारियों के पिछले बकाया, वेतन,

रिटेनिंग राशि का तथा किसानों के गन्ने का बिल की ओर भुगतान शेष है। इसी प्रकार कर्म-
चारियों की भविष्य निधि में जमा कर्मचारियों का अंश तथा मिल का अंश का हिसाब भी ठीक
नहीं है। सरकार द्वारा गन्ने की कीमत काफी कम घोषित की गई है। इसके कारण किसानों में
निराशा है। किसानों की मांग है कि उन्हें कम से कम 30 रुपया प्रति क्विटल गन्ने की कीमत का
भुगतान किया जाए। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार शीघ्र आवश्यक
कार्यवाही कर मजदूरों का तथा किसानों का बकाया भुगतान करने की व्यवस्था करे, जिससे मिल
सुचारू रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर सकें।

(तीन) इलाइची कर्मकारों को पुनरीक्षित मजूरी दिया जाना

श्री कुमबुद एन० नटराजन (पेरिपाकुलम) : इलायची के लगभग 11780 लघु
उत्पादकों को जिनके पास पाँच एकड़ से कम भूमि है, पुनरीक्षित मजूरी देने के लिए कहा जा
रहा है जिस बारे में बागान चाय समिति में सहमति हुई थी। पुनरीक्षित मजूरी दिन में 8 घण्टे
काम करने पर लागू होती हैं। मजदूरों की शेष सभी मांगें पूरी तरह मान ली गई हैं और आठ
घण्टे काम करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। श्रम आयुक्त कार्यालय, त्रिवेन्द्रम ने 4 दिसम्बर
1980 को बागान श्रम अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख किया था जिसमें सप्ताह में
54 घण्टे काम करने की बात है। यहाँ यह बात बताने योग्य है कि पुनरीक्षित मजूरी केवल
प्रौढ़ व्यक्तियों पर ही लागू होती है और पर्यवेक्षकों तथा बच्चों के लिये पुनरीक्षित मजूरी के बारे में
बागान श्रम समिति में अभी निर्णय लिया जाना शेष है। इलायची उत्पादकों ने पुनरीक्षित मजूरी
को 1-4-80 से लागू करना मान लिया है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि पुनरीक्षित मजूरी
को चाय तथा काफी उगाने वालों ने स्वीकार नहीं किया है जहां 8 घंटे काम करना अनिवार्य है।

इन छोटी जोतों में संगठित कार्मिक संघ काम के घंटों में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं।
कुछ स्थानीय मजदूर जिनकी अपनी भी छोटी जोते हैं, अन्य स्थान पर काम करने हेतु काम के
घंटों में कमी करने की मांग कर रहे हैं, यदि इसे सामान्य नियम बनने दिया गया तो इस इलायची
के उत्पादन में हानि होगी। ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि दिन में केवल दो घंटे ही काम किया
जाता है। जब लघु उत्पादक अनुपात में मजूरी काटते हैं तो संगठित कार्मिक संघों द्वारा उन्हें
परेशान किया जाता है, उनसे हाथापाई की जाती है और पूरा वेतन देने हेतु मजबूर किया जाता
हैं। वे आठ घंटे से कम समय के काम के लिये पुनरीक्षित पूरी मजूरी देने में असमर्थ हैं। यदि
बागानों में चार अथवा पाँच घंटे काम किया जाता है तो इलायची के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा।
भारत सरकार को इलायची बोर्ड के माध्यम से निर्देश जारी करने चाहिए कि आपस में स्वीकार
की गई पुनरीक्षित मजूरी केवल आठ घंटे काम पर ही लागू होगी। उससे कम घंटे के काम पर
नहीं। केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय को इस विदेशी कमाने वाली इस मुख्य वस्तु की खेती में संघों की
बहुलता और संघों की एक दूसरे से शत्रुता को खत्म करने हेतु हस्तक्षेप करना चाहिए।

(चार) मेघनगर (मध्यप्रदेश) स्थित रॉक फासफेट फैक्ट्री

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन महत्व-
पूर्ण विषय की ओर हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े हुए एवं आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर में

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

5 मिलियन टन अच्छी किस्म का रॉक फासफेट उपलब्ध है। वर्तमान में माइनिंग कारपोरेशन, मध्य प्रदेश द्वारा इस रॉक फासफेट का माइनिंग किया जाता है एवं कच्चा माल बाहर की पार्टियों को विक्रय किया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश शासन को कारपोरेशन से रायल्टी के रूप में करोड़ों रुपए अब तक प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु इस क्षेत्र में इतनी प्रचुर मात्रा में रॉक फासफेट उपलब्ध होते हुए एवं इस पर आधारित उद्योग लगाने की समस्त सुविधायें होते हुए भी इस क्षेत्र में कारखाना नहीं खुलने से भयंकर असंतोष व्याप्त है। यद्यपि, भारत शासन ने एक फर्म को मेघनगर में रॉक फास्फेट पर आधारित कारखाना डालने हेतु आशय पत्र जारी किया है, किन्तु शासन द्वारा कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कतें बताकर इस उद्योग को लगाने में विलम्ब से क्षेत्र में बहुत ही असंतोष फैल रहा है। यहां तक कि विगत दिनों मेघनगर में रॉक फासफेट कारखाना खुलवाने हेतु एक संघर्ष समिति का संगठन भी किया गिया है तथा संघर्ष समिति द्वारा आन्दोलन, धरना, चक्का जाम करना आदि निर्णय लिए गए हैं एवं यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कच्चा माल मेघनगर से बाहर नहीं जाने देने का भी निर्णय लिया है।

अतः शासन यथाशीघ्र निर्णय कर मेघनगर में रॉक फासफेट पर आधारित कारखाना खुलवाने की व्यवस्था करे ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सके एवं आदिवासियों को भी मजदूरी के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़े।

(पाँच) विदेशी मछली पकड़ने के जहाजों द्वारा भारतीय समुद्र जल सीमा का उल्लंघन

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : मैं आपकी अनुमति से नियम के 377 अन्तर्गत मामला उठाता हूँ।

हमारे देश की जल सीमा में विदेशी मतसय नौकाओं के अवैध घूमने को रोकने की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि इस से हमारे परम्परागत मछुआरों को चिन्ता होती है। हमारे देश की दक्षिणी जल सीमा, बंगाल सागर अरब सागर और हिन्द महासागर में विदेशी पोतों के घूमने और मछली पकड़ने की ये गतिविधियां आम हो गई हैं। वे हमारे गरीब मछुआरों के जाल और बर्तन छीन लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वे कम मछली पकड़ पाते हैं और उनकी निर्धनता बढ़ती जाती है और इस प्रकार उन्हें और कठिनाई और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। विदेशी मत्स्य पोत जल सीमा के उपयोग के अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं सिद्धान्त का उल्लंघन कर हमारे समुद्री तट से बहुत निकट मछली पकड़ रहे हैं। यदि इस अवैध प्रथा को तुरन्त नहीं रोका गया तो हमारे गरीब मछुआरों को कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह हमारी जल सीमा में घुसने की विदेशी मतस्य पोतों की इस कार्यवाही को तुरन्त रोके।

(छः) पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय उठाना चाहती हूँ।

पश्चिम बंगाल में सीमेन्ट की अत्यधिक कमी है और उससे अनेक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा अन्य निर्माण परियोजनाओं, सार्वजनिक निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के कार्य में बाधा पड़ रही है और मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा निजी मकानों के निर्माण की बात का तो क्या कहना।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विकास विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस वर्ष सितम्बर में आश्वासन दिया था कि अक्तूबर से दिसम्बर, 1980 के लिए पश्चिम बंगाल के सीमेंट के त्रैमासिक आवंटन में वृद्धि की जायेगी लेकिन चालू तिमाही के दौरान पश्चिम बंगाल सरकारको सीमेंट का कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं दिया गया है हालांकि इसी तिमाही में महाराष्ट्र को 80,000 एम० टी० अतिरिक्त आबंटन किया गया है। देश में सीमेंट की आम कमी को देखते हुए आवंटन समान रूप से होना चाहिए। उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार को उनके विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा कर दें और चालू तिमाही के लिए पश्चिम बंगाल को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करें।

(सात) केरल को चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई

श्री इ० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : महोदय, चावल, गेहूँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई के कारण केरल में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। गत कई महीनों से इन वस्तुओं की सप्लाई माँग की अपेक्षा काफी कम रही है। राशन के उचित वितरण के लिए 1,45,000 टन चावल की मासिक आवश्यकता के मुकाबले जनवरी से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के लिए औसत मासिक सप्लाई केवल 58,258 एम० टी० थी। सितम्बर, 1980 के बाद गेहूँ का मासिक कोटा भी 10,000 टन से घटाकर 4,000 टन कर दिया गया है। चीनी के मामले में भी सप्लाई में कमी हुई है और कमी को पूरा करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर भी अब तक विचार नहीं किया गया है। मिट्टी-तेल तथा हाई स्पीड डीजल तेल का मामला कोई अलग नहीं है, राज्य को किया गया आवंटन यहाँ तक कि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने लिए भी अपर्याप्त है। अक्तूबर, 1980 के लिए हाई स्पीड डीजल तेल का 28,600 एम० टी० का मूल कोटा बाद में घटा कर 24,560 कर दिया गया और मत्स्य पालन तथा परिवहन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कठिनाई में डाल दिया गया।

अनिवार्य सप्लाई को बनाये रखने के लिए कृषि, नागरिक पूर्ति, रेलवे आदि मन्त्रालयों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता हालांकि हम राष्ट्रीय एकता जैसे बड़े प्रश्नों के बारे में खूब सुनते हैं। मूल्य में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रश्न भी उन कारणों में से एक कारण है जिनसे राज्य को खाद्यान्नों की सप्लाई नहीं की गयी। यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय खाद्य निगम जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, ऐसे तरीके अपनाये जिनसे राज्य सरकार पर 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कमी थोपने के अलावा कोयला चोर बाजारी को बढ़ावा मिले।

यह केन्द्रीय सरकार का परम कर्त्तव्य है कि वह इस समस्या को हल करने के लिए उपाय खोजे। इन आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई तुरन्त की जानी चाहिए और समय पर राज्य को इन वस्तुओं की सप्लाई पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में वेतन प्राप्त किये जायें। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मन्त्री तथा कृषि और नागरिक पूर्ति तथा रेल मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

———

आरोविल (आपात उपबन्ध) अध्यादेश/1980 निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

आरोविल (आपात उपबन्ध) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 11 और 12 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 10 नवम्बर ,1980 को प्रकाशित आरोविल (आयात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 19) का निरनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० उन्नीकृष्णन आरोविल (आयात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सम्वन्ध सरकारी विधेयक पर विचार करने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाना चाहते थे। क्योंकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं, अतः आप बोल सकते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे दो मूल मुद्दे उठाने हैं लेकिन मेरे उनसे उठाने से पूर्व यह बेहतर होगा कि......

अध्यक्ष महोदय : उससे पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस मद के लिए कार्य मन्त्रण समिति द्वारा आवंटित समय एक घंटा है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि उसका पालन हो।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं आपको यह जानकारी देता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए एक घंटा आवंटित नहीं किया है, उसने केवल इस मद के लिए एक घण्टे का संकेत किया है।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : हमने आज प्रातः अध्यक्ष महोदय से बात की और उन्होंने सभा के स्थापित होने से पूर्व निजी रूप से हमें आश्वासन दिया कि उस समय को बढ़ाकर दो घंटे कर दिया गया है। मैं सोचता हूं इस मद के लिए कम से कम इतना समय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में, हम इस मद के लिए दो घंटे देंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, नियम 178 के अन्तर्गत, मैं कम से कम आधे घंटे का हकदार हूं। उसे कोई कम नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं अपनी बात उठाने से पूर्व इन सभी मामलों से सम्बद्ध तथ्यों को संक्षेप में बताना चाहता हूं।

महोदय, सभी जानते हैं कि श्री अरबिन्द इस शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ आदेशों का प्रचार करने से लिए तथा कुछ विशेष शिक्षा देने के लिए पांडिचेरी में बसे थे और फ्रांस की मेडम मीरा जो मदर के नाम से अधिक जानी जाती हैं ने भी उनको सहयोग दिया और वास्तव में वही एक महिला थी जो उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर रही थी और उसे संस्था के लिए वे ही प्रमुख प्रचारक थी।

महोदय, उनकी शिक्षाओं का प्रयोजन क्या था। इस बात का पता उससे लग जाता है जो उन्होंने स्वयं कहा :—

महोदय, "अरविन्द का कहना हैं कि आश्रम की स्थापना साधारण सामान्य संस्थान की

अपेक्षा भिन्न उदेश्य से की गयी है; सन्यास लेने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे प्रकार के तथा भिन्न स्वरूप के जीवन के विकास के लिए अभ्यास करने हेतु एक केन्द्र तथा क्षेत्र के रूप में की गयी है जो जीवन अन्तगोत्वा उच्चतर अध्यात्मक संज्ञान से प्रेरित होगी और उसमें उच्च आत्मा का समावेश होगा। यह अन्य आश्रम की भांति नहीं है। इसके सदस्य सन्यासी नहीं है। यहाँ योग का मात्र उद्देश्य मोक्ष नहीं है। यहां ऐसे कार्य की तैयारी की जा रही है जो योग संबंधी चेतना और योग पर आधारित होगी और उसका अन्य कोई आधार नहीं होगा। "उन्होंने आगे कहा" यहां भौतिक जीवन के लिए केवल दो आधार सम्भव है। पहला यह है कि कोई आत्म-हीन तथा आत्म-समर्पण के सिद्धान्तों पर आधारित आश्रम का सदस्य है। सभी ईश्वर का है और सभी ईश्वर का रहा है। देते समय देने वाला अपना कुछ नहीं देता बल्कि जो ईश्वर का है उसी को देता है। भुगतान करने अथवा लोटाने तथा सौदे बाजी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता तथा इसमें मांग और इच्छा की कोई गुंजाइश नहीं। आप जानते हैं इस उद्देश्य से इस आश्रम की स्थापना की गयी और वहां रहने के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किये। आश्रम के एक साधक से यह आशा की जाती है कि वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे :—

"आश्रम में साधक और साधकी के बीच किसी भी प्रकार के शारीरिक यौन सम्बन्धों और सम्पर्कों की पूर्ण मनाही है। यहां तक कि एक पति और पत्नि के भी सभी प्रकार के शारीरिक सम्बन्धों पर रोक लगानी चाहिए और एक दूसरे को केवल साथी-साधक समझना चाहिए न कि पति तथा पत्नी के रूप में।"

अतः मदर ने भी इसी बात पर बल दिया और उन्होंने कहा कि :

"नियम बहुत थोड़े हैं ताकि प्रत्येक को उसके विकास के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हो सके लेकिन कुछ बातों में बिलकुल मनाही है। वे बातें हैं—राजनिति, धूम्रपान, मद्यपान और यौन सुख।"

महोदय वहां रहने के इन उद्देश्यों तथा इन सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार यह आश्रम कार्य कर रहा था और 1960 में भी अरविन्द सोसाइटी नाम से एक सोसाइटी बनायी गयी जो 1961 के बंगाल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, संख्या 26 के अन्तर्गत कलकत्ता में पंजीकृत थी।

महोदय आरोविल का उद्देश्य मदर के शब्दों में यह था—

"पृथ्वी में ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां मनुष्य सभी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, सामाजिक परम्पराओं, परस्पर विरोधी नैतकिताओं और प्रतिद्वन्द्वी धर्मों से देर रह सकें।"

"....एक ऐसा स्थान जहां भूतकाल की सभी दासताओं से मुक्त होकर मनुष्य अपने आप को पूर्णतः ईश्वरीय चेतना की खोज में लग सके तथा उसमें लीन हो सके अर्थात आत्म-दर्शन कर सके।"

"आरोविल ऐसा ही स्थान बनना चाहता है और उन सबका स्वागत करता है जो कल के सत्य को जीना चाहते हैं।"

मदर द्वारा भी फरवरी 1968 को घोषित एक आरोविल चार्टर हैं। उसमें निम्न-लिखित कहा हैं :

आरोविल किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह पूर्ण मानवता के लिए है, लेकिन आरोविल में रहने के लिए प्रत्येक को ईश्वरीय चेतना का श्रद्धालु सेवक होना चाहिए।

[श्री एन० के० शेज वल्कर]

2. आरोविल निरन्तर शिक्षा, प्रगति और स्थिर यौवन वाला स्थान होगा।

3. आरोविल भूत और भविष्य के बीच एक सेतु का कार्य करना चाहता है। बाह्य और आन्तरिक सभी खोजों का लाभ उठाकर आरोविल भविष्य में पूर्ण जान की ओर साहस से बढ़ेगा।

4. आरोविल वास्तविक मानवीय एकता के जीवन्त स्वरूप के लिए भौतिक और आध्यात्मिक अनुसंधान का केन्द्र होगा।"

इन बातों को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में यह एक प्रकार की धार्मिक संस्था है क्योंकि धर्म की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। मैं इस सम्बन्ध में बाद में बताऊँगा। उससे पूर्व, धर्म का शब्द कोष के अनुसार अर्थ है : "एक उच्चतर अदृश नियंत्रक शक्ति और उससे सम्बद्ध नैतिकता में आस्थापूर्ण विश्वास-मान्यता, अथवा एक जागृत भावना।" मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहता था। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। इस मामले के बारे में एक मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है, इस मामले के बारे में एक लेख याचिका है। उन्होंने रोकादेश प्रस्तुत किया है। वास्तव में यही बात है जिसके बारे में निर्णय किया जाना है, सर्वोच्च न्यायालय को आवेदन जिस कारण से दिया गया था वह यह कि यह एक धार्मिक ढंग का संगठन है और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक है। इसलिए, यह विधान गलत है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में रोकादेश मन्जूर किया है :

"हम अन्तरीय उपाय के रूप में निर्देश देते हैं कि वर्तमान समिति सोसाइटी का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन चलाए लेकिन वह कोई बड़ा नीति-सम्बन्धी निर्णय नहीं लेगी अथवा कोई बड़ी परियोजना आरम्भ नहीं करेगी अथवा कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं करेगी अथवा न ही केन्द्रीय अथवा प्रशासक श्री आई० जी० निगम की लिखित आज्ञा के बिना एक समय में 5000/-रुपए से अधिक कम नहीं करेगी।"

पहला वाक्या है : "लोक याचिका के सन्दर्भ में प्रारम्भिक आदेश (रूल निसी) जारी करें।"

अब बात यह है कि, क्या यह सभा इस मामले पर विचार कर सकती है; क्या यह निर्णयाधीन वाले नियम से प्रतिबंधित है अथवा नहीं। आप एम० एन० कौल तथा एस० एल० शकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट के पृष्ठ 910 को देखें।

".. विधान मंडल और उसके सदस्यों का यह पूर्ण विशेषाधिकार है कि वे देश और उसके लोगों के प्रशासन के बारे में चर्चा और विचार कर सकें। सभा में बोलने की स्वतन्त्रता संसदीय प्रजातंत्र का सार है, ऐसी स्वतंत्रता पर लगाए गए कुछ प्रतिबन्ध स्वयं लगाए गए हैं। उनमें से एक प्रतिबन्ध यह है कि सभा में ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए जो न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हों ताकि ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालय बाहर कही गई किसी बात से प्रभावित न हों।"

इस सभा के भी विनियोग हैं, अनेक विनिर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे मामलों पर चर्चा करने के बारे में इस सभा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि अन्यथा यह स्वयं विधान पर प्रतिबन्ध हो जायेगा। महोदय, जिन प्रतिवेदित मामलों को मैंने अभी तक देखा है वे पृष्ठ 913 पर हैं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल यह कहूंगा कि उन विनिर्णयों में जो इस सभा द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं और उस विनिर्णय में, जिस पर इस समय चर्चा की जा रही है, अन्तर है, एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय में ले जाया गया था और प्रारम्भिक आदेश जारी किया गया था लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें रोकादेश दिया गया हो।

एक भी मामला ऐसा नहीं है जहां इस प्रकार का रोकादेश जारी किया गया हो, अतः यह अन्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले विनिर्णयों तथा वर्तमान विनिर्णय में है।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इस मामले पर चर्चा करना उचित होगा? मैं नहीं जानता कि क्या यह एक असफल विधान होगा अथवा नहीं लेकिन क्या इस पर चर्चा करना उचित होगा। महोदय, वास्तव में यह अन्तिम नहीं है। न्यायालय ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या यह 'धर्म' है अथवा धार्मिक मामला है अथवा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, मैं दिनांक 25 नवम्बर, 1980 के इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं और यह अन्य समाचार पत्रों में भी छपा है:

> "सोसाइटी और उसके सदस्यों की ओर से श्री एम० के० राममूर्ति और श्री के० वेनुगोपाल ने यह तर्क दिया था कि संसद को अध्यादेश जैसा कानून पास करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत धर्म के मामले में दिए गए संरक्षण को प्राप्त करने के लिए भगवान, हिन्दू, इस्लाम, ईसाई धर्म अथवा किसी ऐसी ही संस्था में विश्वास रखना आवश्यक नहीं है।
>
> सोलिसिटर जनरल ने मदर और अरविन्द के पत्रों से पढ़ना आरम्भ किया कि वे कोई धर्म, दर्शन शास्त्र अथवा मत स्थापित नहीं करना चाहते थे। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर दिया था कि इसका अर्थ केवल यह है कि वे परम्परा के रूप में किसी धर्म की स्थापना नहीं करेंगे। मान लीजिए साम्प्रदायिक मामलों के सन्दर्भ में भारत के अनेक धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग एक ऐसा मूलभूत स्थापित कर लें कि आज से किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा और सारे लोग केवल भारतीय होंगे। क्या यह सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म नहीं होगा? मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा प्रश्न किया और याचिका को स्वीकार किया।"

महोदय, पहले भी सर्वोच्च न्यायालय में एक पुराने मामले में न केवल इसे बल्कि प्रशासन को भी धर्म का अंग माना गया। यह ए० आई० आर० 1954 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 282 पर है। महोदय, मैं संगत अंश को पढ़ देता हूँ।

एक माननीय सदस्य : किस वर्ष? क्या यह बदला नहीं है?...(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : यह 1954 है, नहीं महोदय, यह नहीं बदला है। पृष्ठ

[श्री एन० के० शेखवलकर]

संख्या 282 है। कमिश्नर आफ एच० आर० ई० बनाम ए० टी स्वामाया।

'हमारे संविधान से न केवल धर्म का संरक्षण होता है अपितु इससे धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों का भी संरक्षण होता है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के 'धर्म का संरक्षण' शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट कर दिया गया था। साथ ही संविधान में ही निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार यह धार्मिक आचरण पर भी लागू होता है,......अर्थात् अनुच्छेद 26-ख के अन्तर्गत नैतिकता तथा वे बातें...। अतः किसी भी धार्मिक वर्ग अथवा संगठन को यह निर्णय करने के मामले में पूर्ण स्वायत्तता है कि इसके अनुसार कौन-कौन से धार्मिक कृत्य तथा समारोह हैं..." आदि।

और वे आगे कहते हैं—

"यह भी नोट किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत धार्मिक वर्गों अथवा उसके प्रतिनिधियों का यह मूल अधिकार है कि वे अपनी सम्पत्तियों का विधि अनुसार प्रशासन करें और इसलिए विधि के अनुसार ऐसे प्रशासन के अधिकार की अनुमति होनी चाहिए जिसे वह ऐसे प्रतिबन्धों तथा विनियमों के अनुसार समझे..."

महोदय, अब मेरी पहली बात के सम्बन्ध में इस निवेदन के साथ कृपया इस पर विचार करें कि इस प्रकार का विधान अनुच्छेद 25 और 26 के विरुद्ध है। अतः इस पर विचार किया जाए जबकि इसी बात पर उच्चतम न्यायालय में सोच-विचार चल रहा है। मेरी धारणा के अनुसार कोई कानूनी रोक नहीं है परन्तु, आखिर, इस सभा के लिए यह औचित्य की बात है कि यह सुनिश्चित करे कि ऐसा विधान पारित न किया जाए जो निरर्थक बन सकता है।

दूसरे, इस अध्यादेश को जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत जिस शक्ति का प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं कि, उसकी इस सभा को सर्व सम्मति से निन्दा करनी चाहिए। सत्र से ठीक पहले दस अध्यादेश जारी किए गए हैं। इन अध्यादेशों के स्वरूप की जांच की जानी चाहिए। यह विशेष अध्यादेश केवल सात दिन पहले, अर्थात् 10 नवम्बर को ही जारी किया गया था। मैं नहीं समझता कि इसकी किसी भी प्रकार से सराहना की जा सकती है। मैं पहले के उदाहरण दूंगा जब इस सभा ने इसकी सुस्पष्टतः निन्दा की है और अध्यक्ष महोदय ने भी ऐसी कार्यवाही की निन्दा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों को ऐसी प्रथा की निन्दा करनी चहिए। मैं कौल तथा शकधर की 'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट के अध्याय तेईस, पृष्ठ 521 से यह उद्धरण देता हूं :

"15 नवम्बर, 1971 को जब संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री ने अन्तः सत्रावधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए तेरह अध्यादेशों की प्रतियों को सभा पटल पर रखना चाहा तो यह आपत्ति उठाई गई थी कि संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी विशेष अन्तः सत्रावधि में इतने अधिक अध्यादेश जारी किए गए हों...।"

वे कह सकते हैं उस समय अधिक खराब स्थिति थी क्यों कि इस समय तो केवल देश अध्यादेश जारी किए गए हैं परन्तु इन दस अध्यादेशों के स्वरूप को देखते हुए इनका बिलकुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। उस समय अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी कि :

"मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि इतने अधिक अध्यादेश जारी नहीं किये जाने चाहिए थे। मैं वैयक्तिक रूप से समझता हूं कि यह इतना साधारण मामला नहीं है कि जिसकी उपेक्षा कि जाए। मुझसे पहले वाले अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने ठोस निर्णय पर आधारित कतिपय टिप्पणियाँ की हैं..."

इस टिप्पणी के साथ कुछ पत्र भी जुड़े हुए हैं जिनको मैं नहीं पढ़ूंगा। अध्यक्ष ने आगे टिप्पणी की कि :

"मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अध्यादेश जारी करने को उचित ठहराने के लिए वास्तव में आपात स्थिति अथवा अविलम्विता है।...... यदि आप समझते हैं कि वित्तीय अथवा गैर वित्तीय, कर तथा गैर कर अध्यादेशों के बीच कोई अन्तर हो तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर मैं अपना विनिर्णय दे सकूँ...अध्यादेशों का, विशेषकर उस समय स्वागत नहीं किया जा सकता जब (सभा के सत्र के लिए) तारीख बहुत ही निकट हो। यह केवल स्पष्ट ही नहीं है अपितु निकट भी नहीं है। ऐसे मामलों में जब तक कोई विशेष कारण न हो, अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिए। यह वह विनिर्णय है जो मैंने 22 नवम्बर, 1971 को दिया था...और यही विनिर्णय मुझसे पहले के अध्यक्षों ने दिया था।" यह एक ऐसी स्थिति है जब मैं प्रार्थना करूंगा कि अध्यक्ष महोदय को, पहले जो कुछ किया गया है उसके अनुरूप विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। माननीय सदस्यों को भी इस विधेयक की सीधी निन्दा करनी चाहिये।"

आखिर कोई अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ पूर्व-अपेक्षित शर्तें हैं। आपात स्थिति क्या थीं ? यह सही है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्ति विषयक मामला है और न्यायालय इसका निर्णय नहीं कर सकता परन्तु हम यहां जो विधान बना रहे हैं तो क्या हम उसके औजित्य, इस अध्यादेश और विधेयक के औचित्य, पर चर्चा नही कर सकते ? मैं समझता हूँ कि हम चर्चा कर सकते हैं। इस समूचे पहलू की जाँच करनी होगी कि यह अध्यादेश किन आधारों पर जारी किया गया था। मैं घटनाओं के बारे में बाद में बताऊंगा। अध्यादेश के साथ जो एक मात्र कारण दिया गया है वह यह है : दिनांक 10 नवम्बर के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 536 पर यह कहा गया है कि :

"उक्त समिति ने श्री आरोविल सोसाइटी के लेखों की विस्तृत जांच करने के बाद उक्त सोसाइटी के प्रबन्ध में गंभीर अनियमितताओं, इसके कोष के दुरुपयोग तथा उसके अन्य कार्यों में लगाये जाने के उदाहरण पाये।"

क्या यह सहज न्याय का सिद्धान्त नहीं है कि यदि आपको किसी को बर्खास्त करना हो तो आप उसे 'कारण बताओ' नोटिस दें और यह स्पष्ट करने का अवसर दें कि क्या-क्या कठि-नाइयाँ हैं ? मेरी जानकारी यह है कि लेखा-परीक्षकों का एक प्रतिवेदन था और वह लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन उस वक्तव्य के अनुरूप नहीं था जो यहाँ दिया गया परन्तु यह अन्य प्रकार का था। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यह समिति, मैं नहीं जानता कि किन शक्तियों के अन्तर्गत

[श्री एन० के० शेजवलकर]

यह गठित की गई थी, स्वयं असंवैधानिक समिति है। यह 1976 में गठित की गई थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था परन्तु मेरी जानकारी यह है कि : यदि मैं गलत कहता हूं तो मंत्री महोदय मेरी गल्ती में सुधार कर सकते हैं—यह प्रतिवेदन 1977 में किसी समय प्रस्तुत किया गया था। क्या यह समिति अनुचित थी, यह किस प्रकार प्रस्तुत किया गया, क्या कारण था आदि इन बातों पर मैं बाद में बोलूंगा। जब यह 1977 में प्रस्तुत किया गया था तब एक अवसर देने के लिए पर्याप्त समय था। वस्तुतः अविलम्बिता क्या थी ? प्रतिवेदन 1977 के आरम्भ में प्रस्तुत किया गया था। साढ़े तीन वर्षों के बाद वे उस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और उसके आधार पर वे उतावले पन में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने अवसर नहीं दिया। इस सम्बन्ध में तीन पत्र थे। एक आरोविल सोसाइटी के चेयरमैन का था जिसने धन राशि भी दान की थी। सरकार सहित अन्य लोगों ने भी धनराशि दान की थी परन्तु 2 संख्या वाली धनराशि आरोविल सोसाइटी द्वारा दान की गई थी। सोसाइटी के चेयरमैन ने तत्काललीन शिक्षा मंत्री, श्री शंकरानन्द को 7 सितम्बर को पत्र लिखा था जिसमें उसने बताया है कि भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार, किरीत जोशी के नाम से विख्यात एक सज्जन, जिनका एक पक्षीय दृष्किोण है केवल एक पार्टी का ही पक्ष ले रहा है। चेयरमैन ने आगे लिखा कि :

> "आपके मंत्रालय ने सरकार के उस लेखा परीक्षा दल, जिसने 1977 के आरम्भ में पांडिचेरी की यात्रा की थी, द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन हमें पिछले वर्ष दिया। आपके मंत्रालय को पता है, जैसे कि हम हैं, कि सोसाइटी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने वाली कोई भी चीज नहीं पाई गई। इस विषय पर श्री आरोविल सोसाइटी और आपके मंत्रालय के बीच हुए बाद के पत्र व्यवहार से इस बात का स्पष्ट रूप से भण्डाफोड़ हो गया है......वह उनको सरकार द्वारा आरोविल के अधिग्रहण का पहले ही आश्वासन दे चुके है तथा अपने कदाशयपूर्ण इरादों को पूरा करने के लिए कोई भी बात गढ़ लेंगे।"

अतः यह उनके ध्यान में लाया गया।

भूतपूर्व मंत्री, श्रीमती रेणुका देवी ने भी 4 नवम्बर को शिक्षा मंत्रालय को यह बताते हुए पत्र लिखा कि :

> "मुझे उस समय ही पता चला कि मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी को ऑरोविल सम्बन्धी कामों में वैयक्तिक रूप से सम्बन्ध था और मुझे पता चला कि हमें प्रायः गुमराह किया जाता था... यह खेद की बात है कि कुछ गिने-चुने स्वतः प्रेरित व्यक्तियों ने श्री आरोविल सोसाइटी के साथ मतभेद उत्पन्न कर दिए और इस प्रकार परियोजना को पिछले चार वर्षों से विफल करने की कोशिश की।"

इसके अतिरिक्त, श्री राजू ने 27 नवम्बर को अपने पत्र में यही बात लिखी है। जब ये पत्र तीन महीने पहले लिखे गए थे तो उनका उत्तर क्यों नहीं दिया गया और उनको अवसर क्यों नहीं दिया गया यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं किसी कारण के बारे में विचार नहीं कर सकता हूँ इतना ही नहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय में 18 अगस्त, 1980 को एक दीवानी मुकदमा दायर किया

गया था। उस दीवानी मुकदमें में, जहाँ निषेधाज्ञा दी गई थी, केन्द्रीय सरकार भी एक पक्षकार थी वहाँ उन्होंने यह बताया कि अध्यादेश जारी करने का उनका इरादा नहीं था। इस बीच क्या बात उत्पन्न हो गई ? जल्दी में यह कार्यवाही क्यों की गई ? मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस कार्यवाही का समर्थन करने का कोई कारण नही है।

एक बात यह है कि क्या गुणों के आधार पर उनका निर्णय है। परन्तु वह अलग बात है। जहाँ तक सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही का सम्बन्ध हैं, यह पूर्णतया गलत, कदाशयपूर्ण और अनुचित है तथा सरकार द्वारा ऐसी शक्ति के दुरुपयोग की सीधे निन्दा की जानी चाहिए।

गड़बड़ का कारण क्या है ? कारण यह है कि कतिपय नियमों के अन्तर्गत उपदेश तथा प्रथा उस क्षेत्र में एक आवश्यकता है। परन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करना नहीं चाहते हैं। वे अनुज्ञात्मक ढंग से रहना चाहते हैं। उनको शराब और यौन मुक्त चाहिए। इस लिए यह गड़बड़ आरम्भ हुई। कोई दर्शन हो सकता है या कुछ दर्शन-शास्त्री उस ढ़ंग से सोच सकते हैं परन्तु वह पूर्णतया भिन्न विचार धारा है। मैं श्री मां तथा श्री अरविन्द के विशेष उपदेश को पढकर सुनाता हूं।

और भी आश्चर्य की बात यह कि हमारे महोदय वहाँ 30 अक्तूबर को गये परन्तु उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जिसका इससे सम्बन्ध था।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैंने किसी को नही बुलाया। वे अपने आप ही आये थे।

श्री एन० के शेजवलकर : वह तो और भी खराब बात है। आप वहां किस काम से गये थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह कहते हैं कि वह वैयक्तिक जांच करने नहीं गए थे।

श्री एन० के शेजवलकर : उन्होंने कोई जाँच नहीं की। इस प्रकार कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं नहीं समझता कि में कोई रहस्योद्घाटन कर रहा हूं परन्तु में इस कुलकर्णी समिति के बारे में कहना चाहता हूँ। इस समिति का गठन किस प्रकार किया गया था ? भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का दिनांक दिसम्बर, 1976 का एक संकल्प संख्या यू-13019/11/76-जी० जी० है। यह भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि :

"श्री मां द्वारा 28 फरवरी, 1968 को घोषित चार्टर के आधार आरोविल नगर स्थापित किया गया है...अतः भारत सरकार ने आरोविल की समस्याओं पर गहराई से और पूर्णतया विचार करने तथा श्री मां द्वारा आरोविल चार्टर में रखे गए उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके समाधान में सहायता करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गया था..."

यह समिति आरोविल में विदेशियों के प्रवेश तथा ठहरने की स्वीकृति के बारे में उपयुक्त प्रक्रिया भी तैयार करेगी। इस समिति में ये सदस्य होंगे :

[श्री एन० के० शेजवलकर]

"1. श्री वी० टी० कुलकर्णी, उप-राज्यपाल
पांडिचेरी चेयरमैन

2. श्री वी० कार्तिकेयन, मुख्य सचिव
तमिलनाडु, सरकार सदस्य

3. श्री एस० एस० सिद्धु, अतिरिक्त सचिव,
गृह मन्त्रालय सदस्य"

अब, मैं इस समिति संगठन के पीछे जो इरादे थे उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं सभापति के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं परन्तु हर व्यक्ति जानता है कि श्री मां तथा श्री अरविन्द के उपदेशों में उसकी कितनी आस्था थी।

अब मैं एक बात प्रकट करना चाहता हूं। इस समिति के नाम से एक खाता खोला गया, जिसके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया है, और उन्होंने श्री टाटा से लगभग 2 लाख रुपये लिए।

एक माननीय सदस्य : किस लिए ?

श्री एन० के० शेजलवकर : वे हमें बता सकते हैं कि सरकार ने यह समिति क्यों गठित की। यह वास्तव में जांच समिति नहीं है। जहाँ तक इस राशि का सम्बन्ध है......

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरे पास उस पत्र की एक फोटोस्टेट प्रति है जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अवैतनिक सचिव श्री जे० एल० खन्ना द्वारा लिखा गया है और जो '15 प्रतिशत वार्षिक की दर से तीन महीने तक आप के पास रखी गई जमा राशि" के बारे में है तथा ऑरोविल समिति, पांडिचेरी को सम्बोधित है। इस पत्र में लिखा गया है कि :

"हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पांडिचेरी के आपके चैक संख्या एस० बी०/ए० डी० 660382 की प्राप्ति की सूचना देते हैं......"

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदस्य महोदय को पूरा विश्वास है कि इस समिति ने वह राशि ली है जिसके बारे में वह बता रहे है या यह कोई और सोसाइटी है जिसमें श्री टाटा सदस्य हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार खाता "ऑरोविल समिति" के नाम से है। खाता की संख्या...है (व्यवधान) यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पांडिचेरी शाखा में है तथा खाता संख्या 3764 है। इसका नाम "ऑरोविल समिति है तब यह चैक उस खाते में जमा कराया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसकी जांच की जानी है।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस पत्र में लिखा गया है :

"हम श्री जे० आर० डी० टाटा के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आपके चैक संख्या एस० बी०/ए० डी० 660382, जो उपरोक्त जमा राशि तथा उस पर देय ब्याज की आंशिक वापसी के रूप में है, की प्राप्ति की सूचना देते हैं।"

में इस पत्र की प्रति सभापटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : एस० बी० का अर्थ है स्टेट बैंक न कि श्री एस० बी चह्वाण।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस समिति के संचालन के क्या प्रावधान किया गया था ? क्या सरकार ने उस समिति के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया था ? क्या समिति ने कोई खाते प्रस्तुत किये थे ?

सारी कठिनाई यह है कि सरकार चाहती है कि यह सभा इस आधार पर विधेयक पारित करे कि कोई अनियमितता हुई है और वे यह कहते हैं कि वह अनियमितता कुलकर्णी समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है तथा हमें यह मालूम नहीं है कि वह प्रतिवेदन है क्या। वह प्रतिवेदन अभी तक सभापटल पर नहीं रखा गया है और फिर भी उस प्रतिवेदन पर सभा का निर्णय चाहते हैं। में नहीं समझता कि इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि वस्तुतः यह जांच समिति नहीं थी, वस्तुतः यह जांच के लिए नहीं बनी थी, यह तो केवल ऑरोविल की समस्या का समाधान करने के लिए थी।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाडा) : उन्होंने अध्यादेश द्वारा समस्या का समाधान कर दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरी और जानकारी यह है कि वे उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे जिसके विरुद्ध शिकायतें की गई है, इन सब बातों में उसका हित था तथा उसने यह अध्यादेश जारी करवाने की कोशिश की। यह एक ऐसा आरोप है जो सामान्यतया लगाया जाता है मुझे बताया गया है कि जब यह मामला सरकार के सामने आया तो गृह मंत्रालय के सचिव तथा शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने लिखित रूप में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि यह अध्यादेश जारी न किया जाए। यद्यपि मेरी जानकारी में भूल-सुधार की जा सकती है तथापि मुझे यही जानकारी मिली है······(व्यवधान)

अतः संक्षेप में मेरा निवेदन इस प्रकार है। प्रथमतः यह ऐसा मामला है जो न्यायाधीश है इसलिए इस पर विचार न किया जाए। दूसरे, यह एक ऐसा अध्यादेश है जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है और इस प्रकार के अध्यादेश की सीधे निन्दा की जानी चाहिए। विशेषकर इस अध्यादेश की जो उन परिस्थितियों में जारी किया गया है जो मैंने बताई है कि ऐसे अध्यादेश की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। कोई भी गलत बात नहीं होने वाली थी तथा प्रबन्ध को कोई अवसर नहीं दिया जाता है तथा मंत्री महोदय द्वारा अध्यादेश के साथ लगाये गये टिप्पण से समिति के प्रतिवेदन के बारे में नहीं होता है जो अभी तक सभा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। न ही इसे सभापटल पर रखा गया है। मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही अनुचित प्रतीत होती है क्योंकि एक विशेष एजेंट की उसमें रुचि है तथा यह समूचा कपटपूर्ण कार्य न्यायालय को यह कहते हुए किया गया है कि 'हम कुछ नहीं करेंगे'। इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश समाप्त करने के एक दिन के भीतर, उसी दिन तुरन्त निर्णय करके उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया। आखिर यह कार्यवाही अनुचित है। यह परिपाटी नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ अच्छे पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अब तक चाहे ऐसी परिपाटी रही हो। अतः मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है तथा में माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकृत करें तथा इसका समर्थन करें।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"ग्रारोविल का लोकहित में सीमित ग्रवधि के लिए प्रबन्ध-ग्रहण करने ग्रौर उससे सम्बन्धित या उसके ग्रानुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

महोदय, जैसा सदन को मालूम है, राष्ट्रपति ने ग्रंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर, ग्रारोविल के प्रबन्ध को लोकहित में एक सीमित ग्रवधि के लिए उससे ग्रौर सम्बद्ध ग्रथवा प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नियंत्रण में लेने की व्यवस्था करने हेतु 10 नवम्बर, 1980 को एक ग्रध्यादेश जारी किया था । राष्ट्रपतिय ग्रध्यादेश जारी करने की ग्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि इस सुविख्यात ग्रंतर्राष्ट्रीय परियोजना के प्रबन्ध के बारे में कुछ गंभीर कठनाइयां उत्पन्न हो गई थीं ।

श्री अरविन्द सोसायटी, जो एक गैर सरकारी संगठन है, 1960 में गठित की गई थी ग्रौर कलकत्ता में पंजीकृत की गई थी । इसका एक कार्यालय पांडिचेरी में भी है । यह सोसायटी पांडिचेरी स्थित श्री ग्ररविन्द ग्राश्रम से पूरी तरह भिन्न है । यहां जो कुछ कहा जा रहा है उसका सम्बन्ध केवल ग्ररविन्द सोसायटी से है, श्री ग्ररविन्द ग्राश्रम से नहीं । यह सोसायटी ग्रारोविल के नाम से प्रसिद्ध ऐसे सांस्कृतिक नगर की स्थापना के लिए धन देने का काम करती रही है जहाँ विभिन्न देशों के लोग एक साथ ग्रौर एक समुदाय में मैत्रीभाव से रह सकें ग्रौर मानवीय एकता के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक ग्रौर वैज्ञानिक तथा ग्रन्य कार्यों में संलग्न रह सकें ।

भारत सरकार की पहल पर, यूनेस्को ने यह मानते हुए कि ग्रारोविल परियोजना ग्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना ग्रौर शांति बढ़ाने में सहायक होगी, 1977 में ग्रपनी ग्राम सभा में इस ग्राशय का एक संकल्प प्रस्तुत करके उक्त परियोजना को प्रायोजित किया । इस सम्मेलन में यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुग्रा । 1968 में एक ग्रौर संकल्प द्वारा यूनेस्को ने ग्रपने सदस्य राज्यों तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों को ग्रन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर के रूप में ग्रारोविल के विकास में भाग लेने के लिए ग्रामंत्रित किया ताकि वे विभिन्न संस्कृतियों ग्रौर सभ्यताग्रों के मूल्यों को मानव की भौतिक और ग्राध्यात्मिक ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुरूप एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में ला सकें। 1970 में, यूनेस्को ने ग्रपने महानिदेशक को निदेश दिया था कि ग्रारोविल के विकास को एक महत्वपूर्ण ग्रन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में ग्रागे बढ़ाने के लिए, बजट प्रावधानों में जो भी संभव हो सके, किया जाए।

श्री ग्ररविन्द सोसायटी को उक्त नगर के विकास के लिए भारत से ग्रौर विदेशों से, विभिन्न संगठनों से ग्रनुदानों के रूप में बड़ी धनराशि मिली । इसमें राज्य सरकारों ने 66.50 लाख रु० ग्रौर केन्द्रीय सरकार ने 26.14 लाख रु० दिए थे ।

माँ के देहावसान के बाद, तरह-तरह की अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं जिनके कारण इस परियोजना के समुचित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार ने, श्री अरविन्द सोसायटी द्वारा परियोजना के कुप्रबन्ध में धन का दुरुपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें मिलने पर मामले की जाँच करने के लिए पांडिचेरी के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की जिसमें तमिलनाडु सरकार के और केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि थे। समिति ने श्री अरविन्द सोसायटी के आरोविल सम्बन्धी लेखों की विस्तृत जाँच की थी और उसे सोसायटी के प्रबन्ध में गम्भीर अनियमितायों, उसके धन का दुरुपयोग किए जाने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किए जाने के उदाहरण मिले थे। इसके अतिरिक्त, आरोविल के प्रबंध में विभिन्न अन्य गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनसे उस नगर का आगे विकास होना असंभव हो गया है। इन सब बातों को देखते हुए, आरोविल के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेना अत्यावश्यक हो जाता है जिससे कि आरोविल का विकास उसके उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सके।

परियोजना के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को देखते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि सरकार यूनेस्को के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, परियोजना का विकास और प्रबन्ध भारत सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व बन गया है। परियोजना के आदर्श भारत की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पुष्टि करते हैं जिन्हें विफल और निराश नहीं होने दिया जा सकता। श्री अरविन्द सोसायटी का यहां की स्थिति पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया था, और आरोविल के सदस्यों ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें उक्त सोसायटी के दमनकारी और उत्पीड़क हथकंड़ों के विरुद्ध संरक्षण दिया जाए। अत: सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।

हाल के महीनों में आरोविल के सदस्यों से नई शिकायतें मिली हैं। श्री अरविन्द सोसायटी के विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक झगड़े भी चल रहे हैं। वहाँ कानून और व्यवस्था के बारे में भी शिकायतें हैं।

इसके अलावा, परियोजना का वित्तीय प्रबन्ध भी ठोस नहीं है। कुप्रबन्ध और धन को अन्य कार्यों में लगाए जाने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। सरकार के नोटिस में यह भी लाया गया था कि श्री अरविन्द सोसोयटी ने 'आरो' निर्माण के लिए भी बड़ी रकम दी थी। 'आरो' एक ऐसी एजेन्सी है जिसके स्वरूप के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जिसके लिए इतन बड़ा निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके कार्यों और सामर्थ्य के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है।

इन परिस्थितियों, में सरकार उक्त परियोजना के कुप्रबन्ध और इसके सदस्यों के बीच आपसी झगड़ों के प्रति मूल दर्शक नहीं बनी रह सकती थी। इसे यदि रोका नहीं जाता तो यह उत्कृष्ट परियोजना नष्ट हो सकती थी। अत: सरकार ने इस मामले की विस्तार से जाँच की और यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाए, जिसके स्थान पर अब संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया है। मुझे पूरी आशा है कि सदन इस स्थिति की गंभीरता को समझेगा और आरोविल के मामलों को ठीक करने में सरकार का साथ देगा।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

विधेयक की तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके प्रति मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली तो यह है कि यह विधेयक आरोविल की संपत्ति के प्रबन्ध की शक्तियां केन्द्रीय सरकार में विहित करने की मांग करता है। लेकिन यह केवल एक सीमित अवधि के लिए है। यह अवधि पहले दो वर्ष होगी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि आरोविल का प्रबन्ध इन वर्षों से पहले ही सही स्थिति में आ जाता है, तो सरकार प्रबन्ध पर अपना नियन्त्रण हटा लेगी। किन्तु, यदि दो वर्ष के आगे अवधि बढ़ाना आवश्यक हो, तो एक बार में केवल एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जाए और कुल अवधि की अधिकतम सीमा पाँच वर्ष हो। इससे ही पता चलेगा कि उचित प्रबंध के विचार ने ही सरकार को लोकहित में ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है, किसी और बात ने नहीं।

विधेयक की दूसरी मुख्य बात यह है कि इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि सरकार का कार्य आरोविल के सदस्यों के संरक्षक का होगा। अत: जहाँ इसमें आरोविल के प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से एक प्रशासक का प्रस्ताव है, वहीं हमने एक परिषद की व्यवस्था भी की है जिसे आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कहा जाएगा। इस परिषद में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो मानव एकता, शांति और प्रगति के आदर्शों के प्रति समर्पित हों। यह परिषद आरोविल के प्रबन्ध सम्बन्धी किसी भी मामले पर अपनी ही ओर से अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार को कोई भी सलाह दे सकेगी और केन्द्रीय सरकार को कोई भी सलाह देने में परिषद यह व्यवस्था करने का प्रयास करेगी कि जिन आदर्शों के लिए आरोविल की स्थापना की गई है उन्हें बढ़ावा दिया जाए और आरोविल के सदस्यों को आरोविल के चार्टरमें संकलित आकांक्षाओं और कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए क्रियाकलापों और संस्थाओं का विकास करने की स्वतन्त्रता हो। जैसा देखने में आएगा, हमारा जोर आरोविल के आदर्शों को पूरा करने पर है और सरकार आरोविल के सदस्यों की मदद करने के लिए कृत संकल्प है ताकि उन्हें उन कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यक स्वतन्त्रता हो जो आरोविल के चार्टर में रखे गए हैं।

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि किसी को भी ऐसा कार्य न करने दिया जाए जिससे आरोविल के सदस्यों की स्वतन्त्रता में विघ्न पड़े अथवा जो आरोविल के चार्टर में सुविचारित कार्यक्रमों को पूरा करने का मार्ग अवरुद्ध न करे।

इस विधेयक की तीसरी मुख्य बात यह है कि कोई परिसम्पत्ति, अधिकार या सम्पत्ति आरोविल की है, अथवा उससे संबद्ध है या नहीं, इस बारे में कोई विवाद या संदेह के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण होगा। यह बात नोट करने योग्य है कि भारत सरकार ऐसे विवादों में मध्यस्थ नहीं बनना चाहती। धारा 9 में स्पष्ट व्यवस्था है कि इस तरह के विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक सदस्यीय न्यायाधिकरण को भेजे जाएंगे जिसका अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

पूर्ववर्ती उपबन्ध आरोविल के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के औचित्य का सुनिश्चित करते हैं ।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यादेश के बारे में कई कानूनी मुद्दे उठाए हैं । कृपया उसका भी उत्तर दें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : न्याय मंत्री कहां हैं । सामान्यतः यह प्रथा रही है कि जब कभी अध्यादेशों अथवा कानूनी सक्षमता आदि के बारे में इस तरह के प्रश्न उठाए गए, तो हमेशा न्याय मंत्री ही उनका उत्तर दिया करता था क्योंकि प्रभारी मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह प्रभारी रूप से उत्तर दे सकें अथवा सरकार के विचारों को प्रस्तुत कर सकें । यह विचित्र सी बात है कि इस तरह के नोटिस देने के बाद न्याय मंत्री अनुपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है । कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है । वह उत्तर देने के लिए सक्षम हैं । श्री चव्हाण (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है । वह उत्तर के लिए सक्षम हैं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहाँ तक माननीय सदस्यों द्वारा कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर उठाए गए प्रश्नों का सम्बन्ध है, मैं निश्चय ही स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा । माननीय मित्र श्री शेजवलकर द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा यह है कि यह मामला विचाराधीन है और सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती । बाद में उनके भाषण में, यदि मैंने उनको ठीक समझा है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस सदन के लिए इस विधेयक पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है । (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : औचित्य के रूप में इसका उल्लेख कि ऐसा किया जाएगा या नहीं, आपने बाद में किया ? यदि माननीय मंत्री इस सदन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने स्वयं उसका उल्लेख किया था ।

श्री एस० बी० चव्हाण : में विनिर्णय देना चहूँगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अपने स्वयं पिछले दिनों नियम का उल्लेख किया था । यह वही पुस्तक है और पृष्ठ संख्या भी वही है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह 18 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1965 तक का लोक सभा वाद-विवाद (तृतीय सीरीज) है । जहाँ अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है, वह पूरी तरह स्पष्ट है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने कहा है कि वहां एक अन्तर है । उस मामले में, कोई आदेश जारी नहीं किया गया था । वही अन्तर है । यदि उन्हें उस पर कुछ कहना है, तो उनका स्वागत है ।

[श्री एस० वी चव्हाण]

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य श्री शेजवलकर ग्रौचित्य सम्बन्धी पहलू के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहेंगे तो वह विनिर्णय उस पहलू का भी उल्लेख करता है। कानूनी ग्राधारों ग्रौर ग्रौचित्य की दृष्टि से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी कानून पर चर्चा करने के लिए कोई रोक नहीं है ग्रथवा कोई भी न्यायालय किसी चर्चा पर ग्रथवा किन्हीं प्रारम्भिक शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। यह बात पूर्णतया स्पष्ट है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

जिस दूसरे मुद्दे का उन्होंने उल्लेख किया वह यह है कि एक स्थगन ग्रादेश जारी किया गया है। उन्होंने स्वयं वह स्थगन ग्रादेश पढ़ कर सुनाया जिसमें कहा गया है कि यह एक सशर्त स्थगन ग्रादेश है। यद्यपि वर्तमान सोसायटी को कुछ शर्तों के ग्रधीन कार्य करने की ग्रनुमति दी गई है तथापि फिर भी सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई है ग्रौर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उसकी स्वीकृति को ग्रावश्यक माना जाता है। ग्रध्यादेश के ग्रन्तर्गत श्री निगम को ऐसी मिली-जुली शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही, वर्तमान सोसायटी को भी बने रहने दिया गया है। भारत संघ के स्थगन ग्रादेश समाप्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का सहारा लेने की भी ग्रनुमति दी गई है। हर हालत में, ये मामले ऐसे हैं जो पूरी तरह स्पष्ट हैं ग्रौर मैं नहीं समझता कि जो विधेयक सदन के सम्मुख है उस पर विचार करने के लिए कोई कानूनी ग्रथवा संवैधानिक रोक है।

माननीय सदस्य ने जो तीसरा मुद्दा उठाया था वह ग्रनुच्छेद 25 ग्रौर 26 के बारे में था कि क्या वे इस विधेयक पर लागू होते हैं। मैं नहीं समझता कि क्या वह इस विधेयक का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय ग्रथवा उच्चतम न्यायालय की किसी टिप्पणी के रूप में कर सकते हैं। रिट याचिका स्वीकार करते समय, न्यायालय में जो कुछ होता है, यदि वह समाचार-पत्रों में छपता है, तो मैं नहीं समझता कि उसे उच्चतम न्यायालय की राय समझा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि स्थिति ऐसी है। यदि माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि ग्रनुच्छेद 25 ग्रौर 26 के ग्रन्तर्गत वास्तव में क्या संरक्षण है ग्रौर किस धर्म को यह संरक्षण दिया गया है, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय का एक निर्णय पेश करने के लिए तैयार हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ग्रनुच्छेद 25 ग्रौर 26 के ग्रन्तर्गत ग्रौर कतिपय ग्रधिकार दिए गए हैं वे परम्परागत धर्मों को उपलब्ध हैं जो स्वयं यह घोषणा करते हैं कि वे किसी धर्म को नहीं मानते। जो भिन्न-भिन्न धर्मों को मानते हैं ग्रौर एक सांस्कृतिक नगर में मिल-जुल कर रहते हैं; वास्तव में, इस नगर को एक धार्मिक स्थल नहीं माना जा सकता…

श्री एन० के० शेजवलकर : कृपया वह निर्णय बताएँ।

श्री एस० बी० चव्हाण : ग्राल इण्डिया रिपोर्ट 1976 पृष्ठ 207। इसमें कहा गया है कि :

"ग्रनुच्छेद 31 में 'धर्म' शब्द का ग्रर्थ भारत के सुपरिभाषित धर्म तक सीमित है, जैसे हिन्दू धर्म, इस्लाम, सिख मत, ईसाई धर्म…… ।"

इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय का बहुत ही स्पष्ट निर्णय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे पढ़ा होगा ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अतः अनुच्छेद 25 और 26 के अन्तर्गत जो उपबन्ध हैं, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था, यहाँ लागू नहीं होंगे, पहले तो इसलिए क्यों आरोविल कोई धार्मिक संस्था नहीं है और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों ने उन्हें सूचना दी है वह उनसे कृपया यह मालूम करें कि क्या उन्होंने अपने आवेदन में यह लिखा है कि यह एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है । जब अरबिन्द सोसायटी ने अनुदान के लिए भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क किया और जब उन्होंने दोनों आवेदनों में, धारा 35 और धारा 80 (छ) के अन्तर्गत छूट के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा, तो स्वयं आवेदनों ने, जो अब उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में आन्दोलन कर रहे हैं यह लिखा है कि यह एक गैर धार्मिक संगठन है, धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अरविन्द और माँ ने स्पष्टता कहा है कि इस आरोविल का धर्म से कोई सरोकार नहीं है और इसमें कोई अधिकार तथा अन्य बातें शामिल नहीं है; जैसा वे स्वयं कहते हैं यह तो शाश्वत योग की एक नवीन संकल्पना है। यह एक नई तरह का सांस्कृतिक नगर है और हमारी वचनबद्धता यूनेस्को के प्रति है । भारत सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत करते हुए, यूनेस्को ने ही अपने तीन सत्रों में इस संकल्प को परित किया है । भारत सरकार की ओर से यह वचनबद्धता है कि हम इस आरोविल के कार्य को जारी रखे हुए हैं और यह सुनिश्चय करते हैं कि आरोविल के चार्टर द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया है उन्हे पूरा किया जाएगा । अतः हम इस पहलू को नहीं भूल सकते ।

कुछ माननीय सदस्य राज्य सूची की प्रविष्ट 32 का उल्लेख कर सकते है । क्या मैं, सदन की सूचना के लिए, संघ सूची की प्रविष्टि 10 और 13 का उल्लेख कर सकता हूँ इनके अलावा मैं अनुच्छेद 253 का भी उल्लेख करता हूँ ।

अनुच्छेद 253 इस तरह है :

"इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के परिपालन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है ।"

अतः अनुच्छेद 253 इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है । यद्यपि अरविन्द सोसायटी का पश्चिम बंगाल के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण किया गया है, फिर भी अनुच्छेद, जो अभिभावी प्रभाव रखता है, भारत सरकार और इस सदन को इस विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति प्रदान करता है । इसलिए किसी कानूनी आपत्ति अथवा संवैधानिक आपत्ति का प्रश्न सामान्यत नहीं उठना चाहिए । यदि श्री उन्नीकृष्णन कोई दूसरा मुद्दा उठाना चाहते हों, तो मैं उन्हें पूरी सूचना, जो भी वह चाहें, देने के लिए तैयार हूँ ।

श्री एन० के० शेजवलकर : उन्होंने अध्यादेश के बारे में कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी हैं। मैंने भी इस मामले की जांच की है।

यह स्वीकार किया गया है कि अध्यादेश को हटा कर उसकी जगह लेने वाले किसी भी विधेयक पर सदन में चर्चा की जा सकती है भले ही उस अध्यादेश को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती दी गई हो। इस बात से कि वर्तमान अध्यादेश को कानूनी न्यायालय में चुनौती दी गई है और अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है, अध्यादेश को हटा कर उसका स्थान लेने वाले विधेयक पर सदन द्वारा विचार किया जाना नहीं रोक जा सकता।

जहाँ तक सदन की विधायी सक्षमता का प्रश्न है, लोक सभा में यह स्वीकृत प्रथा है कि अध्यक्ष इस बारे में कोई विनिर्णय नहीं देता है कि क्या कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सदन की विधायी सक्षमता की परिधि में है या नहीं। इस मामले में सदस्य अपने विचार व्यक्त करने और इसके पक्ष तथा विपक्ष में तर्क पेश करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर अथवा विधेयक से सम्बन्धित वाद के प्रस्तावों पर मतदान करते समय इस पहलू को ध्यान में रखें।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस तरह का तरीका अपनाने, अध्यादेश जारी करने की भर्त्सना करने के लिए मैंने जो प्रार्थना की थी उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष इस बारे में पहले दिन ही कह चुके हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मामले को स्पष्ट करने के लिए एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने गृह सचिव और गृह मंत्री के नामों का, उनकी कथित रिपोर्ट के सम्बन्ध में, उल्लेख किया है। मेरी जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है ; उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर 15 जनवरी 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक पर 31 जनवरी, 1981 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आरोविल का लोकहित में सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध-ग्रहण करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 21 सदस्य हों, इस सभा से 14 अर्थात् :—

(1) डा० फारुक अब्दुल्ला

(2) श्री जेवियर अराकल

(3) श्री गुलाम नबी आजाद

(4) श्री चित्त बसु

(5) डा० कृपासिन्धु भोई

(6) श्री एस० बी० चव्हाण

(7) श्री बी० एन० गाडगिल

(8) श्री हरीश कुमार गंगवार

(9) श्री अशोक गहलोत

(10) श्री कृष्ण कुमार गोयल

(11) श्री दौलत सिंह जी जदेजा

(12) श्री चिरंजीलाल शर्मा

(13) श्री मोहनलाल सुखाड़िया

(14) श्री मूलचन्द डागा

और राज्य सभा से 7 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को 31 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में विधेयक के कतिपय संवैधानिक पहलुओं का स्पष्टीकरण करने के लिए भारत के महा न्यायवादी से इस सभा को सम्बोधित करने का अनुरोध किया जाए :

(क) भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्ट 32 से उद्भुत अपनी अन्तर्निहित और अनन्य शक्तियों के अनुसरण में किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित, अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामलों के सम्बन्ध में लोक सभा की विधायी क्षमता का प्रश्न ; और

(ख) क्या आध्यात्मिक विश्वास की एक विशेष प्रणाली, विशिष्ट दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण तथा अनुशासन का अनुसरण करने वाला कोई संगम या साम्प्रदायिक वर्ग यथा श्री अरविन्द सोसाइटी, जिसमें श्री अरविन्द और मां के अनुयायी हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त संरक्षण का हकदार है।"

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आरोविल को लेने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने 3 बातें अभी कही हैं। मैं आरोविल गया था और कुछ दिन पहले मैंने उस स्थान को देखा है। पता नहीं सरकार की टैन्डेंसी या नीयत कुछ खराब है या क्या है, या इतनी पावर होने के बावजूद भी सरकार को संतोष नहीं है, वह हर चीज को हथियाना क्यों चाहती है ?

मंत्री जी ने उसे लेने के सम्बन्ध में कहा कि यह 2 साल का मामला है, कुछ दिन बाद आवश्यकता पड़ी तो एक-एक साल के लिये बढ़ाते जायेंगे। दूसरे उन्होंने कहा कि हमारा काम संरक्षण प्रदान करना है और तीसरे उन्होंने कहा कि सम्पत्ति के विवाद के लिये न्यायाधिकरण भी रहेगा।

सदन को यह बात मालूम है कि यहां बहुत से ट्रस्ट हैं। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश जी के नाम पर भी ट्रस्ट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इरादा क्या है ? अब कहीं कोई गड़बड़ी है, लोकतंत्र में गड़बड़ी है तो उसका स्क्रू कैसे ठीक किया जाये, लोकतन्त्र को कैसे लाया जाये ? अगर लोकतन्त्र में कहीं खराबी नजर आए तो प्रधानमन्त्री जी कह देती हैं कि लोकतन्त्र के बजाय दूसरा प्रशासन लाया जाये। यही बात यहां है।

आपने कहा कि आप वहां गए थे, मैं जानना चाहता हूं कि वहां कौन से लोग आपसे मिले थे ? क्या एयरपोर्ट पर कुछ लोग मिले थे, आपने यह नहीं बताया। शेजवलकर जी ने पूछा था कि आपने इन्क्वायरी कराई थी या नहीं या वहां जाकर आप एयरपोर्ट पर ही कुछ लोगों से मिल लिए और सारी औपचारिकताएं समाप्त हो गईं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रस्ट का मामला है, इसकी आपको जांच करवानी चाहिए थी। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी थी, तो उसको ठीक करवाना चाहिए था, न कि सरकार उसको अपने हाथ में ले। अपने हाथ में लेने से क्या होता है ?

इन्होंने जो कांस्टीटूयशन का हवाला दिया था आर्टिकल 25 और 26 का यह बिल्कुल माकूल चीज कही थी। आर्टिकल 25 और 26 के तहत इस देश में सर्व धर्म समभाव और सारे धर्मों को समान स्थान देने की बात कही गई है। इस देश में इस्लाम भी धर्म है, सिख धर्म भी और बौद्ध धर्म भी है। इसके अलावा और बहुत सारे विभिन्न सम्प्रदाय के लोग भी यहां हैं। अगर आप कहीं एक जगह भी छुरी चलायें या सुई भोंकने की बात करते हैं तो यह बात सारे देश को झकझोरती है और सोचने के लिए विवश करती है कि कहीं सरकार की नियत खराब तो नहीं है, सरकार देश के सांस्कृतिक, स्प्रीचुअल या रिलीजस मामले में इंटरफीअर करने तो नहीं जा रही है।

यह आर्डिनेन्स सरकार 10 नवम्बर को लाई। कई बार इस सदन में कहा जा चुका है कि जब सदन खुलने वाला हो, उसके पहले कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सरकार डरती है, इसलिए आर्डिनेन्स के माध्यम से सारा इलाज करना चाहती है।

आरोविल के 300 सैन्टर भारत में हैं और 40 विदेशों में हैं। अरविन्दो आश्रम की मंत्री जी ने जो झलक बताई है, तो अरविन्दो आश्रम हमारे यहां का शंकराचार्य जी का मठ नहीं है।

यह मंदिर के समान नहीं है कि बिना पैसा दिये वहां जल नहीं चढ़ा सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं । वह तो रहने का एक स्थान है, कि जीवन स्तर को किस तरह से वहां पर रखा जाए ? साधारणत: जब आश्रम की बात चलती है तो लोग यह कल्पना करते हैं कि जंगल में कुछ झोंपड़ी लगाकर गेरुआ लंगोट पहनकर लोग रहते होंगे । इसके प्रीएम्बल में, जो शुरूआत है उसमें लिखा है, आश्रम में जीवन का उद्देश्य है । ऊपर से कोई नियम नहीं है । जो कोई पूजा-पाठ करता है वह करे । हरेक को अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति का मौका दिया जाता है । इसमें स्कूल भी हैं और शारीरिक श्रम करने वालों के लिए भी स्थान हैं ।

वहाँ पर अमीर और गरीब सब समान रूप से रहते हैं । वहां पर एक सेठ भी अपने रूम में झाड़ू देने का काम करता है । हम लोग वहां गए थे । हमने देखा कि कोई ब्राह्मण है या हरिजन, किसी को भी यह मालूम नहीं है । यदि पूरे देश में उस तरह की व्यवस्था हो जाये, तो हम लोग जो यहां पर इतना हल्ला करते हैं, हमें भी सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी । यदि सरकार वहां के विचार को अपने काम में उतार ले, तो देश का बहुत भला होगा । मंत्री महोदय ने वहां पर जो गड़बड़ी बताई है, उससे लाखों गुना गड़बड़ी सरकार के शासन में है, लेकिन फिर भी वह शासन चला रही है ।

सरकार प्रत्येक चीज को अपने हाथ में लेने की बात न करे । जब सरकार ऐसा कोई काम करती है, तो सिख, मुस्लिम और बौद्ध आदि दूसरे सम्प्रदायों के दिमाग में यह बात आती है कि कल कहीं सरकार हमारे रिलिजस इंस्टीट्यूशन्ज पर हाथ तो नहीं डालेगी । इसके अलावा जो चीज भी सरकार अपने हाथ में लेती है, वह पाताल में चली जाती है, उसका नामो-निशान नहीं रहता है । सरकार द्वारा लेने के चार महीने बाद ही अरविन्द आश्रम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और जिस आरोविल के बारे में इतना बड़ा स्वप्न देखा गया था, उसकी आत्मा मर जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन कहा था कि आपका नाम है बलराम । महाभारत के युद्ध में बलराम ने कृष्ण का साथ दिया था, × × मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा न्याय-पक्ष का साथ दीजिए और कभी-कभी लक्ष्मण को भी रोल अदा किया कीजिए। जब धरती कांपती थी, तो लक्ष्मण अपना पांव रख कर उसे रोक देता था ।

राजनीति पर कब्जा करते जब इस सरकार का पेट नहीं भरा, तो उसने धार्मिक और स्पिर्चुअल इंस्टीट्यूशन्ज पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है । वह सब देश को निगलने की बात कर रही है । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें । यह उनका और हमारा मामला नहीं, यह देश का मामला है भारत केवल एक ही बात के लिए संसार का गुरु माना जाता है और वह है उसकी स्पिर्चुअल तथा आध्यात्मिक भावना और उसकी प्रतिष्ठा भी उसी पर निर्भर है । जब किसी संस्था के फलने फूलने का समय आता है, तो सरकार उसको अपने हाथ में ले लेती है । इसी तरह शान्ति निकेतन का भी मामला है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें ।

× × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[श्री ईरा अनबारासु]

इस देश में सर्वधर्म-समभाव की जो परम्परा रही है, उसको मद्दे-नजर रहते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, आग्रह करता हूं कि वे भी इसका विरोध करें—साठे साहब से भी, क्योंकि जब वह इधर बैठते थे, तो बहुत जोर से बोला करते थे, लेकिन वहां जाने के बाद इन सारी बातों को भूल गए हैं।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं सहमत हूं। आज-कल क्या जमाना आ गया है ! "राम" निकल गया, खाली "विलास" रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूं।

श्री रामविलास पासवान : मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ठंडे दिल से पुनः विचार करें। मैं माननीय सदस्य, श्री शेजवलकर, के साथ सहमत हूं और मैं समझता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी उनके संकल्प का समर्थन करेंगे।

श्री ईरा अनबारासु (चेंगलपट्टु) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

इस संस्था के स्वरूप के बारे में विपक्षी सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। सर्वप्रथम मैं सदस्यगण को यह बताना चाहूँगा कि यह संस्था धार्मिक संस्था नहीं है। यदि विपक्ष के माननीय सदस्य आरोविल के नियमावाली (चार्टर) को देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि यह धार्मिक संस्था नहीं है। यहाँ मैं इस संस्था के स्वरूप के बारे में 'मदर' द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गये भाषण से एक उद्धरण दे रहा हूँ :

> "यह एक धार्मिक संस्था नहीं है। विभिन्न धर्मावलम्बी और ऐसे लोग जो धर्म में विश्वास नहीं करते या जो किसी भी धर्म का अनुसारण नहीं करते हैं, सभी आरोविल में आ सकते हैं और साथ-साथ रह सकते हैं।"

आरोविल की संधारणा यह है। मैंने 'मदर' के उक्त भाषण से यह शब्दशः उद्धरण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को जोर देकर यह बताना चाहता हूँ कि यह परियोजना एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन है और इसने 120 देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह इतनी छोटी संस्था नहीं है जितना वे इसे समझ रहे हैं। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। इस विधेयक पर पूरे विश्व की आँखें लगी हैं। यदि तो आरोविल निवासियों को, जो विभिन्न देशों के लोग हैं, समुचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, हमारी विदेश नीति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि यह संगठन एक धार्मिक संगठन न होकर एक विचित्र प्रकार का संगठन है। अब मैं कुछ उन अनियमितताओं का उल्लेख करना चाहूँगा जो अरविन्द सोसायटी द्वारा की गई हैं। यदि हम इस सोसायटी की प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन करें तो मालूम होगा कि आरोविल समिति और अरविन्द सोसायटी की समिति के बीच सत्ता का संघर्ष

चल रहा है। अरविन्द सोसायटी के चेयरमैन के पूर्व जीवन वृत्त को कोई भी नहीं भूल सकता। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई जब बम्बई के मुख्य मन्त्री थे तब उस चेयरमैन के विरुद्ध, 7 लाख रुपये की राशि पर आयकर का अपवंचन करने के लिए गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किए गए थे। उसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि अरविन्द सोसायटी के पदधारियों में से एक ने तत्कालीन मन्त्री डा० कर्ण सिंह को जो इस सभा में उपस्थित हैं, एक पत्र लिखा था कि यह धार्मिक संस्था नहीं है। वह पत्र उच्च-न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया था। अतः मैं माननीय सदस्यों को स्मरण करना चाहता हूँ कि वे अरविन्द सोसायटी के सदस्यों द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार पर विश्वास न करें इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट से यह मालूम होगा कि कितनी राशि का गोलमाल किया गया है। बहुत बड़ी राशि उन प्रयोगों के लिए खर्च नहीं की गई जिनके लिए यह दी गई थी।

आरोविल के विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार ने 90 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी। इस 90 लाख रुपये की राशि में से 25 लाख रुपये की राशि का तो कोई पता भी नहीं चला। कोई भी वोचर ऐसा नहीं है जिससे यह पता लगे कि यह राशि कैसे और कहाँ पर खर्च की गयी।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : आप के कथन का आधार क्या है। क्या उसके लेखों की कभी लेखा परीक्षा की गई है?

श्री ईरा अनबारासु : उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट पता लगता है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) सभा में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो अपने आप बचाव करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। ऐसा आरोप तब तक न लगाया जाए जब तक आरोप के समर्थन के लिए सामग्री न हो। मैं किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना चाहता। परन्तु यदि वह किसी समिति के प्रतिवेदन से पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रति उन्हें सभा पटल पर रखनी चाहिए : सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ऐसे आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री भोगेन्द्र झा : आपके प्रश्न का उत्तर तो कम से कम मिलना ही चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। देखो वह आगे क्या कहते हैं। उनके पास लेखा परीक्षा प्रतिवेदन होगा। हो सकता है वह पुन : उससे उद्धरण दें।

श्री ईरा अनबारासु : माननीय सदस्य बी० टी० कुलकर्णी के प्रतिवेदन का जिक्र कर रहे हैं। क्या यह प्रतिवेदन उसके पास है?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने तो उसे रिपोर्ट से उद्धरण नहीं दिया है।

श्री ईरा अनबारासु : कुलकर्णी के उसी प्रतिवेदन से पता लगता है कि सोसायटी ने 25 लाख रुपये का गोलमाल किया है। इन सभी अनियमितताओं को प्रकाश में लाया गया था। इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक उच्च स्तरीय समिति को नियुक्त किया गया।

[श्री ईरा अनुबारासु]

एक अन्य बात में इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ। वह यह है कि अफीम, यौन, धूम्रपान और शराब पीने की गतिविधियाँ, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, श्री अरविन्द सोसायटी की हैं, न कि आरोविल निवासियों की यह प्रचार तो वास्तविकता से दूर हटने के लिए किया जा रहा है। श्री अरविन्द सोसायटी के सदस्य ऐसे कदाचारों में लगे हैं। वास्तव में उन्होंने कुछ गुंडों को पाल रखा है जो आरोविल निवासियों को पीटते हैं। श्री फ्रेडेरिक, श्रीमती ग्लोरिया और श्री पीयरो जैसे लोगों पर सोसायटी के सदस्यों ने वर्वरतापूर्ण तरीके से आक्रमण किया था। उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और उनका महीनों तक इलाज चला। अरविन्द सोसायटी के सदस्य ऐसे कारनामें कर रहे हैं। ऐसे कदाचारों और धन के गोलमाल से उक्त सोसायटी को बचाने के लिए राष्ट्रपति ने उपयुक्त समय पर अध्यादेश जारी किया है। दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अन्तरिम आदेश दे दिया है। अब समय आ गया है जबकि इस समय गम्भीरता पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि क्या संसद को ऐसा कानून पास करने की शक्ति प्राप्त है और वह इस मामले में सर्वोपरि है या ऐसे मामले में निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय है। इस सम्बन्ध में मैं एशिया की ज्योति श्री जवाहर लाल नेहरू के शब्द उद्धृत करना चाहूँगा :

> "संसदीय लोकतन्त्र एक बड़ा ही नाजुक पौधा है और हमारी सफलता के लिए यह एक मापदण्ड है तथा यह पौधा गत कुछ वर्षों में और अधिक मजबूत हो गया है।"

अतः मैं न केवल विपक्षी सदस्यों से बल्कि शासक दल के सदस्यों से भी यह अपील करना चाहता हूँ कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि देश में विद्यमान न्याय-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है : यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक बात पर, यहाँ तक कि ठीक बात पर भी प्रश्न चिह्न लगाया जाता रहा तो इस स्थिति से निपटने का और क्या रास्ता है ? यदि जन कल्याण हेतु राष्ट्रहित में लाया गया एक छोटा सा विधान भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और वह उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो संसदीय प्रणाली का भविष्य क्या होगा ? प्रत्येक व्यक्ति संविधान की मूल बातों (बेसिक फीचर्स) की बात करता है। यदि संविधान समाज और राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उन मूल बातों की महत्ता ही क्या है। अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अतः अब उपयुक्त समय आ गया है जबकि न्याय पद्धति सहित पूरे संविधान में संशोधन करने के लिए प्रश्न पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। श्री अन्तुले ने ठीक ही कहा है कि "वर्तमान लोक तंत्र में न्यायपालिका की तानाशाही स्थापित हो गई है।"

आज हम सत्ता में हैं। कल आप सत्ता में आ सकते हैं और इसलिए, यदि न्यायपालिका द्वारा विधान मंडल के खिलाफ इस प्रकार की लड़ाई छेड़ी जाती रही और इस प्रकार का संघर्ष जारी रहा तो सरकार काम नहीं कर सकती और इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई हल ढूंढने के लिए हमें आपस में सहयोग करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आपने समाप्त कर लिया है।

श्री ईरा अनबारासु : इसलिए महोदय, सरकार ऑरोविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गई सभी अनियमितताओं को मूक दर्शक की भाँति नहीं देखती रह सकती और, इसलिए, यह विधेयक यथा समय लाया गया है और उचित है। आखिरकार विधेयक में आरोविल के प्रशासन को यदि पांच वर्ष तक नहीं तो दो वर्ष तक की सीमित अवधि के लिए विनियमित करने का प्रावधान है और इसमें आरोविल सोसइटी के सदस्यों द्वारा अपने आपको आरोविल सोसाइटी के चेयरमैन चंगुल से आजाद करा लेने का भी प्रावधान है और इस लिए में इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : सभापति महोदय, में क्रोध की बजाय अत्यधिक दुःख और व्यथा से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की नजरों से यह जाहिर है कि आप क्रोध में नहीं हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरे लिए क्रोध का कोई कारण नहीं है। लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि यह एक असामान्य विधान है और इस बात का उदाहरण है कि सरकार की अध्यादेश बनाने की शक्तियों का किस प्रकार सरेआम दुरुपयोग किया गया है। यह एक ऐसा रोग है जिसने इस सरकार को इसके सत्ता में आने के समय से ही ग्रस्त कर लिया है, अध्यादेश जारी करने का एक ऐसा उन्माद है जिसके बारे में अध्यक्ष पीठ से टिप्पणियां की गई हैं।

महोदय, श्री अरविन्द एक तेजस्वी व्यक्ति है। वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था और यह भविष्य-वाणी की थी कि "अन्य आवाजों के शान्त हो जाने के बहुत देर बाद तक भी उनकी आवाज सुनाई देती रहेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह सी० आर० दास थे जिन्होंने श्री अरविन्द के बारे ऐसा कहा था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री सी० आर० दास का में बहुत आदर करता हूं लेकिन जब श्री अरविन्द को कलकत्ता की गलियों में घसीटा गया था तो रवीन्द्र नाथ टैगोर ने एक कविता "धन्य अरविन्द" की रचना की थी और मैं केवल उससे उनके द्वारा व्यक्त की गई एक भावना को ही उद्धृत कर रहा हूँ। सी० आर० दास की बात अलग है। रवीन्द्र नाथ टैगोर या सी० आर० दास० की बात नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि श्री अरविन्द ने केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में ही अपने लिए स्थान नहीं बनया, जिस पर हमारे माननीय साथी डा० कर्ण सिह ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। यह केवल एक शोध ग्रन्थ ही नहीं है जैसा कि इसके बारे में जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में कहा है, बल्कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन में श्री अरविन्द के योगदान के बारे में एक बहुत अच्छी पुस्तक है। वह गाँधी से पहले आगे आये और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा को बढ़ावा दिया जो सत्याग्रह के रूप में विकसित हुआ जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रयोगों और बंगाल तथा अन्य स्थानों में श्री अरविन्द के योगदान का मिश्रण है और जिसे अन्ततोगत्वा सत्याग्रह के संगम में स्थान मिला और हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता में यह एक शक्तिशाली हथियार था। वस्तुत. श्री अरविन्द केवल भारतीय राष्ट्रीयता के एक पैगम्बर के रूप में ही नहीं जाने जाते, न ही केवल

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

एक कवि, एक दार्शनिक या भारतीय विद्वता के एक तेजस्वी व्याख्याता के ही रूप में जाने जाते हैं बल्कि वह पांडिचेरी में आरम्भ किए गए अभिन्न योग के अपने विलक्षण प्रयोगों के कारण भी जाने जाते हैं। चाहे लोग इससे सहमत हो या न हों लेकिन यह एक तथ्य है कि यह एक अनूप अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया, नई दृष्टि का एक केन्द्र बन गया। जिससे अन्य चीजों को अलग नहीं किया जा सकता। 'मदर' के शक्ति शाली और महान् व्यक्तित्व के मौजूद होने के कारण ही श्री अरविन्द का सपना साकार हो सका और इसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सका क्योंकि उन्होंने इसके प्रयोगों का मार्ग निर्देशन किया और आरोविल समिति उन्हीं की देन है जिसके लिए हम उनके आभारी है। "पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहां सद्भावना रखने वाले और गहरी आकांक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक विश्व के नागरिकों के रूप में रह सकें और एक ही सत्ता, अर्थात् सर्वोच्च शक्ति की आज्ञा का पालन करें, शान्ति, सहयोग और सामजंस्य का एक ऐसा स्थान जहां मानव की सभी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को केवल उसके कष्टों और विपत्तियों पर विजय पाने के लिए, उसकी कमजोरी और अज्ञानता को दूर करने के लिए, उसकी सीमाओं और अक्षमता पर विजय पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा की जरूरतों और प्रगति की आकांक्षा को इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति, आनन्द और भौतिक सुखों की खोज पर प्राथमिकता दी जाए ....." आरोविल ने इसी स्वप्न की कल्पना की थी। मैं यह नहीं कहूंगा या स्वीकार करूंगा कि वह स्वप्न लड़खड़ा रहा है तथापि वह आरोविल और उनकी इस संस्था के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं चाहती थीं चाहे इसका स्वरूप कोई संस्था हो या पारस्परिक विरोधी दल हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति हो जिन्होंने इसे समाज से व्यक्त व्यक्तियों का शरण स्थल बनाने का प्रयत्न किया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि चन्द व्यक्तियों ने इसे अव्यवस्थित कर दिया है। मैं इस अवसर पर अथवा इस अवसर का दोषारोपण के लिए उपयोग नहीं करना चाहता। ऐसा करने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है, फिर भी मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस स्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की ख्याति प्राप्त कर ली है क्योंकि श्री आरोविल समिति ने यहाँ यह परियोजना आरम्भ की थी। यह परियोजना शून्य से नहीं बनी न ही इसे सरकार ने आरंभ किया था। सरकार ने इसे अनुमोदन के लिए "यूनेस्को" के पास भेजकर ठीक ही किया था और हमारे सीमित वित्तीय संसाधनों के भीतर यथा संभव इसकी सहायता करने का प्रयास किया था और सरकार ने इसे समर्थन अवश्य दिया था। क्या सरकार द्वारा इसे और समर्थन दिया जाना चाहिए था या क्या इसके मामले में और पहले हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था यह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण से मैंने यह जाना है कि इसे श्री अरविन्द, श्री अरविंद आश्रम और समिति से अलग करने का प्रयास किया गया है। यह सम्भव है कि सरकार इस विधेयक को लाकर कुछ कानूनी अड़चनों को दूर करना चाहती है। यही कारण है कि मेरे माननीय मित्र, माननीय शिक्षा मंत्री ने अनुच्छेद 205,54 और मद संख्या 13 और 14 का सहारा लिया है क्योंकि यह वाद-विवाद का मुद्दा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के तर्क के वजन को मानता

हूं लेकिन मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि राज्य सूची में उल्लिखित दो प्रविष्टियों के बारे में एक अन्य दृष्टिकोण भी है जिसे विधान बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मैंने इसीलिए अपने संशोधन में यह प्रयास किया है कि हमें इस कानूनी प्रश्न पर इस समस्या के संवैधानिक पहलू पर महान्यायवादी को अपनी राय देने के लिए सम्मन भेजना चाहिए। मैं इस मुख्य बात पर बल देना चाहता हूँ कि सरकार के लिए इसे त्यागना अथवा इस मुख्य प्रश्न से हटना ठीक नहीं है। श्री अरविन्द की शिक्षा, श्री अरविन्द और मदर के कार्यों तथा श्री अरविन्द आश्रम अथवा श्री आरोविल सोसाइटी जिसे इस कार्य को संगठित करने का कार्य सौंपा गया था, की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह कहना भी सच नहीं है कि श्री आरोविल आश्रम के लिए धनराशि केवल यूनेस्को से ही प्राप्त हुई है। जहां तक मैं जानता हूं—मैं नहीं जानता आप मेरी बात को यदि वह गलत हो तो ठीक कर सकते हैं अब तक यूनेस्को से केवल 5000 डालर का ही अंशदान प्राप्त हुआ है जबकि कुल व्यय लगभग 2.35 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने लगभग 96 लाख रुपये दिए और श्री आरोविल सोसाइटी तथा वहाँ के भारतीय सदस्यों ने लगभग एक करोड़ और 25 लाख रुपयों की व्यवस्था की। विदेशियों ने लगभग 5 लाख रुपये दिए। आप यह देखेंगे कि यूनेस्को का अपना अंशदान बहुत कम रहा है। शायद ऐसा इसलिए है कि उन्होंने इस परियोजना का समर्थन किया था —मैं एक स्पष्टीकरण चाहूँगा—इस मुद्दे पर भी—क्योंकि यह एक गैर-सरकारी संगठन का प्रयास है। यूनेस्को के चार्टर ने तथा यूनेस्को के सम्मेलनों में समय-समय पर इस मुद्दे का स्पष्टीकरण दिया गया है कि वे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई गई ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करते हैं। अब आरोविल के मामले में, इस संगठन का स्वरूप परिवर्तित करके इसे एक सरकारी संगठन बनाने के प्रयास में मैं नहीं जानता कि अनुच्छेद 254 किस प्रकार माननीय शिक्षा मन्त्री की इस समस्या से निपटने में सहायता करेगा जो एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या भी है। अब महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत से विदेशियों ने, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह सोचकर कि इस स्थान को समाज द्वारा परित्यक्त किए गए लोगों के लिए एक शरण-स्थल बनाया जा सकता है। आरोविल में रहने के लिए चले आए। दुर्विनियोजन के बारे में या अन्यथा बात करते समय और जिस तरीके से आरोविल सोसाइटी के कार्यों का संचालन किया गया है, जिसके बारे में हमने अनेकों बार चर्चा की है, इसका कोई हल ढूँढ़ने के प्रयास में डा० कर्णसिंह मुझसे सहमत होंगे कि यदि मैं यह कहूँ सभी झगड़ों का मुख्य कारण आरोविल में विदेशी नागरिकों का व्यवहार है। मैं यह नहीं कह रहा कि यही एक मात्र कारण है किन्तु संकट का मुख्य कारण उनका व्यवहार है। माननीय मंत्री इससे असहमत नहीं होंगे यदि मैं यह कहूँ कि इस समय आरोविल में 80 ऐसे विदेशी नागरिक रह रहे हैं जिनके खिलाफ विभागीय आदेश जारी किए गए हैं लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। अस्सी विदेशी नागरिकों के जिनमें वे दो भी शामिल है जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। आचरण और पिछले जीवन के बारे में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जाँच की गई थी। 1968 से 1976-77 तक श्री आरोविल सोसाइटी वीसा जारी करने के लिए सिफारिश करती थी। अब 1977 के बाद यह प्रथा बन्द कर दी गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विदेश मंत्रालय ने वीसा जारी करने की अनुमति के लिए पूर्व प्रथा के अनुसार सोसाइटी से परामर्श न

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

करना उचित क्यों समझा। महोदय, ये वही लोग हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि वे इसे दूसरा वेटिकन बनाना चाहते हैं जिसका स्वतन्त्र दर्जा होगा और उन्हीं लोगों को आज संरक्षण दिया जा रहा है – और यही मेरा गम्भीर आरोप है—आज उन्हें आपके मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के भीतर की कुछ शक्तियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जिसका कारण तो वे ही बेहतर जानते होंगे। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब, जैसा कि मैंने कहा है, आरोविल शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। महोदय यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। यह मदर और उन व्यक्तियों के स्वप्नों का साकार रूप है जो श्री अरविंद और मदर के उपदेशों में विश्वास करते हैं। जब उन्होंने यह कहा कि यह किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, यह सम्पूर्ण मानवता का है तो वह मानवता की आशाओं को व्यक्त कर रही थी। लेकिन यह विचार श्री अरविन्द के विश्व-दृष्टिकोण में से है लेकिन यहाँ आए कुछ विदेशी नागरिकों ने तथापि यह सोचा कि वे स्वयं—मुझे उन पर दया आती है क्योंकि वे पश्चिमी दुनिया में व्याप्त सामाजिक परिस्थितियों के शिकार है जहां विदेशीपन एक प्रमुख समस्या बन गई है, जब कोई समाज सिद्धांत-हीन हो जाता है, जब कोई समाज अपने लक्ष्य और दिशा से वंचित हो जाता है जब यह स्वाभाविक है कि कुछ व्यक्तियों को नए मार्ग खोजने पड़ते हैं। कुछ व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सामाजिक विघटन हो और वे उससे बचने के तरीके ढूंढ़ते हैं। श्री अरविंद और मदर का सिद्धांत समेकित मानवीयता का सिद्धांत है तथा यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें जो उनका जी चाहे, करने दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूँ कि इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया। मैं आज जिस विशेष मामले का उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि एलन लियमैन नामक एक अमरीकी राष्ट्रिक गलत बयान देकर भारत में प्रविष्ट हुआ। उसने बताया था कि मैं सेल्समैन हूँ। भारत सरकार के एजेंटों द्वारा जांच किए जाने पर यह पता लगा कि वह अमरीकी नौ सेना का सदस्य था तथा समय-समय पर सी० आई० ए० से सम्बद्ध था। उसके तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध देश निकाले के आदेश जारी किए गए थे। उसका नाम भी स्पेल्डिग था किन्तु उन्हें आरोविल में वापस आने की अनुमति दे दी गई। मैं आपको यह भी बताना चांहता हूँ कि इनमें से कई व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले अनिर्णित पड़े हैं और उन पर अपराध के आरोप हैं। दोनों पक्षों के कई व्यक्ति मुझसे मिले हैं। मैं इस बात का ब्यौरा देकर कि वहां क्या हुआ और किसका दोष था, सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता किन्तु सच्चाई यह है कि—मैं यह अधिकार पूर्वक कह सकता हूं—वहां काफी अवांछित और आपराधिक तत्त्व और विदेशी लोग हैं जो आरोविल में घुस गए हैं तथा भारत सरकार का यह दायित्व था कि इन वर्षों में उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता। उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे आरोविल को अपनी विभिन्न गतिविधियों का क्षेत्र बनायें। शायद उनका यह विचार था कि यह स्थान भी गोवा बीच के समान ही है, इसीलिए उन्होंने स्वतन्त्रता—भारत सरकार से स्वतन्त्रता तथा इस महान देश की प्रभुसत्ता—से स्वतंत्रता की माँग की है। उन्होंने सोचा कि वे इस नगर को दूसरे वेटिकन में परिवर्तित कर सकते हैं अतः यह मामला

इतना सीधा नहीं है। समस्या बहुत जटिल और गम्भीर है तथा मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधि में हस्तक्षेप करने में भारत सरकार के लिए कठिनाई भी है।

मैं मंत्री महोदय से दो या तीन मूलभूत मुद्दों को स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा। हमारा बहुमुखी समाज है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इससे सहमत होंगे कि स्वैच्छिक संगठनों का बहुत योगदान है किन्तु उन्हें स्वैच्छिक ही रहना चाहिए तथा उन्हें स्वैच्छिक ही रहने देना चाहिए चाहे कोई धार्मिक समिति हो अथवा कोई समाज कल्याण संगठन हो अथवा चाहे कोई विशेष दार्शनिक अथवा किसी ऐसे ही व्यक्ति के नाम पर कोई स्मारक हो, किसी भी मामले में यह नहीं हो सकता कि सरकार बारबार इनके कार्यों में हस्तक्षेप करे और इस प्रकार की संस्थाओं को अपने अधिकार में लेने के लिए अध्यादेश जारी करने के अधिकार का उपयोग करे। इस देश के लिए वह एक दु:खद दिन होगा कि जब सभी स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे मोड़ पर लाया जाए जहाँ उन्हें कुछ वर्गों के हाथों की कठपुतली बना दिया जाये और जो उस पर प्रभुत्व जमाना चाहे तथा अपने प्रभुत्व। के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करें।

मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल देना चाहता हूं और इसलिए मैंने इसे संशोधन को प्रस्तुत किया है। एक उस प्रविष्टि के बारे में है जिसका मैंने उल्लेख किया है। दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता। मैं कानूनी प्रश्न के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि विधिमन्त्री हमारी सहायता के लिए यहाँ विद्यमान नहीं है किन्तु सच्चाई यह है कि ये मामले महत्वपूर्ण हैं। केवल एक वही मामला नहीं जिसका उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया है वल्कि मद्रास उच्च न्यायालय में रामन्ना आश्रम का भी मामला है जिसमें परस्पर विरोधी मत व्यक्ति किए गए हैं। अत: यदि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हस्क्षेप करते हैं तो सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरे विचार से इस मामले में बहुत विचार नहीं किया गया तथा कुछ व्यक्तियों ने जिनके कुछ निहित स्वार्थ थे सरकार को प्रभावित कर लिया है।

यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जब केरल में मेरे मित्रों ने कांग्रेस में मेरी आलोचना भी की थी, तब अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं के चलाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, मैं उन व्यक्तियों में से एक था, जो अल्प संख्यकों के अधिकारों की पैरवी कर रहे थे। मेरे अन्य विश्वासों तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के बावजूद क्रांतिकारी रूख अपनाने के लिए भी मेरी आलोचना की गई थी। लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस समाज के लिए और इस देश के लिए, अपने संविधान में जो गारंटी प्रतिष्ठापित की गई है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इस विचार से भी महत्वपूर्ण हैं कि सम्पूर्ण देश की एकता उसी पर निर्भर करेगी। अत: इस बात को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि यह हमारे अधिकारों की और आगे काट छाट करने के लिए एक प्रारम्भिक प्रक्रिया नहीं होगी, फिर चाहे यह आरोविल का मामला हो अथवा अन्य किन्हीं और संस्थाओं का। सरकार ने इस विषय में कदम किस लिए उठाया - क्या यह एक पूर्वोदाहरण होगा अथवा यह केवल इसलिए है क्योंकि यह भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय वचनवद्धता है अथवा इस परियोजना की, जो मूल रूप से एक गैर सर-

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

कारी संगठनात्मक प्रयास हैं, सहायता से सम्बन्धित यह एक 'यूनेस्को' महासम्मेलन तथा कार्यकारी बोर्ड का एक सामान्य प्रस्ताव है । भारत सरकार के पास जनता को सन्तुष्ट करने के लिए ऐसे बहुत से स्पष्टीकरण होंगे कि यह अनेक अन्य संगठनों के सम्बन्ध में एक पूर्वोदाहरण नहीं होगा । उन्हें इस बारे में भी सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि निश्चय ही ऐसा करना जनहित में है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है । ऐसा करने के उद्देश्य से मैं अवश्य ही इस बात पर ध्यान दूंगा कि शिक्षा मंत्री क्या कार्यवाही करते हैं—क्या वे अरविन्द सोसाइटी, जो अपने कई भागों में विभक्त हो गई है, के किसी एक ग्रुप या गुट को अनुमति देंगे ।

मैं श्री जोशी के नाम का उल्लेख करना चाहता हूं । मुझे यह बताया गया है कि वह एक होशियार अधिकारी है । उनका अपना पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा है और ऐसी ही अन्य बातों का मुझे पता चला है । मेरे पास उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है । लेकिन वे एक सरकारी अधिकारी हैं । यदि वे सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या उन पर सरकार के नियम और विनियम तथा आचरण सम्बन्धी सेवा नियम लागू होते हैं ? यदि हाँ, तो क्या उन्हें एक ऐसे ट्रस्ट का ट्रस्टी बने रहने दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जो श्री अरविन्द सोसाइटी ट्रस्ट के समान्तर चल रहा है यदि आप सरकार के वरिष्ठ कर्मचारियों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जो आपके प्रति उत्तरदायी हैं, निजी ट्रस्ट शुरू करने, दान प्राप्त करने और समान्तर गतिविधियाँ चलाने की अनुमति प्रदान करते हैं तो यह एक एक असाधारण स्थिति होगी । यह एक दुःखद घटना होगी और सरकार को इस पूर्वोदाहरण की जांच करनी होगी । उन्हें इन कार्यों का संचालन करने की कैसे अनुमति दी गई और उस हालत में, जब कि उन पर सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी आचरण सहिता लागू होती है, उन्हें इस प्रकार की समानान्तर गतिविधियों को चलाने की अनुमति कैसे प्रदान की गई ?

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन पर न केवल इस बात के लिए ध्यान रखा जाएगा कि वे आगे कैसे काम करेंगे और वह आरोविल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही, करेंगे बल्कि यह भी देखा जाएगा कि दिव्य स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या उपाय करेंगे । क्या इसका कार्यभार वे किसी एक गुट (सेक्शन) को सौंप देंगे अथवा वे उन सभी व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त करेंगे, जो इसके आलोचक हैं और जो इसके आलोचक नहीं हैं तथा जो 'मदर' के उपदेशों में रुचि रखते हैं ?

इन शब्दो के साथ, मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगा, ताकि महा न्यायवादी को अपने विचारों की हमें जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जा सके ।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मुझे इस वाद विवाद में भाग लेते हुए खुशी हो रही है क्योंकि मैं शुरू से ही आरोविल से सम्बधित था । सन् 1962 से लेकर मैं प्रतिवर्ष पांडिचेरी जाया करता था और 'मदर' के दर्शन किया करता था । वर्ष 1964 या 1965 में मुझे इस परियोजना के बारे में बताया गया था कि 'मदर' इस पर विचार कर रही है । मेरा खुद का विचार था कि यह बहुत नेक और महान् आदर्श था, जिसके लिए 'मदर' एक ऐसी बस्ती

(टाऊनशिप) की स्थापना करने का प्रयास कर रही थी, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, द्वीपों व विभिन्न संस्कृतियों आदि से सम्बन्धित लोग एक परिवार के सदस्यों के रूप में मिल जुलकर शान्ति से इकट्ठे रहेंगे। यह एक ऐसे विश्व समुदाय का केन्द्र भी होगा, जो विश्व शान्ति के लिए प्रयास करेगा। यह वह आदर्श, उद्देश्य था, जो उस समय 'मदर' के दिमाग में था, जब वे आरोविल के सांस्कृतिक बस्ती की स्थापना के बारे में विचार कर रही थी। उन दान राशियों पर, जो यह अरविन्द सोसाइटी इस बस्ती की स्थापना के लिए प्राप्त कर रही थी, आय कर की छूट दिलवाने से भी में सम्बन्धित था। मैं 28 फरवरी, 1968 को उस समय वहाँ उपस्थित था, जब इस बस्ती की नींव रखी गई थी, जब लगभग 120 देशों के प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया था। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की मिट्टी का पासल लाया था और उसे उसे कलश में डाला था, जो इस बात के प्रतीक के रूप में वहाँ केन्द्र में रखा गया था कि यह पूरे विश्व समुदाय की बस्ती है। यही एक महान् आदर्श था, जो 'मदर' के विचार में था।

जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने बताया है, यह अरविन्द सोसाइटी ही थी, जिसने यह काम शुरू किया था और मैं वहाँ प्रति वर्ष जाया करता था। समय बीतता गया, फिर मुझे पता चला कि दुर्भाग्यवश गड़बड़ शुरू हो गई थी। अरविन्द सोसाइटी के सदस्यों में तथा अरविन्द आश्रम के सदस्यों में आन्तरिक झगड़े शुरू हो गए। विदेशी लोग जो वहाँ बस गए थे, हालांकि वे संख्या में अधिक नही थे, संयम से जीवन नहीं बिता रहे थे, वे इसे 'हालिडे-इन' के रूप में, अवकाश सैर गाह के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, जिससे वह प्रयोजन ही समाप्त हो रहा था, जिसके लिए यह बस्ती बसाई गई थी। वहां हिंसा की घटनायें घटित हुई, पुलिस मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तारियाँ की गई, तथा इसी तरह की अन्य वारदातें हो रही थी। मैं जब पाँडिचेरी गया और मुझे जब इन बातों की जानकारी मिली, तब मुझे गहरा दुःख पहुँचा। 'मदर' तब जीवित थीं और व्यवस्था कर रही थीं। लेकिन मदर का स्वर्गवास हो जाने के बाद, इन बातों ने उग्र रूप धारण कर लिया, अरविन्द सोसाइटी और अरविन्द आश्रम के सदस्यों के तथा वहाँ बसे विदेशियों के आपसी झगड़े बढ़ गए और इसके परिणामस्वरूप हिंसा और अशान्ति पनपने लगी।

चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अलावा जिस उद्देश्य से इस बस्ती की स्थापना की गई थी, उसी की उपेक्षा हो रही थी। सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया। इसलिए मैं इस विधेयक का इस आधार पर समर्थन करना चाहूँगा कि 'मदर' द्वारा स्थापित किए गए महान् आदर्शों को और अधिक टूटने से बचाने के लिए, उच्च पीठिका में हुई गिरावट को रोकने के लिए तथा यह देखने के लिए कि यह आरोविल बना रहे और 'मदर' के महान् आदर्शों के प्रतीक के रूप में विद्यमान रहे, केन्द्रीय सरकार का उपयुक्त समय पर किए जाने वाला हस्तक्षेप आवश्यक है। मेरे विचार में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप किया है और सरकार इस जिम्मेदारी को दो वर्ष तक स्वयं सम्मेलन रखना चाहती है।

इसी बीच एक प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना है। सरकार को इसे एक सरकारी संस्था नहीं बना देना चाहिए। जिन लोगों का अरविन्द और 'मदर' के दर्शन में विश्वास है जो लोग कुछ वर्षों तक पांडिचेरी के आश्रम में रहे हैं —और वे इस समय मद्रास और कलकत्ता में विद्यमान हैं—ऐसे लोगों में से कुछ लोगों का चयन कर लिया जाना चाहिए और उन्हें

[श्री जगन्नाथराव]

परामर्शदात्री समिति अथवा परिषद् या प्रबन्ध समिति के, जो कुछ भी इसको नाम दिया जाए सदस्य बना लिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि डा० कर्ण सिंह को जो मेरे एक अच्छे मित्र हैं और अरविन्द के दर्शन में विश्वास रखते हैं, परामर्शदाता बना लिया जाना चाहिए ताकि यह परिषद् 'मदर' के उच्च आदर्शों के समरूप हो सके।

मैं यह बात फिर कहूँगा कि यह एक स्वयंसेवी संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं। मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैंने ही वित्त मंत्रालय से सिफारिश की थी कि इन संस्था द्वारा प्राप्त दान की धनराशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 के अधीन छूट प्रदान की जाए। इसके उस रूप को बनाए रखा जाना चाहिए और इसका प्रबन्ध एक स्वयं सेवी संस्था के रूप में किए जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। परिषद् को जो भी कोई सदस्य हों, उनका अरविन्द सोसायटी अथवा अरविन्द आश्रम का सदस्य होना जरूरी है ताकि इस संस्था के स्वयं-सेवी रूप को बनाये रखा जा सके। यदि इसे इसलिए सरकारी संस्था बना दिया गया क्योंकि इसका प्रबन्ध सरकार ने सम्भाल लिया है तो इस विधान का अपेक्षित उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। 'यूनेस्को' ने भी इसे इसीलिए सहायता देना आरम्भ किया था क्योंकि यह एक स्वयं-सेवी संस्था है। सरकारी कार्यवाही अथवा समर्थन की बात को छोड़कर यह एक स्वयंसेवी संस्था है और स्वैच्छिक दानों की राशि से ही इस परियोजना का निर्माण हुआ है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि यह स्वयंसेवी परियोजना बनी रहे इसकी शक्ति का विकास हो और इसकी महिमा फले-फूले ताकि यह विश्व समुदाय का एक प्रतीक हो, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रतीक हो और यहां विभिन्न धर्मों, जातियों, महाद्वीपों से सम्बन्धित तथा विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग एक विश्व-परिवार के सदस्यों के रूप में इकट्ठे रह सकें। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसे सरकरी संस्था न बनाया जाए। इस नौकरशाही के अधिकारियों को समिति का सदस्य मत बनाइए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि सरकारी हस्तक्षेप वहां कम से कम हो। कुप्रबन्ध की शिकायत की गई है। मुझे रिपोर्टों के बारे में जानकारी नहीं है और सरकारी फाइलों तक मेरी पहुँच नहीं है। अतः यदि सरकार कहती है कि वहां अव्यवस्था है तो मैं मान लेता हूँ कि वहां अव्यवस्था है और सरकार ने ठीक ही उपयुक्त समय पर हस्तक्षेप किया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि यह बात ध्यान में रखी जाएगी कि किस प्रयोजन से'मदर' के दिल में यह विचार जागृत हुआ था और इस आरोविल का निर्माण शुरू हुआ था। इस बात का मुझे भी गर्व है कि मैंने वहां जमीन खरीद रखी है और कुछ धनराशि जमा करवाई है ताकि मैं वहां एक मकान का निर्माण करवा सकूँ। स्वामित्व उन व्यक्तियों का नहीं होगा जो इसके लिए भुगतान करेंगे, लेकिन उन्हें वहां ठहरने का अधिकार होगा।

अतः मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सरकार ने हस्तक्षेप किया है और मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को कम से कम समय में इसकी जिम्मेदारी किसी स्वयं सेवी संस्था को इस हेतु सौंप देनी चाहिए कि आरोविल सुव्यवस्थित ढंग से चले।

***श्री ईरा मोहन (कोयम्बतूर)** : सभापति महोदय, अपने दल द्रविड मुनेत्र कवगम की ओर से मैं आरोविल आपात उपबन्ध विधेयक का, जिसमें उस आरोविल के संचालन को व्यवस्थित करने की बात कही गई है और जो विश्व स्तर पर मानवता के प्रतीक के रूप में अरविन्द और 'मदर' द्वारा विचारी गई एक परियोजना है समर्थन करता हूं।

वर्ष 1968 में जब इस अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती के निर्माण का काम शुरू किया गया था, उस समय तमिलनाडु में डी० एम० के० पार्टी का शासन था और तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री अरिगनर अन्ना ने इस शहर के लिए बहुत बड़े भू-क्षेत्र का अधिग्रहण किया था और उसे परियोजना प्रधिकारियों को सौंप दिया था। इसी प्रकार पांडिचेरी की सरकार ने भी एक बड़े भू-क्षेत्र का अधिग्रहण करके उसे परियोजना प्रबन्धकों को सौंप दिया था। दुर्भाग्यवश अब वे सभी महान् उद्देश्य, जिनके लिए परियोजना शुरू की गई थी, समाप्त हो गए हैं; वास्तव में प्रशंसनीय उद्देश्य विस्मृति में चले गए हैं। परियोजना ऐसे दुःखद अवस्था में आ पहुँची, जहां केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। वर्ष 1968 में 120 देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने देशों की मिट्टी के पैकेट आरोविल इसलिए लाए थे कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय भावना का वास्तविक केन्द्र बनाया जाए। आज आरोविल में हो रही घटनाओं को ये सभीदेश इतनी तीव्र व्यथा से देख रहे हैं।

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 'मदर' ने साफ-साफ यह घोषित किया था कि आरोविल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। वर्ष 1973 में 'मदर' का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके आदर्श भी समाप्त हो गए। उनके विचारों की बहुत-सी उलट बातें आरोविल में हो रही हैं। श्री अरविन्द सोसाइटी पर काफी बड़ी धनराशि के दुर्विनियोजन का आरोप लगाया गया है। वर्ष 1976 में भारत सरकार ने श्री अरविन्द सोसाइटी में व्याप्त दुराचारों के असंख्य आरोपों की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति इस नतीजे पर पहुँची कि एक करोड़ रुपए की धनराशि का घोटाला किया गया है। कई समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था और यह मामला संसद में भी उठाया गया था। दिनांक 26-4-78 को श्री विजयसिंह नाहर, जो उस समय लोक सभा के सदस्य थे, ने लोक सभा में यह बताया था कि कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी खर्चों के प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए और इस बात का पता लेखा-परीक्षा के समय चला।

सरकार दो वर्ष के लिए इसका प्रबन्ध सम्भाल रही है। आवश्यक उपायों के रूप में इस विधान का मैं स्वागत करता हूं, ताकि कदाचारों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इन कदाचारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को बिना किसी संकोच के दण्ड दिया जाना चाहिए। दो वर्ष के पश्चात् परियोजना का प्रबन्ध समिति को सौंप दी जानी है। यह अभी से सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उस समय यह फिर विवाद और संघर्ष का मामला न बन जाए। सरकार को समय से बहुत पहले ही इस परियोजना का भली भांति काम चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर लेना चाहिए।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं स्थानीय लोगों की भावनाओं को सम्मान देने की आवश्यकता पर और उनका सह-योग प्राप्त करने के सम्बन्ध में, जिनके बिना इस प्रकार की परियोजना कभी सफल नहीं हो सकती, बल देना चाहूँगा।

निर्णयों को लेते समय पाँडिचेरी सरकार के विचारों को भी उचित महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। आरोविल का निर्माण राजनीति, धर्म और जाति से कहीं आगे बढ़कर वास्तविक मानव एकता के लिए हुआ है। अरिगनर अन्ना थिरूमुलर के कथन का उद्धरण देते हुए इस सार्वभौमिक सत्य पर बल दिया करते थे कि केवल एक समाज हैं और एक ही ईश्वर है। द्रविड मुनेत्र कषगम के मंच के माध्यम से अरिगनर अन्ना ने राष्ट्र की संकीर्ण भौगोलिक संकल्पना की बजाय सम्पूर्ण विश्व से सम्बन्धित मानवता के आदर्शों का प्रचार किया था। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि आरोविल की संकल्पना जा आधार भी यही था। आरोविल का इस सदन में चर्चा का विषय बनना ही इस परियोजना की कुव्यवस्था को प्रमाणित करता है। 'मदर' के आदर्श की भावना कहीं नहीं दिखाई देती। अब सरकार को इस परियोजना का सुधार करने दें। कदाचारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक लेने दिया जाए। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हो लेने दी जाए। कानून और व्यवस्था को स्थापित हो लेने दिया जाए। इसी समय मैं इस ओर भी ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि यह स्थान तेजी से हिप्पियों के लिए स्वर्ग तुल्य बनता जा रहा है। हम पड़ौसी राज्य तमिलनाडु में रह रहे हैं। हमें इन घटनाओं का तब पता चलता है जब कभी हम इस स्थान की यात्रा करते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशालीं कदम उठाने चाहिए कि आरोविल हिप्पियों के लिए स्वर्गतुल्य और अवांछित तत्वों के आश्रयस्थल के रूप में परिवर्तित न होने दिया जाए। आरोविल केवल भारत का ही मामला नहीं है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें सम्मिलित हैं। आरोविल को इसकी प्राचीन पवित्रता से सुशोभित करने के लिए किए जाने वाले उचित उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रशस्ति और सद्भाव की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : इस ग्रह पर चेतना का विकास क्रम क्या है, यह तथ्य हमारे अस्तित्व को प्रशिक्षण सबसे अधिक आश्चर्यचकित करता रहता है। स्पष्टतया जड़ वस्तु से एक कोशिक जीव से इस ग्रह के इतिहास के लाखों वर्षों में खनिज, सब्जी और जीव-आकारों के माध्यम से चेतना का मानवीय चेतना के रूप में किस प्रकार विकास हुआ, यह एक ऐसा वास्तविक चमत्कार है, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं।

बहुत लोग कम चमत्कारों से प्रभावित होते हैं लेकिन यदि आप विचार करें कि इस ग्रह पर हुए आदिम सृष्टि से मनुष्य का मस्तिष्क किस प्रकार विकसित हुआ, वह मस्तिष्क जो इस ग्रह की सीमाओं को तोड़ सका है और चन्द्रमा और तारों और इससे परे तक पहुँच सका है। ऐसा मस्तिष्क जिसने महान काव्य, कला और स्थापत्य कला, जो विख्यात हुई है, का सृजन किया है। निःसन्देह मानव आसाधारण रूप से उत्साह की भावना रखने वाला प्राणी है। उसकी महान उपलब्धियां हैं। उसमें दीर्घकालिक और व्यवस्थित निर्दयता की भी अद्भुत क्षमता है। हिटलर के गैस चैम्बर अथवा जेल में कैदियों को अंधा करना यह स्मरण कराते हैं कि

मानव की चेतना किसी भी अर्थ में अभी पूरी नहीं है। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। यह मूल विषय है जिस पर श्री अरविंद ने अपनी अद्वितीय और अत्यन्त दार्शनिक पद्धति से विचार किया है। उन्होंने इस विषय की विस्तारपूर्वक निरूपण किया है कि मानव एक अन्तिम प्राणी नहीं है जो इस विकास का अन्तिम परिणाम हो। मानव एक मध्यवर्ती प्राणी है, उसके पांव मिट्टी और कीचड़ में सने हैं लेकिन उसका मस्तिष्क देवलोक तक विचरण करता है। यह श्री अरविंद का अद्वितीय योगदान था।

स्वाधीनता आंदोलन में वह अपनी भूमिका के अतिरिक्त, वह भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रवक्ता के रूप में सुविख्यात हैं और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने वंदे मातरम का मंत्र फूंका था जो उन्होंने वंकिम के 'आनन्द मठ' उपन्यास से लिया था और इसे शताब्दी परिवर्तन के समय भारतीय राष्ट्रीयवाद का जोरदार नारा बनाया था; एक ऐसा मानव जिसने सहिष्णु विरोध और सत्याग्रह की विचारधारा का विकास किया था और कर्मयोगिन तथा बंदे मातरम में जिनके लेख अत्यन्त भावपूर्ण और देदीप्यमान राजनीतिक रचानएं हैं जो विश्व के किसी भाग में कभी लिखी गई हों। उपरोक्त योगदान के अतिरिक्त अरविंद की दर्शन पद्धति, जो उन्होंने 40 वर्षों में बनाई थी जब वह 1910 से 1950 तक पांडिचेरी में थे, आध्यात्मिक विकास की विचारधारा के आस-पास है और तथ्य यह है कि मानव अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ वह नई चेतना की खोज जल्दी ही करने के लिए विकास की शक्तियों के साथ सहयोग कर सकता है। उन्होंने माना है कि जैसे मानव को चेतना मिली है उसी तरीके से मावन से वहा मानव और मानसिक चेतना से महा-मानसिक चेतना का दोबारा आगमन होगा। आध्यात्मिक विकास के इस सिद्धान्त के आस-पास ही उन्होंने समेकित योग, पूर्ण योग की समग्र विचारधारा का विकास किया ताकि मानव, उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, उसकी शारीरिक और आत्मिक क्षमताओं की सभी त्रुटियों को नई चेतना लाने के लिए सर्वोच्च प्रयास में एकत्र किया जा सके। उनके महान आध्यात्मिक सहयोगी के रूप में मदाम मीरा अल्फासा ने, जो मदर के रूप में अच्छी तरह विख्यात थीं, इस महान परियोजना में उनका सहयोग किया था और श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की थी जहाँ अब भी बहुत से साधक अपनी साधना और योग का अभ्यास कर रहे हैं।

यहाँ पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक पूरी तरह से अरविन्द आश्रम पर विचार नहीं करना है जैसा कि समाचार-पत्रों के कुछ समाचारों में कहा गया है। पिछले सत्र में निगम 377 के अन्तर्गत यह तर्क देने वाला मैं पहला व्यक्ति था कि इस मामले में सरकार को संसद के एक अधिनियम द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। जब मैंने यह वक्तव्य दिया था तो अगले दिन यह समाचार प्रकाशित हुआ था—डा० कर्ण सिंह द्वारा अरविंद आश्रम को सरकारी अधिकार में लिए जाने का अनुरोध। यह पूरी तरह गलत है। माननीय सदस्यों को अपने मस्तिष्कों में अत्यन्त स्पष्ट हो चाहिए कि श्री अरविंद के जीवन काल में मदर द्वारा स्थापित किया गया अरविंद आश्रम एक पृथक संगठन रहा है और जहाँ तक मैं इसे समझा हूँ, इसे किसी भी सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रयोजन नहीं है।

श्री अरविन्द के निधन के बाद मदर ने इस दृष्टि से आरोविल—जिसका अर्थ प्रकाश है—

[डा० कर्णसिंह]

नामक प्रकाश देने वाले एक नए नगर की संकल्पना की । यह श्री अरविंद के नाम से भी सम्बद्ध है। यह आरोविल की विचारधारा है जहां नई चेतना के लिए आधारभूमि तैयार की जायेगी । अनेक उद्धरण हैं लेकिन सीमित समय के कारण मैं सभी उद्धरण न देकर केवल एक उद्धरण दूंगा ।

"आन्तरिक परिपूर्णता आ गई है जिस प्रकार अंधेरी गुफाओं में प्रकाश आ रहा हो। इससे पूर्णता आती है । इससे जीवन प्रकाशमय होता है । यह जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर करता है । यह विगत की भूली हुई उपलब्धियों के साथ सम्पर्क करता है जिसमें मैं वर्तमान के परिवर्तित हो रहे स्वरूप के आधार पर भविष्य के नए स्वरूप को शुरू कर सकूं । जीवन धारा मूलांश के रूपान्तरण और अन्धकार को प्रकाश तथा सत्य तथा बुरे और गलत को सौन्दर्य तथा सत्य में रूपान्तरण करने के लिए अलौकिक प्रकाश की कम हो रही किरणें पूरी की जा सकें।"

यह दृष्टि थी जिससे मदर बाध्य हुई थीं कि वह आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित इस सामूहिक जीवन की इस महान विचारधारा को स्थापित करें । विचार यह था कि मातृ मंदिर, जो आरोविल का आध्यात्मिक हृदय है, नगर के इस नए प्रकार, मानव जीवन के एक नये रूप को आलोकित करेगा ।

28 फरवरी, 1968 को मदर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । श्री जगन्नाथ राव उस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे । बाद में इस पर विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित हुआ है । 'यूनेस्को' ने तीन बार संकल्प पारित किया है । विश्व भर के बहुत से लोगों ने इसमें रुचि दिखाई थी । 1972 में हमने श्री अरविंद शताब्दी मनाई थी । मैं राष्ट्रपति समिति का संयोजक था । प्रधान मन्त्री इसकी अध्यक्षा थीं । जहां तक मुझे याद है आवंटित की गई 20 लाख रुपए की राशि विशेष रूप से आरोविल को इसके विकास के लिए दी गई थी । आरोविल में अनेक रुचिकर घटनाएं हुई थीं ।

जब तक मदर जीवित रहीं तब तक वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ था । मैंने स्वयं कई अवसरों पर आरोविल का दौरा किया है । वहाँ पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग, भूमि सुधार के प्रयोग, कृषि और बागवानी सम्बन्धी प्रयोग हुए हैं । विकास शुरू होने वाला था । दुर्भाग्यवश ऐसे समय मदर का देहान्त हो गया । जब वह जीवित थीं तब भी मुझे इस बात की आशंका थी और जब मैं वहां पर गया तो मैंने आयोजकों से पूछा था, "मदर के बाद क्या होगा" यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था ।

मदर के निधन के बाद, पूरा ढांचा, आन्तरिक आध्यात्मिक आकर्षक व्यक्तित्व, जो आरोविल को जोड़े हुए था, टूटना शुरू हो गया था । मैं उस घटिया कथा को विस्तार से नहीं बताना चाहता कि किस प्रकार मदर का स्वप्न दुःस्वप्न बन गया जो आज हम देखते हैं । मैं स्वयं श्री अरविंद सोसायटी और आरोविल से भी सम्बद्ध रहा हूं । मैंने आरोविल को अंशदान के रूप में एक लाख रुपये का व्यक्तिगत दान दिया है ताकि आरोविल से सम्बद्ध एक मकान का निर्माण किया जा सके । मैं अरविंद सोसायटी दिल्ली शाखा से सम्बद्ध हूँ । आपको बता सकता हूँ कि

उसमें अत्यन्त तीव्र मतभेद--शारीरिक हिंसा, डराना-धमकाना, भय का वातावरण, न्यायालय सम्बन्धी मामले आदि हुए हैं। दोनो ओर से गलतियां हुई हैं। मैं किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी विशेष ग्रुप को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ। यदि अरविंद सोसायटी एक निजी साम्राज्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाना है तो अरोविलियों की ओर से भी त्रुटियां हुई हैं। बहुत से अरोविलियों ने उस मानदंड के अनुरूप कार्य नहीं किया जो इस जैसे एक महान नए शहर में रहने वालों से अपेक्षा की जाती है।

इस मामले का तथ्य यह था कि वहां तीव्र मतभेद थे। वहां पर विदेशी भी आए थे।

'आ नो: भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत:।' नि:सन्देह हम सभी ओर से अच्छे विचार और अच्छे लोग चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका विकास किया वह बहुत संतोषजनक नहीं था। मदर की महान नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति लुप्त हो गई, सामूहिकता लाने, प्रशासन में अरोविलियों को सम्बद्ध करने के बजाए, प्रशासन में आश्रम को सम्बद्ध किये जाने के बजाए, इसे मनमाने और निरंकुश तरीके से चलाने के लिए प्रयास किए गए। इससे मतभेदों में वृद्धि हुई। यह अपमान है। मुझे विश्व भर से ऐसे पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें कहा गया है, "क्या यह श्री अरविंद और मदर की छवि है जो आप दर्शाना चाहते हैं?" अनियमितताओं की बात कही गई है। मैं यहां पर वैद्य सूक्ष्मताओं अथवा वित्तीय अनियमितताओं से चिंतित नहीं हूँ।

मैं श्री अरविंद और मदर के आदर्शों के गम्भीर तिरस्कार से चिंतित हूँ जो हम आरोविल में देख रहे हैं।

अत: हमने प्रतीक्षा की। मैं स्वयं गत तीन चार वर्षों से उनके साथ सम्पर्क में हूं। मैं उनसे कुछ न कुछ करने से लिये आग्रह कर रहा हूँ। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ समय के लिए मंत्रालय का प्रभारी रहा था। मैंने कुछ निर्देश पत्र लिखे हैं जिनका नि:सन्देह मेरे उत्तराधिकारी ने अध्ययन किया है। हमने उस स्थिति पर, जो बहुत खराब हो गई थी, विचार किया है। अत: पिछले सत्र में नियम 377 के अन्तर्गत 23 जुलाई, 1980 को मैंने पहली बार यह तर्क प्रस्तुत किया कि संसद के एक अधिनियम द्वारा आरोविल को श्री अरविंद और मदर का एक राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाहिए। सरकार ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की और यह विधेयक अब आपके समक्ष है।

मैं जानता हूँ कि इससे श्री अरविंद के कुछ सच्चे अनुयायियों में आशंकाएँ और भय हैं। कानूनी पहलुओं के अतिरिक्त, जिस पर नि:सन्देह मंत्री महोदय विचार करेंगे, आशंका यह है कि क्या एक आध्यात्मिक नगर को संसद के अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। जब कुछ लोगों ने इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने कहा 'यदि पारलौकिक शक्ति सर्वव्यापी है तो इसका कोई कारण नहीं है कि यदा-कदा यह इस चेम्बर में भी व्याप्त नहीं हो सकती।' मैं इससे सहमत हूँ कि प्राय: हम इस सदन में पारलौकिक तरीके से कार्य नहीं करते हैं। लेकिन यदि यहां पर शक्ति है तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र के सर्वोच्च मंच के माध्यम से लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भी कार्य कर सकती है। मैं इसमें अन्तर्निहित खंडन नहीं देखता हूँ बशर्ते कि सरकार अपने आप में बिलकुल स्पष्ट हो कि यह कार्य शिक्षा मंत्रालय का एक विस्तार बन कर न रह जाए। एक सुन्दर भवन, में जहां मैं भी मंत्री के रूप में बैठता था, बैठा हुआ

[डा कर्ण सिंह]

कोई उप सचिव प्रत्येक बात का अन्तिम निर्णायक होगा—ऐसा आदमी जिसकी कोई संकल्पना न हो अथवा जिसमें कोई विचार न हो कि श्री अरविंद और मदर क्या चाहते हैं।

मैंने स्वयं एक ऐसी व्यापक समिति का सुझाव दिया था जिसमें आश्रम, सोसायटी के प्रतिनिधियों, आरोविलियों, संसद सदस्यों तथा तमिलनाडु और पांडिचेरी की सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए क्योंकि इससे बहुत सी बातें सम्बद्ध हैं: जैसे भूमि अधिग्रहण, नागरिकता की समस्यायें, वित्तीय समस्याएं और अन्य बातें लेकिन सरकार ने अपने विवेकानुसार केवल पांच सदस्यीय सलाहकार समिति का सुझाव दिया है। मेरे विचार से यह एक शीर्ष समिति है और इसे पूरा प्राधिकार होगा कि यह मदर द्वारा परिकल्पित आधारों पर तथा श्री अरविंद के शिक्षण के सन्दर्भ में आरोविल के सुचारू संचालन के लिए ऐसे अन्य निकायों तथा समितियों का गठन करें जो आवश्यक हों। यह एक ऐसा आश्वासन है जो मेरे विचार से उन सभी लोगों को काफी हद तक संतुष्ट करेगा जो यद्यपि वास्तविक रूप में वर्तमान स्थिति से दुःखी हैं तथापि वे सरकार के हस्तक्षेप से भयभीत हैं।

यह एक कठोर समाधान है; यह गोर्डियन नॉट को बल से काटने की तरह है। लेकिन कोई अन्य तरीका नहीं था। "नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय। मैं इसे जानता हूँ। मैंने इस मामले का अध्ययन किया है। लोगों के कठोर नियंत्रण से, जो इसे इस प्रकार चला रहे थे मानो यह उनकी निजी जागीर हो, इस बड़ी परियोजना को छुड़ा कर सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं था। यह तो अज्ञात का पता लगाने के समान था। यह इस सदन द्वारा पारित किया जाने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण और एक अनूठा विधेयक हो सकता है क्योंकि यह न केवल एक भौतिक विषय पर विचार करता है, न केवल सामूहिक मानव चेतना पर विचार करता है अपितु यह ऐसे विषय पर विचार करता है जो अभी तक मानव चेतना के ज्ञान-क्षेत्र से परे है। यह ऐसे भाव पर विचार करता है जो भविष्य में एक तीर चलाने के रूप में है। यदि इस क्षमता में और इस भावना के रूप में यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करता है और यदि माननीय मन्त्री महोदय इस भावना के साथ इसे लागू करते हैं तो मंत्रालय और सरकार द्वारा ऐसा करने का औचित्य सिद्ध होगा।

अतः इस विधेयक की सूक्ष्म रूप से जांच-पड़ताल और इसका सावधानी से अध्ययन करने पर में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पूरी सफलता के लिए और आशानुकूल एक नयी पुनश्चर्या की ओर अग्रसर होने के लिए, हम उपनिषदों के दार्शनिक के साथ कह सकते हैं:

वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाऽडातिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय।

केवल 'सामंजस्यहीन पार्थिव शक्ति वाले वर्तमान गतिरोध को दूर करने के लिए अन्य काई रास्ता नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस सदन में आज जो विषय लाया गया है और जिस पर चर्चा हो रही है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे इस पर पुनर्विचार करें कि जिस कदम को वे उठा रहे हैं. वह ऐसा न हो जाए कि हमारे जो अभी पूर्ववक्ता बोल रहे थे, उनकी भावनाओं को ठेस लग जाए।

एक बात तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में हिन्दुस्तान सारे संसार में गुरु रहा है और आज भी बड़े-बड़े विद्वान इस बात पर विचार कर रहे हैं कि रिलीजन क्या है ? इस सम्बन्ध में मैं संविधान की आर्टीकिल 26 को सदन में पढ़ देना चाहता हूँ :

"सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—

(क) धार्मिक और धूर्त प्रयोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का ;

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का:

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का ; तथा

(घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का ; अधिकार होगा ।

हमारे संविधान में आर्टीकल 26 मौजूद हैं। हिन्दुस्तान में कई गुरुद्वारे, मन्दिर और मस्जिद हैं जिनकी अपनी सम्पत्ति है जो अपना-अपना धर्म चलाते हैं। हिन्दुस्तान विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ विभिन्नता में एकता है । इस विभिन्नता में एकता को कायम रखने के लिए, हिन्दुस्तान में जो कि एक सेक्युलर स्टेट है, हमारे संविधान ने, अपने आर्टिकल 26 के अधीन सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी है, रिलीजस आजादी दी हुई है। आखिर इस रिलीजन का मतलब क्या है ? आक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन का मतलब लिखा है—

आस्था और पूजा की पद्धति ; मानव द्वारा सत्ता को नियंत्रित करने वाली अलौकिक शक्ति का स्वीकार किया जाना और विशेषकर एक ऐसे इष्ट देव का जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए।

जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो मेरे दिमाग में इस संस्था के उद्देश्य और इसका चार्टर कहता है—

> आरोविल विशेष रूप से किसी का नहीं है। आरोविल समग्र रूप से मानवता का है। लेकिन आरोविल में रहने के लिए किसी व्यक्ति की ईश्वरीय शक्ति का स्वैच्छिक सेवक होना चाहिए ।

इस संस्था की अपने चार्टर के अनुसार यह धारणा थी। उसी के आधार पर यह संस्था रजिस्टर हो चुकी थी । आज के हमारे शिक्षा मंत्री ने और सौभाग्य से डा० कर्ण सिंह भी हमारे शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं, उन्होंने भी, मेरे ख्याल से इस पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा । लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर नयी बात हो रही है। हमारे यहाँ

[श्री मूलचन्द डागा]

जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, उनकी प्रापर्टी का इंतजाम करने के लिए आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अभी एक साल के लिए कह रहे हैं, फिर एक साल और बढ़ायेंगे और इस तरह से आप पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे। आपके जो एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं उन कदमों के बारे में आपको खुद को संदेह है। आप इस बिल के द्वारा अरविन्दो सोसायटी को कुछ समय के लिए लेना चाहते हैं। अभी तो इसे आप दो साल के लिए लेना चाहते हैं। अब कोई यह पूछे कि यह सोसायटी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे यह संस्था रजिस्टर्ड हुई। वहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद, वहाँ के कानून के मुताबिक यह चलती रही। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसके बारे में कभी कोई कदम नहीं उठाया। इसके बारे में कि यह संस्था या सोसायटी धन का दुरुपयोग कर रही है, उस एक्ट के मुताबिक कदम उठाया जाना चाहिए था। हमारे शिक्षामंत्री जी बड़े अच्छे शिक्षा मन्त्री हैं। वे इस बात की हिम्मत करें कि वहाँ की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें। इस सोसायटी ने वेस्ट बंगाल सोसायटी एक्ट के नीचे, रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे जो आज तक काम किया है, क्या-क्या धन का दुरुपयोग किया है, उसकी रिपोर्ट यहाँ रखें। इसके कांस्टीट्यूशन में लिखा था—

> 'सोसायटी के लेखों की वर्ष में एक बार चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।'

हर साल इसके हिसाब से सोसायटी देगी। वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया, कभी नहीं और हमारे मंत्री जी, जिनका कारण अच्छा हो सकता है, वे कहते हैं कि कंप्लेंट-वर- रिसीव्ड। पालियामेंट के सामने बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े ऊँचे वकील बैठे हैं और आप भी बड़े ऊँचे वकील हैं, कभी पालियामेंट के सामने आप लिखकर संस्था को ले लेंगे?

क्या शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? अरविन्द सोसायटी के फंड का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया था? क्या एक समिति नियुक्त की गई थी? उस समित के पद क्या हैं? उनका प्रतिवेदन कहाँ है? वो रिपोर्ट कहां है, सदन में है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बैठकर जो रिपोर्ट बनाई थी, वो सदन में है क्या? रिपोर्ट दे दी 1977 में जब महाराजा कर्ण सिंह साहब मनिस्टर थे। 1977 में वह रिपोर्ट पेश हो चुकी है। मुझे कहा जाए, आडिट रिपोर्ट भी की जाए, मैं भुगता हुआ हूँ कई साल एक संस्था का चेयरमैन रहा हूँ, म्यूनिसपेलिटी का चेयरमेन हूँ, जो आडिट आब्जवशन्स होते थे मुझे मीट करने पड़ते थे, अगर नहीं होते थे तो चेयरमैन प्रासीक्यूट किया जाता था। अब आप क्या कर रहे हैं?

लेखों की विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद मुझे एक रिपोर्ट मिली थी। श्री अरविन्द सोसायटी को दल का प्रतिवेदन मिला था जिसने गम्भीर अनियमितताओं के मामले पाये थे।

अगर कोई मुझे यह कहे कि सीरियस इरेंगुलेरिटीज पर एक हिम्मत करके तो यहाँ आकर बता दे कि मिस अप्रोप्रिएशन आफ प्रापर्टी पर उसका चालान किया गया। शिक्षा मन्त्री बने हैं दशहरे के दिन और दीवाली के दिन यह काम कर दिया, सारा ज्ञान हो गया अरविन्दो सोसायटी का। दशहरे के दिन...

सभापति महोदय : दशहरे का दिन भी शुभ है, दीवाली का भी शुभ है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा अच्छा दिन है, रावण के मरने का दिन था। बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। क्या किया कि ज्यों ही दीवाली का दिन आया, पर हमें भी बताइए, हम भी पार्लियामेंट के मेम्बर समझना चाहते हैं कि लाखो रुपया जाता कहाँ है, लेकिन उस मदर ने एक बात कही थी कि यहाँ शराब पीने वाले, व्याभिचार करने वाले यहाँ वे लोग नहीं आ सकते इस संस्था में वो नहीं कि वे अपने कल्चर को लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि मेरा जो परपज है वह मेरा विशेष उद्देश्य है। लेकिन उस बात में नहीं। मिनिस्टर साहब आप बतलाएँ। आप बड़े अच्छे विद्वान और समझदार हैं। क्या आप ने उस सोसायटी को नोटिस दिया था ? ये आपके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं। कृ या इसका विस्तृत उत्तर दें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आदरणीय सभापति जी, न्याय एक बात कहता है कि जिसके साथ अन्याय कर रहे हैं उसको सुन भी लें। नेचुरल जस्टिस की डिमांड है। मैं यह नहीं कहता कि आप कुछ करें। मुझे यह नहीं कि आप संस्था को कुछ भी कर लें लेकिन महाराजा कर्ण सिंह जी के वाक्य हैं जो धारा-प्रवाह बोलते है, भगवान ने उनको बुद्धि और ज्ञान सब दे रखा है. उन बातों को ध्यान में रख लें और श्रीमती इंदिरा गाँधी ने क्या कहा है अरविन्दो आश्रम के लिए। आज श्रीमती गांधी की सरकार क्या करने जा रही है ? मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। यह किताब लिखी हुई है श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा। इसमें उन्होंने यह कहा है। मैं इसे पूरी पढ़ना नहीं चाहता हूँ।

"मानव की समस्या को उसके भावी विकास और मदर तथा आत्मा के बीच पारस्परिक कार्यवाही के रूप में देखा गया था...रोमन रोलेंड द्वारा वर्णित श्री अरविंद, जो प्रबल रूप से एक देशभक्त और क्रांतिकारी थे, पूर्व और पश्चिम के पूर्णतया सामंजस्य हैं ; उन्होंने घोषित किया कि मानव एक अनित्य प्राणी हैं जिसे बहुत दूर स्वर्ग तक न जाकर इस वास्तविक धरती पर ही यहाँ ही समेकित आध्यात्मिक रूपाण्तरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह पूरे विश्व की उन्मुख प्रत्याशा और 1914 में फ्रांस से आई मदर (मदाम मीरा उल्फाना) की पूर्णता का मामला था जो श्री अरविंद से मिली थी और उन्होंने उन्हें सहयोग देने के लिए और समेकित रूपान्तरण के कार्य को पूरा करने के लिए भारत को अपना स्थाई घर बना लिया था। उन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली थी और निकट भविष्य मानवता, इसकी स्थाई एकता और सौहाद्रिता और अति मानवता में इस रूपान्तरण के लिए उनके कार्य के क्रांतिकारी प्रभावों को दर्शायेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए हैं पी० बी० राज साहब, वह इस संस्था के एक मैम्बर हैं। पहले स्टेट मिनिस्टर एक थीं, वह भी इसकी एक मैम्बर थी। उन्होंने तथा इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से लैटर लिखा था कि ये सब बातें गलत हैं, बकवास हैं, ये कुछ लोगों की बातें हैं कि वहां मिसयूज होता है। सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संस्था को मत लो। लेकिन आज बिना सोचे समझे बिना रीजंज दिये

[श्री मूलचन्द डागा]

हुए आप आर्डिनेंस निकाल देते हैं। आपके आर्डिनेंस की आज हालत यह है कि वह लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हिन्दुस्तान का और कांस्टीट्यूशन में जो उसके मानने की बात कही गई है उसको आपको चाहिये था कि आप ध्यान में रखते।

मैं एक और कोटेशन देना चाहता हूं :

यह श्री स्वामीनाथन के एक लेख से उद्धृत है :

"संविधान ने तीन विधानांगों की व्यवस्था की हैं—संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका वे आपस में एक दूसरे के सम्पूरक और अनुपूरक हैं। इन तीनों विधानांगों को अपना अलग-अलग कार्य सौंपा गया है और इनमें से कोई भी दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नही कर सकता है। सभी को संविधान में किए गए उपबन्धों के दायरे में ही कार्य करना होगा ......इसलिए यह कहा जाता है कि वे अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और वे एक दूसरे के विरोधी उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं कर सकते।"

दस नम्बर का आर्डिनेंस आज लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो आर्डिनेंस है वह लागू नहीं है, वह गलत है। उसने आर्डर कर दिया कि आपका आर्डिनेंस एनफोर्सेबल नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब बातें हैं। लेकिन क्या डीसेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, क्या डीसेंसी हमारे में है कहीं ? क्यों आप उसके साथ कनफ्रंटेशन में आना चाहते हैं ? उसने कह दिया है कि सोसाइटीज एक्ट के नीचे कोई क्लाज नहीं और यह सारी कौम की प्रापर्टी है, इसको पांडीचेरी आश्रम वालों को वापिस दे दो। सोसाइटी ने भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम वहां उसका एकाउंटेन्ट रखने के लिए तैयार हैं, एकाउंट्स चैक करवाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको उसकी आडिट रिपोर्ट से बतलाना चाहता हूं कि कितनी तारीफ उसमें इस सोसाइटी की की गई है। मैंने कम से कम पन्द्रह आडिट रिपोर्ट्स को फेस किया होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। ओझा साहब ने लिखा है कि यह संस्था बढ़नी चाहिए और मैं चाहता हूं कि यह बढ़े और इसको बढ़ाने के लिए यह संस्था कुछ और काम करे। मैं चाहता हूं कि वी० एम० ओझा साहब को बुलाया जाए, एटर्नी जनरल साहब को बुलाया जाए और उनसे इन सब चीजों के बारे में पूछा जाए कि क्या संविधान में यह लिखा हुआ है कि किसी भी संस्था को ले लो ? ओझा साहब आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी हैं। मई 1977 में उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी। यह 96 पेजिज की रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ लें। यह 1977 में दी गई थी। उसके बाद जनता पार्टी की हकूमत रही, लोक दल की हकूमत रही। आज हमारी हकूमत है। सन् 1977 के बाद एक नोटिस दिया था कि इस संस्था में यह गबन है, मिस-एप्रोप्रिएशन है, मिस-यूटिलाइजेशन है। लेकिन एक वेग एलीगेशन लगाकर कह दिया कि गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी इस सदन की नहीं बनाई गई। आज आप क्यों इसे लेने जा रहे हैं ?

आज हमारे एजूकेशन मिनिस्टर जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वह रिपोर्ट रख देते तो मैं एग्री हो जाता कि वहां पर गबन है। अगर आडिट वाले कहते तो मैं मानता कि गबन है। कोई केस अदालत में चलता या प्रासीक्यूशन होता तो गबन होता, लेकिन बैठे-बैठे दिमाग में आया कि इसको ले लें। मैं जानना चाहता हूँ कि इसको लेने के क्या कारण हैं ? कितनी ही धार्मिक संस्थाएं इस हिन्दुस्तान में हैं, आचार्य रजनीश आश्रम चला रहे हैं, वह एक नए भगवान बने बैठे हैं, हरेक की प्रापर्टी है। क्या गवर्नमेंट हरेक को लेकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी, प्रशासक बनायेगी। उस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्वालिफीकेशन्ज होगी ? नो क्वैश्चन आफ क्वालिफीकेशन्ज। वहां एक आई० ए० एस० आफिसर जायेगा जो वहां जाकर सिगरेट पियेगा और रात को दारू पियेगा। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइन्ट किया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या बिल लाए हैं ? वहां पर कैसे मैम्बर जायेंगे, उन मैम्बरों की क्या क्वालीफीकेशन्ज होंगी। इस तरह से अरविन्दो सोसाइटी में मूलचन्द डागा जैसे लोग मैम्बर बन जायेंगे, जो ज्यादा धार्मिक नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक हैं। इस तरह के राजनीतिक लोग वहां पहुँच जायेंगे। न तो हममें डा० कर्णसिंह जैसा ज्ञान है न कुछ है, मंत्री जी बतायें, वहां कौन मैम्बर बनेगा, उसकी क्या क्वालीफीकेशन होगी ?

मंत्री जी एक कदम रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिये इंटीरियम आर्डर दे दिया। आपके वकील ने जवाब दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में कि अभी हमारा लेने का इरादा नहीं है। जब उन्होंने वैकेट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में दो दिन की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने लिखा; "अन्तरिम उपाय के तौर पर हम यह निदेश देते हैं कि वर्तमान समिति दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चला सकती है......यह कोई महत्वपूर्ण (प्रमुख) नीति विषयक निर्णय नहीं लेगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि यह किस पर चपत लगा, किसके गाल पर तमाचा लगा ? आर्डिनेन्स इश्यू हो गया, उसके बाद एक तमाचा लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और उनको कह दिया कि आप अपना काम करते रहें। उनके पास सम्पत्ति रहेगी, प्रापर्टी उनके पास रहेगी और काम भी वह चलायेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब वह किस क्लाजेज को पास करवा रहे हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटीरियम आर्डर दे दिया।

प्रशासक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना वर्तमान समिति किसी एक समय में 5000 रुपये से अधिक व्यय नहीं करेगी। समिति अपने सम्पूर्ण लेन-देन का सही और वास्तविक लेखा रखेगी और उन्हें प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति पर प्रशासक के पास जांच के लिए प्रस्तुत करेगी।

श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा दायर की गई लेख याचिका, जो कलकत्ता उच्च-न्यायालय में लम्बित पड़ी है वह संविधान के अनुच्छेद 139-क के अन्तर्गत इस न्यायालय के पास सुनवाई के लिए वापिस ले ली गई समझी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है :—

सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्डर इस्यू कर दिया है और सरकार ने टाइम ले लिया है।

[श्री मूलचन्द डागा]

सरकार को अपने फैक्ट्स तैयार रखने चाहिए थे और उसी दिन ऐफिडेविट में अपना रिप्लाई दे देना चाहिए था। सरकारी वकील को उसी दिन कहना चाहिए था कि आप गलत आर्डर पास कर रहे हैं, मैं अपने रिप्लाई के साथ तैयार हूं।

आज जबकि पार्लियामेंट यह बिल पास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर स्टैंड करता है। पार्लियामेंट को यह बिल पास करने का अधिकार है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है, तो हमें उसके साथ कानफ्रंटेशन करने की क्या जरूरत है ?

इसमें एक प्रिंसिपल का सवाल है कि हमारी जो आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाएं डीनामिनेशल सैक्ट्स के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने ढंग से भगवान् को प्राप्त करने तथा आत्मा के नजदीक रहने का रास्ता बता रही है, क्या उन्हें काम करने का अधिकार है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का कानफ्रटेशन नहीं होना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया गया है। जब सरकार पहले ही तीन साल तक इन्तजार कर चुकी है, तो वह थोड़ा इन्तजार और कर सकती है। अगर वह आर्डर को वैकेट करवा लेती है, तो लोग कहेंगे कि न्यायालय का निर्णय हो गया है, अब आरोविल को ले लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री हमें बतायें कि हमने इतने लोगों को प्रासीक्यूट किया है और इतने रुपए का गबन हुआ है। जहां तक आडिट वालों का सम्बन्ध है, वे तो कहते हैं कि कलम के बदले पैन क्यों ले लिया। लिखने के लिए कलम नहीं मिला, इसलिए पैन ले लिया। लेकिन कोई आबजेक्शन तो होना चाहिए। सीरियल इरेगुलेरिटीज का मतलब फंड्ज का एमबेजलमेंट नहीं है। वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है।

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सम्बन्ध संविधान के आर्टिकल 26 से है। शिक्षा मंत्री ने संविधान के प्रति दो बार शपथ ली है। मैंने एक बार ली है। मैं समझता हूं कि अगर हम पहले आर्डर को वैकेट करायें और फिर इस बिल को लें, तो पार्लियामेंट की शोभा बढ़ेगी। वर्ना मंत्री महोदय सदन के सामने रिपोर्ट रख कर यह साबित कर दें कि इन कारणों से हमें यह कदम उठाना पड़ा है। सब अखबारों में खबर निकल गई है कि स्टे-आर्डर इस्यु हो गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मैं आज ही बिल पास कराऊंगा। सब सदस्य भी कहते है कि यह बिल पास होना चाहिए। सरकार को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसपेक्ट को टच किया है, उस पर भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 26 के तहत इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो क्या शिक्षा मंत्री फिर बिल लायेंगे ?..... (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : कृपया खण्ड 11 देखें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने प्रत्येक खण्ड को पढ़ लिया है।

मैंने कुछ एमेंडमेंट्स मूव किये हैं। तो मेरा यह कहना था कि आप मेहरबानी करके इस पर एक दफा विचार करें और विचार करने के बाद अगर इसको रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। फैक्ट्स एण्ड फिगर्स अगर सबके सामने हों तो निर्णय लेने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने यह

कहा कि इसको कमेटी में भेज दीजिये । चार पांच दिन में कमेटी निर्णय कर लेगी । मैं नहीं कहता कि ज्यादा लम्बा समय उसके लिए रखिए । अगर कमेटी में इस पर विचार हो जाय और वहां निर्णय करने के बाद इसे यहां लाएं तो अच्छा होगा । इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है ।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । विभिन्न सदस्यों के तर्क सुनने के पश्चात् मैं इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं कि विधेयक उचित समय पर पुरःस्थापित किया गया है । कई वक्ताओं ने अरविन्द सोसाइटी का समर्थन किया है; उनमें से कुछ ने आरोविल समिति का समर्थन किया है और कुछ अन्य अरविन्द आश्रम के पक्ष में हैं । परन्तु सभी भाषण सुनने के पश्चात् मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूं कि अरविन्द सोसाइटी अथवा आरोविल में कुछ न कुछ त्रुटियाँ अवश्य हैं । जिस रूप में सरकार ने विधेयक को पुरःस्थापित किया है वह सराहनीय नहीं है । अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी सरकार को सामान्य रूप से विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहिए था क्योंकि अब सरकार कहना चाहती है और मन्त्री जी सदन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसमें कुछ अनियमितताएं है; समिति के कोश को, इसको स्थापित कर्त्ता ने जिस इच्छा से इसे स्थापित किया था उसके विरुद्ध, अन्य कुछ कार्यों के लिए परावर्तित किया गया है ।

सरकार को यह रिपोर्ट 1977 में प्राप्त हुई थी । इस तीन वर्ष के पश्चात्, अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी । यह बहुत ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि सरकार अच्छा विधान चाहती है अथवा अच्छा अधिनियम लाना चाहती है तो इसे केवल अध्यादेश के माध्यम से लाकर ही बनाती है । सरकार की वह कार्यवाही आपत्तिजनक है ।

जिस उद्देश्य से आरोविल सोसाइटी आरम्भ की गई थी वह वास्तव में अच्छा उद्देश्य था । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि श्री महर्षि अरविन्द भारत के सच्चे और महान सपूत थे; और उसी तरह मानव समिति के प्रति मदर के भी अपने निजी विचार थे । इसलिए, हमें उनके आशय के प्रति कोई शिकायत नहीं है । जिस स्थिति में अब मामला पहुँच चुका है वह बहुत ही महत्त्व पूर्ण है ।

अब सरकार दो वर्ष लेने को तैयार है । मुझे संदेह है कि दो वर्षों की यह अवधि जिसे सरकार लेने को तैयार है, पर्याप्त है, क्योंकि सरकार द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि अरविन्द सोसाइटी के लेखों की विस्तृत संवीक्षा के पश्चात् समिति ने कथित सोसाइटी के प्रबन्ध में गम्भीर अनियमितताओं का एक मामला, धन के दुरुपयोग और इस धन को अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित पाया । अब, सरकार केवल कुछ पहलुओं पर ही जांच कर सकती है । केवल छोटी सी जांच से ही पाया गया है कि अरविन्द सोसाइटी की कार्य प्रणाली में अनियमितता का एक मामला है । दो वर्ष लेने के पश्चात्, कुछ ऐसे व्यक्ति संबद्ध व्यक्ति होंगे जो शोर शराबा मचाएंगे । सरकार को तुरन्त अरविन्द सोसाइटी अथवा आरोविल की गति विधियाँ सुपुर्द कर देनी चाहिए । सरकार को हो-हल्ले के सामने झुकना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को इस मामले में विस्तृत और व्यापक जांच करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी जांच, मामले में की गई छोटी सी छानबीन, से बड़ी

[श्री एम० रामन्ना राय]

अनियमितता प्रकाश में आई है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में अवश्य ही विस्तृत जांच करवानी चाहिए।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोविल में सेन्ट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है आरोविल में देश विरोधी गतिविधियाँ जारी हैं। अतः लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वे किस प्रकार कार्य कर रही हैं और आरोविल के विचारों के प्रति, एक विस्तृत जांच और छानबीन आवश्यक है। केवल तब, तत्पश्चात् ही, यदि सरकार को लगे कि इसे पुनः अरविन्द सोसाइटी अथवा आरोविल को सौंपा जा सकता है, वे ऐसा कर सकती है। जब तक इस प्रकार की जांच न कर ली जाए और आरोविल शत्रुओं की पृष्ठ भूमि पूरी तरह से प्रकट न हो जाए, और भारत के लोगों को इसकी पूरी तरह जानकारी न मिल जाए, अधिग्रहण में लेने के सम्बन्ध के इस प्रकार का परावर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोविल का अधिग्रहण करने के पश्चात्, संस्था के अधिग्रहण के पश्चात्, विस्तृत जांच पड़ताल करने के पश्चात्. और अधिग्रहण करने पश्चात् रिपोर्ट इस सदन के समक्ष अवश्य प्रस्तुत की जाए और फिर यदि आवश्यक हुआ तो देश विरोधी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और आरोविल और अरविन्द सोसाइटी की गतिविधियों को पुनः आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः, इन थोड़े शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण दत्त।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय मन्त्री महोदय जो अध्यादेश लाए हैं, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में यहां पर काफी वार्तालाप चली है और हमारे विपक्ष के सदस्यों ने तथा हमारे सदस्यों ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। जहां तक इस देश का ताल्लुक है, हमारी सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई ऐसी संस्था अपने अख्तियार में ली जाए जिससे देश में ऐसी हवा पैदा हो कि हम धार्मिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन यह संस्था जो अरविन्द के नाम से मशहूर है जिसमें दस हजार एकड़ जमीन भारत सरकार ने राज्य सरकारों से लेकर दी है और वहाँ पर बहुत सी राज्य सरकारों ने तथा अन्य लोगों ने योगदान किया है। एक ऐसा वातावरण पैदा करने लिए यह किया गया, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपना आचरण बनाने के लिए यह किया गया ताकि इस देश में ऐसा वातावरण हो कि मजदूरी नहीं लेंगे बल्कि सहयोग और सहायता मिलेगी राज्य सरकारों की तरफ से और अपने आप वहां पर काम करेंगे, वहां पर कारखाना लगायेंगे जिसमें प्रोडक्शन होगा लेकिन कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। इस तरह से समाज के लिए करेंगे, एक अच्छे नागरिक के ढंग से रहना सीखेंगे। सार्वजनिक जीवन में इसका निर्वाह करेंगे, एक इन्सान की तरह से इन्सानी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जैसा कि सुनने में आया है, जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से संस्था के नाम को कलंकित किया गया है, उसको बर्दाश्त करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अगर हमारी हाई-कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, तो ठीक है लेकिन हमारी यह पालियामेंट सुप्रीम है। हमारी प्रधान जी का जो संदेश है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई उसके खिलाफ कार्यवाही करें। हम चाहते हैं कि इस देश में जो

अनारकिक पैदा करने वाली संस्था है, जैसा कि अपोजीशन की तरफ से एक साथी ने कहा कि उसमें सी० आई० ए० वाले आ गए हैं और बड़े-बड़े धनाढ्य लोग जो हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, वहाँ पर शराब पीना चाहते है, इस तरह से वे इस संस्था के लक्ष्य को खत्म करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है और हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, वह वाजिब है। हमारी सरकार ने वहां तमिलनाडु की सरकार को शामिल करके, जो कुलकर्णी कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट लेकर यह कदम उठाया है, हम इसकी सराहना करते हैं। इस देश की इज्जत बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। संस्था के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यह काम किया गया है जिसकी में सराहना करता हूं और जो लोग इसकी मुखालिफ करते हैं उनका में पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, आज का युग विज्ञान और आध्यात्मवाद का है। विज्ञान और आध्यात्मवाद के सम्मिश्रण को कार्यान्वित किया जाना है और आरोविल की भूमि पर आदर्श स्थापित किया जाना है। यही मदर और श्री अरविंद का स्वप्न था। भारत में वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श पर हमें गर्व है और हमने उस भावना को हृदयंगम किया है। जब डा० कर्ण सिंह इस सदन को सम्बोधित कर रहे थे हम पर उत्कृष्टता का उन्माद छाया हुआ था। उन्होंने माननीय चेतना और उस अलौकिक और उच्च स्तर, जहां तक माननीय मस्तिष्क पहुँच सकता है के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है में डा० कर्णसिंह को उनके विशद विश्लेषण के लिए बधाई देता हूं। यह एक खुशी का लक्षण है कि इस विषय पर सदन में दलगत भावना नहीं उभरी है। मैं इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से अपील करता हूँ कि वे इस विषय पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं और सम्पूर्ण स्थिति पर तटस्थ रुख अपनाएं।

वह वास्तविक स्थिति क्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं ? वह यथार्थ समस्या क्या है जिसका हमें सामना करना होगा और हमें क्या निर्णय करना है ? कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ गलत धारणाएं हैं। वास्तव में तीन विशिष्ट संस्थाएं हैं—अरविंद आश्रम, अरविंद सोसाइटी और आरोविल। कुछ सदस्य तीनों को मिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार अरविंद आश्रम पर आक्षेप कर रही है। भावात्मक कारणों से, वे एक विशिष्ट रुख अपनाते हैं। जहां तक सरकारी हस्तक्षेप का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। जिस क्षण सरकार सार्वजनिक संस्थान का अधिग्रहण करेगी, वह एक गलत दृष्टांत स्थापित करेगी। परन्तु यह एक ऐसी संस्था है जो मानव एकता के नगर की कल्पना करता है, एक ऐसा कस्बा जो सूर्योदय के नगर (सिटी आफ डान) के नाम से जाना जाता है—ऐसे आदर्शों में, ऐसे नगर के मामले में जिसके ऐसे उच्च आदर्श हैं, हमें निष्पक्ष रूप से यह सोचना होगा कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और इसे पीड़ा देने वाली बुराइयों का उपचार हम कैसे खोज सकते हैं। हमें बताया गया कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एक रिपोर्ट उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली समिति की थी। बद किस्मती से वह रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं है और सदस्यों को उसका अवलोकन करने का लाभ नहीं मिला है। अतः, उस रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत कठिन है। मुझे बताया गया है कि एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट थी। मेरी यह अत्यधिक इच्छा थी कि हम

[श्री रतन सिंह राजदा]

इन रिपोर्टों का अध्ययन कर पाते ग्रौर यदि हम पाते कि कुछ दोषी व्यक्ति हैं तो उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसी संस्थाग्रों के सदस्य बनते हैं ग्रौर ग्रपने निजी लाभ के निहित स्वार्थ उत्पन्न करते हैं ग्रौर उन पर ग्रपना ग्रधिकार स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदैव ही किसी भी संस्था के लिए जिसके बहुत ऊँचे ग्रादर्श होते हैं, घातक होते हैं।

उस दृष्टि से मैं सरकार से ग्रनुरोध करूंगा कि वह उप राज्यपाल की ग्रध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट ग्रौर लेखा परीक्षक रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखें। मैं नहीं जानता कि उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में ग्रथवा सदन की मेज पर रखने में सरकार क्यों झेंप रही है।

जैसा कि हमें बताया गया है ग्रौर यदि लेखों में जालसाजी है, यदि सोसाइटी के कोष का दुरुपयोग किया गया है, ग्रौर यदि ग्रारोविल के कोष को किसी व्यक्ति ने दूसरे कार्यों में परावर्तित किया है, तब यह वास्तव में एक बहुत ही गम्भीर मामला है ग्रौर हम चुपचाप इसके दर्शक नहीं बने रह सकते। परन्तु विकल्प क्या है; जहां तक यह मामला सम्बन्धित है उपचार क्या होना चाहिए? मैं यह कहूंगा कि सारा झगड़ा इसलिए शुरू हुग्रा है कि श्री ग्ररविंद सोसाइटी ग्रौर जो इसके कार्यों को चला रहे हैं, समझते हैं कि ग्रारोविल, जो कि एक ग्रलग से ग्रौर स्वतन्त्र टाउनशिप है, को हथियाने ग्रौर उसके कार्यों को चलाने का उनका जन्म सिद्ध ग्रधिकार है। परन्तु चूंकि धन श्री ग्ररविंद सोसाइटी के माध्यम से गुजरता है, वे समझते हैं कि ग्रारोविल के मामलों में ग्राधिपत्य रखने का ग्रौर उसमें प्रमुख भूमिका रखने का उनका ग्रधिकार है। यह कहने के पश्चात्, मैं यह कहूंगा कि यह भ्रान्ति जो प्रचलित है उसको दूर किया जाना चाहिए। इस परिभ्रान्ति को दूर करने का कार्य सरकार का था क्योंकि जो महाशय श्री ग्ररविंद सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं। वे समझते हैं कि ग्रारोविल के सम्पूर्ण कार्यों को नियन्त्रित करने का उनका पुनीत कर्त्तव्य है। उसी से निहित स्वार्थ उत्पन्न किए गए हैं ग्रौर वहीं से सभी घटनाएं शुरू हुई हैं ग्रौर परिणाम सामने ग्राए हैं। ग्रारोप ग्रौर प्रत्यारोप लगाए गए हैं। कुछ व्यक्तियों ने विदेशियों के विरोध में कहा है। यदि कुछ विदेशी मदर के उच्च ग्रादर्शों से प्रेरित हुए हैं ग्रौर मदर द्वारा स्थापित ग्रादर्शों का ग्रनुसरण कर रहे हैं, ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव के इस टाउनशिप में ग्राए हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मुझे बताया गया है कि कुछ विदेशी मित्रों ने उनके पास जो कुछ भी था दान में दे दिया है। वे यहां ग्राए हैं ताकि वे उस संस्था का एक ग्रभिन्न ग्रंग बन सकें ग्रौर मानव एकता का एक शहर बना सकें। वे उच्च ग्रादर्शों से प्रेरित हुए। यदि इस सम्बंध में कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ व्यक्ति बुरे कार्यों में लगे हुए हैं तो पुनः यह छान-बीन करवाए जाने का मामला बनता है।

इस दृष्टिकोण से मैं सरकार से यह ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को ऐसी संस्था का ग्रधिग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बुरा उदाहरण स्थापित करेगा। ग्राज, सरकार ग्रारोविल के ग्रधिग्रहण का प्रयत्न करेगी, कल वह किसी ग्रन्य ग्रच्छी सार्वजनिक संस्था का ग्रधिग्रहण कर सकती है। इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा यही स्पष्ट दृष्टिकोण है। परन्तु सरकार तथा संसद कैसे तरीका निकालेगी? मेरे मित्र, श्री उन्नीकृष्णन ने समस्त सदन

से अनुरोध किया है कि महा-न्यायवादी को बुलाया जाय ताकि वह सही कानूनी स्थिति के बारे में सदन को जानकारी दे सके। मेरे विचार से यह एक रचनात्मक सुझाव है और समस्त सदन को इससे सहमत होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मेरी यह तीव्र इच्छा है कि डा० कर्ण सिंह जैसे व्यक्ति, जिन्होंने मदर की भावना, आरोविल के आदर्शों को समझा है, को इस सोसाइटी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाए और उस सोसाइटी में निस्वार्थी व्यक्तियों को सोसाइटी के संचालन, देखभाल, और इसके कार्य चलाने के लिए नियुक्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनसे अनुमति ले ली है ?

प्रो० मधु दण्डवते : वे सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध है :

श्री रतन सिंह राजदा : वह श्री अरविंद सोसाइटी के अभिन्न अंग हैं और उन्होंने अभी ही सदन को सूचित किया है कि वे एक आरोविलयन हैं। उस दृष्टिकोण से मैं वह सुझाव दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है, कि उन्होंने उस उच्च आदर्श की भावना आत्मसात कर ली है और उन आदर्शों को भी आत्मसात कर लिया है जिनका वे समर्थन करते हैं।

मैंने इस दृष्टि से यह सुझाव दिया है। यह मेरा सुझाव मात्र है। इस पर निर्णय सभा ने ही करना है। मैं श्री अम्बर राय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसको सरकारी संस्थान बनाकर अपने अधिकार में न लें क्योंकि यह कार्यवाही अनुचित होगी, आप कोई अन्य उपाय निकाल सकते हैं जिससे इसकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रख सके तथा इस समस्या का समाधान कर सकें। वहाँ दो गुट बन गए हैं तथा उनमें आन्तरिक स्पर्धा होना स्वाभाविक है। वे परस्पर लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो निष्पक्ष रह सकें इस समस्या को सुलझाने का कार्य सौंपा जाना चाहिये। इस विचार से मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण आरोविल को अधिकार में न लिया जाये, प्रबन्ध तथा अन्य बातों को, वरन इसकी देखभाल किसी निकाय के माध्यम से की जाये जो दसकी सभी समस्याओं को हल करे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब को दिल से बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि औरोविल्लो जो और भी हिन्दुस्तान में हैं जो कि हिन्दुस्तान को तबाह कर रहे हैं, मजहब के नाम पर तबाह कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए। हमारे पंजाब में सूडल मंदिर (जिला जलन्धर) मन्दिर है। वहां पर भी लोग लड़ते-मरते हैं, मजहब के नाम पर बेले बैंठ कर खाते हैं, निकम्मे बैठ कर खाते हैं। ऐसे बिल आपको इन जगहों के लिए भी लाने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि—

ईश्वर को कहाँ खोजें ? क्या निर्धन, दु:खी और पद दलित लोग ईश्वर नहीं हैं ? पहले उनकी पूजा कीजिए। मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवाओं की आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकते अथवा अनाथों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता— स्वामी विवेकानन्द। शिक्षा यह नहीं है कि केवल जानकारी दिमाग में भरली जाए तथा उसका जीवन में कभी भी उपयोग न किया जाए। हमें मानव निर्माण, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों का

[श्री सुन्दर सिंह]

सामंजस्य करना चाहिए। यदि हम मात्र विचारों पर विवेकपूर्ण विचार करें। तथा उन्हें अपने जीवन और चरित्र में उतारें तो हम उस व्यक्ति से अधिक ज्ञानवान हैं जिसने सारे पुस्तकालय को रट रखा है। यदि शिक्षा को जानकारी समझा जाए तो पुस्तकालय विश्व के नादान सन्त अथवा ऋषि दे सकते हैं।

महाराज आप इस पर अमल करने की तकलीफ करें। इस पर आप अमल करके बतलाएं। हमारी जो आज एजूकेशन है उसमें भी यह मजहबी लोग गरीब लोगों को ऊपर नहीं आने देते हैं और मजहब के नाम पर खूब पैसा इकट्ठा करते हैं। गरीब आदमी भूखों मरते हैं और पुजारी बैठ कर खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमेनिटी क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है—

हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाने और विषयों में प्रवृत्त होना नहीं है वरन् अपनी इच्छाओं और कामनाओं की दमन करना है। वह व्यक्ति राष्ट्रपिता है जिसे महात्मा गांधी कहा जाता है।

जो आदमी दुनिया में सब से तंग जगह पर रहता है, जो सब से कम चीजें अपने लिए इस्तेमाल करता है वही सोसायटी में ऊँचा उठता है; नाम पाता है। जो आदमी इन्सान को एक्सप्लाएट करता है, वह खुद को एक्सप्लाएट करता है। महात्मा गांधी ने असली मजहब चलाया था। उन्होंने करेक्टर बिल्डिग की बात कही थी। जिसका करेक्टर होता है उसको देखकर दूर से ही पता चल जाता है कि कोई शानदार आदमी जा रहा है।

यह जो सोसायटी एजूकेशन मिनिस्टर साहब लेने जा रहे हैं इसके लिए मैं उनको दिल से बधाई देता हूँ। डागा साहब इस सोसाइटी की बहुत तारीफ कर रहे थे। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आज गरीब आदमी भूखों मर रहे हैं और ये मजहब के नाम पर निकम्मे बैठ कर खा रहे हैं।

मैं नहीं चाहता कि मेरा पुनर्जन्म हो किन्तु यदि मुझे पुनः जन्म मिले तो मैं चाहता हूँ कि मैं अछूत के रूप में जन्म लूं जिससे मैं उन पर होने वाले अत्याचारों को समझ सकूँ। अतः मेरी यह विनती है कि यदि मुझे पुनः जन्म मिले तो मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के रूप में जन्म न लूँ वरन एक जाति शूद्र के रूप में जन्म लूं। (महात्मा गांधी)

महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सबसे नीचा हूं। हिन्दुस्तान की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो मुझे न लगे, हिन्दुस्तान का कोई ऐसा नीचा काम न हो जो मैं न कर सकूं। तब वे फादर आफ नेशन बने थे।

सल, सफाट और निस्वार्थभाव—जहाँ ये तीनों विद्यमान हैं वहाँ इनके संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को मिटाया जा सके। इन गुणों से सम्पन्न एक व्यक्ति भी सारे संसार का मुकाबला कर सकता है। उठो, जागो और जब तक बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए—स्वामी विवेकानन्द ने कहा था।

आप बड़े लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हिन्दुस्तान धर्म की जगह है यहाँ कोई पाखंड नहीं चल सकता। लोग समझते हैं कि ह्यूमिनिटी क्या चीज है। चलने-फिरने से ही

आदमी का पता चल जाता है कि कौन सा आदमी अच्छा है। कांग्रेस ने गरीबों की मदद की है। आप जवाहरलाल नेहरू को देखें। क्या ऐसा आदमी आप पैदा करेंगे ?

अन्त में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ-जहाँ मजहबी इरादों में गन्दगी है, जहाँ-जहाँ लोग निकम्मे बैठ कर खाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, इन सबको सरकार ले ले।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सभी प्रकार के प्रश्न हैं, संवैधानिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आपने इस विधेयक को आज पूरा करना है। इसलिए कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। दो घंटे बीत चुके हैं। अब हम और समय ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : जहाँ तक इस समस्या का सम्बन्ध है मेरे विचार से संसद को विधान बनाने का अधिकार है क्योंकि संसद सर्वोच्च है तथा इस मामले में हमारे देश से सम्बन्धित किसी विषय का विधान बनाने के लिए संसद सर्वोच्च है। किन्तु महोदय यहाँ यह औचित्य का प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे मामले पर इस समय विधेयक पास किया जाना हमारे लिए उचित है जिस पर न्यायालय ने रोकादेश दिया है। यह औचित्य का प्रश्न है और इस बारे में मुझे कुछ आशंका है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात को स्पष्ट करें तथा इस दिशा में विचार कर लें।

जहाँ तक प्रश्न के दार्शनिक पहलू का सम्बन्ध है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु लोगों ने इसमें सभी मामले मिला दिए हैं तथा कुछ बातों को स्पष्ट किया जाना है। अरविन्द ने कोई पृथक धर्म नहीं चलाया था अतः आरोविल का अरविन्द आश्रम किसी धर्म पर आधारित नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन को गहराई से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह धर्म सम्बन्धी नहीं है। उसमें व्यक्तिगत ईश्वर का कोई सिद्धान्त नहीं था। श्री दास ने आक्सफोर्ड डिक्शनरी से ठीक ही उद्धरण प्रस्तुत किया है। उसमें कर्म की परिभाषा व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास दिया गया है। शांख्य, मीमांठा, न्याय, योग तथा उन सभी सूत्रों में—मैं मूल के बारे में बात कर रहा हूँ—व्यक्तिगत ईश्वर कहीं नहीं था क्योंकि इन दर्शनों का जन्म वर्गहीन समाज में हुआ था। उस समय न कोई शासक था और न शासित और तब न ही राज की आवश्यकता बनी अतः उस समय व्यक्तिगत ईश्वर के सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं की गई थी, यह सिद्धान्त बाद में उत्पन्न हुआ तब भारत में समाज का आधार वर्गों पर पड़ा। विश्व में केवल हमारा ही देश ऐसा है जहाँ सामाजिक राजकीय कानून व्यक्ति के अपने विश्वास और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते और यह हमारे लिए गर्व की बात है। अतः हमें इस मामले को धार्मिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

जैसा कि हम सभी जानते हैं युधिष्ठर ने, जो कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों का नेतृत्व करते थे, भीष्म से पूछा था कि धर्म क्या है, तब उन्होंने यह उत्तर बिया था :

धारणद्धर्म मित्थाहुर्धर्मेण विधुताः प्रजाः।
यः स्यात् धारणसंयुक्तः सधर्म इति निश्चयः॥

[श्री भोगेन्द्र झा]

प्रजा की भलाई करने में जो कुछ सहायक है संयुक्त रूप से प्रजा की भलाई में जो कुछ सहायक है वही धर्म है। अतः इस समय भी व्यक्तिगत ईश्वर के सिद्धात की उत्पति नहीं हुई थी, यह धर्म की शास्त्रीय परिभाषा है। मेरे विचार से इस बात को बहुत से लोग जानते हैं।

यहां दोनों पक्षों से बहुत सी वातें रही गई हैं और मेरे विचार से दोनों ही ओर की बातों में गम्भीर गलतियां भी हैं। इससे कुछ विशेष प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस पक्ष के हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : जाँच समिति का प्रतिवेदन तथा इस संस्थान के कार्यकरण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में सरकार को क्या आपत्ति है जिससे कि लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो जाए।

दूसरे, क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध देश निकाले के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों का पालन नहीं किया गया और अब उन लोगों को जिन्होंने आदेशों का उल्लंघन किया था पुरस्कृत किया जा रहा है ?

जहां तक आतंक का सम्बन्ध है उससे देश के सामान्य कानून से निपटा जा सकता है। इस आधार पर इसके सरकारी कारण का औचित्य नहीं बनता।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या जब वह वहाँ गए थे तब उन्होंने सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की थी, क्या उन्होंने अपने दौरे के बारे में सोसाइटी को पूर्व सूचना दी थी क्या उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था ?

'यूनेस्को' ने 1968 में विश्व भर की सरकारों से अनुरोध किया था कि वह हमारे वसुधैव्य कुटुम्बकम तथा एक विश्व की आधुनिक संकल्पना के प्रतीक के रूप में ओरोविल परियोजना के मामले में सहयोग दे। सम्पूर्ण विश्व से मिट्टी लाई गई जिससे कि इसे भावी विश्व का प्रतीक बनाया जा सके। जो लोग यह मानते हैं कि केवल आध्यात्मिक प्रयत्नों से ही उनकी इच्छा का विश्व बनाया जा सकता है वे बहुत ईमानदार हैं किन्तु वास्तविकता इसके उलट है क्योंकि भावना पदार्थ से ही उत्पन्न होती है तथा दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक परिस्थतियों में अध्यात्मक स्थिति में परिवर्तन नही हो सकता। हम सदा से अपनी भौतिक परिस्थितियों के शिकार होते रहे हैं। अतः मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि क्या 'यूनेस्को' के प्रयत्न सफल हो सकेंगे।

इस विधेयक में एक अच्छी बात यह है कि इस कानून को अस्थाई समय के लिए एक सीमित उद्देश्य से ही लागू किया जाएगा। हमें सरकार के कथन में विश्वास करना चाहिए, अथवा हमें इसमें भारी आशंका भी हो सकती है क्योंकि हमें बताया गया कि मंत्रालय में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी इस मामले में रुचि है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इस सदन से बार-बार यह अनुरोध किया जाएगा कि उसकी अवधि बढ़ाई जाये और इस प्रकार इसे सदा के लिए लागू कर दिया जाये।

सम्भव है कि मुझे आरोविल या इसकी दार्शनिकता में कोई रुचि न हो किन्तु मुझे

उन लोगों के अधिकारों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए जिससे वे अपने विश्वास के अनुसार चलते रहे। यह हमारा मूलभूत दर्शन है और हमारी संस्कृति है। मैं इसे विधेयक का समर्थन करने में अधिक उत्साही नहीं हूं और न ही मैं इसका विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी पृष्ठिभूमि पर प्रकाश डाले जिससे हम निष्पक्ष होकर इस पर अपना मत व्यक्त कर सकें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं कुछ सुझाव देने जा रहा हूं। मूलतः मैं किसी भी संस्कृति, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन का अधिग्रहण किये जाने के विरुद्ध हूं। यह भी एक प्रकार का आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक संगठन है। यह सरकार कार्यभार सम्भाल लेने, राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात् अन्य सभी सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों को भी हथिया लेना चाहती है। यह एक गलत प्रवृत्ति है। यह एक अधिनायकवाद की प्रवृत्ति है जिसका लोग अनेक अवसरों पर सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। सार्वजनिक उपक्रम तो पहले ही से सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। सरकार ने अन्य कई संगठनों को भी अपने अधिकार में ले रखा है। हमें हर जगह काफी भ्रष्टाचार, काफी कुप्रबन्ध और धोखाधड़ी आदि नजर आते हैं। इस कार्यवाही से ये चीजें और बढ़ेंगी। इस कार्यवाही का फल भी भ्रष्टाचार में एक कड़ी और जुड़जाने के सिवा और कुछ न होगा।

यह कहा गया है कि उक्त संगठन में बहुत अव्यवस्था है। यदि कुप्रबन्ध है तो सरकार को प्रशासनिक कार्यवाही करनी थी। स्थिति में सुधार किया जा सकता था। परन्तु सरकार ने तो कोई अन्य मार्ग ही चुना। वस्तुतः मुसीबत तो वर्ष 1976-77 में शुरू हुई थी जब सरकार ने अरविन्द सोसाइटी की सिफारिसों की उपेक्षा करना आरम्भ किया और इस सोसाइटी से परामर्श लिए बिना ही अपनी तरफ से वीजा जारी करने शुरू कर दिए थे। पहले, इस सोसाइटी की सिफारिशें हमेशा स्वीकार की जाती थी उन्हें विचार में लिया जाता था। उनकी इच्छानुसार ही वीजा जारी किये जाते थे। इस लिए, कुछ समय के बाद कुछ लोग इस संस्था में आए जिन्होंने गुण्डागर्दी करनी शुरू कर दी जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा है। और वस्तुतः इसी कारण यह संस्था बदनाम हो गई। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस संगठन का अधिग्रहण करके इस स्थिति को ठीक कर सकेगी यदि साही आदमी तैनात नहीं किए जाते हैं तो···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग से वह ऐसा कर सकेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा सहयोग तो हमेशा ही उपलब्ध है।

जैसा कि माननीय श्री उनीकृष्णन ने सुझाव दिया है भारत के महान्यायवादी को यहां बुलाया जाना चाहिए और वह हमें इस विषय से परिचित करायें। मेरे विचार से यही बेहत्तर होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे।

दूसरे सुझाव में यह देना चाहता हूँ उक्त विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए। मुझे नहीं मालूम कि सरकार इसके लिए तैयार है अथवा नहीं। यदि सरकार इस संस्था को अधिग्रहण करने और एक बोर्ड गठित करने जा रही है तो उसमें कम से कम दो संसद सदस्य एक-एक दोनों सदनों से—रखे जाने चाहिये और उन सदस्यों का चुनाव इन सदनों के द्वारा हो।······(व्यवधान)

[श्री हरिकेश बहादुर]

श्री हरिकेश बहादुर : यदि डा० कर्णसिंह को उक्त समिति में रखा जाय अथवा उन्हें इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं निश्चय उनके नाम का सुझाव देता हूं तथा सिफारिश करता हूँ। परन्तु यह तो सरकार की मर्जी हैं कि वह डा० कर्णसिंह को ले अथवा नहीं।

यही मेरे सुझाव हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मेरे सुझावों के अनुसार निणय करें। इसका संवन्ध अधिकांश सदस्यों से है। मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्री हमारे सुझावों पर ध्यान देंगे।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के उन सभी सदस्यों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सरकार द्वारा हाथ में लिए गए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान पर हुई चर्चा में भाग लिया है।

प्रारम्भ में मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसी भी धर्म सम्बन्धी धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं। ऐसा तो हमने मुख्यत: अपनी अन्त-र्राष्ट्रीय वचनबद्धता को लेकर किया है 'यूनेस्को' द्वारा पारित तीन संकल्पों को देखते हुए किया है और भारत सरकार के ऊपर आये इस दायित्व को देखकर किया है कि जिसमें यह देखना हैं कि यदि उसे किसी कुप्रबन्ध का पता चले तो वह मूक दर्शक न बनी रहे और स्थिति को ठीक करने का प्रयास करे। साथ ही, मुझे यह नहीं मालूम कि सरकार उन अपेक्षा को पूरा भी कर सकेगी जो कि डा० कर्णसिंह ने यहाँ व्यक्त की हैं। हम उचित लेखे तैयार कर सकते हैं लेखा परीक्षा कर सकते हैं। जैसा कि श्री डागा ने कहा है यदि किसी व्यक्ति ने दुर्वि-नियोजन किया है, हालांकि हम उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की नहीं सोच रहे हैं, तथापि और माननीय सदस्य गण भी इस बात पर जोर दे रहे प्रतीत होते हैं तो यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर सरकार विचार कर सकती है। यदि मामला इतना ही गंभीर है और यदि पूरे सबूत उपलब्ध होते हैं तो निश्चय ही मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूँ कि सरकार वह कदम उठाने में भी नहीं हिचकेगी।

मैं श्री डागा को यह भी विश्वास दिला दूँ कि सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी विशेष के कहने पर कोई निर्णय नहीं किया है। मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं कि मैं किसी अधिकारी विशेष की यहाँ वकालत करूं। परन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी भौतिक दायित्व है कि मैं उस अधिकारी की यहां प्रतिरक्षा करूँ जो अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उपस्थित नहीं है। कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उक्त अपना देश लाए जाने के लिए एक अधिकारी ही मुख्यत: जिम्मेवार है। मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि उक्त अधिकारी ने मात्र अपना दायित्व पूरा किया है। तीन चार शिक्षा मंत्रियों ने रिकार्डों का निरीक्षण किया है। मेरे ऊपर यह दायित्व था कि मैं मंत्री मण्डल के पास मामला ले जाऊँ और उसकी स्वीकृति प्राप्त करूं और एक अध्या-देश जारी करवा कर सभा के समक्ष आऊँ परन्तु यह कहना सर्वथा अन्यायपूर्ण और अनुचित है कि यह सब कुछ एक अधिकारी विरोध करने का प्रयास कर रहा था।

मैं जानता हूँ कि अरविन्द सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी कतिपय अधिकारियों को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि समझते हैं कि उन अधिकारियों को हतोत्साह करके वे समूची

सरकार का काम रोक सकते हैं । मेरे विचार से उनका ऐसा सोचना सही नही है । परन्तु में यह बात स्पष्ट कर दूँ कि उक्त अधिकारी ने अपना दायित्व पूरा किया है और सरकार ने आंख मूंद कर कार्यवाही नहीं की है । हमने भी उस पर दिमाग लगाया है । मन्त्रीमण्डल ने भी विचार किया है । मामले को विधि मंत्रालय के पास भेजा गया था हर पहलू पर कानूनी तथा संवैधानिक दृष्टि से विचार किया गया था ।

एक अधिकरी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि वह ट्रस्टी था । मैं समझता हूँ की उन्नीकृष्णन यह जानते हैं कि आरोविल्ले अथवा पांडिचेरी में कौन कौन से संस्थान हैं । फिर भी मैं नहीं जानता कि वह ऐसे भ्रम कैसे पैदा कर रहे हैं ? जैसाकि एक सदस्य ने सही कहा है जब वे ओरोविदले पहुँचे अपनी सभी चीजे संस्था को इस शर्त पर समर्पित कर दी उनके रख रखाव एवं अन्य बातों के लिए संस्था द्वारा पैसा दिया जायेगा । झगड़ा तब आरम्भ हुआ जब संस्था के पदाधिकारियों ने इन लोगों को यह कह कर मनमानी करवानी चाही कि आपको संस्था के आदेशों का पालन करना होगा । इन लोगों ने कहा "हम किसी का आदेश नहीं मानेंगे । हम यहाँ आये हैं और स्वतन्त्र नागरिकों की तरह रहना चाहते हैं । यदि कोई बात है तो बताओं यदि हम संतुष्ट हुए तो जरूर मानेंगे ।" इसके पश्चात् हमें बताया गया है यह सूचना मेरे अधिकारियों ने मुझे दी है—कि इन लोगों को दी जाने वाली रख रखाव राशि को देना बन्द कर दिया गया । वस्तुतः उन्हें खेतों में काम करना पड़ा, अपना गुजारा करने के लिए कुछ अन्य कार्य भी करने पड़े ऐसी स्थितियों में जे० आर. डी. टाटा ने देश के विभिन्न भागों से चल कर आने वाले ओरोविलियन्स की यह दशा देख कर जबकि वे अपनी सभी चीजें संस्था को समर्पित कर रहे थे और कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था हस्तक्षेप करते हुए एक अन्य संस्था, ओरों मित्र की स्थापना की जिसमें श्री किरीत जोशी एक ट्रस्टी थे । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूँ कि वर्ष 1980 में सरकारी सेवा में आने से पूर्व उक्त अधिकारी ने ट्रस्टी के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया था और अब वह उक्त संस्था के ट्रस्टी नहीं हैं । अतः श्री जे० आर० डी० टाटा ने इस संस्था की स्थापना की थी और श्री जोशी उसके एक ट्रस्टी रहे थे । ट्रस्टी के रूप में भी उन्हें कोई वेतन अथवा कोई राशि नहीं मिल रही थी । परन्तु यह एक सिद्धान्त की बात है कि क्या एक अधिकारी ट्रस्टी होना चाहिए अथवा नहीं । निश्चय ही इस मामले पर विचार किया जा सकता है । परन्तु आज की स्थिति के अनुसार नई 1980 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और वह इस समय ट्रस्टी नहीं हैं ।

प्रो० मधु दण्वंडते : वह समानान्तर आश्रम चलता रहेगा ?

श्री एस० बी चव्हाण : अच्छा किया जो आपने यह प्रश्न उठा दिया···

प्रो० मधु दण्डवते ; अन्यथा एक आश्रम सार्वजनिक क्षेत्र में होगा और एक गैर सरकारी क्षेत्र में ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे खेद है, उक्त आश्रम का इस सोसाइटी से कोई सम्बन्ध नहीं है । आश्रम एक चीज है, अरविन्द सोसाइटी अलग चीज है और ओरोविल्ले अलग एक तीसरी चीज है । इस सोसाइटी का भी आप ग्रहण नहीं कर रहे है । श्री उन्नीकृष्णन को भी

[श्री एस० बी० चव्हाण]

जानकारी के लिए मैं यह बता दूँ कि इस सोसाइटी के मामलों को अपने अधिकार में हम नहीं ले रहे हैं। हम तो केवल ओरोविल्ले भाग को अपने अधिकार में ले रहे हैं क्योंकि हमारी एक अन्तर्राष्ट्रीय वचन-बद्धता है जिसके कारण हमें यह दायित्व सभालना पड़ रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : टाटा द्वारा स्थापित ओरों मित्र का क्या होगा ? इसका भी अधिग्रहण क्यों नहीं करते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : ओरो मित्र एक भिन्न संस्था है अब तक सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने इसके लिए कोई अंशदान नहीं किया है। ओरोविल्ले के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने मिलकर 90 लाख रुपये दे रखा है और वह भी एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए। मैं इस विस्तार में तो नहीं जाना चाहता कि क्या उक्त सोसाइटी किसी विशिष्ट परियोजना के लिए प्राप्त किए गए धन को उससे अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकती है अथवा नहीं। मुझे यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस सोसाइटी के विरुद्ध कार्यवाही करने का यह सर्वोच्च तथा आधार भूत मामला है और इसमें कोई गलत वात नहीं है; यह किसी पूर्वाग्रह के कारण नहीं हो रहा है, किसी और बात से लेकर नहीं हुआ है, किसी के उकसाने पर नहीं किया गया है। मैं डा० कर्णसिंह को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मुझे पता है कि ओरोविल्ले में गुट-बन्दी है तथा दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। हमारा इरादा उन्हें आरोविल सोंप देने का नहीं है। एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है तथा अन्य पांच सलाहकार भी नियुक्त कर दिये जायेंगे। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् गठित करने को विचार है, सरकार ने उक्त परिषद नियुक्त करने का भी निर्णय किया है। परन्तु नामों की घोषणा यह विधेयक पारित करने के बाद ही की जा सकती है। मैं सभा से यह विश्वास दिला सकता हूँ कि ज्यों ही सदस्य गण को उक्त सदस्यों का नाम मालूम होंगे हर सदस्य संतुष्ट हो जायेगा कि सरकार ने उक्त कार्यवाही इसलिए नहीं की है कि किसी संस्था अथवा किसी सम्पत्ति कर अधिग्रहण किया जाए। जो लोग वस्तुतः ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं उनको उक्त सलाहकार परिषद में रखा जा रहा है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कार्य भार वस्तुतः कौन संभालेगा ? यह तो एक सलाहकार परिषद होगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : उसके लिए प्रशासक है। उसका कार्य लेखों को ठीक करना तथा कार्य आरम्भ करना है जो कि एक दम ठप्प पड़ गया है और इसके उपरान्त उन महान आदेशों को देखना है जिनका जिक्र डा० कर्ण सिह ने किया है। उस बारे में हमें उनसे विचार विमर्श करना होगा। विधेयक में तो, कम से कम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम उनकी सलाह लेना चाहेंगे कि वह इस बारे में क्या करना चाहते हैं।

मैं यह भी कहने का अवसर चाहता हूँ कि···

श्री भोगेन्द्र झा : व्यवस्था के प्रश्न पर यह विधेयक सभा के समक्ष है यह पारित होकर कानून नहीं बना है। किसी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह विधेयक उसी रूप में पास हो जायेगा। जिसमें इसे लाया गया है—सलाहकार परिषद आदि की व्यवस्था चाहते।

अतः श्रीमान्, क्या मंत्री महोदय के लिए यह कहना उचित हैं अथवा वैध है कि परिषद के सदस्यों के नाम भी निश्चित कर लिए गये हैं; श्रीमान् नामों का उन्हें पता है और विधेयक अभी सभा द्वारा पारित होना शेष है । आप यह विनिर्णय दें कि क्या सरकार के लिए यह उचित है कि वह सभा द्वारा विधेयक पारित किये जाने से पूर्व ही नामों के बारे में निर्णय कर लें ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने तो कभी नहीं कहा कि नामों का निर्णय कर लिया गया है । मैंने तो इतना कहा था कि हमने एक ऐसी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग सदस्य होंगे । यह बात तो स्वयं विधेयक में भी उल्लेखित है और मैंने कोई नई बात नहीं कही है ।

मेरे विचार से मैंने सभी मुद्दों पर विचार व्यक्त कर दिए हैं जो उन्नीकृष्णन तथा श्री डागा ने उठाये थे जो कि यह मानते थे कि विधेयक को जनमत के लिए परिचालित किया जाये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं तो नहीं चाहता था ।

श्री एस० बी चव्हाण : यह श्री डागा का सुझाव था । उनका एक सुझाव यह था कि इस विधेयक पर जनमत संग्रह किया जाये और दूसरा सुझाव यह था कि विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा का सुझाव तो यही रहता है कि सभी विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाये······ वह सबसे बड़े लोक तंत्र वादी हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : श्री उन्नीकृष्णन ने सुझाव दिया था कि महान्यायवादी को बुलाया जाये और जिन बातों पर वह महान्यायवादी से सलाह लेना चाहते थे वे मैंने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिये हैं । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कानूनी अथवा संवैधानिक कठिनाई है, और इसलिए महान्यायवादी को सभा में बुलाने तथा स्थिति स्पष्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री उन्नीकृष्णन यह जानना चाहते थे कि क्या किन्हीं विदेशी राष्ट्रिकों को वापस देश भेजने के कोई आदेश जारी किए गये हैं। मैंने पता लगाया है तथा मुझे बताया गया है कि उक्त आदेशों को प्रभावी नहीं किया जा रहा है और गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे उन मामलों में आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं :—

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे नहीं मालूम। यह मामला उनका है । मैं यह नहीं कह सकता ।

श्री के० पी० उनीकृष्णन : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । आपको इसकी जाँच करनी होगी ।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप जानकारी चाहते थे । मैंने मंत्रालय से पूछ लिया । यह निर्णय उन्होंने क्यों लिया, यह बात आप उनसे पूछिये । वह जरूर बतायेंगे । मैं तो

[श्री एन० के० शेजवलकर]

ग्रापको केवल तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को स्वदेश भेजने के ग्रादेश दो बार पारित किये गये थे ?

श्री एस० बी चव्हाण : मैं फिर से स्पष्ट कर चुका हूँ ग्रौर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सभा से ग्रनुरोध करता हूँ कि वह विधेयक को पारित कर दे ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसके ग्रलावा, मेरा ग्रारोप यह भी था कि वे वैध वीसा बगैर भारत में रह रहे हैं। वे वहां रह रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं उन पर ग्रापराधिक कार्यों के लिए कार्यवाही की जा रही है ? ग्राप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। इस परियोजना के भविष्य के संदर्भ में यह मामला जरूर ग्राता है।

श्री एस० बी० चह्वाण : यदि कुछ ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो ग्रारोविल के उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं ग्रौर केवल वीसा की कठिनाई का प्रश्न है तो वास्तव में हम उनके मामलों को गृह मन्त्रालय में भेजेंगे ताकि उन्हें वीसा मिल सके।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनको भी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जुटे हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : वीसा के लिए मामलों की सिफारिश के विषय में पहली बार विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो बहुत पहले से होता ग्राया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० के० शेजलवकर

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय······

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ग्रापको ग्रनुमति नहीं दे रहा हूं। ग्राप पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। कृपया ग्राप उन्हें बोलने दें··· **(व्यवधान)** यह ठीक नहीं है। उन्हें उत्तर पाने का हक है मैंने उन्हें ग्रनुमति दी है। उन्हें उत्तर दिया जाना है। ग्राप सामान्य पद्धति को चलने देंगे। यह क्या हैं ? श्री शेजलवकर ग्राप बोलिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मैं माननीय मन्त्री को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कर रहा था कि क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह ग्रध्यादेश क्यों लाया गया।

उन्होंने ग्रविलम्बनीयता के वारे में कोई कारण नहीं बताया। लेकिन यह उन पर निर्भर करता है।

ग्रन्य वातों को कहने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि 'यूनेस्को' के साथ ग्रन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या मंत्री महोदय तिनदिवनम्—ग्रारोविल क्षेत्र जो तमिलनाडु का भाग है, को ऐसा क्षेत्र समझती है जिसे भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ? क्या भारत के कानून उस क्षेत्र पर लागू नहीं होते ? क्या लोग वहां बिना वीसा के स्वतन्त्र रूप से रह सकते हैं ? हालांकि विमत्तन ग्रादेश पास किये जाते हैं, वे फिर भी वहां रहते हैं, क्या मन्त्री महोदय का तात्पर्य सही है मैं यूनेस्को की बात समझ सकता हूं। यदि एक बार उनका यह विचार बन जाये कि ऐसा स्थान होना चाहिए—यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है—जो ग्ररविन्द की शिक्षा के लिए सम्पूर्ण विश्व के लिए एक वातायन बन जाएगा। उनका तात्पर्य यह नहीं कि श्री

अरविंद की शिक्षा के बिना वहां कोई विदेशी नागरिक रहें, हमने उनके उपदेशों के बारे में सुना है। मैंने अभी आरम्भ में कहा कि उनके उपदेश बहुत महत्त्वपूर्ण थे और वहां मद्यपान आदि के सेवन पर रोक है पहले यह पद्धति थी कि वीसा देते समय समिति से परामर्श किया जाता था। आप जानते हैं कि वीसा किस प्रकार मंजूर किया जाता है। वीसा मंजूर करते समय आपको यह देखना होगा कि जिनके पास उचित वीसा नहीं हैं और जिनके विरुद्ध विमत्तन आदेश पास किए गए हैं उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाये। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय यह कैसे कह रहे हैं कि उनके मामलों पर अब विचार किया जाएगा। मैं इस उत्तर को सुनकर अत्यधिक आश्चर्य चकित हूं।

वह यूनेस्को के योगदान के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार का अंशदान 96 लाख रुपये का था जबकि यूनेस्को द्वारा अंशदान केवल 40,000 रुपये था। मैं नहीं जानता कि वे यूनेस्को मामले से इतने डरे हुए क्यों हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि वे उस अच्छी परियोजना में भाग लेना चाहते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अन्य बातों के प्रभाव में आ जाएं। वहां ऐसा किया जाता है जिसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकता। मन्त्री महोदय प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। न ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित लोगों को इस बात को स्पष्ट करने के लिए मौका क्यों नहीं दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। जिसके विरुद्ध आप कार्यवाही करना चाहते हैं। सुने जाने का कुछ अवसर दिया जाना चाहिए। आपने इसके बारे में नहीं कहा। इसी प्रकार न्याय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री के उत्तर के बाद केवल प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उत्तर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वह संकल्प के प्रस्तावक हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : शायद वह नये सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की इच्छा है कि सभा का समय दस मिनट तक बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ! जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : समय दस मिनट बढ़ा दिया गया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि दखल न दिया गया तो मैं थोड़ी ही देर में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कहाँ है। आपको इसे सभा पटल पर रख देना चाहिए था। आपने आरोविल पर अनेक आरोप लगाए हैं। लेकिन आपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

महोदय, मैंने उस पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जिसमें समिति के एक सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि यदि आपको लेखों तथा समिति कार्यकरण के बारे में कोई संदेह है तो आप तीन अधिकारी की ओर सरकार से और एक अधिकारी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा

[श्री एन० के० शेजवलकर]

सेवा से समिति में नियुक्त कर सकते हैं और वे इस मामले की जांच कर सकते हैं और समिति के कार्यकरण में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन आपने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

महोदय, मेरे कुछ मित्रों ने अमुक-अमुक व्यक्तियों का नाम लिया। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता जो अपनी संरक्षा नहीं कर सकते। नियम 353 के अनुसार कोई आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ कोई आरोप हैं तो वे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए थे।

महोदय, आरोविल का गठन क्यों किया गया? वे दो अलग-अलग समितियां हैं। मैंने एक दल की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था जिसमें टाटा की एक फर्म ने आरोविल सोसायटी को लिखा है कि इतनी राशि का भुगतान किया गया था। इस बात को भी मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया है। इसी प्रकार अरोविलों सोसायटी द्वारा तथाकथित आरोविल सोसायटी के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया था और एक स्थायी एक रोकादेश दिया गया था कि वे आरोविल सोसायटी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने आरोविल को दिल्ली में पंजीकृत करा लिया। जब ये सारी बातें मालूम थी, मेरी समझ में नहीं आता कि एक कारण बताओ नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया और उन्हें बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। मेरे विचार से वह उचित होता। महोदय, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि इसे किया गया प्रतीत होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। न ही आपने इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। अतः मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और मैं संकल्प के प्रति दृढ़ हूं और यह अनुरोध करता हूं कि उसे स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 10 नवम्बर, 1980 को प्रख्यापित आरोविल (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 19) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री के०पी० उन्नीकृष्णन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव संख्या 19 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में विधेयक के कतिपय संवैधानिक पहलुओंका स्पष्टीकरण करने के लिए भारत के महा न्यायवादी से इस सभा को सम्बोधित करने का अनुरोध किए जाए :—

(क) भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 32 से उद्भुत अपनी अन्तर्निहित और अनन्य शक्तियों के अनुसरण में किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित, अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के मामलों के सम्बन्ध में लोक सभा की विधायी क्षमता का प्रश्न; और

(ख) क्या आध्यात्मिक विश्वास की एक विशेष प्राणाली, विशिष्ट दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण तथा अनुशासन का अनुसरण करने वाला कोई संगम या साम्प्रदायिक वर्ग यथा श्री अरविंद सोसायटी, जिसमें श्री अरविंद और मां के अनुयायी हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त संरक्षण का हकदार है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में विचार किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री मुलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 7 को प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में विचार किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री वसन्त कुमार पंडित द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 2 को प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में विचार किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किये गए संशोधन संस्था 3 को प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आरोविल का लोकहित में सीमित अवधि के लिए प्रवन्ध ग्रहण करने और उससे सम्बन्धित या उससे आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं कार्य मंत्राणा समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

6-10 म. प. :

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 3 दिसम्बर, 1980/12 ग्रग्रहायण, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।